



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 1, 2019/चैत्र 11, 1941

No. 232]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 1, 2019/CHAITRA 11, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2019

**सा.का.नि. 279(अ).**—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 12 में,—

(क) उपनियम (1) में,—

(I) आरंभिक भाग में “2018” अंकों के स्थान पर, “2019” अंक रखे जाएंगे ;

(II) खंड (क) में परंतुक में मद (Iग) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(I घ) जिसने धारा 57 के अधीन, उसके खंड (iiक) के अधीन दावा की गई कटौती से भिन्न कटौती का दावा किया है ;

(I ङ) जो किसी कंपनी में निदेशक है ;

(I च) जिसने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय कोई असूचीबद्ध साम्या शेयर धारण किए हैं ;

(I छ) संपूर्ण आय या उसके किसी भाग के लिए, जिस पर निर्धारिती से भिन्न किसी व्यक्ति के हाथों स्रोत पर कर की कटौती की गई है, निर्धारणीय है”;

(III) खंड (गक) में,—

(i) आरंभिक भाग में “हिन्दू अविभक्त कुटुंब या किसी सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न कोई फर्म है,” शब्दों के स्थान पर, “हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जो मामूली तौर पर निवासी से भिन्न निवासी है या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न कोई फर्म, जो निवासी है” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक में मद (I) के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(I) के पास भारत से बाहर अवस्थित आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित सम्मिलित) हैं;

(Iक) के पास भारत से बाहर अवस्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है ;

(Iख) भारत से बाहर किसी स्रोत से आय है ;

(Iग) के पास धारा 5क के उपबंधों के अनुसार प्रभाजित किए जाने के लिए आय है ;

(Iघ) किसी कंपनी में निदेशक है ;

(Iङ) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय कोई असूचीबद्ध साम्या शेयर धारण किए हैं ;

(Iच) के पास पचास लाख रुपए से अधिक कुल आय है ;

(Iछ) के पास एक से अधिक गृह संपत्ति है, जिसकी आय “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन प्रभाय है ;

(Iज) के पास कोई अग्रनीत हानि है या आय के किसी शीर्ष के अधीन हानि अग्रनीत की जानी है ;

(Iझ) संपूर्ण आय या उसके किसी भाग के लिए, जिस पर निर्धारिती से भिन्न किसी व्यक्ति के हाथों स्रोत पर कर की कटौती की गई है, निर्धारणीय है ;

(IV) खंड (छ) में “या उपधारा (4ड) या उपधारा (4छ)” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपनियम (3) में, सारणी में, स्तंभ (i) में क्रम सं. 1 की प्रविष्टियों के सामने, स्तंभ (iii) में मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(ख) जहां पूर्व वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति की, जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है, अधिनियम के अधीन कुल आयु प्रभाय है और जो प्ररूप संख्या सहज (आईटीआर-1) या प्ररूप संख्या सुगम (आईटीआर-4) में विवरणी प्रस्तुत करता है।”;

(ग) उपनियम (5) में, “2017” अंकों के स्थान पर, “2018” अंक रखे जाएंगे ।

**3.** मूल नियमों की परिशिष्ट (II) में, “प्ररूप सहज (आईटीआर-1), “प्ररूप आईटीआर-2, प्ररूप आईटीआर-3, प्ररूप सुगम (आईटीआर-4), प्ररूप आईटीआर-5, प्ररूप आईटीआर-6, प्ररूप आईटीआर-7 और प्ररूप आईटीआर- V के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:—

आ.क.वि.- 1 सहज	[ऐसे व्यक्तिों के लिए, जो मामूली तौर पर निवासी से भिन्न निवासी हैं, जिनकी वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से और कृषि से पचास लाख रुपए तक आय है]  [किसी व्यक्ति के लिए नहीं, जो किसी कंपनी में या तो निदेशक है या जिसने अस्वीकृत साम्या शेयरों में विनिधान किया है। (पात्रता के लिए अनुदेश देखें)]	निर्धारण वर्ष				
		2	0	1	9	-

भाग क साधारण जानकारी	
स्थायी लेखा संख्या	नाम, जन्म की तारीख, आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)
मोबाइल नं०	ई-मेल पता, पता : फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं. परिसर / भवन / ग्राम मार्ग / गली / डाकघर क्षेत्र / अवस्थान नगर / शहर / जिला राज्य देश पिनकोड
धारा के अधीन फाइल (चिह्न लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या इससे पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलंब को माफ करने के पश्चात्
या धारा ..... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153क, <input type="checkbox"/> 153ग
यदि पुनरीक्षित / वृत्तियुक्त हो तो पावती संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (दिन / मास / वर्ष)	/ /
यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग या धारा 119(2)(ख)- के प्रत्युत्तर में फाइल में किया गया है ... ऐसी सूचना या आदेश की विशिष्ट संख्या एवं तारीख दर्ज करें	/ /

भाग ख - सकल कुल आय		केवल संपूर्ण रुपए (₹) में	
ख1	i समग्र वेतन (iक + iख + iग)	i	
वेतन/पेंशन	क धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक	
	ख धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	iख	
	ग धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग	
	ii धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक मोक (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)	ii	
	iii शुद्ध वेतन (i - ii)	iii	
	iv धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)	iv	
	क धारा 16(iक) के अधीन मानक कटौती	ivक	
ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख		
ग धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	ivग		
v 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv)	ख1		
ख2	लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> स्व:अधिभोग <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> समझा गया किराए पर		
गृह संपत्ति	i वर्ष के दौरान प्राप्त सकल भाटक/प्राप्य/भाटक योग्य मूल्य	i	
	ii स्थानीय प्राधिकारियों को सौंप कर	ii	
	iii वार्षिक मूल्य (i - ii)	iii	
	iv वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत	iv	
	v उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	v	
	vi बकाया/वर्ष के दौरान प्राप्त वसूला न गया भाटक घटा 30%	vi	
	vii 'गृह संपत्ति' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv - v) + vi	ख2 ( )	
ख3	अन्य स्रोतों से आय (आय की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)		
	घटा : धारा 57(iiक) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)	ख3	
ख4	सकल कुल आय (ख 1+ ख 2+ ख 3) (यदि हानि हुई हो तो नकारात्मक अंक भरें)	ख4 ( )	
भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती की सीमा के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें)			
80ग	80घ	ई-फाइलिंग उपयोगिता के	80छ
		अदाता के नाम, पते और पेन संख्या, संदान की रकम और कटौती के लिए पाल रकम को विनिर्दिष्ट	80छक
		अदाता के नाम, पते और पेन संख्या, संदान की रकम और कटौती के लिए पाल रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए	80ननक

			लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)		करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है		ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है		
80ननख		कोई अन्य कटौती (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें)	ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है	कुल कटौतियां	ग1			कुल आय (ख4 - ग1)	ग2

रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय, सुसंगत खंड और धारा का वर्णन करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है

#### भाग घ – संदेय कर की संगणना

घ 1	कुल आय पर संदेय कर		घ 2	धारा 87क के अधीन छूट		घ 3	रिवेट के पश्चात् कर	
घ 4	घ3 पर @ 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर		घ 5	कुल कर और उपकर		घ 6	धारा 89(1) के अधीन राहत	
घ 7	धारा 234क के अधीन ब्याज		घ 8	धारा 234ख के अधीन ब्याज		घ 9	धारा 234ग के अधीन	
घ 10	धारा 234घ के अधीन फीस		घ 11	कुल कर, फीस और ब्याज (घ5 + घ7 + घ8 + घ9 + घ10 - घ6)				
घ 12	कुल संदेय कर		घ 13	कुल संदेय (घ11 - घ12) (यदि घ11 > घ12)		घ 14	प्रतिदाय (घ12 - घ11) (यदि घ12 > घ11)	

भाग ड – अन्य जानकारी पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण (अनिवार्य चाहे प्रतिदाय देय है या नहीं)

क्रम सं	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	(प्रतिदाय के लिए एक विवरण चिह्न <input checked="" type="checkbox"/> लगाएं)
I				
II				

#### अनुसूची-आयकर आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

	बीएसआर कोड				निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)				चालान सं.				संदेय कर			
	(स्तंभ i)				(स्तंभ ii)				(स्तंभ iii)				(स्तंभ iv)			
आर 1																
आर 2																

अनुसूची – स्रोत पर कर कटौती/ स्रोत पर संगृहीत कर के स्रोत पर कर कटौती ब्यौरे [कटौतीकर्ता/नियोजक/संदाता / संग्रहकर्ता द्वारा जारी 16 / 16क / 16ग / 27घ]

	कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता का टेन या किराएदार का पैन	कटौतीकर्ता / संग्रहकर्ता / किराएदार का नाम	समय संदाय / रसीद, जो कर कटौती / संग्रहण के अधीन है	कर कटौती / संग्रहण का वर्ष	कटौती किया गया / संग्रह किया गया कर	(5) में से वर्ष के दौरान दवा किया गया टीडीएस/ टीसीएस
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)
टी1						
टी2						

#### सत्यापन

मैं,  पुत्र / पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी में दी गई सूचना सही है और पूर्ण है तथा यह आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं, यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है) की क्षमता में तैयार कर रहा हूँ और मैं यह विवरणी तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक है (कृपया अनुदेश देखें)।

तारीख:  हस्ताक्षर:

यदि विवरणी को कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो और ब्यौरे नीचे दें:

टीआरपी की पहचान सं.	टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		



प्ररूप आ.क.वि-2	<b>भारतीय आयकर विवरणी</b> [व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है] [कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए] (कृपया अनुदेश देखे)	<b>निर्धारण वर्ष</b>					
		2	0	1	9	-	2

भाग क-  
साधारण

## साधारण

व्यक्तिगत सूचना प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम स्थायी लेखा सं. (पैन)	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	स्थायी लेखा सं. (पैन)
	फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं०	परिसर / भवन / गांव का नाम		प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यष्टि <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कुटुंब
	मार्ग / गली / डाकघर	जन्म तिथि / गठन / (तिथि / मास / वर्ष) / /		
	क्षेत्र / अवस्थान	आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)		
	नगर / शहर / जिला	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
	देश			
	निवास / कार्यालय का एसटीडी कोड सहित फोन नं० / मोबाइल नं. 1	मोबाइल नं० 2		
	ई मेल पता -1 (स्वयं का)	ई मेल पता -2		
प्रस्थान पत्र पड़ल करन	(क) धारा के अधीन दाखिल (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणा <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलम्ब को माफ करने के पश्चात्		
	या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153क, <input type="checkbox"/> 153ग		

(ख)	यदि पुनरीक्षित / त्रुटि युक्त है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि / मास / वर्ष)	/ /
(ग)	यदि धारा 139(9) / 142(1) / 148 / 153क / 153ग / 119(2)(ख) के अधीन नोटिस के प्रत्युत्तर में दाखिल की गई है, ऐसी सूचना या नोटिस की तारीख प्रविष्ट करे, या यदि 92गघ, के अधीन दाखिल की गई है, अग्रिम कीमत करार की तारीख प्रविष्ट करे।	/ /
(घ)	भारत में निवासीय प्रास्थिति (व्यष्टि के लिए) (लागू विकल्प का चयन करे)	अ. निवासी
		इ. अनिवासी
		<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 182 या अधिक दिन थे [धारा 6(1)(क)] <input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 60 या अधिक दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत में 365 दिन रहे हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहां स्पष्टीकरण 1 लागू नहीं होता है]
	आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	<input type="checkbox"/> आप पिछले 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन या उससे कम भारत में रहे हैं [धारा 6(6)(क)]
		<input type="checkbox"/> पिछले वर्ष के दौरान आप अनिवासी थे (i) कृपया पिछले वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करें -



## विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

## अनुसूची वेतन

## वेतन से आय का ब्यौरा

नियोजक का नाम		नियोजन की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> सरकारी <input type="checkbox"/> पब्लिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/> पेशान-भोगी <input type="checkbox"/> अन्य		नियोजक का टैन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)	
नियोजक का पता		नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड	
1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग)			1	
स्वेतन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क		
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख		
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग		
	(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़ें)				
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)			2	
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें)			3	
4	कुल वेतन (2 - 3)			4	
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)			5	
	क	धारा 16(क) के अधीन मानक कटौती	5क		
	ख	धारा 16(ख) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख		
	ग	धारा 16(ग) के अधीन वृत्तिक कर	5ग		
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)			6	

## अनुसूची गृह संपत्ति

## गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति के स्वामित्व को उपदर्शित करते हुए ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)

1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड	
गृह संपत्ति	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता				
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक	संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता	
	I				
	II				
	[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (यदि उपलब्ध हों)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया		I		
			II		
	क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य			1क
	ख	किराए की रकम जो बसूल नहीं की जा सकती			1ख
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर			1ग	
घ	योग (1ख + 1ग)			1घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)			1ङ	

	च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1इ)	1च	
	छ	1च का 30%	1छ	
	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज	
	झ	योग (1छ + 2ज)	1झ	
	ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	1ञ	
	ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)	1ट	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)			
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता			
	सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक	संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता	
	I			
	II			
	[लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन (कृपया टिप्पण देखें)
		I		
	II			
	क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)	2क	
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख	
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग	
	घ	योग (2ख + 2ग)	2घ	
	ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ	
	च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2इ)	2च	
	छ	1च का 30%	2छ	
	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज	
	झ	योग (2छ + 2ज)	2झ	
	ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	2ञ	
	ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)	2ट	
3	निकासी आय यदि कोई हो *		3	
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)		4	
टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।			
टिप्पण	किराएदार का पैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झख के अधीन काटा जाता है किराएदार का पैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है			

अनुसूची  
बद्ध

## पूँजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (अपूँज) (उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)								
अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)							
	क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य					का	
		ii	स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य					काii	
		iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य [ यदि (काii), (का) से 1.05 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (का) लेंगे अन्यथा (काii) लेंगे।					काiii	
		iv	कुल (का + काii + काiii)					काiv	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती							
	ग	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत					खा	
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत					खाii	
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय					खाiii	
		iv	कुल (खा + खाii + खाiii)					खाiv	
	घ	अतिशेष (क iii - ख iv)							1ग
	च	धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)							1घ
	छ	संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1ग - 1घ)							अ1छ
	ज	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)							
		क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड	
टिप्पण	पैन का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-अक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।								
2	इन्विटि शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इन्विटि की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ॥ के लिए) के अधीन एस टी टी संदत्त किया गया है								
क	प्रतिफल का कुल मूल्य							2क	
	धारा 48 के अधीन कटौती								
	ख	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत					खा	
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत					खाii	
iii		अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय					खाiii		
iv	कुल (i + ii + iii)					खाiv			
ग	अतिशेष (2क - खाiv)							2ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अननुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)							2घ	
च	साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इन्विटि (संदत्त एस टी टी) (2ग+2घ)							अ2च	
3	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररूप एफ2 में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)								
क	अपूँज संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त है							अ3क	
	अपूँज संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त नहीं है							अ3ख	
4	अनिवासी के लिए - धारा 115कघ के अनुसार च2 द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न है) के विक्रय से								
क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।							

	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग	
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	iii	कुल (ग + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi	
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
	iv	कुल (i + ii + iii)	खiv	

ग	अतिशेष (4क iii – खiv)	2ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2घ	

ङ	च2 (जो अ2 से भिन्न हो) द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (4ग + 4घ)	अ4ङ	
5	उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से		

क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग	
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	iii	कुल (ग + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi	
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
	iv	कुल (i + ii + iii)	खiv	
ग	अतिशेष (5क iii – खiv)		5ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति (प्रतिभूति / यूनिट) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)		5घ	

ङ	उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न आस्तियों पर अपूअ (5ग + 5घ)	अ5ङ	
6	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि		
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं		

क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई हैं वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई हैं	पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
ii	2016-17	54ख			
ख क से भिन्न लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि					

7	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi + ख)	क6
	अल्पकालीन पूँजी लाभ की प्रकृति में निकासी आय (पीटीआई अनुसूची भरें) (क7क + क7ख + क7ग)	अ7

क	अल्पकालीन पूँजी लाभ की प्रकृति में निकासी आय, 15% की दर पर प्रभार्य			क7क					
ख	अल्पकालीन पूँजी लाभ की प्रकृति में निकासी आय, 30% की दर पर प्रभार्य			क7ख					
ग	अल्पकालीन पूँजी लाभ की प्रकृति में निकासी आय, लागू दर पर प्रभार्य			क7ग					
8	क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, किंतु जो कर से प्रभार्य नहीं है या डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है								
क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टी आरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									

क	डीटीए के अधीन एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि	क8क
ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कर पर प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम	क8ख
9	आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूँजी अभिलाभ प्रभार्य (क1इ उक2इ उक3क उक3ख उक4इ उक5इ उक6 + क7 - क8क)	क9

आदीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (दीपूअ) (निवासी के लिए उप-मद 4, 5, 6, 7 और 8 लागू नहीं है)						
दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरें)				
	क	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य				क।
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				कii
	iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (कii), (कi) से 1.05 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (कi) या अन्यथा (कii) लेंगे।				कiii
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती				
	i	सूचीबद्ध के साथ अर्जन की लागत				खi
	ii	सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत				खii
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय				खiii
	iv	कुल (खi + खii + खiii)				खiv
	ग	अतिशेष (कiii - खiv)				1ग
घ	धारा 54 / 54ख / 54इग / 54च / 54खख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)				1घ	
ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (1ग - 1घ)					आ1ङ
च	कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)					
क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड

	टिप्पण ▶	पैन का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।		
2	बंधपत्र और डिबेंचर (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंधपत्र से भिन्न) के विक्रय से			
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य	2क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती		
		i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi	
		ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii	
		iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
		iv कुल (खi + खii + खiii)	खiv	
	ग	अतिशेष (2क - खiv)	2ग	
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	2घ	
	ङ	बंधपत्र और डिबेंचर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ)		आ2ङ
3	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहां धारा 112 (1) का परंतुक लागू है) (ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से			
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य	3क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती		
		i सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi	
		ii सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii	
		iii अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
		iv कुल (खi + खii + खiii)	खiv	
	ग	धारा 54डग / 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	3ग	
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	3घ	
	ङ	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		आ3ङ
4	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से			
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती		
		i सूचीकरण के बिना लागत का अर्जन (iअ और iआ से अधिक)	खi	
		अ अर्जन की लागत	I	
		आ यदि आ1 और आ2 से न्यून 1.02.2018 से पहले दीर्घ अवधि पूंजी आस्ति अर्जित की गई थी	I	
		1 धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजी आस्ति का उचित बाजार मूल्यांकन	1	
		2 प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	2	
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii	
		iii अंतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
		iv कुल कटौती (का + कii + कiii)		
	ग	अतिशेष (4क - खiv)	4ग	
	घ	धारा 112 क के अनुसार न्यून - एलटीसीजी सीमा (4ग - 1 लाख रुपये)	4घ	
	ङ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	4ङ	
	च	उपर्युक्त आ 4 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ ( 4घ-4ङ.)		ख
5	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)			
	क	सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित दीपूअ	5क	
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	5ख	
	ग	शेयर या डिबेंचर पर (5क - 5ख)		आ5ग



<b>6 अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्र या ग्लोबल निवेशागार रसीद, (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 7 भरा जाना चाहिए।)</b>			
क	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		
क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क	
ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ख	
ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50क के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग	
ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
iii	कुल (ग + ii)	क iii	
<b>ख धारा 48 के अधीन कटौती</b>			
i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi	
ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii	
iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv	
ग	अतिशेष (6क iii - खiv)	6ग	
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	6घ	
ङ	अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 6 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6ग - 6घ)	आ 6ङ	
<b>7 अनिवासियों के लिए- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से</b>			
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	4क	
ख	धारा 48 के अधीन कटौती		
i	सूचीकरण के बिना लागत का अर्जन (Iअ और Iआ से अधिक)	खi	
अ	अर्जन की लागत	i अ	
आ	यदि आ1 और आ2 से न्यून 1.02.2018 से पहले दीर्घ अवधि पूंजी आस्ति अर्जित की गई थी	i आ	
1	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजी आस्ति का उचित बाजार मूल्यांकन		
2	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii	
iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
iv	कुल कटौती (खi + खii + खiii)		

ग	अतिशेष (4क - खiv)	4ग	
घ	धारा 112 क के अनुसार न्यून - एलटीसीजी सीमा (4ग- 1 लाख रुपये)	4घ	
ङ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	4ङ	
च	उपर्युक्त आ 7 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ ( 4घ-4ङ.)	ख4चघ	

<b>8 अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन विकल्प दें)</b>			
क	विनिर्दिष्ट आस्तियों (सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर दीपूंख	8क	
ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ख	
ग	विनिर्दिष्ट आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूंख (8क - 8ख)	आ 8ङ	
घ	विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर दीपूंख (सूचीबद्ध के बिना संगणित)	8घ	
ङ	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ङ	

च	विनिदिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूज (8घ - 8ङ)			आ 8च	
9	जहां उपर्युक्त आ1 से आ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से				
क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।			
		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क	
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ii ख	
		ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iii ग	
	ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		कii	
	iii	कुल (ग + ii)		कiii	

ख	धारा 48 के अधीन कटीती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खi	
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
	iv	कुल (खi + खii + खiii)	खiv	
ग	अतिशेष (9कiii - खiv)			9ग
घ	धारा 54च के अधीन कटीती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)			9घ

ङ	उपर्युक्त आ9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (9ग - 9घ)			आ 9ङ
10	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि			
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं			
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें दावा कटीती कटीती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई हैं वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई हैं	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
i	2015-16	54 / 54च / 54चख		
ii	2016-17	54ख		
ख	क' से भिन्न, दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि			
दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (का+कii+ख)				ख 10
11	दीर्घकालिक अवधि अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय (पीटीआई अनुसूची भरें) (ख11क + ख11ख)			
	क	दीर्घकालिक अवधि अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय , 10%की दर पर प्रभार्य	ख11क	
	ख	दीर्घकालिक अवधि अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय , 20%की दर पर प्रभार्य (ख11ख)	ख11ख	
12	ख1-ख11 में सम्मिलित एलटीसीजी की रकम, किंतु जो कर से प्रभार्य नहीं है या डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है			

क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख 1 से ख 11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीएए की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्रात किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									
क	डी टीएए के अधीन एल टीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि								ख 12क
ख	डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर कर पर प्रभार्य एलटीसीजी की कुल रकम								ख12ख
13	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख1ड उ ख2ड उ ख3ड उ ख4च उ ख5ग उ ख6ड उ ख7च उ ख8ग + ख8च - ख9ड + ख10 + ख11 - ख 12क) (हानि की दशा में अनुसूची सीएफएल से 6भ। के अंक लें )								ख13

इ	"पूँजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 9 +ख13) (यदि हानि हो ख13 शून्य समझे)								ग
ई	पूँजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना								
	1 धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54छख / 115च के अधीन निम्नलिखित ब्यौरे दीजिएं								
	क	धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती							

	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	क i	दिन / मास / वर्ष
	ii	नए आवासीय घर की लागत	क ii	
	iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख	क iii	दिन / मास / वर्ष
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	क iv	
	v	दावा की गई कटौती की रकम	क v	
ख	धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन / मास / वर्ष
	ii	नई कृषि भूमि की लागत	ख ii	
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय करने की तारीख	ख iii	दिन / मास / वर्ष
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv	
	v	दावा की गई कटौती की रकम	ख v	
ग	धारा 54डग के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन / मास / वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट / अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख रुपए से अतधिक)	ग ii	
	iii	विनिधान की तारीख	ग iii	दिन / मास / वर्ष
	iv	दावा की गई कटौती की रकम	ग iv	

घ	धारा 54च के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घ i	दिन / मास / वर्ष
	ii	नए आवासीय घर की लागत	घ ii	
	iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख	घ iii	दिन / मास / वर्ष
	iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	घ iv	
	v	दावा की गई कटौती की रकम	घ v	
ड	धारा 54छख के अधीन दावा की गई कटौती			
	i	मूल आवासीय संपत्ति के अंतरण की तारीख	ड i	दिन / मास / वर्ष
	ii	पात्र कंपनी का पैर	ड ii	
	iii	पात्र कंपनी के साम्या शेयरों की प्रतिश्रुति के लिए उपयोग की गई रकम	ड iii	
	iv	शेयरों को प्रतिश्रुत करने की तारीख	ड iv	दिन / मास / वर्ष

v	पात्र कंपनी द्वारा क्रय किए गए नए संयंत्र और मशीनरी की लागत	डv	
vi	संयंत्र और मशीनरी के क्रय करने की तारीख	डvi	dd / mm / yyyy
vii	पूँजी अभिलाभ खाते में जमा की गई रकम सम्यक् तारीख से पूर्व रकम	डvii	
viii	दावा की गई कटौती की रकम	डviii	
च	धारा 54च के अधीन दावा की गई कटौती (अनिवासी भारतीयों के लिए)		
i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण की तारीख	चा	दिन / मास / वर्ष
ii	नई विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाणपत्र में विनिधान की गई रकम	चाii	
iii	विनिधान की तारीख	चाiii	दिन / मास / वर्ष
iv	दावा की गई कटौती की रकम	चाiv	
छ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)	1छ	

उ	चालू वर्ष के पूँजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूँजी हानि का मुजरा (अ8क और आ12क को में सम्मिलित रकम को अपवर्जित करते हुए जो डीटीए के अधीन प्रभाय नहीं है।)
---	--

क्रम सं.	पूँजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूँजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरे)	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ हानि	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ हानि	मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूँजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
----------	------------------------	---	-----------------------------	------------------------------	--

		15%	30%	लागू दर	डीटीए दरें	10%	20%	डीटीए दरें		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	पूँजी हानि जिसका मुजरा किया जाना है (केवल यह → पंक्ति भरे यदि प्रणित अंक नकारात्मक है)				(अ1ङ*+अ3ख*+ अ5ङ*+अ6*+ अ7ग*)	अ8ख*	(आ3ङ*+ आ4च*+ आ6ङ*+ आ7च*+ आ8ग*+ आ11क*)	(आ1ङ*+ आ2ङ*+ आ5ग*+ आ8च*+ आ9ङ*+ आ10*+ आ11ख*)	आ12ख	
ii	15%	(अ2ङ*+अ3क*+ अ7क*)								
iii	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	30%	अ4ङ*+अ7ख*							
iv	लागू दर		(अ1ङ*+अ3ख*+ अ5ङ*+अ6*+ अ7ग*)							
v	डीटीए दरें		अ8ख*							
vi	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	10%	(आ3ङ*+ आ4च*+ आ6ङ*+ आ7च*+ आ8ग*+ आ11क*)							

vii	20%	(आ1ड*+ आ2ड*+ आ5ग*+ आ8घ*+ +आ9ड*+ आ10 + आ11ख*)							
viii	डीटीएए दरें	आ12ख							
ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)								
x	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i - ix)								
इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (क1ड) आदि स्तंभ (क1-क6) के संबंध में प्रगणित एसटीसीजी की रकम है क्योंकि एसटीसीजी की रकम द्वारा कटौती कर के रूप में प्रभार्य नहीं है या डीटीटी के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य है जिसे यहां सम्मिलित किया जाता है, यदि कोई हो।									
इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (ख1ड) आदि स्तंभ (ख1-ख10) के संबंध में प्रगणित एसटीसीजी की रकम है क्योंकि एसटीसीजी की रकम द्वारा कटौती कर के रूप में प्रभार्य नहीं है या डीटीटी के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य है जिसे यहां सम्मिलित किया जाता है, यदि कोई हो।									
<b>ऊ प्रोद्भवन की जानकारी / पूंजी अभिलाभ की रसीद</b>									
<b>पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख</b>					<b>15 / 6 तक (i)</b>	<b>16 / 6 से 15 / 9 (ii)</b>	<b>16 / 9 से 15 / 12 (iii)</b>	<b>16 / 12 से 15 / 3 (iii)</b>	<b>16 / 3 से 31 / 3 (iv)</b>
1	15औ की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iii से मूल्य लिखें								
2	30औ की दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें								
3	लागू दर पर कर देय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें								
4	डीटीएए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ डीएफएलए अनुसूची की मद 3 vi से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो								
5	10औ की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii से मूल्य लिखें								
6	20औ की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii से मूल्य लिखें								
7	डीटीएए दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ डीएफएलए अनुसूची की मद 3 i से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो								
<b>टिप्पण</b> कृपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रगणित करते समय एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें									

**अनुसूची-  
अन्य स्रोत**
**अन्य स्रोतों से आय**

<b>1</b>	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय <b>(1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)</b>			<b>1</b>	
<b>क</b>	लाभांश, सकल			<b>1क</b>	
<b>ख</b>	न्याज, सकल <b>(खा + खii + खiii + खiv)</b>			<b>1ख</b>	
	i	बचत बैंक से नीचे	<b>खा</b>		
	ii	निक्षेप (बैंक/पोस्ट आफिस/कापरेटिव) से	<b>खii</b>		
	iii	आयकर प्रतिदाय से	<b>खiii</b>		
	iv	निकासी आय की प्रकृति में	<b>खiv</b>		
	v	अन्य	<b>खv</b>		
<b>ग</b>	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय			<b>1ग</b>	
<b>घ</b>	अन्य, सकल <b>(घी के चोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छोड़कर) स्रोत का उल्लेख करें (घा + घii + घiii + घiv + घv)</b>			<b>1घ</b>	
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	<b>घा</b>		
	ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	<b>घii</b>		
	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	<b>घiii</b>		
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	<b>घiv</b>		
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	<b>घv</b>		
<b>ङ</b>	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			<b>1ङ</b>	
<b>2</b>	विशेष दरों पर प्रभार्य आय <b>(2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ)</b>			<b>2</b>	
<b>क</b>	लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य			<b>2क</b>	
<b>ख</b>	धारा 115खखड. के अधीन प्रभार्य आय <b>(खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)</b>			<b>2ख</b>	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	<b>खi</b>		
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	<b>खii</b>		
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	<b>खiii</b>		
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	<b>खiv</b>		
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	<b>खv</b>		
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	<b>खvi</b>		
<b>ग</b>	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित अधिशेष			<b>2ग</b>	
	क्र सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
<b>घ</b>	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, ( घ 1 से घ xix का योग)			<b>2घ</b>	
	i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) ( i) के अधीन प्रभार्य	<b>घा</b>		

	ii	सरकार या विदेशी करेंसी ऋणों पर भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज धारा 115 क (1) (क) ( ii) के अधीन प्रभाय	घii								
	iii	अवसंरचना ऋणि निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115 क (1) (क) ( ii) के अधीन प्रभाय	घiii								
	iv	धारा 194 ठग में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1) (क) (ii) के अधीन प्रभाय	घiv								
	v	धारा 194 ठग में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1) (क) (ii) के अधीन प्रभाय	घv								
	vi	धारा 194 ठगक में निर्दिष्ट ब्याज होते हुए वितरित आय धारा 115 क (1) (क) (ii) के अधीन प्रभाय	घvi								
	vii	धारा 115 क (1) (क) (iii) के अधीन प्रभाय विदेशी करेंसी में खरीदे गए धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई इकाई या अन्य म्यूचल निधियों से आय	घvii								
	viii	सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी या फीस से आय धारा 115 क (1) (ख) के अधीन प्रभाय	घviii								
	ix	अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बंध पत्र या जीडीआर से ब्याज या लाभांश के रूप में आय धारा 115 क के अधीन प्रभाय	घix								
	x	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के रूप में आय - धारा 115 क के अधीन प्रभाय	घx								
	xi	प्रतिभूतियों (धारा 115 क में निर्दिष्ट इकाइयों से भिन्न) के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न, - धारा 115 क (1) (i))	घxi								
	xii	धारा 194 ठग में निर्दिष्ट बंध पत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय - धारा 115 क (1) (i) के परंतुक के अनुसार प्रभाय	घxii								
	xiii	अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर - धारा 115 क के अधीन प्रभाय	घxiii								
	xiv	कतिपय मामलों में अनाम दान धारा 115 क के अधीन प्रभाय	घxiv								
	xv	निवासी होते हुए विनिर्दिष्ट निर्धारिती द्वारा घरेलू कंपनी से 10 लाख रुपये से अधिक प्राप्त लाभांश के रूप में आय - धारा 115 क के अधीन प्रभाय	घxv								
	xvi	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय - धारा 115 क के अधीन प्रभाय	घxvi								
	xvii	कार्वन जमा के अंतरण के रूप में - आय धारा 115 क के अधीन प्रभाय	घxvii								
	xviii	अनिवासी भारतीय की निवेश आय - धारा 115 ड. के अधीन प्रभाय	घxviii								
	xix	कोई अन्य आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	घ								
ड.		विशेष दरों पर प्रभाय अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ड्राप डाउन उपबंधित करें)								2ड.	
च		उपरोक्त 1 और 2 में रकम सम्मिलित है, जो डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभाय है (स्तंभ (2) का योग नीचे दी गई टेबल में है)								2च	
क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 2क से 2ड. में जो सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभाय नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/ नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
<b>3</b>	<b>धारा 57 के अधीन कटौतियां</b> (2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)											
	क	<b>व्यय / कटौतियां</b>					<b>3क</b>					
	ख	<b>अवस्यण</b>					<b>3ख</b>					
	ग	<b>योग</b>					<b>3ग</b>					
<b>4</b>	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम										<b>4</b>	
<b>5</b>	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ										<b>5</b>	
<b>6</b>	<b>(1 - 3 + 4 + 5)</b> सामान्यता लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए की 3x/का अंक लें )										<b>6</b>	

<b>7</b>	<b>अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) ( 2 + 6 ) ( यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें )</b>						<b>7</b>	
<b>8</b>	<b>दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय</b>							
	क	<b>प्राप्तियां</b>				<b>8क</b>		
	ख	केवल 8 क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन				<b>8ख</b>		
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम				<b>8ग</b>		
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ				<b>8घ</b>		
	ङ	<b>अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्ट करें)</b>				<b>8ङ</b>		
<b>9</b>	<b>"अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)</b>						<b>9</b>	
<b>10</b>	अन्य स्रोतों से आय के प्रो.दूबन या प्राप्तियों के बारे में सूचना							
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16 / 6 से 15 / 9 तक	16 / 9 से 15 / 12 तक	16 / 12 से 15 / 3 तक	16 / 3 से 31 / 3तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 115खखघक के अधीन लाभांश आय						
	2	धारा 2 (24) (ix) में निर्दिष्ट लाटरियों, क्रासवर्ड, पहेली, रेस, खेलों, छूत, बाजी आदि की जीत के रूप में आय।						
<b>टिप्पण</b>	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें।							



अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा			
क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरे जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि का मुजरा	सामान्य लागू दरों से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल हानि (रेस के घोड़े से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3	4=1-2-3
i	हानि, जो मुजरा होगा (इस पंक्ति को भरे यदि प्रगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)	(अनुसूची अन्य स्रोत का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची एस वेतन का 6)			
iii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एस जी गृह संपत्ति का 4)			
iv	15% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9ii)			
v	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9iii)			
vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9iv)			
vii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9v)			
viii	10% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9vi)			
ix	20% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9vii)			
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9viii)			
xi	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का 6)			
xii	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ड)			
xiii	कुल अग्रणीत हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi + xii)				
xiv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xiii)				

**अनुसूची - अग्रनीत की गई हानियों का  
समायोजन**

पूर्व वर्षों की अग्रनीत की गई हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा

क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात् आय	अग्रनीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)		
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(ख यदि गृह संपत्ति हानि है)	
iii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vii	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
viii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ix)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)		
x	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)		
xi	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xii)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)	
xii	अग्रनीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)			
xiii	मुजरे के पश्चात् शेष चालू वर्ष की आय - योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)			

**अनुसूची- अग्रनीत हानि आगामी वर्षों के लिए अग्रनीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा**

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
	1	2	3	4	5	6
i	2011-12					
ii	2012-13					
iii	2013-14					
iv	2014-15					
v	2015-16					
vi	2016-17					
vii	2017-18					
viii	2018-19					

ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग				
x	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन	(अनुसूची वीएफएलए का 2ii)			(अनुसूची वीएफएलए का 2xi)
xi	2019-20 (चालू वर्ष की हानियां)	(अनुसूची सीवाईएलए का 2xiv)	(अनुसूची सीजी के मद ड) (2x+3x+4x+5x)	(अनुसूची सीजी के मद ड का (6x+7x+8x)	(अनुसूची ओएस का 8ड, यदि -ve)
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि				

**अनुसूची- VI क अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कटीतियां**

कुल कटीतियां	1	भाग ख - कतिपय संदायों की बाबत कटीती		
	क	80ग	ख	80गगग
	ग	80 गगघ (1)	घ	80 गगघ (1ख)
	ङ	80 गगघ(2)	च	80गगछ
	छ	80घ	ज	80घघ
	झ	80घघख	ञ	80ङ
	ट	80ङङ	ठ	80छ
	ड	80छछ	ढ	80छछक
	ण	80छछग		

2	भाग ग- कतिपय आयों की बाबत कटीती		
त	80घघख	थ	80ददख
द	80ननक	ध	80ननख
न	80प		
3	अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कुल कटीतियां (क से न का योग)		
			3

**अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटीतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे**

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटीतियों के लिए हकदार दान			
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान
				कुल संदान	
	i				
	ii				
	iii	कुल			
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटीतियों के लिए हकदार दान			
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम	दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान
			कुल संदान		
i					
ii					

ग		कुल						
अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान								
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम		
			नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान			
i								
ii								
iii कुल								
घ		अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम		
			नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान			
i								
ii								
iii कुल								
ङ कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)								

**अनुसूची 80** वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के व्यौरे

क्र. सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (डाउन डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

**अनुसूची- एएमटी** धारा 115अग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय	1
	2	धारा 115अग (2) के अनुसार समायोजन	
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क
	3	धारा 115अग (1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2क)	3
	4	धारा 115अग (1) के अधीन संदेय कर [(3)का 18.5 प्रतिशत] (यदि तीन, 20 लाख से अधिक है)	4

**अनुसूची एएम टीसी** धारा 115अघ के अधीन जमा कर की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2019-20 में धारा 115 अग के अधीन कर (भाग-ख- टी टीआई का 1घ)	1	
2	निर्धारण वर्ष 2019-20 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर(भाग-ख- टी टीआई का 7)	2	
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [ (2-1 प्रविष्ट करें) यदि 2 , 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें ]	3	
4	उपलब्ध एएम टी जमा राशि का उपयोग (चालू वर्ष के दौरान उपयोजित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अध्याधीन होगी और वह अग्रणीत एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती		
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (अ)	एएमटी जमा	अग्रणीत अतिशेष एएमटी जमा (घ) = (ख3) -(ग) एएम टी

i	2013-14	सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					
v	2017-18					
vi	2018-19					
vii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविष्ट करें, यदि 1> 2 या शून्य प्रविष्ट करें)					
viii	योग					
5	धारा 115अघ के अधीन जमा कर की रकम [ (मद सं. 4ग के अनुसार) ]				5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम [ मद सं. 4घ प्रविष्ट करें]				6	

**अनुसूची-विनिर्दिष्ट व्यक्ति की आय** विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारिती की आय में सम्मिलित करने योग्य है

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या	संबंध	रकम (₹.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1					
2					
3					

**अनुसूची-विशेष आय** विशेष दरों पर आयकर से प्रभाय आय [कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए]

क्रम सं.	सेक्सन	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1	111क (उन शेयर यूनिट पर एसटीसीजी जिनपर एस टी टी का संदाय किया गया है)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बीएफएल का 3iii)	
2	115कग (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एसटीसीजी जहां एस टी टी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बीएफएल का 3iv)	
3	112परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों / सूचीकरण के बिना यूनिटपर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग)	
4	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग)	
5	115कग (बंधपत्रों / जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग)	
6	115कगक (विनिर्दिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग)	
7	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग)	
8	115ड (विनिर्दिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग)	

9	112 (अन्य के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बीएफएल का 3viii)
10	112क (शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग)
11	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एसटीसीजी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)
12	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची बीएफएल के 3ix का भाग)
13	115खख (लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओएस का 2क का भाग)
14	115खखघक (घरेलु कंपनी से लाभांश आय दस लाख रुपए से अधिक)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)
15	115खखड (धारा 68,69,69क, 69ख,69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ओएस का 2ख)
16	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)
17	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)
18	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित करें)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)
19	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस का 2च का भाग)
20	15% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बीएफएल के 3iv का भाग)
21	30% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बीएफएल के 3v का भाग)
22	10% की पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग)
23	20% की पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बीएफएल के 3viii का भाग)
24	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस का 2ड)
			<b>कुल</b>	

**अनुसूची-छूट प्राप्त आय**

छूट प्राप्त आय के व्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)

1	ब्याज से आय		1
2	घरेलु कंपनी से लाभांश आय (दस लाख रुपए से अनधिक रकम)		2
3	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)	3
	ii	कृषि पर उपगत व्यय	
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि	
	iv	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)	
	v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक व्यौरे भरें)	
	क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है	
	ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप	

छूट प्राप्त आय	ग	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)						
	घ	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)						
	4	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)					5	
	5	डीटीएए के अनुसार कर पर अप्रभार्य आय						
	क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए की मदें	आय के शीर्ष		क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)
	I							
	II							
III	कर से अप्रभार्य डीटीएए से कुल आय					5		
6	कर पर अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)					6		
7	<b>योग (1+2+3+4+5+6)</b>					<b>7</b>		

## अनुसूची पीटीआई

धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	आय की रकम	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हों	
	1.			i	गृह संपत्ति			
				ii	पूंजी अभिलाभ			
					क	अल्पकालिक अवधि		
					ख	दीर्घकालिक अवधि		
				iii	अन्य स्रोत			
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी			
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन		
	ख	धारा .....के अधीन						
	2.			i	गृह संपत्ति			
				ii	पूंजी अभिलाभ			
					क	अल्पकालिक अवधि		
					ख	दीर्घकालिक अवधि		
				iii	अन्य स्रोत			
iv				दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन			
	ख	धारा .....के अधीन						
ग	धारा.....के अधीन							

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

**अनुसूची एफएसआई****भारत से बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे**

क्रम सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्रम सं.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर से आय (भाग ख टी आई में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में साधारण उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड) = (ग) या (घ) इनमें से जो भी कम हो	यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डी टी एए का सुसंगत अनुच्छेद
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			कुल						
2			i	वेतन					
			ii	गृह संपत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			कुल						
टिप्पण	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।								

**अनुसूची ट****भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावा की गई कर राहत का सारांश**

1	दावा की गई कर राहत का सारांश				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	कुल उपलब्ध कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड) का योग)	धारा के अधीन दावा की गई कर राहत (धारा 90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)
	कुल				
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टी एए लागू होता है (धारा 90 / 90क) (1(घ) योग का भाग)				2
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टी एए लागू होता है (धारा 91) (1(घ) योग का भाग)				3
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई थी, का प्रतिदाय / प्रत्यय विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है? यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दें।				4
	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	वह निर्धारण वर्ष, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।





(i)											
(ii)											
<b>ग</b>	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										
<b>क्र. सं.</b>	<b>देश का नाम और कोड</b>	<b>संपत्ति का पता</b>	<b>स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी</b>	<b>अर्जन की तारीख</b>	<b>कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)</b>	<b>संपत्ति से प्राप्त आय</b>	<b>आय की प्रकृति</b>	<b>इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज</b>			
								<b>राशि</b>	<b>जहां अनुसूची पेश की गई है</b>	<b>अनुसूची की मद संख्या</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
<b>घ</b>	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)										
<b>क्र. सं.</b>	<b>देश का नाम और कोड</b>	<b>आस्ति की प्रकृति</b>	<b>स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी</b>	<b>अर्जन की तारीख</b>	<b>कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)</b>	<b>संपत्ति से प्रोदभूत आय</b>	<b>आय की प्रकृति</b>	<b>इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज</b>			
								<b>राशि</b>	<b>जहां अनुसूची पेश की गई है</b>	<b>अनुसूची की मद संख्या</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
<b>ङ</b>	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।										
<b>क्र. सं.</b>	<b>संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है</b>	<b>संस्था का पता</b>	<b>खाताधारक का नाम</b>	<b>खाता संख्या</b>	<b>वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)</b>	<b>क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है</b>	<b>यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि</b>	<b>यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय</b>			
								<b>राशि</b>	<b>जहां अनुसूची पेश की गई है</b>	<b>अनुसूची की मद संख्या</b>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
<b>च</b>	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।										
<b>क्र. सं०</b>	<b>देश का नाम और कोड</b>	<b>न्यास का नाम और पता</b>	<b>न्यासियों के नाम और पते</b>	<b>अवस्थापक का नाम और पता</b>	<b>हिताधिकारियों के नाम और पते</b>	<b>जब से पद संभाला है उसकी तारीख</b>	<b>क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है</b>	<b>यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय</b>	<b>यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय</b>		
									<b>राशि</b>	<b>जहां अनुसूची पेश की गई है</b>	<b>अनुसूची की मद संख्या</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											

**छ** भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरे जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिससे प्राप्त हुई है वह है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
						राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)								
(ii)								

**टिप्पण**

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

**अनुसूची-5अ**

पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति / पत्नी का स्थायी खाता संख्या					
पति / पत्नी का स्थायी खाता संख्या					
	आय के शीर्ष	शीर्ष के अधीन प्राप्त आय	पति / पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii) पर आय पर कटौती किया गया टी डीएस	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टी डीएस
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृह संपत्ति				
2	पूंजी लाभ				
3	अन्य स्रोत				
4	कुल				

**अनुसूची कठ**

वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 50 लाख से अधिक हो)

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

क्र. सं.	वर्णन	पता	पिन कोड	रकम (लागत) में रुपए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)				
(ii)				
<b>ख</b> जंगम आस्ति के ब्यौरे				
क्र. सं.	वर्णन	रकम (लागत) में रुपए		
(1)	(2)	(3)		
(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि			
(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य			
(iii)	यान, क्रीडा-नौका, नौका और वायुयान			
(iv)	वित्तीय आस्ति	रकम (लागत) में रुपए		
	(क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा राशि भी है)			
	(ख) शेयर और प्रतिभूति			
	(ग) बीमा पालिसी			
	(घ) दिए गए ऋण और अग्रिम			
	(ङ) हाथ में नकदी			
<b>ग</b>	<b>आस्ति के संबंध में दायित्व (क-ख)</b>			

**टिप्पण**

कृपया इस अनुसूची के भरे जाने के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें।

## भाग - ख

भाग ख - कुल आय		कुल आय की संगणना	
1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)	1	
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	2	
3	पूँजी अभिलाभ		
	क लघु अवधि		
	i लघु अवधि प्रभार्य @ 15% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9ii)	का	
	ii लघु अवधि प्रभार्य @ 30% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9iii)	काii	
	iii लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9iv)	काiii	
	iv डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9 v)	काiv	
	v कुल लघु अवधि (का + काii + काiii + काiv) (शून्य हानि प्रविष्ट करें)	3कv	
	ख दीर्घ अवधि		
	i दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 10% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vi)	खा	
	ii दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vii)	खाii	
	iii डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9 viii)	खाiii	
	iv कुल दीर्घ अवधि (खा + खाii + खाiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3खiv	
	ग कुल पूँजी अभिलाभ (3कv + 3खiv) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3ग	
4	अन्य स्रोतों से आय		
	क सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची णध का 6 ) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क	
	ख प्रभार्य योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का 2)	4ख	
	ग दौड़ के घोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय (अनुसूची णध का 8 ) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग	
	घ योग (4क + 4ख + 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4घ	
5	शीर्षवार कुल आय (1+2+3ग+4घ)	5	
6	5के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2xiii और 3xiii का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन + 2 स्तंभ 4 का योग)	7	
8	7 के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई हानियां (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. का 2xii)	8	
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रनीत हानि समा. + 2 का 3xiii)	9	
10	धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां (अनुसूची VIक का प और 9-10 के लिए सीमित)	11	
12	कुल आय (9-11)	12	
13	आय जो 12 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्राभार्य (अनुसूची सोआ में स्तंभ (झ) का कुल)	13	
14	शुद्ध कृषि आय / दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छू ट प्राप्त आय का 3)	14	
15	'संकलित आय' (12-13+14) [ लागू होगा यदि(12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो ]	15	
16	अग्रनीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची अग्रनीत हानि का xi कुल पक्तियां)	16	
17	धारा 115ज ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)	17	

**भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व कुल आय पर कर दायित्व की संगणना**

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115ज ग के अधीन समझी गई आय पर देय कर (अनुसूची एमएमटी का 3)	1क			
		ख	(क) पर अधिभार (लागू होगा यदि एएमटी अनुसूची का 3, 50 लाख से अधिक है)	1ख			
		ग	उपरोक्त (1क + 1ख) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस	1ग			
		घ	कुल समझी गई आय (1क + 1ख + 1ग) पर देय कुल कर			1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर					
		क	भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर	2क			
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का (ii) का कुल)	2ख			
			10 Deductions under Chapter VI-A (o of Schedule VIA)				
			11 Total income				
			12 Net agricultural income / any other income for rate purpose (4 of Schedule EI)				
		13 'Aggregate income' (8+ 9)					
		14 Losses of current year to be carried forward (total of 2viii and 3viii of Schedule CYLA)					
	ग	कृषि आय पर छूट [ लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो, से अधिक हो	2ग				
	घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख-2ग)			2घ		
3	धारा 87क के अधीन रिबेट					3	
4	रिबेट के पश्चात् संदेय योग्य कर (2घ - 3)					4	
5	अधिभार					5	
	i	अनुसूची धा के 15(ii) के 25%	5i				
	ii	[ अनुसूची धा के (4)-(15(ii)) ]	5ii				
	ii	कुल (i + ii)			5i		
	i				ii		
6	(4 + 5iii) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस (4 + 5iii)					6	
7	सकल कर दायित्व (4 + 5iii + 6)					7	
8	सकल देय कर (1घ और 7 से कुछ कम)					8	
9	पूर्व के वर्षों में संदत्त कर का धारा 115 ज घ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की प्रकृति 5)					9	
10	धारा 115ज ग के अधीन जमा के पश्चात् देय कर					10	
11	कर राहत						
	क	धारा 89	11क				
	ख	धारा 90 या 90क (अनुसूची टी आर का)	11ख				
	ग	धारा 91 (अनुसूची टी आर का)	11ग				
	घ	योग (11क + 11ख + 11ग)			11घ		
12	सकल कर दायित्व (10 - 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)					12	
13	ब्याज और संदेय फीस						
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज ( धारा 234क)	13क				
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज ( धारा 234ख)	13ख				

	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234 ग)			13ग	
	घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234घ)			13घ	
	ङ	कुल संदेय ब्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ)			13ङ	
<b>14 संकलित दायित्व (12+ 13ङ)</b>					<b>14</b>	
<b>15 संदत्त कर</b>						
संदत्त कर	क	अग्रिम कर (22क के स्तंभ 5 से) टीडीएस			15क	
	ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (22ख के स्तंभ 5 और 22ग के स्तंभ 9 का योग)			15ख	
	ग	स्रोत पर कर कटौती (22घ के स्तंभ 5 का योग)			15ग	
	घ	स्वनिर्धारण कर (22क के स्तंभ 5 से)			15घ	
	ङ	संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)			15ङ	
<b>16 संदेय कर (यदि 14, 15ङ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)</b>					<b>16</b>	
<b>17 प्रतिदाय (यदि 15ङ, 14 से अधिक है) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)</b>					<b>17</b>	
बैंक खाता	18	पूर्ववर्ष में किसी भी समय भारत में धारित बैंक खातों के ब्यौरे (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) (अनिवासी की दशा में प्रतिदाय के प्रत्यय के प्रयोजन के लिए किसी एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत किए जा सकते हैं)				
	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड (विदेशी बैंक खाते की दशा में एसडब्ल्यूआईएफटी)	बैंक का नाम	खाता संख्या (विदेशी बैंक खाते की दशा में आईबीएएन)	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं)	
	i					
	ii					
19	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (I) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में विलीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (II) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (III) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	

<b>20</b>	यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:				
	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर		
	यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम		<b>21</b>		
<b>22</b>	अनुसूची-आयकर				
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निकषे की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (₹.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	टिप्पण ▶	भाग ख - टी टीआई की क्रम सं. 15क और 15घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।			

ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [ नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार ]				
	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या ( टैन )	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	i				
	ii				

ग कटौतीकर्ता द्वारा आय-कर स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे (जारी किए गए प्ररूप 16क या कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 16ख / 16ग)												
क्र सं.	स्वयं या अन्य व्यक्ति से संबंधित जमा टीडीएस (धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी/नियम 37खक (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति)	अन्य व्यक्ति का पैन (यदि टीडीएस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	कटौती कर्ता का टैन/किरा एदार/क्रेता का पैन	आगे लाया गया अदावाकर टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्त वर्ष का टीडीएस		इस वर्ष दावा किया जाने वाली टीडीएस जमा केवल तभी यदि तत्स्थानी आय इस वर्ष कर के लिए प्रस्तुत की जानी है	प्रस्तुत की गई तत्स्थानी आय			आगे ले जाए जाने वाला टीडीएस जमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई है	टीडी एस बी/ए फ	स्वयं द्वारा की गई कटौती	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कटौती (यदि लागू हों)	स्वयं के द्वारा दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया दावा (यदि लागू हों)	सकल रकम	आय का शीर्ष	
							आय टीडीएस		आय टीडी एस पैन			
i												

टिप्पण - कृपया भाग ख - टीडीआई के 15ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें

घ स्रोत पर संग्रहित कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)						
स्रोत पर संग्रहित कर के ब्यौरे	SI	संग्रहकर्ता कर कटौती और संग्रह खाता संख्या	संग्रहकर्ता का नाम	संग्रहित कर	(4) से अधिक दावा की गई रकम	(4) से अधिक रकम, जो पति या पत्नी के पास दावा की गई है, यदि धारा 5क लागू है
	No					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	i					
	ii					
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-ननन के 15ग में स्तंभ (5) का योग दर्ज करें						

**सत्यापन**

मैं, \_\_\_\_\_ पुत्र / पुत्री \_\_\_\_\_, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं / करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं \_\_\_\_\_ की क्षमता में विवरणी तैयार कर रहा हूं और मैं इस विवरणी को तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक \_\_\_\_\_ है। (यदि आबंटित किया गया है) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें→



प्ररूप आकवि-3	<b>भारतीय आय-कर विवरणी</b> (कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए) <b>कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए</b> (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
		2	0	1	9	-	2 0

साधारण	पहला नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम	स्थायी लेखा सं०
<b>व्याक्तित्व जानकारी</b> प्ररूप नाम मध्य नाम अन्तिम नाम स्थायी लेखा सं०	फ्लेट / दरवाजा / ब्लाक सं०	परिसर / भवन / ग्राम का नाम		प्रास्थिति (विहित करें) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> व्यक्ति <input type="checkbox"/> हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब
	सड़क / गली / डाक घर	जन्म तिथि / स्वरूप / (तिथि / मास / वर्ष)		
	क्षेत्र / अवस्थान	<b>आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र है)</b>		
	नगर / शहर / जिला	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
		देश		
	निवास/कार्यालय का एस०टी०डी० कोड सहित फोन नं० / मोबाइल नं० 1	मोबाइल नं० 2		

ई मेल पता-1 (स्वयं का)	ई मेल पता-2
------------------------	-------------

(क) धारा ...के अधीन फाइल की गई/सही का निशान लगाएं [कृपया अनुदेश देखिए]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ- उपांतरित विवरण, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्
या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153क, <input type="checkbox"/> 153ग

(ख) यदि पुनरीक्षित / त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख / मास / वर्ष)	/ /
---	-----

(ग) यदि धारा 139/ 142(1) / 148 / 153क / 153ग के अधीन सूचना या धारा 119(2)(ख), आदेश के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया तो ऐसी सूचना/आदेश की तारीख प्रविष्टि को या यदि धारा 29गघ के अधीन फाइल किया गया है, दो अग्रिम कीमत के करार की तारीख प्रविष्टि करें।	/ /
--	-----

<b>फाइल करने की प्रास्थिति</b>	<b>(क) निवासी</b> भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> आप पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों]									
		(ख) निवासी किंतु पर साधारण तौर पर निवासी नहीं। <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] <input type="checkbox"/> आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)]									
		(ग) अनिवासी <input type="checkbox"/> आय पूर्व वर्ष के दौरान अनिवासी थे (i) कृपया पूर्व वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें। -									
		<table border="1"> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>निवास की अधिकारिता (ओं)</th> <th>करदाता (ओं) की पहचान संख्या</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	क्रम सं.	निवास की अधिकारिता (ओं)	करदाता (ओं) की पहचान संख्या	1			2		
		क्रम सं.	निवास की अधिकारिता (ओं)	करदाता (ओं) की पहचान संख्या							
		1									
2											
(ii) भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें -											
पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)	पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)										

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

रसीद सं०

तारीख

प्राप्तकर्ता पदधारी की मुहर और हस्ताक्षर

	भारत में आवासीय प्राप्ति (हिंदू, अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> निवासी	<input type="checkbox"/> निवासी किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं	<input type="checkbox"/> अनिवासी									
(ड)	क्या आप धारा 115ज के अधीन फायता का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं											
(च)	क्या आप धारा 5 क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)												
(छ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -												
	(1) प्रतिनिधि का नाम												
	(2) प्रतिनिधि की हैसियत (झाप डाउन का उल्लेख किया जाए)												
	(3) प्रतिनिधि का पता												
	(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)												
(ज)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक रहे? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें।-												
	कंपनी का नाम	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके अंश सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध	निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)									
(ल)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (सही का निशान लगाएं) (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -												
	फर्म का नाम	स्थायी लेखा सं.											
(व)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किए हैं? सही का निशान लगाएं। (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया साधारण अंशों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।												
	कंपनी का नाम	स्थायी लेखा सं.	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित किए गए अंश	वर्ष के दौरान अंतरित अंश	अंत अतिशेष							
			अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदाय/ क्रय की तारीख	प्रतिअंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(ट)	अनिवासी की दशा में क्या कोई भारत में स्थायी स्थापन है <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं												
(ठ)	क्या निर्धारिती अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थिति है और संपरिवर्तनीय विदेश मुद्रा में पूरी तरह से आय प्राप्त करता है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं												
लेखा परीक्षा जानकारी	(क)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं											
	(ख)	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं											
	(ग)	यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं											
	(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (तारीख / मास / वर्ष)	/	/									
	(2)	कर के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम											
	(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या											
	(4)	लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी/ फर्म)											
(5)	स्वत्वधारी/ फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या												
(6)	स्वत्वधारी/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन)												

(7) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख	
(ब) क्या आप धारा 92ड. के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख दिदि/मा.मा./वर्षवर्षवर्षवर्ष
(घ) यदि अन्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दायी हैं तो लेखा प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें (दिन/मास/वर्ष) (कृपया अनुदेश 6 देखें)	
क्रम सं.	सेक्शन कोड
	तारीख (दिदि/मास/वर्ष)
(ड) यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं तो अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें।	
अधिनियम और धारा	दिदि/मा.मा./वर्ष
अधिनियम और धारा	दिदि/मा.मा./वर्ष

**कारबार की प्रकृति** कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो तीन मुख्य क्रियाकल्पों / उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा 44कघ, धारा 44कचक और 44कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न)

क्र.सं.	कोड (कृपया अनुदेश सं. 9(ii) देखें)	संपत्तिक का नाम, यदि कोई है	वर्णन
(i)			
(ii)			
(iii)			

**भाग क - तुलनपत्र**

स्वत्वधारी कारबार या वृत्ति का 31 मार्च, 2019 को तुलनपत्र

(मद 1 से 5 भरें यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं, अन्यथा मद 6 भरें)

निधियों का उपयोग

1	स्वामी की निधि			
	क	स्वामी की पूंजी	क	
	ख	आरक्षित और अधिशेष		
		i पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खा	
		ii पूंजी आरक्षिति	खाii	
		iii कानुनी आरक्षिति	खाiii	
		iv कोई अन्य आरक्षिति	खाiv	
		v योग (खा + खाii + खाiii + खाiv)	खv	
	ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क + खv)	1ग	
	2	ऋण निधियां		
		प्रतिभूत ऋण		
i		विदेशी मुद्रा ऋण	का	
ii		रूप में ऋण		
अ बैंकों से ऋण		iiअ		
आ अन्य से		iiआ		
इ योग (iiअ + iiआ)		iiइ		
iii	योग (का + iiइ)	काiii		
ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है)			

		i बैंकों से ऋण	खा		
		ii अन्य से	खाii		
		iii योग (ख i + खाii)		खाiii	
	ग	योग ऋण निधि (काii + खाiii)		2ग	
3	आस्थगित कर दायित्व			3	
4	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3)			4	
1	स्थिर अस्तियां				
	क	सकल ०: ब्लाक	1क		
	ख	अवक्षयण	1ख		
	ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)	1ग		
	घ	चल रहा पूंजी कार्य	1घ		
	ङ	योग (1ग + 1घ)		1ङ	
2	विनिधान				
	क	दीर्घकालिक विनिधान			
		i सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट की गई	का		
		ii सरकारी और अन्य प्रतिभूतियां - कोट न की गई	काii		
		iii योग (का + काii)		काiii	
	ख	अल्पकालिक विनिधान			
		i साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खा		
		ii अधिमानी शेयर	खाii		
		iii डिबेंचर	खाiii		
		iv योग (खा + खाii + खाiii)		खाiv	
	ग	कुल विनिधान (काiii + खाiv)		2 ग	
3	चालू अस्तियां, ऋण और अग्रिम				
	क	चालू अस्तियां			
		i बीजक			
		अ भंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	iअ		
		आ कच्ची सामग्री	iआ		
		इ कार्यरत भंडार	iइ		
		ई तैयार माल / व्यापार माल	iई		
		उ योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iउ	
		ii अन्यान्य ऋणी		काii	
		iii नकद और बैंक अतिशेष			
		अ हस्तगत नकदी	iiiअ		
		आ बैंक के पास अतिशेष	iiiआ		
		इ योग (iiiअ + iiiआ)		iiiइ	
	iv	अन्य चालू अस्तियां		काiv	
	v	कुल चालू अस्तियां (iउ + काii + iiiइ + काiv)		कv	
	ख	ऋण और अग्रिम			
		i नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य	खा		

कोई लेखा मामला नहीं	ii	निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम	खाii			
		iii	राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष	खाiii		
	iv	योग (खा + खाii + खाiii)			खाiv	
	ग	चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कv + खाiv)			3ग	
	घ	चालू दायित्व और उपबंध				
	i	चालू दायित्व	अ	अन्यान्य लेनदार	iiअ	
			आ	पट्टाभूत आस्तियों के लिए दायित्व	iiआ	
			इ	उपर्युक्त पर उदभूत व्याज	iiइ	
			ई	उदभूत व्याज किंतु जो ऋणों पर शोध्य नहीं हैं	iiई	
			उ	योग (iiअ + iiआ + iiइ + iiई)		iiउ
	ii	उपबंध	अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ	
			आ	छुट्टी भुनाने / अधिवर्षिता / उपदान के लिए उपबंध	iiआ	
			इ	अन्य उपबंध	iiइ	
			ई	योग (iiअ + iiआ + iiइ)		iiई
	iii	योग (iiउ + iiई)			घiii	
	ङ	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग - घiii)			3ङ	
	4	क	अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
	ख	आस्थगित कर आस्ति		4ख		
			ग	लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष	4ग	
			घ	योग (4क अ 4ख अ 4ग)		4घ
5	निधियों के उपयोजन का योग (1ङ + 2ग + 3ङ + 4घ)			5		
6	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2018 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)					
क	अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम			6क		
ख	अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम			6ख		
ग	व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम			6ग		
घ	नकदी बकाया की रकम			6घ		

भाग क- विनिर्माण  
लेखा

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनिर्माण लेखा ( जहां नियमित लेखा बहियां रखी जाती है उस दशा में मद 1 से 3 भरें, मद 61 से 64 भरें, जैसा लागू हो )

1	आरंभिक सूची				
क	i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i		
	ii	चालू काम का आरंभिक स्टॉक	ii		
	iii	कुल (i + ii)			काiii
ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)			ख	
ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग	
घ	प्रत्यक्ष व्यय (घा + घDii + घiii)			घ	
iii	i	आवक वहन व्यय	i		
	ii	विद्युत आर ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		

ड.	कारखाने का उपरी खर्च			
	i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i	
	ii	कारखाना किराया और दरें	ii	
	iii	कारखाना बीमा	iii	
	iv	कारखाना ईंधन और विद्युत	iv	
	v	कारखाने का साधारण व्यय	v	
	vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi	
	Vii	कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)		
च	विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)			1च
2	बंद स्टॉक			
i	कच्ची सामग्री		2i	
	ii चालू काम		2ii	
	कुल (2i + 2ii)			2
3	माल उत्पाद की लागू - व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)			3

भाग -क व्यापारिक लेखा ।

वित्तीय वर्ष 201819 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 64 भरें, यथा लागू)

व्यापारिक लेखा के लिए प्रत्यय	4	संक्रियाओं से राजस्व			
	क	कारबार का विक्रय/सकल प्राप्ति शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो			
	i	माल का विक्रय		i	
		ii सेवाओं का विक्रय		ii	
		iii अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)			
	क			iiia	
		ख		iiib	
		ग कुल (iiिक + iiिख)		iiic	
	iv	कुल (i + ii + iii ग)			कiv
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्ति			ख
ग	विक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर				
i	संघ उत्पाद शुल्क		i		
	ii सेवा कर		ii		
	iii मूल्य वादित कर/ विक्रय कर		iii		
	iv केन्द्रीय माल और सेवा कर ( सी जी एस टी)		iv		
	v राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)		v		
	vi समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)		vi		
	vii संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)		vii		
	viii कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर		viii		
	ix	कुल (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			गix
घ	संक्रियाओं सले कुल राजस्व (कiv + ख+गix)			4घ	
5	तैयार स्टॉक का बंद स्टॉक			5	

व्यापारिक लेखा के लिए विकलन	<b>6</b>	व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5iv )		<b>6</b>		
	<b>7</b>	तैयार माल का आरंभिक स्टॉक		<b>7</b>		
	<b>8</b>	क्रय (सुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)		<b>8</b>		
	<b>9</b>	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)		<b>9</b>		
		<b>i</b>	आवक वहन व्यय	<b>9i</b>		
		<b>ii</b>	विद्युत और ईंधन	<b>9ii</b>		
		<b>iii</b>	अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)	<b>9iii</b>		
	<b>10</b>	क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय ।				
		<b>i</b>	सीमा शुल्क	<b>10i</b>		
		<b>ii</b>	प्रति शुल्क	<b>10ii</b>		
		<b>iii</b>	विशेष अतिरिक्त शुल्क	<b>10iii</b>		
		<b>iv</b>	संघ उत्पाद शुल्क	<b>10iv</b>		
		<b>v</b>	सेवा कर	<b>10v</b>		
		<b>vi</b>	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	<b>10vi</b>		
		<b>vii</b>	केन्द्रीय माल और सेवा कर ( सी जी एस टी)	<b>10vii</b>		
	<b>viii</b>	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	<b>10viii</b>			
	<b>ix</b>	समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)	<b>10ix</b>			
	<b>X</b>	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	<b>10x</b>			
	<b>Xi</b>	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	<b>10xi</b>			
	<b>Xii</b>	<b>Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)</b>		<b>10xii</b>		
<b>11</b>	माल उत्पाद की लागत - विनिर्माण लेखा से अंतरित			<b>11</b>		
<b>12</b>	कारवार / वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)			<b>12</b>		

## भाग क-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू 61 से 64 भरें)

लाभ और हानि लेखा में लमा	<b>13</b>	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ		<b>13</b>		
	<b>14</b>	अन्य आय				
		<b>i</b>	किराया	<b>i</b>		
		<b>ii</b>	कमिशन	<b>ii</b>		
		<b>iii</b>	लाभांश आय	<b>iii</b>		
		<b>iv</b>	ब्याज आय	<b>iv</b>		
		<b>v</b>	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ	<b>v</b>		
		<b>vi</b>	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ	<b>vi</b>		
		<b>vii</b>	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ	<b>vii</b>		
	<b>viii</b>	धारा 43कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)	<b>viii</b>			

	धारा 28(vक) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य)	ix		
	x कृषि आय	x		
	xi कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	क	xia		
	ख	xib		
	ग योग (xiक + xiख)	xic		
	xii अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xig)		14xii	
15	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग (13+14xii)		15	
16	बर्हिगामी माल भाडा		16	
17	भंडारों और कलपुर्जों का उपभोग		17	
18	विद्युत और ईंधन		18	
19	किराया		19	
20	भवनों की मरम्मत		20	
21	मशीनरी की मरम्मत		21	
22	कर्मचारियों को प्रतिकर			
	i वेतन ओर मजदूरी	22i		
	ii बोनस	22ii		
	iii चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
	iv छुट्टी नकदीकरण	22iv		
	v छुट्टी यात्रा फायदा	22v		
	vi अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
	vii मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय	22vii		
	viii मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
	ix किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
	x कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है	22x		
	xi कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i to 22x का योग)		22xi	
	xii क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं	
	यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख		
23	बीमा			
	i चिकित्सा बीमा	23i		
	ii जीवन बीमा	23ii		
	iii कीमेन्स बीमा	23iii		
	iv अन्य बीमा, जिसके अंतर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं	23iv		
	v बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
24	कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय		24	
25	मनोरंजन		25	
26	सत्कार		26	
27	सम्मेलन		27	
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)		28	
29	विज्ञापन		29	
30	कमीशन			

लाभ और हानि लेखा से विकलन



	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)			30iii
31	स्वामिस्व				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)			31iii
32	वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i		
	ii	अन्यों को संदत्त	ii		
	iii	योग (i + ii)			32iii
33	होटल, बोर्डिंग और वासा				33
34	विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय				34
35	विदेशी यात्रा व्यय				35
36	वाहन व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतिथि गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	त्यौहार मनाए जाने संबंधी व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	दान				42
43	संदान				43
44	दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय-कर को छोड़कर)				
	i	संघ का उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित	44ix		
	x	कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x
45	संपरीक्षा फीस				45
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i		i		
	ii		ii		
	iii	कुल (i + ii)			46iii
47	डूबा ऋण (ऐसे व्यक्ति का पेन विनिर्दिष्ट करें, यदि उपलब्ध हों, जिसके लिए डूबे ऋण के संबंध में एक लाख रुपए या अधिक की रकम का दावा किया गया है और रकम)				

कर और वित्तियों के लिए उपबंध	i				47i								
	ii				47ii								
	iii				47iii								
	iv				अपेक्षानुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं।				47iv				
	v				अन्य (1 लाख रुपये से अधिक ) जहाँ स्थायी लेखा संय उपलब्ध नहीं है (नाम और पूर्ण पता उपबंधित करें)				47v				
	vi				अन्य (1 लाख रुपये से कम की रकम)				47vi				
	vii				कुल डूबा ऋण(47i + 47ii + 47iii + 47iv + 47v+47vi)				47vii				
48				डूबा और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध				48					
49				अन्य उपबंध				49					
50				ब्याज, अवक्षयण और कर के पूर्व लाभ [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47vii + 48 + 49) ]				50					
51				ब्याज									
i		कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी के लिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय		i									
ii		अन्य को		ii									
iii		कुल (i + ii)				51iii							
52				अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण				52					
53				करों के पूर्ण सुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)				53					
कर और वित्तियों के लिए उपबंध	54				चालू कर के लिए उपबंध				54				
	55				आस्थगित कर और आस्थगित दायित्व के लिए उपबंध				55				
	56				कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)				56				
	57				पूर्व वर्ष से आग अतिशेष				57				
	58				विनियों के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)				58				
	59				आरक्षित और अधिशेद के लिए अंतरित				59				
	60				स्वत्वधारी के लेखे में तुलनपत्र के लिए अग्रणी अतिशेष (58 - 59)				60				
	61				धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना				61				
	क्रम सं.	कारबार का नाम			कारबार कोड			विवरण					
(i)	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ (ik + ix)												
	a	विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्ति पाने वाले के खाते में देय बैंक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से			ik								
	b	कोई अन्य रीति			ix								
(ii)	धारा 44 क घ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iik + iix)												
	a	61i क का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो			iik								
	b	61ix का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो			iix								
टिप्पण- यदि उपर्युक्त सकल प्राप्तियाँ/आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, दो धारा 44कघ के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।													
62				धारा 44कघक के अधीन वृत्ति से उपधाराणात्मक आय की संगणना				62					
क्रम सं.	कारबार का नाम			कारबार कोड			विवरण						
(i)	सकल प्राप्तियाँ												
(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (62i) का 50% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है उनमें से जो भी अधिक हो												
टिप्पण - यदि आय सकल प्राप्ति के 50% से कम है, तो धारा 44कघ के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।													
63				धारा 44 कघ के अधीन माल बहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना				63					
क्रम सं.	कारबार का नाम			कारबार कोड			विवरण						

	माल वहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/किराया	माल वहन की टन भार क्षमती (मिटरिक टन में)	महीनों की संख्या जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/किराया पर दिया गया था।	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधारात्मक आय (12 मि ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति माह प्रति माह प्रति टन 1000 रु0 दी कर से संकलित या अन्य 1500 रु0 प्रति माह की दर से या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(क)						
(ख)						
पंक्ति के विकल्प को जोड़ें, आवश्यकतानुसार (अधिकतम 10 तक)						
(ii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधारात्मक आय सारणी 63(i) का स्तंभ (5) का योग ]					63(ii)
टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड. के अधीन विहित से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व/पट्टे/किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44 कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है।						

लेखा मामला नहीं

64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।					
	(i)	कारबार पर लेजाने वाले निर्धारिती के लिए				
	क	सकल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	क1			
	1	विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्ति पाने वाले के खाते में देय बैंक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से	क1			
	2	कोई अन्य रीति	क2			
	ख	सकल लाभ	ख			
	ग	व्यय	ग			
	घ	शुद्ध लाभ				64i
	(ii)	वृत्ति पर ले जाने वाले निर्धारिती के लिए				
	क	कुल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	क1	क2		
	1	विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्ति पाने वाले के खाते में देय बैंक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से	क1			
	2	कोई अन्य रीति	क2			
	ख	सकल लाभ				
	ग	व्यय				
	घ	शुद्ध लाभ				64ii
(iii)	कुल लाभ(64i + 64ii)					64iii
65	i	सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवत				65i
	ii	सकल लाभ				65ii
	iii	खर्च यदि कोई हो				65iii
	iv	सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)				65iv

भाग क - अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (आज्ञापक है, यदि धारा 44 ख के अधीन संपरीक्षा के लिए दाबी है अन्य भरने के लिए यदि लागू हो)

1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> वाणिज्यिक <input type="checkbox"/> नकद
2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii) ]	3क
3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii) ]	3ख
4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के पद्धति	
क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>

	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)		<input type="checkbox"/>
	ग	क्या स्टाक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (विहित करें) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं		
		धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ	
		धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ	
5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित हैं--			
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क	
	ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय अथवा जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग	
		आय की कोई अन्य मद	5घ	
		पूँजी रसीद, यदि कोई है	5ङ	
	च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क +5ख +5ग +5घ +5ङ)	5च	
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूपान के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें			
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूँजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ	
	ङ	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiा)]	6ङ	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को अंशदान की रकम	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ई एस आई अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि को अंशदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vk)]	6ट	
	ठ	हूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड	हूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(viiक)]	6ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
	त	प्रतिभूतियों में संव्यसहार की वाबत संयक प्रतिभूतियों की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलित नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त	
	थ	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)]	6 थ	
	द	कोई अन्य नामजूरी	6 द	
	ध	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)	6 ध	
7	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख	

	ग	कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अन्नय रूप से नहीं अधिकृत या व्यय किए गए खर्च [37(1)]	7ग		
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ब )]	7घ		
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुमनि के रूप में व्यय	7ङ		
	च	कोई अन्य शास्ति या जुमाना	7च		
	छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ		
	ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज		
	झ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ		
	ञ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)		7ञ	
8	अ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक		
	ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) क) XVII- ख	अख		
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अननुपालना पर, धारा 40(क) (ख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग		
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम XVII-ख	अघ		
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)]	अङ		
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क) (iiक)]	अच		
	छ	धारा 40 (क) (ii ख) के अनुसार स्वामिस अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के माध्यम से संदत्त रकम	अछ		
	ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)]	अज		
	झ	कोई अन्य नामजूरी	अझ		
	ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)		8अञ	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम			8आ
9		धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम	9क		
	ख	धारा 40क(3) के अधीन अननुज्ञेय पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाता के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन पद्धति के उपयोग से भिन्न माध्यम से संदत्त रकम	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यष्टि निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ; [40 क (9)]	9घ		
	ङ	कोई अन्य नामजूरी	9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम		9च	
10		किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अघिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	10ग		
		किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		

	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ड		
	छुटी भुताने के म दे संदेय कोई राशि	10च		
	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	10छ		
ज	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (10क से 10ज का योग)			10ज
11	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकसित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अननुज्ञेय			
क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क		
ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग		
	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ड		
	छुटी भुताने के म दे संदेय कोई राशि	11च		
	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11छ		
ज	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (11क से 11छ का योग)			11ज
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम			
क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
ख	सेवा कर	12ख		
ग	मुख्य वर्धित कर / विक्रय कर	12ग		
घ	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ		
ड	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ड		
च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च		
छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ		
ज	कोई अन्य करम	12ज		
झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)			12झ
13	धारा 33क ख या धारा 33 क ख के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम			13
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम			14
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकसित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			15
16	धारा 14 क के अधीन नामंजूर व्यय की रकम			16

भाग क मात्रात्मक ब्यौरे		मात्रात्मक ब्यौरे (आज्ञापक, यदि धारा 44खक के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है)	
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में	
	1	आरंभिक स्टाक	1
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3
	4	अंतिम स्टाक	4
	5	कमी / अधिक यदि कोई हो	5
	(ख)	किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में	
	6	कच्ची सामग्री	
	क	आरंभिक स्टाक	6क
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ
	ङ	अंतिम स्टाक	6ङ
	च	प्राप्त तैयार माल	6च
	छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ
ज	कमी / अधिक, यदि कोई हो	6ज	
7	तैयार माल / उपोत्पाद		
क	आरंभिक स्टाक	7क	
ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
ङ	अंतिम स्टाक	7ङ	
	कमी / अधिक, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

अनुसूची वेतन		वेतन से आय का ब्यौरे	
वेतन	नियोजक का नाम	नियोजन की प्रकृति (सही का निशान लगाएँ) - <input type="checkbox"/> सरकारी <input type="checkbox"/> सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी <input type="checkbox"/> अन्य	नियोजक का डी ए एन (आज्ञापक, यदि कर की कटौती हुई है)
	नियोजक का पता	नगर / शहर	राज्य
			पिन कोड / जिप कोड
	1	कुल वेतन (1क + 1ख + 1ग)	1
	क धारा 17(1) के अनुसार वेतन (उपबंधित करने के लिए ट्राप डाउन)	1क	
	ख धारा 17(1) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (उपबंधित करने के लिए ट्राप डाउन)	1ख	
	ग धारा (3) के अनुसार वेतन के बदले में लाभ (उपबंधित करने के लिए ट्राप डाउन)	1ग	
	(एक से अधिक नियोजक की दशा में कुल वेतन के लिए गुणज पंक्तियाँ जोड़ें)		

2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों में)	2
3	धारा 10 के अधीन व्यापक छूट के लिए कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित ड्राप डाउन) (कृपया निदेशों को निर्दिष्ट करें)	3
4	कुल वेतन (2 - 3)	4
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)	5
	क धारा 16(i) के अधीन मानक कटौती	5क
	ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख
	ग धारा 16(iii) के अधीन व्यावसायिक कर	5ग
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभावी आय (4 - 5)	6

## अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (सम्पत्ति के स्वामित्व को दर्शित करने के लिए उपबंधित ड्राप डाउन)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता				
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता		
		I				
		II				
		लगावू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं ]	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्याक (पैन) (यदि उपलब्ध हों)	किरायादार का पैन/टैन (यदि टी डी एस प्रत्यय कर दावा किया गया है)	
		(सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>	I			
		<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो	II			
		<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में				
		<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया				
		क	प्राप्त या प्राप्त होने योग्य या स्वीकार्य मूल्य का सकल किराया	1क		
		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग		
		घ	योग (1ख + 1ग)	1घ		
	ङ	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)	1ङ			
	च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)	1च			
	छ	1च का 30%	1छ			
	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज			
	झ	योग (1छ + 2ज)	1झ			
	ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त 30% से कम बकाया/अप्राप्य किराया	1ञ			
	ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)	1ट			
	2	संपत्ति 2 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता				
		सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता		
		I				
		II				
		लगावू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं ]	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्याक (पैन) (कृपया नोट देखें)	किरायेदारों का पैन/टैन (कृपया नोट देखें)	
		(सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>	I			
		<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो	II			
		<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में				
		<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया				



क	प्राप्त या प्राप्त होने योग्य या स्वीकार्य मूल्य का सकल किराया (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)	2क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग	
घ	योग (2ख + 2ग)	2घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)	2च	
छ	1च का 30%	2छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज	
झ	योग (2छ + 2ज)	2झ	
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त 30% से कम बकाया/ अप्राप्य किराया	2ञ	
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)	2ट	
3	आय के माध्यम से, यदि कोई हो *	3	
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) यदि अनुसूची सी वाई एल ए के 2i के लिए नकारात्मक अंक	4	
टिप्पण	कृपया अनुसूची एस पी आई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के आय के सम्मिलित करें और यदि इस शीर्ष के अधीन आय को संगणित करते हैं तो अनुसूची पी टी आई में निर्दिष्ट आय के माध्यम से करें।		
टिप्पण	किरायेदार का स्थायी लेखा संख्या देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-आई बी के अधीन कर की कटौती की गई है।		
	किराये का टी ए एन देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-आई के अधीन कर की कटौती की गई है।		

**अनुसूची - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना**

अ	सदृश कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से			
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग त और ठ का मद 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) और 65(iv))			1
2क	1 में सम्मिलित सदृश के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) / अनुसूची लाभ और हानि की क्रम संख्या 65iv/	2क		
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख		
3	धारा 115खखच के अधीन अन्य / प्रभार्य / धारा खखछ के अधीन प्रभार्य के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान में रखे गए लाभ और हानि के अनुसार आय / उधार प्राप्ति	क	वेतन	3क
		ख	गृह संपत्ति	3ख
		ग	पूजी अभिलाष	3ग
		घ	अन्य स्रोत	3घ
		ङ	धारा 115खखच के अधीन	3ङ
च	115खखछ के अधीन	3च		
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ / 44कच / 44कङ / 44ख / 44खख / 44खच / 44घक (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	4क		
4ख	नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्राप डाउन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप् टाउन))	4ख		
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है			
ख	क	फर्मों से आय का अंश	5क	
	ख	एओपी / बीजेआई से आय का अंश	5ख	
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)		
ग	i		ग i	
	ii		ग ii	
	iii	योग (ग i + ग ii)	5 ग iii	
घ	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)		5 घ	

कारबार या वृत्ति से आय

6	शेष (1-2 क-2 ख-3 क-3 ख-3 ग-3 घ-3 च-4क-4ख-5 घ)	6			
7	धारा 115खखच के अधीन या धारा खखछ के अधीन प्रभार्य आय / सम्बद्ध आय के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान रखे गए लाभ और हानि के अनुसार उधार व्यय	क	वेतन	7क	
		ख	गृह संपत्ति	7ख	
		ग	पूजी अभिलाष	7ग	
		घ	अन्य स्रोत	7घ	
		ङ	धारा 115खखच के अधीन	7ङ	
च	115खखछ के अधीन	7च			
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित है	8क			
8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखे में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देन् और नामंजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 16)	8ख			
9	कुल (7 क + 7 ख + 7 ग + 7 घ + 7 ङ + 7 च + 8क + 8ख)	9			
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10			
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण	11			
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण				
	i धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घ ड त का स्तंभ 6)	12i			
	ii धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)	12ii			
	iii कुल (12i + 12ii)	12iii			
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13			
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओ आई का 6द)	14			
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओ आई का 7 य)	15			
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओ आई का 8कख)	16			
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क-ओ आई का 9 च)	17			
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क-ओ आई का 11ज)	18			
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19			
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20			
21	धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कघक / 35कखक / 35 कखख / 35 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 झझघ / 80-क के अधीन समझी गई आय	21			
22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय	22			
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें	23			
24	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यष्टि / हिंदू अविभक्त कुटुंब / स्वामित्वधारी समुत्पन्न भागीदार हैं, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है)	24			
25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कमी (अनुसूची णज के स्तंभ 3क + 4ख)	25			
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23 +24 + 25)	26			
27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27			
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28			

29	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35 ग ग या धारा 35 ग ग घ के अधीन क कटौतियों की रकम ( अनुसूची ड घ द की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35 ज ग ग या धारा 35 ग ग घ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी )	29		
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क-ओ आई का 8 ख)	30		
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओ आई का 10 छ)	31		
32	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	32		
33	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (अनुसूची णञ के स्तम्भ 3ख + 4ड)	33		
34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)		34	
35	आय (13 + 26 - 34)		35	
36	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -			
	i धारा 44कघ (अनुसूची त और ठ के 61(ii) )	36i		
	ii धारा 44कघक (अनुसूची त और ठ के 62 (ii) )	36ii		
	iii धारा 44कङ (अनुसूची त और ठ के 63(ii) )	36iii		
	iv धारा 44ख	36iv		
	v धारा 44खख	36v		
	vi धारा 44खखक	36vi		
	vii धारा 44घक	36vii	(ग्रूप उ ग ड की मद प)	
	viii कुल (36i to 36vii)		36viii	
37	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35 + 36viii)		37	
38	सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वृत्तिक से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है ( यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 37 के अनुसार वही अंक भरें ) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें) (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ङ + 38च)		क 38	
	क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	38क		
	ख नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ख		
	ग नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ग		
	घ नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38घ		
	ङ नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ङ		
	च नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 37)	38च		
39	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात्, कृपि से संझी गई आय का अतिशेष [4ख-(38क+ 38ग+ 38घ +38ङ.)]		39	
आ	सट्टा के कारबार से आय की संगणना			
40	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क)		40	
41	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		41	
42	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां		42	
43	अनुमानित कारबार से आय (40 + 41 - 42) ( यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक लें)		ख 43	
इ	धारा 35 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना			
44	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		44	
45	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		45	
46	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियां ( धारा (i) 35 क छ, (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस कटौती का दावा धारा 35 क छ के अधीन किया गया है )		46	
47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44 + 45 - 46)		47	
48	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियां		48	

	<b>49</b>	<b>अनुमानित कारबार से आय (47 – 48) ( यदि हानि है तो अनुसूची सी एफ एल के 7xi से अंक लें )</b>			<b>ग49</b>	
	<b>50</b>	धारा 35कख की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाउन मेन्स्यु से चयनित की जाए)			<b>ग50</b>	
<b>घ</b>	<b>कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 38+ ख43+ ग49)</b>				<b>घ</b>	
<b>ड</b>	<b>चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष</b>					
	<b>क्र.सं.</b>	<b>कारबार आय का प्रकार</b>	<b>चालू वर्ष की आय ( यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है )</b>	<b>मुजराई कारबार हानि</b>	<b>मुजराई के पश्चात शेष कारबार आय</b>	
			<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3) = (1) – (2)</b>	
	<b>i</b>	मुजराई किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल जब भरे यदि अंक नकारात्मक है )		<b>( क 38)</b>		
	<b>ii</b>	अनुमानित कारबार से आय	<b>( ख 43)</b>			
	<b>iii</b>	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	<b>( ग 49)</b>			
	<b>iv</b>	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)				
	<b>v</b>	मुजराई के बाद शेष हानि (i – iv)				
<b>टिप्पण</b>	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें					

**अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण**

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण ( उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं )

<b>संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण</b>	<b>1</b>	<b>आस्तियों का ब्लाक</b>	<b>संयंत्र और मशीनरी</b>		
	<b>2</b>	<b>दर (%)</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
			<b>(i)</b>	<b>(ii)</b>	<b>(iii)</b>
	<b>3</b>	<b>पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य</b>			
	<b>4</b>	<b>पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन</b>			
	<b>5</b>	<b>3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन</b>			
	<b>6</b>	<b>रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)</b>			
	<b>7</b>	<b>पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन</b>			
	<b>8</b>	<b>7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन</b>			
	<b>9</b>	<b>रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)</b>			
	<b>10</b>	<b>पूरी दर से 6 पर अवक्षयण</b>			
	<b>11</b>	<b>आधी दर से 9 पर अवक्षयण</b>			
	<b>12</b>	<b>4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो</b>			
<b>13</b>	<b>7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो</b>				

14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण			
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)			
16	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान (स्तम्भ 15 के अलावा)			
17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)			
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)			
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय			
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)			
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			

**अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण**
**अन्य आस्तियों पर अवक्षयण ( उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )**

	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
			कुछ नहीं	5	10	40			
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)			
अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	2	दर (%)							
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा( 3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)								

10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण						
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण						
12	कुल अवक्षयण (10+11)						
13	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 के अलावा)						
14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)						
15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)						
16	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय						
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)						
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						

**अनुसूची -आस्तियों पर अवक्षयण का सार**

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
		क	15औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i यथालागू)	1क		
		ख	30औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii यथालागू)	1ख		
		ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागू)	1ग		
		घ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग)		1घ	
	2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)				
		क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागू)	2क		
		ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागू)	2ख		
		ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv यथालागू)	2ग		
		घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागू)			3		
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागू)			4		
5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथालागू)			5		
6	कुल अवक्षयण (1घ + 2घ + 3 + 4 + 5)			6		

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क	
	ख	30औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख	
	ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग	
	घ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग)		1घ
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			
	क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क	
	ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख	
	ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग	
	घ	योग (2क+2ख+2ग)		2घ
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची घ ड क 17v)			3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)			4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)			5
6	कुल अवक्षयण (1घ +2घ+3+4+5)			6

अनुसूची इएसआर वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती )

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iik)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			
टिप्पण	धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iia) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(२एए) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं)			

अनुसूची		पूँजी अभिलाभ	
अ अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ ( एस टी सी जी ) ( निवासियों के लिए उप-मद 4 और 5 लागू नहीं हैं )			
१ भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)			
क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रति कर का पूर्ण मूल्य	क i
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	क ii
	iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क(ii) के 1.05 गुणा से अधिक न होने की दशा में (क(i), इन अंकों को (क(i) के रूप में ले या अन्यथा (क(ii) लें ]	क iii
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv
ग	शेष (क iii - ख iv)		
घ	धारा के अधीन कटौतियाँ 54 ख /54 ग / 54 छ /54 ज क ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें		
ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)		
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)		
	क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पैन
			प्रतिशत शेयर
			रकम
			संपत्ति का पता
			पिन कोड
टिप्पण ▶	पैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194अक के अधीन की गई है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।		
2 विक्रय गिरावट से			
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य		2 क ( प्ररूप 3 ज ड क का 5 )
ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति		2 ख ( प्ररूप 3 ज ड क का 6 (ड)
ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 क -2 ख)		
3 इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (क ii के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है			
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य		3 क
ख	धारा 88 के अन्दर कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii
	iv	योग(i + ii + iii)	ख iv
ग	शेष (3 क - ख iv)		
घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभ/आय/बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए ( केवल सार्थक मूल्य भरें )		
ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख ड च ( संदद एस टी टी ) पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ(3 क +3 घ)		
4 अनिवासी के लिए जो च II नहीं हैं - किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों या लाभों की विक्री से ( धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनमय के साथ गणना की जाय )			
क	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर ( एस टी टी ) संदत्त हैं		
ख	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर ( एस टी टी ) संदत्त नहीं हैं		
5 अनिवासियों के लिए -995 क घ से अनुसार किसी एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों ( उपर क तीन से भिन्.) के विक्रय से			
क	i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें :-		
	क	कोट न किए जाने वाले शेयरों की प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर	i क
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख
	ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग
	ii	अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii
	iii	कुल (i ग + ii)	क iii
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		



	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv	योग (i + ii + iii)	ख iv	
ग	शेष (5 क iii - ख iv)		5 ग	
घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए ( केवल सार्थक मूल्य भरें )		5 घ	
ङ.	एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ ( उपर क 3 से भिन्न) +5 घ)		क 5 ङ	
6	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से			
क	i	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें		
	क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	i क	
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग	
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		क ii
iii	कुल (i ग + ii)		क iii	
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv	योग (i + ii + iii)	ख iv	
ग	शेष (6क iii - ख iv)		6 ग	
घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी प्रतिभूति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए ( केवल सार्थक मूल्य भरें )		6 घ	
ङ	अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)		6ङ	
च	धारा के अधीन कटौति 54 ग /54 छ /54 ज क		6च	
छ	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी (6ग उ 6घ + 6ङ + 6च)		क ६छ	
7	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं			
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई अधिक राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
	i	2015- 54घ/54छ/54जक		
	ii	2016- 54ख		
ख	धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54ज क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि			
लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ xii + ख)				क7
8	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास श्रू आय (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8क + क8ख + क8ग)			
a	15%	की दर से प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ पास श्रू आय	क8क	
b	30%	की दर से प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ पास श्रू आय	क8ख	
c		लागू दरों पर प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ पास श्रू आय	क8ग	
9	एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीएफ के अनुसार कर के लिए प्रभाय या विशेष दरों पर प्रभाय नहीं है			

क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. क 1 से क 8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डी डीटी एण की वस्तु	संघि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6) या (9) के नीचे]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
क	डीटीएए के अधीन एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि								क 9	क
ख	डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम								क 9	ख
10	कुल अल्पकालिक पूँजी अभिलाम (क 1 ड + क 2 ग + क 3 ड + क 4 क + क 4 ख + क 5 ड + क 6 छ + क 7 + क 8 - क 9क)								क 10	

ख	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (एल टी सी जी) (उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 निवासियों में लागू नहीं है)
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें)
क	i प्राप्त /प्राप्य प्रतिकर पूर्ण मूल्य
	ii स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का पूर्ण मूल्य
	iii पूँजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(कii) के (कi) से 1.05 गुणा न होने की दशा में इस संख्या को (कi) के रूप में ले या अन्यथा (कii) लें]
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत
	iii अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय
	iv योग (ख i + ख ii + ख iii)
ग	शेष (क iii - ख iv)
घ	धारा 54/54ख /54घ /54ङग /54 च /54 छ /54 क /54 छ ख के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)
ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)
च	स्थावर संपत्ति को अन्तरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (देखें टिप्पण)

क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पेन	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड
टिप्पण ▶	पेन प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है। एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।					
2	विक्रय गिरावट से					
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य			2 क	(प्ररूप 3 CEA का 5)	
ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति			2 ख	(प्ररूप 3 CEA का 6 (ड))	
ग	शेष (2 क - 2 ख)			2 ग		
घ	धारा 54ङ ग /54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			2 घ		
ड	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (2 ग - 2 घ)					

3	बन्ध पत्र या डिबेन्चर से के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूँजी सूचीबद्ध बन्ध पत्रों भिन्)
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत
	iii अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय
	iv योग (ख i + ख ii + ख iii)
ग	शेष (3 क - ख iv)
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)

ड	बन्ध पत्रों या डिबेन्चर पर एस टी सी जी (3 ग - 3 घ)	ख 3 ड डू
---	--	----------

<b>4</b>	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहां धारा 112 (1) का परंतुक लागू है) (ii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से
----------	---

<b>क</b>	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	<b>4 क</b>	
<b>ख</b>	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
<b>i</b>	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	<b>ख i</b>	
<b>ii</b>	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	<b>ख ii</b>	
<b>iii</b>	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	<b>ख iii</b>	
<b>iv</b>	योग (ख i + ख ii + ख iii)	<b>ख iv</b>	
<b>ग</b>	शेष (4 क - ख iv)	<b>4 ग</b>	
<b>घ</b>	धारा 54 च के अधीन कटौति ( नीचे मद घ में ब्यौरो	<b>4 घ</b>	
<b>ङ</b>	उपर ख4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (4ग - 4घ)		<b>ख 4ङ</b>
<b>5</b>	किसी कंपनी में साम्यशेयरों के विक्रय या साम्यउन्मुख निधि की युनिटों या किसी कारवार न्यास की युनिट की विक्री जिसमें धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया		
<b>क</b>	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	<b>5क</b>	
<b>ख</b>	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
<b>i</b>	सूचकांकन के बिना अर्जन की लागत (iक और iख का उच्चतर)	<b>खi</b>	
<b>अ</b>	अर्जन की लागत	<b>iक</b>	
<b>आ</b>	यदि दीर्घ अवधि पूंजी आस्ति को तारीख 1.2.2018 से आ पहले अर्जित किया गया था तो ख1 और ख2 का निम्नतर	<b>iख</b>	
<b>1</b>	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजी आस्ति का उचित बाजार मूल्य	<b>ख1</b>	
<b>2</b>	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	<b>ख2</b>	
<b>ii</b>	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	<b>खii</b>	
<b>iii</b>	अंतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्य रूप से व्यय	<b>खiii</b>	
<b>iv</b>	कुल कटौती (खi + खii + खiii )	<b>खiv</b>	
<b>ग</b>	शेष (5क - खiv)	<b>5ग</b>	
<b>घ</b>	घटाएं : धारा 112क के अनुसार एलटीसीजी ऊपरी सीमा (5ग - 1 लाख रुपए)	<b>5घ</b>	
<b>ङ</b>	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें)	<b>5ङ</b>	
<b>च</b>	ऊपर ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (5घ - 5ङ)		<b>ख 5च</b>
<b>6</b>	अनिवासियों के लिए - भारतीय कम्पनी के शेयरों या डिबेन्चर के विक्रय से (धारा 8८ के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)		
<b>क</b>	सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी	<b>6क</b>	
<b>ख</b>	धारा ५४ च के अधीन कटौति ( नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें)	<b>6ख</b>	
<b>ग</b>	शेयर या डिबेन्चर पर एलटीसीजी (६क - ६ख)		<b>ख ६ग</b>
<b>7</b>	सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ या युनिटों या शून्य कूपन बंधपत्र जहा धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू है (सूचीकरण कायदे के बिना 10 प्रतिशत की दर पर कराधेय (ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी का व जी डी आर के विक्रय से		
<b>क</b>	i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरो दर्ज करे		

	क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	ik	
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ix	
	ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ig	
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
	iii	कुल (ig + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग	शेष (क iii - ख iv)		७ ग	
घ	धारा ५४ च के अधीन कटौति ( नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें )		७ घ	
ङ	अनिवासियों के मामले में उपर ७ की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (७ग - ७घ)			ख ७ङ
8	अनिवासियों के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुक्त निधि के यूनितों या किसी न्यास की यूनितों का विक्रय जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है।			
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	8क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i	सूचकांक के बिना अर्जन की लागत (क और ख का उच्च)	ख i	
		अ अर्जन की लागत	क	
	आ	यदि दीर्घावधि आस्तियों को तारीख 01.02.2018 से पूर्व अर्जित किया गया था, ख1 और ख2 का निम्नतर	ख	
		1 धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूँजी आस्ति का उचित बाजार मूल्य	ख1	
	2 प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ख2		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतः और अनन्य रूप से व्यय	ख iii	
	iv	कुल कटौती (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	शेष (8क - ख iv)		8ग
	घ	घटाए- धारा 112क (8ग -1लाख रु.) के अनुसार एलटीसीजी ऊपरी सीमा		8घ
	ङ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें)		8ङ
च	ऊपर ख8 पर पूँजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घावधि पूँजी अभिलाभ (8घ - 8ङ)			ख 8च
9	अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से ( यदि अध्याय ७क के अधीन विकल्प दिया गया है )			
क	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी ( सूचीकरण के बिना गणना की गई )	9 क		
	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए ( नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें )	9 ख		
ग	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (९ क - ९ ख)			ख ९ ग
घ	विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी			9 ग
ङ	धारा 115च के अधीन कटौती घटाए ( नीचे मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें )			9 ङ
च	विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर शेष एलटीसीजी (9घ - 9 ङ)			ख ९ च
10	उपर जहां ख -1 से ख -9 तक लागू नहीं है वहा आस्तियों के विक्रय से			
क	i	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरो दर्ज करें		
	क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर की पूर्ण	ik	
ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ix		

		पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	iग	
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
	iii	कुल (iग + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग	शेष (10 क iii - ख iv)			10 ग
घ	धारा 54 घ / 54 च / 54 छ / 54 ज के अधीन कटौती (मद घ में ब्यौरो विनिर्दिष्ट करें) below)			10 घ
ङ	उपर ख 10 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (10ग - 10घ)			ख 10ङ

11	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि	
	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?	
	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएँ	

क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियाँ अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके बर्तन उस वर्ष में जिसमें दावा कटौती कटौती का वावा किया गया है	नई आस्तियाँ अर्जित/निर्मित की गई हैं	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ष जिसमें आस्तियाँ अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि
i	2015-16	54/54घ/54छ/54जक		
ii	2016-17	54ख		
ख	क' से भिन्न दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि			
	दीर्घ अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi)ख			
12	दीर्घावधि पूँजी अभिलाभ की प्रकृति की पास श्रु आय, (अनुसूची पीटीआई भरे) (ख12क + ख 12ख)			
क	10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूँजी अभिलाभ की प्रकृति की पास श्रु आय		ख12	
ख	20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूँजी अभिलाभ की प्रकृति की पास श्रु आय		ख12	

13	एलटीसीजी की रकम जो मद ख1 से ख12 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है								
क्रम सं.	आव की रकम	उपर मद सं. ख 1 से ख 12 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीएए की वस्तु	संघि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर [(6) या (9) के नीचे]
(9)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									
क	डीटीएए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि								ख13क
	ख डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एलटीसीजी की कुल रकम								ख13ख
14	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभार्य कुल दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (ख1ङ + ख2ङ + ख3ङ + ख4ङ + ख5च + ख6ग + ख7ङ + ख8च + ख9ग + ख9च + ख10ङ + ख11 + ख12 - ख13क) (हानि की दशा में अनुसूची सीएफएल से 9xi के अंक लें)								ख9ड
ग	“पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 10 + ख 9ड) (शून्य के रूप में ख 9ड ले यदि हानि है)								ग
घ	पूँजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना								

9	धारा 54/54 ख /54 घ/ 54ङग /54 च/54 छ/54 छक /54छ ख /115 च के अधीन कटौती के मामलों में निम्नलिखित व्योरे दें			
क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती			
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष	
ii	नये आवासीय घर की लागत	क ii		
iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष	
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	क iv		
v	दावाकृत कटौती की रकम	क v		
ख	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती			
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष	
ii	नये कृषि भूमि की लागत	ख ii		
iii	नए कृषि भूमि के क्रय की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष	
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv		
v	दावाकृत कटौती की रकम	ख v		
ग	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती			
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष	
ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत	ग ii		
iii	नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष	
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ग iv		
v	दावाकृत कटौती की रकम	ग v		
घ	धारा 54ङग के अधीन दावाकृत कटौती			
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घा	दिन/मास/वर्ष	
ii	विनिर्दिष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम	घाii		
iii	विनिधान की तारीख	घाiii	दिन/मास/वर्ष	
iv	दावाकृत कटौती की रकम	घाiv		
ङ	धारा 54 च के अधीन दावाकृत कटौती			
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ङा	दिन/मास/वर्ष	
ii	नये आवासीय घर की लागत	ङाii		
iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख	ङाiii	दिन/मास/वर्ष	
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ङाiv		
v	दावाकृत कटौती की रकम	ङाv		
च	धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती			
i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	चा	दिन/मास/वर्ष	
ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	चाii		
iii	शहरी क्षेत्र से भिन्नक्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	चाiii	दिन/मास/वर्ष	
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	चाiv		
v	दावाकृत कटौती की रकम	चाv		
छ	धारा 54छक के अधीन दावाकृत कटौती			
i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	छा	दिन/मास/वर्ष	
ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	छाii		
iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख	छाiii	दिन/मास/वर्ष	
iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	छाiv		
v	दावाकृत कटौती की रकम	छाv		
ज	धारा 115च के अधीन दावाकृत कटौती (अनिवासी भारतीय के लिए)			

	i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अर्जन की तारीख	ज i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नए विनिर्दिष्ट आस्ति या वचत प्रमाण पत्र	ज ii	
	iii	विनिहित की तारीख	ज iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	दावाकृत कटौती की रकम	ज iv	
	झ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च + 1छ + 1ज)	झ	
2	धारा 54 छ ख की अधीन कटौती की दशा में कम्पनी का पेन भरें			

उ चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा (क-8 और ख-12 में सम्मिलित डीटीए के अधीन प्रभार्य रकम के सिवाय)										
क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरें)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)	
			15%	30%	लागू दर	डीटीए दरें	10%	20%		डीटीए दरें
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली पूंजी हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब शमन किए गए अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6घ*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ग*+ आ5च*+ आ7ड*+ आ8च*+ आ9ग*+ आ12क*)	(आ1ग*+ आ2ड*+ आ3ड*+ आ6ग*+ आ9घ*+ आ10ड*+ आ11*+ आ12ख*)	आ13ख	
ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)							
iii		30%	अ5ड* + अ8ख*							
iv		लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6घ*+ अ7*+ अ8ग*)							
v		डीटीए दरें	अ9ख*							
vi		10%	आ4ग*+ आ5च*+ आ7ड*+ आ8च*+ आ9ग*+ आ12क*)							
vii	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	20%	(आ1ग*+ आ2ड*+ आ3ड*+ आ6ग*+ आ9घ*+ आ10ड*+ आ11*+ आ12ख*)							
viii		डीटीए दरें	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)							
ix	कुल हानि मुजरा (ii+iii+iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i - ix)									
इस सारणी में एसटीसीजी की संख्याएं (क1-ड* आदि) एसटीसीजी की रकमों हैं जिनकी संगणना एसटीसीजी की रकमों से हटाकर की गई है जो कर से प्रभार्य नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर प्रभार्य है, जिन्हें उनमें सम्मिलित किया गया है, यदि कोई हों										
इस सारणी में (ख1-ड* आदि) एसटीसीजी की संख्याएं एसटीसीजी की रकमों हैं जिनकी संगणना एसटीसीजी की रकमों से हटाकर की गई है जो कर से प्रभार्य नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर प्रभार्य है, जिन्हें उनमें सम्मिलित किया गया है, यदि कोई हों										
ऊ	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख		15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)			

1	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 vi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं				
2	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं				
3	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं				
4	डीटीएए दरों पर कर से प्रभार्य लघु अवधि पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 6 का मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हैं				
5	१० प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद ५ x से मूल्य भरें, यदि कोई हैं				
6	२० प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद ५ xi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं				
7	डीटीएए दरों की दर पर कर से प्रभार्य दीर्घावधि पूँजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii का मूल्य दर्ज करें				
टिप्पण	कृपया विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) जिन्हें इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते हुए अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट किया गया है।				

### अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
क	लाभांश, सकल	1क	
ख	ब्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv)	1ख	
	i वचत खाते से	खi	
	ii जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से	खii	
	iii आय-कर प्रतिदाय से	खiii	
	iv पास श्रु आय की प्रकृति की आय में	खiv	
	v अन्य	खv	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घa + घii + घiii + घiv + घv)	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घa	
	ii यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii	
	iii यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii	
	iv प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv	
	v यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv	
ङ	कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ)	2	
क	धारा 115खख के अधीन लाटरी, वर्ग पहेली आदि से जीत से आय	2क	



ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)			2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi			
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii			
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii			
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv			
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv			
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi			
ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष			2ग	
	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (घ/से घxix का योग)			2घ	
i	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी जो धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य है, द्वारा प्राप्त लाभांश	घi			
ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्थान से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज	घii			
iii	धारा 115क(1)(क)(iik) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज	घiii			
iv	धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iikक) के अधीन प्रभार्य	घiv			
v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iikख) के अधीन प्रभार्य	घv			
vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(iikग) के अधीन प्रभार्य	घvi			
vii	यूटीआई की यूनितों या धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधियों जिन्हें विदेशी मुद्रा में क्रय किया गया है, से आय - धारा 115क(1)(क)(iik) के अधीन प्रभार्य	घvii			
viii	राजस्व से आय या सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए फीस - धारा 115क(1)(ख) के अधीन प्रभार्य	घviii			
ix	बंधपत्रों से ब्याज या लाभांश के माध्यम से या अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से आय - धारा 115कग के अधीन प्रभार्य	घix			
x	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के माध्यम से आय - धारा 115कगक के अधीन प्रभार्य	घx			
xi	प्रतिभूतियों के संबंध में किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न) - धारा 115कघ(1)(i) के अधीन प्रभार्य	घxi			
xii	एफआईआई द्वारा बंधपत्रों या धारा 194 ठग में निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से आय - धारा 115कघ(1)(i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घxii			

	<b>xiii</b>	अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर - धारा 115खकक के अधीन प्रभाय	<b>घxiii</b>								
	<b>xiv</b>	कतिपय मामलों में अनाम संदान - धारा 115खखग के अधीन प्रभाय	<b>घxiv</b>								
	<b>xv</b>	विनिर्दिष्ट निर्धारिती, जो निवासी है, द्वारा देसी कंपनी से प्राप्त लाभांश के माध्यम से दस लाख रुपए से अधिक आय - धारा 115खखघक के अधीन प्रभाय	<b>घxv</b>								
	<b>xvi</b>	विकसित और भारत में रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व के माध्यम से आय - धारा 115खखच के अधीन प्रभाय	<b>घxvi</b>								
	<b>xvii</b>	कार्बन क्रेडिट के अंतरण के माध्यम से आय - धारा 115खखछ के अधीन प्रभाय	<b>घxvii</b>								
	<b>xviii</b>	किसी अनिवासी भारतीय की विनिधान आय - धारा 115ड के अधीन प्रभाय	<b>घxviii</b>								
	<b>xix</b>	कोई अन्य आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	<b>घxix</b>								
<b>ड</b>	विशेष दरों पर प्रभाय अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति की पास थ्रु आय (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाता है)									<b>2ड</b>	
<b>२च</b>	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित रकम, जो डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय है (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) का योग)									<b>2च</b>	
	क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 2क से 2ड जिसमें सम्मिलित किया जाना है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभाय नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्रास किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
<b>3</b>	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख एवं 2घ के अधीन विशेष दरों पर प्रभाय आय से संबंधित से भिन्न										
	क	व्यय / कटौतियां					<b>3क</b>				
	ख	अवक्षयण					<b>3ख</b>				
	ग	योग					<b>3ग</b>				
<b>4</b>	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम										<b>4</b>
<b>5</b>	धारा 59 के अधीन कर से प्रभाय लाभ										<b>5</b>
<b>6</b>	साधारण लागू दरों पर प्रभाय अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (1 - 3 + 4 + 5) (यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 3ख को अंक ले जाए)										<b>6</b>
<b>7</b>	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)										<b>7</b>
<b>8</b>	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय										
	क	प्राप्तियां					<b>8क</b>				
	ख	केवल 8क में प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां					<b>8ख</b>				
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम					<b>8ग</b>				
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभाय लाभ					<b>8घ</b>				
<b>ड</b>	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्टि करें)										<b>8ड</b>

9 "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें)							9
10 प्रौद्भूत / अन्य स्रोतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना							
क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15 / 6 तक	16 / 6 से 15 / 9 तक	16 / 9 से 15 / 12 तक	16 / 12 से 15 / 3 तक	16 / 3 से 31 / 3 तक	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	धारा 115खखघक के अधीन लाभांश						
2	लाटरियों, क्रासवर्ड वर्ग पहेली, दौड़ों, खेलों, जुआं, सट्टेबाजी जो धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट है, में जीत के माध्यम से आय						

**टिप्पण** - कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें

**अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे**

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची ज त का 4)	(अनुसूची ख त की मद ड का 2v)	(अनुसूची ष त का 6)	
ii	वेतन	(अनुसूची घ का 6)				
iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची ज त का 4)				
iv	कारबार से आय ( विनिर्दिष्ट कारबार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची ख त का 38)				
v	सट्टाबाजी से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 ii)				
vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9iv)				
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vi)				

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

xii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ३ का 9vii)				
xiii	डीटीएए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ३ का 9viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य खोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ग छ का 6)				
xv	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ग छ का 8 ड)				
xvi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य खोतों से आय	(अनुसूची ग छ का 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

**अनुसूची बीएफएलए पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरें**

क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	अनुसूची ग म ठ क 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख / च गृह संपत्ति हानि)			
iii	कारबार आय (सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख / च कारबार हानि सट्टेबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि)			
iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v )	(ख / च सामान्य कारबार या सट्टेबाजी से हानि )			
v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi )	(ख / च याविनिर्दिष्ट कारबार से हानि )			
vi	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग म ठ क का 5 vii )	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि )			
vii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii )	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि )			
viii	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि )			
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x )	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि )			
x	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xi)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि )			
xi	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि )			
xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiii )	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि )			
xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्थ अन्य खोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv )				
xiv	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(घुड़ दौड़ों से ख / च हानि)			

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन

Xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अन्य खोतों से कराधेय आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)				
xvi	अग्रणीत मुजरा की गई हानि का योग (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xii + 2xiv)					
xvii	कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiv + 5xv)					

अनुसूची सीएफएल		भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे								
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख (ता/ मास / वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि	अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि	अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	लघुअवधि पूंजी हानि	दीर्घअवधि पूंजी हानि	दौड़ के घोड़ों के स्वामस्वि और अनुरक्षण से हानि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
हानियों का अग्रणीत	i	2011-12								
	ii	2012-13								
	iii	2013-14								
	iv	2014-15								
	v	2015-16								
	vi	2016-17								
	vii	2017-18								
	viii	2018-19								
	ix	पूर्व वर्ष हानियों का योग ख / च								
	x	अनुसूची बीएफएलए में पूर्वोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)			(अनुसूची बीएफएलए का 2xiv)
	xi	2019-20 (चालू वर्ष की हानियां अग्रणीत की जाएं)		(अनुसूची बीएफएलए का 2xviii)	(अनुसूची बीएफएलए का 3xviii)	(अनुसूची बीपी का ख43, यदि v.ड)	(अनुसूची बीपी का ग 49, यदि v.ड)	(अनुसूची सीजी की मद ड 2x+3x+4x+5x)	(अनुसूची सीजी की मद ड 6x+7x+8x)	(अनुसूची ओएस का 8ड यदि - बीई)
	xii	अगले वर्षों में अग्रणीत की गई कुल हानि								

### अनुसूची अ.अ धारा 35(4) के अधीन अनुवशोषित क्षयण और भत्ते

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii							
iv							
v	योग		(ख च ठ क का 3xvi)			(ख च ठ क का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ पर समायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर समायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची - 10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती		
विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती				
क्र.स	उपक्रम	बहु निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन / सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है	क्र.स	कटौती की रकम
क	उपक्रम संख्या 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 व के उपाबंध क की मद 17)
ख	उपक्रम संख्या 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 व के उपाबंध क की मद 17)
ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)			ग

अनुसूची 80छ		धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे				
दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदार दान				
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान
	i					
	ii					
	iii	कुल				
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	

			नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
	i					
	ii					
	iii	कुल				
<b>ग</b>	<b>अर्हता सीमा के अध्यक्षीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान</b>					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद में संदान	अन्य रूप में रकम	कुल संदान	
	i					
	ii					
	iii	कुल				
<b>घ</b>	<b>अर्हता सीमा के अध्यक्षीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान</b>					
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैन	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
	i					
	ii					
	iii	कुल				
<b>ङ</b>	<b>कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)</b>					

**अनुसूची द क** अनुसंधान संगमों को संदान के व्यौरों आदि [धारा 35 (1)(II)या 35 (1) (IIक) या 35 (1) (III) 35(2कक) के अधीन कटौतियां संदान की पात्र रकम]

	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैन	संदान की रकम			संदान की पात्र रकम
				नकद संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					

**अनुसूची - 80झक** धारा 80झक के अधीन कटौतियां

<b>क</b>	धारा 80झक(4)(ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाषों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
<b>ख</b>	धारा 80झक(4)(iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाषों की बाबत कटौतियां (विशेष आर्थिक जोनों में औद्योगिक पार्क)	ख 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ख 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
<b>ग</b>	धारा 80झक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाषों की बाबत कटौतियां (विद्युत)	ग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)

घ	धारा 80अक(4)(v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाषों की बाबत कटौतियाँ (विद्युत उत्पादन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और	घ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
	धारा 80अक (4)(vi) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभ की बाबत कटौती (पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण ने ट बर्क)	घ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ङ	धारा 80अक के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 + क2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2+ घ1 + घ2)			ङ

## अनुसूची-80- झख

धारा 80अख के अधीन कटौतियाँ

क	जम्मू-कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ (धारा 80अख(4))	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
		क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
ख	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ (धारा 80अख(4))	ख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
		ख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
ग	औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ (धारा 80अख(5))	ग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
		ग2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
घ	मल्टी टाकप्लैक्स थिंथ ट रों की बाबत कटौतियाँ (धारा 80अख(7 क))	घ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))
		घ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))
ङ	पारंपरिक केन्द्रों की बाबत कटौतियाँ (धारा 80अख (7ख))	ङ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))
		ङ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))
च	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियाँ (धारा 80अख(9))	च1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		च2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
छ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80अख(10))	छ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		छ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ज	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो प्रशीतन श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए हैं (धारा 80अख(11))	ज1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ज2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
झ	पड्डुलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ (धारा 80अख(11क))	झ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		झ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ञ	खाद्यानों, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती (धारा 80अख(11 क))	ञ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ञ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)

धारा 80अख के अधीन कटौतियाँ



ट	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ (धारा 80अख(11 ख))	ट 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
		ट 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)	
ठ	अन्य अपवर्जित क्षेत्रों के अलावा किसी क्षेत्र में किसी अस्पताल को चलाने और व्यवस्थित करने में लगे एक उपक्रम के मामले में कटौती धारा 80अख(11ग)	ठ1	उपक्रम संख्या 1	(प्ररूप 10 गगख ग का 11(प))	
		ठ2	उपक्रम संख्या 2	(प्ररूप 10 गगख ग का 11(प))	
ड	धारा 80अख के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 से ठ2 का योग)				ड

**अनुसूची-80- झग या 80झड धारा 80झग या 80 झड के अधीन कटौतियाँ**

क	सिक्किम में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ			क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का
				क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का
ख	हिमाचल प्रदेश में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ			ख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का
				ख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का
ग	उतरांचल में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ			ग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का
				ग1	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का
घ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ					
घक	असम	घक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
		घक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
घख	अरुणचल प्रदेश	घख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
		घख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
घग	मणिपुर	घग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
		घग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
		घघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
घङ	मेघालय	घङ 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
		घङ 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
		घच2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
		घछ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)		
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियाँ (घ का 1 से घछ 2 का योग)			घज		
ड	धारा 80झग या 80झड के अधीन कुल कटौतियाँ (क + घ + ग + घज)			ड		

**अनुसूची-6 क अध्याय 6 क के अधीन कटौतियाँ**

कुल कटौतियाँ	1	भाग ख- भ ख कतिपय संदायों की बाबत कटौती				
	क	80 ग		ख	80 गगग	
	ग	80गगघ(1)		घ	80 गगघ (1ख)	
	ङ	80गगघ(2)		च	80गगछ	
	छ	80 घ		ज	80घघ	
	झ	80 घघख		ञ	80 ड	
	ट	80 ड ड		ठ	80 छ	
	ड	80छछ		ढ	80 छछग	
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से ढ का योग)					1	
2	भाग ग - कतिपय आय / अन्य कटौती की बाबत कटौती					

ण	80- झक	( अनुसूची 80 झक का ड )	त	80- झकख		
थ	80- झख	( अनुसूची 80 झख का ड )	द	80- झखक		
ध	80झग / 80झङ	( अनुसूची 80 झग / 80झङ का ड )	न	80झजक		
प	80झजकक		फ	80 थथख		
ब	80 ददख					
भाग ग के अधीन कुल कटौती (ण से ब का योग)						2
3 भाग गक और घ अन्य आय / अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती						
भ	80 ननक		म	80ननख		
य	80प					
भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (भ, म और य का योग)						3
4 अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियाँ (1 से 3 का योग)						4

## अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर

## धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियाँ	1	भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय			1
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन			
		क	शीर्ष ई के अधीन " कतिपय आय की बाबत कटौतियाँ "अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क	
		ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख	
		ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवक्षयण की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग	
		घ	कुल समायोजन (2क + 2ख + 2ग )	2घ	
	3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2घ)			3
	4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय (3) का 18.5औ (यदि 3 20 लाख रुपए से अधिक है)			4

## अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा

## धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2019-20 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर				1	
2	निर्धारण वर्ष 2019-20 (भाग-ख-कुल कर आय का 4) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर				2	
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करेँ यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करेँ				3	
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)					
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ) उ (ख3)-(ग)
		सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) उ(ख1)-(ख2)		
i	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					

	v	2017-18						
	Vi	2018-19						
	Vii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)						
	viii	योग						
5	वर्ष के दौरान धारा 115घ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट						5	
6	पश्चात्पूर्ति निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट						6	

**अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय**

विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यक्त बालक आदि) निधारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल है। (अव्यक्त बालक की आय यदि प्रति बालक 1500 रुपये से अधिक है तो शामिल की जाय)

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं.	नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है
1					
2					
3					

**अनुसूची विशेष दर**

विशेष दरों पर कर पर प्रभाष्य आय (कृपया कर की दर के लिए अन्यदेश संख्या 7 देखें )

क्रम सं.	धारा	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111 क (शेयर यूनियों पर एसटीसीजी जिस पर जहा एसटी पेय संदत्त है )	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची ख च ठ क के 5 vi का भाग)	
2	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.ii एस के लिए एसटीसीजी जहा एसटीसीजी संदत्त नहीं है )	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ख च ठ क के 5 vii का भाग)	
3	112 परन्तुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों / यूनियों पर एल टीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5 x का भाग)	
4	112(1) ( ग)(iii) ( गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल टीसीजी )	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5 x का भाग)	
5	115 कग (बंधपत्रों / जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5x का भाग)	
6	115क ग (विदेशी कंरसी में क्रम किए गए बंधपत्रों या जीडीपी आर से अनिवासी की आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण ध के 2घ ix का भाग)	
7	115 क ग क (जीडीआर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल टीसीजी ) एल टीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख च ठ क के 2घ ix का भाग)	
8	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.ii एस के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5x का भाग)	
9	115 ड (विनिर्दिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारती के लिए एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5x का भाग)	
10	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची ख च ठ क का 5x का भाग)	
11	112क (शेयर या इकाईयां जिन पर एसटीटी संदत्त है के विक्रय पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ग छ के ख 5 च और ख 8 च)	
12	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाष्य एसटीसीजी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ख च ठ क के 5ix का भाग)	

13	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ एलटीसीजी	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ख च ठ क के 5xii का भाग)
14	115खख (लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण ध के 2क का भाग)
15	115खखघक (देशी कंपनी से लाभांश जो आय 10 लाख रु0 से अधिक है)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ण ध के 2घxv का भाग)
16	115खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन)	<input type="checkbox"/>	60	(अनुसूची ण ध के 2ख)
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)			
	क कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची खत का 3ड)
	ख अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची णध का 2घxvi)
18	115खखछ(कार्वन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)			
	क मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची खत का 3च)
	ख अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची णध का 2घxvii)
19	115क(1)(ख) (रोयलिटी से अनिवासी की आय)	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ण द के 2घviii का भाग)
20	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्थ अन्य स्रोतों से आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ण ध के 2च का भाग)
21	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 15% की दर पर प्रभार्थ होगा	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ख च ठ क के 5vi का भाग)
22	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर होगा 30% की दर पर प्रभार्थ	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ख च ठ क के 5vii का भाग)
23	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 10% की दर पर प्रभार्थ होगा	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ख च ठ क के 5x का भाग)
24	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 20% की दर पर प्रभार्थ होगा	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ख च ठ क के 5xi का भाग)
25	अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्थ होगा	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ण ध का 2ड)
			योग	

**अनुसूची - आईएफ उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं**

फर्म जिनमें भागीदार हैं	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार हैं							
	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा संख्यांक	क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए दायी है (हां या नहीं)	क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां / नहीं)	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर की रकम		31 मार्च को फर्म में पूंजी अतिशेष
						i	ii	
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6	योग						

**अनुसूची-छूट प्राप्त आय**

छूट प्राप्त आय का ब्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्य न हो)

छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय					1	
	2	घरेलु कंपनी से लाभांश आय (दस लाख रुपए से अनधिक रकम)					2	
3	i	<b>शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)</b>				i		
	ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii		
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि				iii		
	iv	वर्ष (i-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)				3		
	v	5लाख रू. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथकतया ब्यौरे भरें)						
	क	जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है						
	ख	एकड़ में कृषि भूमि की पैमाइश						
	ग	क्या कृषि भूमि स्वामित्व में है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)						
	घ	क्या कृषि भूमि सिंचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)						
	4	अन्य छूट प्राप्त आय (नाबालिग बच्चे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						4
5	डीटीएए के अनुसार आय जो कर प्रभार्य नहीं है							
	क्रम. सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद		आय का शीर्ष	क्या टी आर सी अभिप्रायित किया गया है (हां/नहीं)
	I							
	II							
	III	डीटीएए से कुल आय जो कर प्रभार्य नहीं है					5	
6	कोई और आय कर प्रभार्य नहीं है, (अनुसूची पीटीआई)					6		
7	<b>योग (1+2+3+4+5+6)</b>					<b>7</b>		

**अनुसूची पीटीआई**

धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	आय की रकम	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हो	
	1.			i	गृह संपत्ति			
				ii	पूंजी अभिलाभ			
				क	अल्पकालिक अवधि			
					दीर्घकालिक अवधि			
				iii	अन्य स्रोत			
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी			
				क	धारा 10(23चखख) के अधीन			
					ख	धारा .....के अधीन		
					ग	धारा.....के अधीन		

2.				i	गृह संपत्ति			
				ii	पूजी अभिलाभ			
					क	अल्पकालिक अवधि		
					ख	दीर्घकालिक अवधि		
				iii	अन्य स्रोत			
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी			
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन		
					ख	धारा .....के अधीन		
					ग	धारा.....के अधीन		

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।

अनुसूची आय के विदेशी स्रोत				भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत							
क्र. सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख - टीआई में सम्मिलित	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (इ) = (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डी टीएए का सुसंगत अनुसूचक यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है		
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)		
1			i	वेतन							
			ii	गृह संपत्ति							
			iii	कारबार या वृत्ति							
			iv	पूजी अभिलाभ							
			v	अन्य स्रोत							
			योग								
			2			i	वेतन				
ii	गृह संपत्ति										
iii	कारबार या वृत्ति										
iv	पूजी अभिलाभ										
v	अन्य स्रोत										
योग											

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।

**अनुसूची टि.आर** भारत से बाहर संदत्त करों के लिए दावाकृत कर राहत सार का ब्यौरा

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1 दावाकृत कर राहत के ब्यारे				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत के बाहर कुल संदत्त कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ड) का योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 को विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
	योग				
	2 उस देश की बाबत जहां डी टीए लागू है, उपलब्ध कुल कर राहत ( धारा 90 / 90 क) (1 (घ) के योग का भाग)				2
	3 उस देश की बाबत जहां डी टीए लागू नहीं है, उपलब्ध कुल कर राहत ( धारा 91)(( 1 (घ) के योग का भाग )				3
	4 क्या भारत के बाहर किसी संदत्त कर जिसपर भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है, वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा प्रतिदाय / जमा की गई है ? यदि हां तो नीचे ब्यारे दें				4 हां / नहीं
	क	कर प्रतिदाय की रकम	ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।					

**अनुसूची वि.आ.** भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

क 1 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय पर धारित विदेशी जमा खातों का ब्यौरा (कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है)												
क्रम सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था का स्थान	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	खाता संख्या	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दर्शन शिखरतम शेष	बंद होते समय शेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सफल व्याज	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
क 2 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय पर धारित विदेशी अभिरक्षक खातों का ब्यौरा (कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है)												
क्रम सं.	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था का नाम	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	खाता संख्या	प्रास्थिति	खाता खोलने की तारीख	अवधि के दौरान शिखरतम शेष	बंद होते समय शेष	अवधि के दौरान खाते से संदत्त/प्रत्यय सकल रकम (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए जिसमें रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट हो जैसे कि व्याज/लाभ/श/विक्रय से प्राप्तियां या वित्तीय आस्तियों का मोचन/अन्य आय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
क 3 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय पर किसी भी अस्तित्व में धारित विदेशी साधारण शेयर और ऋण पर व्याज का ब्यौरा (कोई फायदाप्रद हित भी सम्मिलित है)												
क्रम सं.	देश का नाम	देश का कोड	अस्तित्व का नाम	अस्तित्व का पता	जिप का कोड	अस्तित्व की प्रकृति	व्याज प्राप्त करने की तारीख	विनिधान का आंशिक मूल्य	अवधि के दौरान विनिधान का शिखरतम मूल्य	बंद होते समय मूल्य	अवधि के दौरान के संदत्त/प्रत्यय कुल सकल रकम	अवधि के दौरान विक्रय या विनिधान के मोचन से कुल सकल प्राप्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												

विदेशी आस्तियों के ब्यारे





(ii)											
<b>च</b>	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।										
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोद्यूट आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
<b>छ</b>	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है										
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता		प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय				
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
(i)											
(ii)											
<b>टिप्पण</b>	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संबंध ग्रहण करें। व्यक्ति होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छान बीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।										

**अनुसूची 5क**

पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति या पत्नी का नाम						
पति / पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक						
	आय के शीर्ष	शीर्ष के अधीन प्राप्त आय	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम	(ii) की आय पर कटौती किए गए टाळडीएस की रकम प	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित टाळडीएस	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	गृह संपत्ति					
2	कारबार या वृत्ति					
3	पूंजी अभिलाभ					
4	अन्य स्रोत					
5	योग					

**अनुसूची कठ**

वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-ख में अंतर्गत से भिन्न) (उस दशा में जहां कुल आय 50 लाख रु० से अधिक है, लागू होती है)

आस्ति और दायित्व के विवरण	क	स्थावर आस्ति का ब्यौरा			
	क्रम सं.	विवरण	पता	पिन कोड	रकम (लागत) रु० में
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
ख	जंगम आस्ति का ब्यौरा				

क्रम सं०	विवरण	रकम (लागत) ₹0 में	
(1)	(2)	(3)	
(i)	आभूषण, बुलियन आदि		
(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति		
(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान		
(iv)	वित्तीय आस्ति	रकम (लागत) ₹0 में	
	(क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा राशियां)		
	(ख) शेयर और प्रतिभूतियां		
	(ग) बीमा पॉलिसी		
	(घ) ऋण और दिए गया अग्रिम धन		
	(ङ) हाथ नकदी		
ग	भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज		
क्रम सं०	फर्मों / एओपी का नाम और पता	फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या	लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारित का विनिवेश
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)			
(ii)			
घ	आस्तियों (क-ख-ग) के संबंध में दायित्व		

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।

### अनुसूची जीएसटी

जीएसटी के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना

क्रम. सं.	जीएसटी आई एन संख्या	फाईल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण कृपया प्रत्येक जीएसटी आई एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।

### भाग -ख

#### भाग ख - कुल आय

#### कुल आय की संगणना

कुल आय	1	वेतन (अनुसूची घ का 6)	1	
	2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 4)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2	
	3	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ		
	i	स ट त ट ों के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ. का क38)	3i	
	ii	स ट त ट ों के कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची- का.वृ. का ख43) (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3ii	
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची- का.वृ. का ग49) (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii	
	iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (अनुसूची ख त के ड 3 और 3 च)	3iv	
	V	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3v	
4	पूँजी अभिलाभ			
	क	अल्पकालिक		

	i	अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 ii)	क i		
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 iii)	क ii		
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9iv)	क iii		
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ के मद ड का 9v)	क iv		
	v	अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii+ क iv)	4 क v		
	ख	दीर्घकालिक			
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vi)	ख i		
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 vii)	ख ii		
	iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ के मद ड का 9 viii)	ख iii		
	iv	दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि है तो शून्य भरे )	4 ख iv		
	ग	कुल पूंजी अभिलाभ (4 क v + 4 ख iv) (यदि हानि है तो शून्य भरे )		4 ग	
5	अन्य स्रोतों से आय				
	क	अन्य स्रोतों से शुद्ध अब सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ण च का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	5 क		
	ख	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय (अनुसूचि ण ध का 2)	5 ख		
	ग	घुडदोड के स्वामिस्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूचि ण ध का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे )	5 ग		
	घ	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरे )		5 घ	
6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3व + 4 ग + 5 घ)			6	
7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गमठ क चालू वर्ष की हानि के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)			7	
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7) (अनुसूची गमठ क चालू वर्ष 3iv+5ख के स्तंभ 5 का योग)			8	
9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियां (अनुसूची खचठ क के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)			9	
10	सकल कुल आय (8-9) (अनुसूची ख च ठ क +5ख का 5xviii)			10	
11	धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है			11	
12	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ				
	क	अनुसूची 6क का भाग ख, ग क और घ [अनुसूची 6क का (1+3) और (10-11) तक सीमित]		12क	
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और (10-11-3iii) तक सीमित]		12ख	
	ग	कुल (12क + 12ख) (10-11) तक सीमित)		12ग	
13	धारा 10 क क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 क क का ग)			13	
14	कुल आय (10 -12ग -13)			14	
15	आय जो 13 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग)			15	
16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय / कोई अन्य आय (अनुसूची इआई का 3)			16	
17	कुल आय (14-15+16) (लागू होगा यदि (14-15) अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)			17	
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गचठ की पंक्ति xii का योग)			18	
19	धारा 115जग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)			19	

## भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व

## कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1				1क		
		ख	(क) पर बहिष्कार (यदि लागू है)			1ख	
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) 3 पर			1ग	
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क +1ख +1 ग)			1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर					
		क	भाग ख- ट 000 आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क			
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची द झ का (ii) का योग)	2ख			
		ग	कुषि आय पर रिबे ट (लागू होगा यदि (भाग ख- ट 000 आई कुल आय का(14-15) अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग			
		कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख- 2ग)				2घ	
		ड	धारा 87क के अधीन रिबे ट			2ड	
		च	रिबे ट के पश्चात संदेय कर (2घ - 2 ड)			2च	
		छ	अधिभार			2छ	
			i अनुसूची घड के 16(i) का @25 प्रतिशत	2छ i			
		ii [(2च)-(अनुसूची घड का 16(ii)) पर	2छ ii				
		iii कुल (i + ii)			2छiii		
	ज	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छ iii)			2ज		
	झ	कुल कर दायित्व (2च + 2छiii + 2झ)			2झ		
3	कुल कर संदेय (1घ और 2ii से उच्चतर)				3		
4	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (लागू यदि 2ii 1 घ से अधिक है)				4		
5	धारा 115अघ के अधीन मजरा के बाद कर संदेय (3 - 4)				5		
6	कर राहत						
	क	धारा 89	6क				
	ख	धारा 90 या धारा 90क (अनुसूची ल द का 2)	6ख				
	ग	धारा 91 (अनुसूची ल द का 3)	6ग				
	घ	कुल (6क + 6ख + 6ग)			6द		
7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) (शून्य भरे यदि नकारात्मक है)				7		
8	व्याज और फीस देय						
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234क)	8क				
		अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234ख)	8ख				
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए व्याज (धारा 234ग)	8ग				
	घ	आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234च)	8घ				
	ड	कुल व्याज और फीस देय (8क +8ख +8ग + 8घ)			8ड		
9	औसत दायित्व (7 + 8ड)				9		
10	संदत्त कर						
	क	अग्रिम कर (17 कू के स्तंभ 5 से)	10क				
	ख	लोच पर कर की कटौती (18ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल)	10ख				
	ग	टीसीएस (17घ का स्तंभ 7)	10ग				
	घ	स्वतः निर्धारण कर (17केस्तंभ 5 से)	10घ				
	ड	संदत्त कुल कर (10क +10ख +10ग)			10ड		
11	संदेय रकम (यदि 10ड से अधिक है तो 9 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)				11		
12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा)				12		
13	पूर्व वर्ष के दौरान भारत में किसी भी समय धारित किसी बैंक खाते के ब्यौरे (निष्क्रिय खाते को छोड़कर) (अनिवासियों की दशा में, प्रतिदाय जमा करने के प्रयोजन के लिए किसी एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे दें)						
बैंक खाता	क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आईएफएस कोड (विदेशी बैंक की दशा में (स्वीफ्ट कोड)	बैंक का नाम	खाता सं. (विदेशी बैंक खाते की दशा में आईबीएएन)	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं)		
	i						

	ii			
14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (I) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में विलीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (II) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (III) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

**15 यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:**

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.	कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर

यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम

**16**
**17 अनुसूची-आयकर**

क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रू.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
iv					

टिप्पण ► भाग ख - टीटीआई की क्रम सं. 11क और 11ग में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें।

ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या ( टैन )	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन प्रभार्य आय	कटौती किया गया कुल कर
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
ii					

टिप्पण ► कृपया भाग ख - टीटीआई के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का योग प्रविष्ट करें।

ग ख़ोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप16 क या प्ररूप 16ख / 16ग के अनुसार ]												
क्रम.सं.	स्वयं /अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.(धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 35 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन (यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरारदार या क्रेता का पैन	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस	आगे लाया गया टी.डी.एस	स्वयं द्वारा कटौती	धारा 5 क के अनुसार पति /पत्नी या नियम 35ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों दावा	धारा 5 क के अनुसार पति /पत्नी या नियम 35 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)	प्रस्तावित तत्स्थानी आय	टी.डी.एस प्रत्यय अग्रणीत किया जा रहा है।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							आय	टीडीएस	आय	टीडीएस	पैन	
i												
टिप्पण ► कृपया स्तंभ 9 का कुल भाग - ख -टी टी आई के 10 ख में प्रविष्ट करें।												

घ ख़ोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)								
टीडीएस पर आय	क्र. सं.	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक)	संग्राहक का नाम	अग्रणीत किया गया अदावकृत टीडीएस	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस	इस वर्ष दावा किए जा रहे (5)या (6) से रकम ( यदि इस वर्ष कर के लिए केवल तत्स्थानी आय प्रस्थापित की जा रही है )	अग्रणीत की जा रही (5) या (6) से रकम	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i								
ii								
टिप्पण ► कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें।								

## सत्यापन

मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं / करती हूं कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता / करती हूं कि मैं..... (ड्राप डाउन उपबंधित किया गया है) की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूं / रही हूं और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूं (यदि आवंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

हस्ताक्षर

तारीख

<b>आ.क.वि.-4 सुगम</b>	<b>भारतीय आयकर विवरणी</b> [[एलएलपी से भिन्न] व्यक्तियों, हिन्दू अविद्यक्त कुटुम्ब और प्रमों के लिए जिनकी कुल आय 50 लाख रु. तक है और जिनकी गणना धारा 44 कघ, 44कघ या 44कङ के अधीन की जाती है] [उस व्यक्तिक के लिए नहीं जो या तो कंपनी में निवेशक है या जिसने अस्वीबद्ध साधारण शेयरों में निवेश किया है] (पात्रता के लिए अनुदेश)	<b>निर्धारण वर्ष 2019-20</b>
---------------------------	--	------------------------------

भाग क सर्वसाधारण की जानकारी

ए.1 प्रथम नाम

ए.2 मध्य नाम

ए.3 अंतिम नाम

ए.4 स्थायी लेखा संख्या

ए.5 जन्म तिथि

ए.6 फ्लैट/द्वार/भवन

ए.7 परिसर/भवन/ग्राम का नाम

ए.8 मार्ग/गली/डाक-घर

ए.9 क्षेत्र/अवस्थान

ए.10 नगर/शहर/जिला

ए.11 राज्य

ए.12 देश

ए.13 पिन कोड/जिप कोड

ए.14 आधार नम्बर (12 अंक)/आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)

ए.15 प्रास्थिति

ए.16 मोबाइल नं 1 निवास/कार्यालय का एस.टी.डी. कोड सहित फोन नं 0

 व्यक्ति  हि.अवि.कु. फर्म (एलएलपी के अलावा अन्य)

ए.17 मोबाइल नं 2

ए.18 ई मेल पता - 1 (स्वयं)

ई मेल पता - 2

ए.19 रोजगार की प्रकृति -  सरकारी  सार्वजनिक सक्षिर् उपक्रम  पेंशनभोगी  अन्यए.20 धारा ...के अधीन फाइल की गई(सही का  139(1)-नियत तारीख से पूर्व,  139(4) नियत तारीख के पश्चात्,  139(5)-पुनरीक्षित विवरणी,  119 (2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात् निशान लगाएं) (कृपया अनुदेश देखिए)या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई  139(9)  142 (1)  148  153क  153ग

ए.21 यदि पुनरीक्षित / त्रुटिपूर्ण है तो सही सं 0 और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख / मास / वर्ष)

ए.22 यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग या धारा 119(2)(ख)- के प्रत्युत्तर में फाइल में किया गया है ... ऐसी सूचना या आदेश की विशिष्ट संख्या एवं तारीख दर्ज करें

ए.23 क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है  हां  नहीं  यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दे -

(1)	प्रतिनिधि का नाम	
(2)	प्रतिनिधि की हेसियत	
(3)	प्रतिनिधि का पता	
(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या	

भाग ख - सकल कुल आय

केवल संपूर्ण (₹) में

ख 1	व्यवसाय और वृत्ति से आय (टिप्पण-अनुसूची बी पी की ड 8 से मूल्य प्रविष्ट करें )			ख 1		
ख 2	<b>I</b> कुल वेतन			i		
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	ik			
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	ix			
	ग	धारा 17(3) के अनुसार	ig			
	ii	धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक न्यून भत्ते			ii	
	iii	कुल वेतन (i - ii)			iii	
	iv	धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)			iv	
	क	धारा 16 के अधीन कटौतियां ivक	ivक			
	ख	धारा 16 के अधीन (ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता ivख	ivख			
	ग	धारा 16(iii) के अधीन मनोरंजन कर ivग	ivग			
	v	वेतन शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv) (टिप्पण: अनुसूची टीडीएस आई को भरना सुनिश्चित करें)			ख 2	
ख 3	लागू विकल्प पर निशान लगाएं स्वयं के अधिभोग में <input type="checkbox"/> किराए पर <input type="checkbox"/> किराए पर समझी गई <input type="checkbox"/>					
एकल गृह संपत्ति	I	कुल प्राप्त/प्राप्य/भाटक मूल्य का किराया	i			
	ii	स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त कर	ii			
	iii	वार्षिक मूल्य (i - ii)	iii			
	iv	वार्षिक मूल्य का 30%	iv			
	v	उधार ली गई पूंजी पर संदेय व्याज	v			
	vi	वर्ष के दौरान 30% से न्यून प्राप्त बकाया किराया	vi			
	vii	गृह संपत्ति शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv - v) + vi (यदि हानि हो तो नकारात्मक अंकों में बताएं)			ख 3 ( )	
	ख 4	अन्य स्रोतों से आय टिप्पण-पृष्ठ 5 पर दी गई "अनुसूची टीडीएस2" को भरना सुनिश्चित करें यदि लागू हो न्यून धारा 57 (iiक) के अधीन कटौती				
	घटा : धारा 57(iiक) के अधीन कटौती (केवल कुदुब पेंशन की दशा में)			ख 4( )		
ख 5	सकल कुल आय (ख 1+ ख 2+ ख 3 + ख 4 )			ख 5( )		

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

यहां प्राप्ति नं० की स्टेप लगाएं

प्राप्तिकर्ता पदधारी की पुरुर, तारीख और नाम

भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय ("आय-कर अधिनियम" के अनुसार कटौतियों की रकम संबंधी सीमाओं के लिए अनुदेशों को देखिए)

ग 1	▶ ग 1	80 ग		▶ ग 2	80 गगग		▶ ग 3	80 गगघ(1)	
से									
ग 18	▶ ग 4	80 गगघ(1B)		▶ ग 5	80 गगघ(2)		▶ ग 6	80 गगघ	
	▶ ग 7	80 घ	ई-फाइलिंग यूटीलिटी में डापडाउन का उपबंध है	▶ ग 8	80 घघ	ई-फाइलिंग यूटीलिटी में डापडाउन का उपबंध है	▶ ग 9	80 घघघ	ई-फाइलिंग यूटीलिटी में डापडाउन का उपबंध है
	▶ ग 10	80 ङ		▶ ग 11	80 ङङ		▶ ग 12	80 ङ	कृपा अनुसूची 80 घ भरे



▶ ग13 80छछ

▶ ग14 80छछग

▶ ग15 80ननक

▶ ग16 80ननख

▶ ग17 80प ई-फाइलिंग यूटीलिटी में ड्रापडाउन का उपबंध है

ग 18 कुल कटौतियां (मद ग1 से ग17 को जोड़ें)

▶ ग18

ग 19 कराधेय कुल आय (ख5 - ग18)

▶ ग19 ( )

भाग घ - कर संगणना और कर प्रास्थिति

कुल आय पर संदेय कर (ग19)

धारा 87क के अधीन छूट

कुल कर और उपकर (घ1 - घ2)

घ1 से ▶ घ1

▶ घ2

▶ घ3

घ3 से

घ4 से

स्वास्थ्य और शिक्षा (घ3) पर @ 4% उपकर

कुल कर और उपकर (घ3 + घ4)

धारा 89 के अधीन राहत

घ7 से ▶ घ4

▶ घ5

▶ घ6

घ9 से

राहत के बाद अतिशेष (घ5-घ6)

धारा 234क के अधीन कुल व्याज

धारा 234ख के अधीन कुल व्याज

▶ घ7

▶ घ8

▶ घ9

धारा 234ग के अधीन कुल व्याज

धारा 234ज के अधीन शुल्क

कुल कर ,शुल्क और व्याज

(घ7+घ8+घ9+घ10+घ11)

घ12 ▶ घ10

संदत कुल अग्रिम कर

▶ घ11

संदत कुल स्वतः निर्धारित कर संदेय

▶ घ12

कर स्रोत पर कुल कटौती का दावा

(अनुसूची टीडीएसआई का स्तंभ 4 और अनुसूची

टीडीएस2 का स्तंभ 6 का कुल योग)

घ13 से ▶ घ13

स्रोत पर कुल संगृहित कर  
(अनुसूची टीडीएस का स्तंभ 5 का कुल योग)

▶ घ14

कुल पूर्व संदत कर (घ13+घ14+घ15+घ16)

▶ घ15

कुल संदेय (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)

घ16 से ▶ घ16

प्रतिदाय (घ17-घ12, यदि घ17 > घ12)

▶ घ17

▶ घ18

घ19 ▶ घ19

▶ घ20 केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय  
(यदि कृषि आय 5000/-रु से अधिक है आ.क.वि.3/5 का प्रयोग करें)  
(ई-फाइलिंग यूटीलिटी में ड्रापडाउन का उपबंध है)

▶

घ21 पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण

क्र०सं०

बैंक का आईएफएस कोड

बैंक का नाम

खाता संख्या

इंगित करें (प्रतिदाय के लिए एक खाते पर निशान लगाए)

1▶		▶		▶		▶	
2▶		▶		▶		▶	

अनुसूची बी.पी. -- व्यवसाय या वृत्ति से आय के ब्यौरे

**धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक कारबार आय की संगणना**

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	कारबार कोड	वर्णन
(i)			
ड 1	सकल आवतें या सकल प्राप्तियां		
	क विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व पाने वाले के खाते में देय बैंक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन के माध्यम से प्राप्ति	▶ ड 1क	
	ख कोई अन्य प्रणाली	▶ ड 1ख	
ड 2	44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय		
	क ड 1क का 6% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम जो भी उच्चतर हो	▶ ड 2क	
	ख ड 1ख का 8% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम जो भी उच्चतर हो	▶ ड 2ख	
	ग कुल (क + ख)	▶ ड 2ग	
टिप्पण -- यदि सकल प्राप्तियों की उपर्युक्त प्रतिशतता से कम आय है तो 44 कघ के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है और नियमित आईटीआर 3 या 5 को भरना है न कि इस फार्म को			

**धारा 44कघ के अधीन वृत्तियों उपधारणात्मक आय की गणना**

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	कारबार कोड	वर्णन
(i)			
ड 3	सकल प्राप्तियां		▶ ड 3
ड 4	धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय (ई 3 का 50%) या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम जो भी उच्चतर हो		▶ ड 4
टिप्पण—यदि सकल प्राप्ति के 50% से कम आय है, तो 44कघ के अधीन संपरीक्षा आज्ञापक है और नियमित आईटीआर 3 या 5 को भरना है न कि इस फार्म को			

**धारा 44कड के अधीन माल वाहनों उपधारणात्मक आय की संगणना**

क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	कारबार कोड	वर्णन
(i)			
	माल वाहन की रजिस्ट्रीकरण सं.	क्या स्वामित्व/ पट्टे पर/किराए पर ली है	माल वाहन की टनेज क्षमता (मी.ट.में)
	उन महीनों की संख्या जिनके लिए माल वाहन निर्धारित दाय स्वामित्व/पट्टे/किराए पर था	धारा 44कड के अधीन माल वाहन के लिए उपधारणात्मक आय (टनेज 12 मी.ट.से अधिक होने पर 1000 रु. प्रति टन प्रति मास पर संगणित या अन्यथा 7500 रु. प्रति मास) या वास्तविक रूप से अर्जित दावा की गई रकम जो भी अधिक हो	
(i)	(1)	(2)	(3)
(क)			
(ख)			
जितना आवश्यक हो उतनी पंक्तियां जोड़ने का विकल्प (अधिकतम 10 तक)			

ड 5	धारा 44कड के अधीन माल वाहनों से उपधारणात्मक आय [स्तंभ (5) का योग ] टिप्पण-यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित लाभ से कम है या किसी समय स्वामित्वाधीन वाहनों की संख्या 10 से अधिक है, तो नियमित आकवि-4 भरा जाना है, न कि यह प्ररूप	▶ ड 5	
ड 6	भागीदार को संदत्त वेतन और ब्याज टिप्पण- यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाएगा	▶ ड 6	
ड 7	धारा 44 कड (ई-5-ई-6) के उपधारणात्मक आय	▶ ड 7	
ड 8	व्यवसाय या वृत्ति के अधीन प्रभार्य आय (ड 2ग + ड 4+ ड 7 )	▶ ड 8	
माल और सेवाकर के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संदर्भ में सूचना टिप्पण- प्रत्येक जीएसटीआइएन संख्या के नीचे सूचना दें-			
ड 9	जीएसटीआइएन सं. (संख्याएं)	▶ ड 9	
ड 10	फाईल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों की वार्षिक मूल्य	▶ ड 10	
कारबार की वित्तीय विशिष्टियां टिप्पण-ड 11 से ड 25 के लिए, 31 मार्च, 2019 को यथाविद्यमान जानकारी दें (यदि लागू हों)			
R 11	भागीदारों/सदस्यों की स्वयं की पूंजी	▶ ड 11	
R 12	प्रतिभूत ऋण	▶ ड 12	
R 13	अप्रतिभूत ऋण	▶ ड 13	
R 14	अग्रिम राशि	▶ ड 14	
R 15	विविध लेनदार	▶ ड 15	
R 16	अन्य दायित्व	▶ ड 16	
R 17	कुल पूंजी और दायित्व (R 11+ R 12+ R 13+ R 14+ R 15+ R 16)	▶ ड 17	
R 18	सावधि आस्तियां	▶ ड 18	
R 19	तालिकाएं	▶ ड 19	
R 20	विविध ऋणी	▶ ड 20	
R 21	बैंक के अतिशेष	▶ ड 21	
R 22	हाथ में नकदी	▶ ड 22	
R 23	उधारा और अग्रिम राशि	▶ ड 23	
R 24	अन्य आस्तियां	▶ ड 24	
R 25	योग आस्तियां (R 18+ R 19+ R 20+ R 21+ R 22 + R 23 + R 24)	▶ ड 25	
टिप्पण	इस सूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रति निर्देश करें (R 15, R 19, R 20, R 22 आज्ञापक हैं)		

## अनुसूची 80छ

धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नगद में दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नगद में दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ग	अर्हता सीमा के अध्यधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नगद में दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
		i					
	ii						
	iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	
			नगद में दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान		
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)						

अनुसूची-आयकर		आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदायों के ब्यौरे																						
		बीएसआर कोड (स्तंभ i)					निक्षेप की तारीख (स्तंभ ii)					चालान सं. (स्तंभ iii)					संदत्त कर (स्तंभ iv)							
आर 1																								
आर 2																								
आर 3																								
आर 4																								
आर 5																								
टिप्पण ▶		(1) घ14 और घ15 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।																						

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर संग्रहित कर का ब्यौरा [संग्रहक(कों) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]					
क्रम. सं०.	कलक्टर का कर संग्रह खाता संख्या	कलक्टर का नाम	फार्म 26 ए एस में वर्णित देय रकम के ब्यौरे	संग्रहित कर	दावाकृत कुल (4) में रकम
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
टिप्पण ▶ कृपया डी17 में अनुसूची-टीसीएस के कुल स्तंभ (5) की प्रविष्टि करें					

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]				
	कर कटौती खाता संख्या (टैन) (स्तंभ i)	नियोजक का नाम (स्तंभ ii)	वेतन के अधीन आय (स्तंभ iii)	कटौती किया गया कर (स्तंभ iv)
एस 1				
एस 2				
एस 3				
टिप्पण (1) कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (iv) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 9 के स्तंभ (vii) का योग घ16 में प्रविष्ट करें।				

वेतन से भिन्न आय के स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता/(करदाताओं) द्वारा जारी प्ररूप 16क या उनके द्वारा दिया गया प्ररूप 16ग के अनुसार								
क्र.सं.	कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार का पैन	अंग्रेषित अदावाकृत स्रोत पर कर कटौती		चालू वित्तीय वर्ष की स्रोत पर कर कटौती	इस वर्ष दावा की जा रही स्रोत पर कटौती (केवल तब जब तस्थानी आय कर के लिए आमंत्रित की गई हो)	आमंत्रित तस्थानी आय		अंग्रेषित स्रोत पर कर कटौती
		कटौती का वित्तीय वर्ष	अंग्रेषित स्रोत पर कर कटौती	कटौती किया गया स्रोत पर कर कटौती	दावा की गई स्रोत पर कर कटौती	कुल रकम	आय का सीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								

## सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता / करती हूँ कि मैं.....की हेसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ / रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूँ (यदि आवंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें➔

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय)	कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत्त की जाने वाली राशि	कर विवरणी तैयारकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप आ.क.वि-5	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष					
	(i) व्यष्टि (ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति] (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें) (कृपया अनुदेश देखें)	2	0	1	9	-	2

भाग क-साधारण		साधारण					
व्यक्तिगत जानकारी	नाम	स्थायी लेखा संख्यांक					
	क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें	एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो,					
	फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	विरचना की तारीख (दि.मा.व)				
			कारबार प्रारंभ होने की तारीख (दि.मा.व)				
	सड़क/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान	प्रारस्थिति (फर्म-1 उप प्रास्थिति-भागीदारी फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकारी-2, एओपी/बीओआई-3 उप प्रास्थिति-अन्य सहकारी बैंक, अन्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860यया उस राज्य की तत्स्थानी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी/सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, आयकर विवरणी 7 में विवरणी फाइल करने के पात्र न्यास से भिन्न न्यास, अन्य कोई एओपी/बीओआई, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-4, उप-प्रास्थिति-मृतक की संपदा, दिवालिया की संपदा, अन्य एजेपी), कारबार न्यास-5, विनिधान निधि:6	<input type="checkbox"/>			
	नगर/शहर/जिला	राज्य	पिनकोड/ जिप कोड				
		देश					
	निवास/कायालय का फोन नं० एसटीडी कोड सहित मोबाइल सं० 1			मोबाइल सं० 2			
	ई-मेल पता-1			ई-मेल पता-2			
	फाइल करने की प्रास्थिति	(क) धारा के अधीन फाइल (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख) के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।				
या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई		<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153क, <input type="checkbox"/> 153ग					
क्या आप एक कारबार न्यास हैं?		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					

	क्या आप धारा 115 पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं?	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं										
(ख)	यदि पुनरीक्षित उपांतरित करने के लिए सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं० और फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)		/ /										
(ग)	यदि धारा 139(9) /142(1)/148/153क/153ग, 119(2)(ख) के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल किया गया है तो ऐसी सूचना /आदेश की तारीख भरें, या धारा 92गघ के अधीन फाइल है तो अग्रिम कीमत करार की तारीख भरें		/ /										
(घ)	निवास संबंधी प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी												
(ङ.)	क्या निर्धारित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है और आय एकमात्र संपरिवर्तनीय विदेशी विनिमय में प्राप्त करता है?												
(च)	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं										
(छ)	यदि हां तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें												
(ज)	क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है?	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं										
(झ)	यदि हां तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें												
(ञ)	अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं												
(ट)	क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें।												
(ठ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--												
	(1) प्रतिनिधि का नाम												
	(2) प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन उल्लिखित करें)												
	(3) प्रतिनिधि का पता												
	(4) प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक												
(ड)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें												
	फर्म का नाम		स्थायी लेखा संख्यांक										
(ढ)	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें												
	कंपनी का नाम	स्थायी लेखा संख्यांक	आरंभिक अतिशेष	वर्ष के दौरान अर्जित अंश	वर्ष के दौरान अंतरित अंश	अंत अतिशेष							
			अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति अंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं												
ख	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं, यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें												



ग	यदि (ख) हां है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेखाकार द्वारा की गई है ? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं,								
	(i)	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) / /							
	(ii)	कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम							
	(iii)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या							
	(iv)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)							
	(v)	संपत्तिक/ फर्म) रजिस्ट्रीकरण संख्या							
	(vi)	संपत्तिक/फर्म) लेखा परीक्षक का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं०)							
	(vii)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख							
(घ)	क्या आप धारा 92ड के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख दिन/मास/वर्ष				
(घा)	यदि आयकर अधिनियम के अधीन अन्य संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ? (दिन/मास/वर्ष) (कृपया अनुदेश 6(ii) देखें)								
	क्रम संख्यांक.	सेक्शन को ड				तारीख (दिन/मास/वर्ष)			
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?								
	अधिनियम और धारा		(दिन/मास/मास)		अधिनियम और धारा		(दिन/मास/मास)		
अ.	क्या पूर्ववर्ष के दौरान फर्म/एओपी/बीओआई के भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (समितियों और सहकारी बैंक की दशा में प्रबंध समितियों के व्योरे दें) यदि हां, निम्नलिखित व्योरे उपबंधित करें ।								
	क्र.सं.	भागीदार/सदस्य का नाम	प्रवेश/निवृत्ति	प्रवेश/निवृत्ति की तारीख	अंश का प्रतिशत (यदि अवधार्य हो)				
	1.								
	2.								
आ	क्या एओपी/बीओआई /एजेपी का निष्पादक विदेशी कंपनी है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं								
इ	यदि हां तो एओपी/बीओआई /एजेपी के निष्पादक में विदेशी कंपनी के शेयर की प्रतिशतता का उल्लेख करें (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
ई	क्या एओपी/बीओआई/एजीपी के निष्पादक के किसी सदस्य की कुल आय (ऐसी संगम या निकाय /एजेपी के निष्पादक से उसके शेयरों को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस सदस्य के मामले में कर से प्रभार्य नहीं है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं								
उ.	व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2019 या विघटन की तारीख को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार /सदस्य या न्यास में व्यवस्थापक /न्यासी /फायदाग्राही या मृतक की संपदा या दिवालिया की संपदा की दशा में निष्पादक था								
	क्र.सं.	नाम और पता	शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)	स्थायी लेखा संख्या	आधार संख्या/नामांकन पहचान (यदि आधार हेतु पात्र है)	एलएलपी में भागीदार की दशा में, अभिहित भागीदार पहचान संख्या	प्रास्थिति (कृपया निदेश 6 देखें)	पूँजी पर ब्याज की दर	संदत्त/संदेय पारिश्रमिक
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

धारा 160 (1) (III) या (IV) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए	च	धारा 160 (1) (III) या (IV) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है							
	1	क्या हिताधिकारी के शेषर अवधारित या ज्ञात हैं ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रूप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (यथा लागू):							
	(i)	क्या सभी हिताधिकारियों की आय आधारभूत छूट सीमा के नीचे है?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रूप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रूप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?						<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
	कारबार का स्वरूप	छ	कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड. के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)						
क्र.सं.		कोड (कृपया अनुदेश देखें)	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो				वर्णन		
(i)									
(ii)									

भाग क-बीएस

31 मार्च, 2019 या त्रिघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)

निधियों के स्रोत	अ	निधियों के स्रोत						
	1	भागीदार/सदस्यता निधि						
	क	भागीदार/सदस्यता पूंजी						क
	ख	आरक्षितियां और अधिशेष						
	i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खां					
	ii	पूंजी आरक्षिति	खाii					
	iii	कानूनी आरक्षिति	खाiii					
	iv	कोई अन्य आरक्षिति	खाiv					
	v	लाभ और हानि लेखा का जमा शेष	खv					
	vi	योग (खां+खाii+खाiii+खाiv+खv)						खvi
ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क +खvi)						1ग	
2	ऋण निधि							
क	प्रतिभूत ऋण							

	i	विदेशी करेंसी में ऋण	कां		
	ii	रुपए में ऋण			
		अ बैंकों से	iiअ		
		आ अन्य से	iiआ		
		इ योग (iiiअ+iiiआ)	iiइ		
	iii	कुल प्रतिभूत ऋण (कां+ii ई)		कiii	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (निकेप सहित)			
	i	विदेशी मुद्रा ऋण	कां		
	ii	रुपया ऋण			
		अ बैंकों से ऋण	iiअ		
		आ आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	iiआ		
		इ अन्य से	iiइ		
		ई कुल रुपया ऋण (ii+ii+ii+ii इ)	iiई		
	iii	कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii घ)		खiii	
	ग	कुल ऋण निधि (कांiii + खiii)		2ग	
3	आस्थगित कर दायित्व		3		
4	अग्रिम				
i	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	i			
ii	अन्य से	ii			
iii	कुल अग्रिम (i+ii)		4iii		
5	निधि के स्रोत (1ग+2ग+3+4iii)		5		
आ	निधियों का उपयोग				
1	नियत आस्तियां				
	क सकल :ब्लॉक	1क			
	ख अवक्षयण	1ख			
	ग शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	1ग			
	घ प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ			
	ङ योग (1ग+1घ)		1 ङ		
2	विनिधान				
	क दीर्घकालिक विनिधान				
	i संपत्ति में विनिधान	i			
	ii साम्या लिखत				
	अ सूचीबद्ध साम्या	iiअ			
	आ असूचीबद्ध साम्या	iiआ			
	इ योग	iiइ			
	iii अधिमानी शेयर	iii			
	iv सरकारी या न्यास संपत्तियां	iv			
	v डिबेंचर या बंधपत्र	v			

निधियों का उपयोग

		vi	पारस्परिक निधियां	vi			
		vii	अन्य	vii			
		viii	कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii+iii+iv+v+vi+vii)			कviii	
ख	अल्पकालिक विनिधान						
	i	साम्या लिखत					
	अ	सूचीबद्ध साम्या		iअ			
	आ	असूचीबद्ध साम्या		iआ			
	इ	योग		iइ			
	ii	अधिमानी शेयर		ii			
	iii	सरकारी या न्यास संपत्तियां		iii			
	iv	डिबेंचर या बंधपत्र		iv			
	v	पारस्परिक निधियां		v			
	vi	अन्य		vi			
	vii	कुल दीर्घकालिक विनिधान (iइ+ii+iii+iv+v+vi)				खvii	
	ग	कुल विनिधान (कviii+खvii)				2ग	
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम						
	क	चालू आस्तियां					
	i	सूचियां					
	अ	कच्चा माल		iअ			
	आ	प्रगतिगत स्टॉक		iआ			
	इ	तैयार माल		iइ			
	ई	व्यापारगत स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में)		iई			
	उ	भंडार/पैकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य		iउ			
	ऊ	खुले औजार		iऊ			
	ए	अन्य		iए			
	ऐ	योग (iअ+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ+iए)				iऐ	
	ii	विविध देनदार					
	अ	एक से वर्ष से अधिक के लिए बकाया		iiअ			
	आ	अन्य		iiआ			
	इ	कुल विविध लेनदार				iiइ	
	iii	नकदी और बैंक अतिशेष					
	अ	बैंक में अतिशेष		iiiअ			
	आ	हाथ में नकदी		iiiआ			
	इ	अन्य		iiiइ			
	ई	कुल नकद और नकद समतुल्य (iiiअ+iiiआ + iiiइ)				iiiई	
	iv	अन्य चालू आस्तियां				कiv	
	v	कुल चालू आस्तियां (iऐ+iiइ+iiiई+कiv)				कv	

	ख	ऋण और अग्रिम				
	i	नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खा			
	ii	निक्षेप, उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य	खाii			
	iii	राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष	खाiii			
	iv	योग (खा + खाii + खाiii)	खाiv			
	v	खाiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए है				
		क कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए	vक			
		ख कारवार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए नहीं	vख			
	ग	योग (कv+खाiv)		3ग		
	घ	विद्यमान दायित्व और उपबंध				
		i	विद्यमान दायित्व			
			अ	विविध लेनदार		
			1	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	1	
			2	अन्य	2	
			3	योग (1+2)	अ3	
			आ	षट्पट्टित् आस्तियों के लिए दायित्व	iआ	
			इ	ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज और शोध	iइ	
			ई	ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज किन्तु शोध नहीं	iई	
			उ	अग्रिम में प्राप्त आय	iउ	
			ऊ	अन्य संदेय	iऊ	
		ए	योग (अ3+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ)	iए		
	ii	उपबंध				
		अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ		
		आ	छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्षिता/उपदान के लिए उपबंध	ii आ		
		इ	अन्य उपबंध	ii इ		
		ई	योग (iiअ+iiआ +iiइ)	iiई		
	iii	योग (iउ+ iiई)		घiii		
	ङ	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-घiii)		3ङ		
	4	क	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
		ख	आस्थागत कर आस्ति	4ख		
		ग	लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशेष	4ग		
		घ	योग (4क + 4ख + 4ग)	4घ		
	5	निधियों के उपयोग का योग (1ङ+2ग+3ङ+4घ)		5		
लेखा न होने की दशा	ग	उस दशा में, जहां कारवार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, वहां कारवार या वृत्ति की बाबत 31 मार्च, 2019 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें				
		1	विविध देनदारों की कुल रकम	ग1		
		2	विविध लेनदारों की कुल रकम	ग2		

	3	व्यवसायगत स्टॉक की कुल रकम	ग3	
	4	नकद अतिशेष की रकम	ग4	

भाग अ-विनिर्माण  
लेखा

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

1	आरंभिक सूची			
	क	i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i
		ii	प्रगति हो रहे कार्य आरंभिक स्टॉक	ii
		योग (i + ii)		क.iii
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)		ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी		ग
	घ	प्रत्यक्ष व्यय (घ. i + घ. ii + घ. iii)		घ
		i	आवक बहन व्यय	i
		ii	बिजली और ईंधन	ii
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii
	ड.	कारखाना अधिव्यय		
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i
		ii	कारखाना किराया और दर	ii
		iii	कारखाना बीमा	iii
		iv	कारखाना ईंधन और बिजली	iv
v		कारखाना साधारण व्यय	v	
vi		कारखाना मशीनरी का अवक्षयन	vi	
योग (i+ii+iii+iv+v+vi)		ड. vii		
च	विनिर्माण खाते से विकलन का योग (क.iii+ख+ग+घ+ड. vii)		च	
2	अंत स्टॉक			
	i	कच्ची सामग्री	2i	
	ii	प्रगति रत कार्य	2ii	
योग (2i + 2ii)		2		
3	उत्पादित माल की लागत -व्यापार लेखा में अंतरित (1च-2)		3	

भाग अ- व्यापार  
लेखा

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए व्यापार लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

4	प्रचालन से राजस्व	
---	-------------------	--

व्यापार लेखा से विकलत	क	विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो)			
		I	माल का विक्रय	i	
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii	
		III	अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
		क		iiiक	
		ख		iiiख	
		ग	योग (IIIक + IIIख)	iiiग	
		iv	योग (i + ii + iiiग)		कiv
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्तियां			ख
	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर			
		I	संघ उत्पाद शुल्क	i	
		ii	सेवा कर	ii	
		III	वैट/विक्रय कर	III	
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv	
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v	
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
	viii	कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	viii		
	ix	योग (i + ii + III + iv + v + vi + vii + viii)		गix	
	घ	प्रचालन से कुल राजस्व(कiv + ख + गix)		4घ	
5	तैयार स्टकों का अंतिम स्टक			5	
6	व्यापार लेखा में जमा का योग(4घ + 5iv)			6	
7	तैयार मालों का आरंभिक स्टक			7	
8	ऋय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो)			8	
9	प्रत्यक्ष व्यय (9I + 9II + 9III)			9	
	i	आवक वहन व्यय	i		
	ii	विजली और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है	iii		
10	माल और सेवाओं के ऋय के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				

	<b>i</b>	सीमा शुल्क	<b>10i</b>		
	<b>ii</b>	प्रति शुल्क	<b>10ii</b>		
	<b>iii</b>	विशेष अतिरिक्त शुल्क	<b>10iii</b>		
	<b>iv</b>	संघ उत्पाद शुल्क	<b>10iv</b>		
	<b>v</b>	सेवा कर	<b>10v</b>		
	<b>vi</b>	वेट/विक्रय कर	<b>10vi</b>		
	<b>vii</b>	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	<b>10vii</b>		
	<b>viii</b>	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	<b>10viii</b>		
	<b>ix</b>	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	<b>10ix</b>		
	<b>x</b>	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	<b>10x</b>		
	<b>xi</b>	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	<b>10xi</b>		
	<b>xii</b>	योग ( <b>10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi</b> )		<b>10xii</b>	
<b>11</b>		उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित		<b>11</b>	
<b>12</b>		कारबार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित		<b>12</b>	

भाग अ-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

	<b>13</b>	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ		<b>13</b>	
	<b>14</b>	अन्य आय			
	<b>i</b>	किराया	<b>i</b>		
	<b>ii</b>	कमीशन	<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	लाभांश आय	<b>iii</b>		
	<b>iv</b>	ब्याज आय	<b>iv</b>		
	<b>v</b>	स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ	<b>v</b>		
	<b>vi</b>	प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारित प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ	<b>vi</b>		
	<b>vii</b>	अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ	<b>vii</b>		
	<b>viii</b>	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	<b>viii</b>		
	<b>ix</b>	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)	<b>ix</b>		
	<b>x</b>	कृषि-आय	<b>x</b>		
	<b>xi</b>	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क	<b>xक</b>		
		ख	<b>xख</b>		

लाभ और हानि लेखा को जमा



	ग	योग (xiक + xiख)	xiग		
	xii	अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+ xiग)			14xii
15		लाभ और हानि लेखा को जमा का योग(13+14xii)			15
16		जावक भाड़ा व्यय			16
17		भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग			17
18		बिजली और ईंधन			18
19		किराया			19
20		भवन की मरम्मत			20
21		मशीनरी की मरम्मत			21
22		कर्मचारियों को प्रतिकर			
	i	वेतन और मजूरी	22i		
	ii	बोनस	22ii		
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
	v	अवकाश यात्रा लाभ	22v		
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
	vii	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii		
	viii	मान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
	x	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है	22x		
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर ( 22i का 22x योग)			22xi
	xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं	
		यदि हां तो , अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख		
23		बीमा			
	i	चिकित्सा बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	प्रमुख व्यक्ति बीमा	23iii		
	iv	कारखाना, कार्यालय, कार, मालों आदि सहित अन्य बीमा	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय(23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24		कर्मकारों और कर्मचारी कल्याण व्यय			24

25	मनोरंजन			25	
26	आतिथ्य			26	
27	सम्मेलन			27	
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन के सिवाय)			28	
29	विज्ञापन			29	
30	कमीशन				
	I	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	II	अन्यों को	ii		
	III	योग (I + II)		30III	
31	स्वामिस्व				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	III	योग I (I + II)		31III	
32	वृत्तिक /परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	I	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	III	योग (I + II)		32III	
33	होटल, भोजन तथा आवास			33	
34	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय			34	
35	विदेश यात्रा व्यय			35	
36	प्रवहण व्यय			36	
37	टेलीफोन व्यय			37	
38	अतिथि गृह व्यय			38	
39	क्लब व्यय			39	
40	उत्सव समारोह व्यय			40	
41	छात्रवृत्ति			41	
42	दान			42	
43	संदान			43	
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)				

	<b>i</b>	संघ उत्पाद शुल्क	<b>44i</b>			
	<b>ii</b>	सेवा कर	<b>44ii</b>			
	<b>iii</b>	वेट/विक्रय कर	<b>44iii</b>			
	<b>iv</b>	उप कर	<b>44iv</b>			
	<b>v</b>	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	<b>44v</b>			
	<b>vi</b>	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	<b>44vi</b>			
	<b>vii</b>	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	<b>44vii</b>			
	<b>viii</b>	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	<b>44viii</b>			
	<b>ix</b>	एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर	<b>44ix</b>			
	<b>x</b>	संदत्त या संदेय कुल दर और कर <b>(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)</b>		<b>44x</b>		
<b>45</b>	संपरीक्षा फीस				<b>45</b>	
<b>46</b>	फर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक				<b>46</b>	
<b>47</b>	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
	<b>i</b>		<b>i</b>			
	<b>ii</b>		<b>ii</b>			
	<b>iii</b>	<b>योग (i + ii)</b>		<b>47iii</b>		
<b>48</b>	अशोध्य ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)					
	<b>i</b>			<b>48i</b>		
	<b>ii</b>			<b>48ii</b>		
	<b>iii</b>			<b>48iii</b>		
	<b>iv</b>	अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है		<b>48iv</b>		
	<b>v</b>	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)		<b>48v</b>		
	<b>vi</b>	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)		<b>48vi</b>		
	<b>vii</b>	कुल अशोध्य ऋण <b>48i + 48ii + 48iii + 48iv + 48v + 48vi)</b>		<b>48vii</b>		
<b>49</b>	अशोध्य संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध				<b>49</b>	
<b>50</b>	अन्य उपबंध				<b>50</b>	
<b>51</b>	व्याज के पूर्व लाभ, अवक्षयण <b>[15 - (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48vii + 49 + 50)]</b>				<b>51</b>	
<b>52</b>	व्याज					
	<b>i</b>	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर संदत्त या भारत के भीतर संदत्त	<b>i</b>			

	ii अर्थों को		ii			
	iii योग (I + II)					52iii
53	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण				53	
54	करों के पूर्व शुद्ध लाभ(51 - 52iii - 53)				54	
कर और विनियोजनों के लिए उपबंधों का प्रावधान	55	चालू कर के लिए उपबंध				55
	56	आस्थगित कर और आस्थगित दायित्व के लिए उपबंध				56
	57	कर के पश्चात् लाभ(54 - 55 - 56)				57
	58	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत अतिशेष				58
	59	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम(57 + 58)				59
	60	आरक्षित और अतिशेष में अंतरित				60
	61	स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रणीत अतिशेष (59 - 60)				61
62	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)					
उपधाराणात्मक आय मामले	क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
	(i)	सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां (ik + iख)			62i	
	क	खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन पद्धति जो विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त है के द्वारा	ik			
	ख	किसी अन्य ढंग से	iख			
	(ii)	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iiक+ iiख)			62ii	
	क	62क का 6% या अर्जित दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiक			
	ख	62ख का 8% या दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iiख			
	टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन, के उपरोक्त प्रतिशत से कम हों तो लेखा वही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है					
63	धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों से उपधाराणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)					

क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण	
(i)	सकल प्राप्तियां			63i
(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (63i का 50% , या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)			63ii
टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियों के 50% से कम आय हो तो लेखा वही अनुरक्षित करना और धारा 44कघक के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है				
64	धारा 44कड. के अधीन मालों के बहन से उपधाराणात्मक आय की संगणना			

क्रम सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड	विवरण	
	माल वहन की रजिस्ट्रीकरण संख्या	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टे या भाड़े पर है	माल वहन की टन भार क्षमता(मी.ट.में)	मासों की संख्या जिसके लिए निर्धारिती द्वारा माल को स्वामित्व/पट्टे/भाड़े पर लिया गया	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (टन भार के 12 मी.ट. से अधिक होने पर 1000 रुपया प्रति टन प्रतिमास या, अन्यथा 7500 रु. प्रतिमास) या दावाकृत वास्तविक अर्जित रकम, जो भी अधिक हो
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)					
(ख)					
यथा आवश्यक लाइन जोड़ने का विकल्प (अधिकतम 10 तक )					
(ii)	धारा 44कड. के अधीन मालवहन से कुल उपधाराणात्मक आय [सारणी 64(i) के स्तंभ (5) का योग]				64(ii)
(iii)	कमी: वेतन/फर्म के भागीदारों को पारिश्रमिक				64(iii)
(iv)	धारा 44कड. के अधीन कुल उपधाराणात्मक आय (ii-iii)				64(iv)
टिप्पण—यदि धारा 44कड. के अधीन विहित से नीचे लाभ है या वर्ष के दौरान किसी समय स्वामित्वाधीन मालों के वहन की संख्या दस से अधिक है तब नियमित आईटीआर 3 या आईटीआर 5 प्ररूप भरना पड़ेगा					
65	यदि कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा वही अनुरक्षित नहीं होती है तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्वतन वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें				
(i)	कारबार कर रहे निर्धारिती के लिए				
a	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)			क	
1	खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रानिक समाशोधन पद्धति जो विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त है के द्वारा किसी अन्य ढंग से			क1	
2	किसी अन्य ढंग से			क2	
ख	सकल लाभ			ख	
ग	व्यय			ग	
घ	शुद्ध लाभ				65i
(ii)	वृत्तिरत निर्धारिती के लिए				
क	सकल प्राप्तियां (क1 + क2)			क	
1	खाते में देय चेक या खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रानिक समाशोधन पद्धति जो विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त है के द्वारा किसी अन्य ढंग से			क1	
2	किसी अन्य ढंग से			क2	
ख	सकल लाभ			ख	
ग	व्यय			ग	

	घ शुद्ध लाभ	65ii
	(iii) कुल लाभ (65i + 65ii)	65iii
66	i सट्टा क्रियाकलाप से आवर्तन	66i
	ii सकल लाभ	66ii
	iii व्यय, यदि कोई हो	66iii
	iv सट्टा क्रियाकलाप से शुद्ध आय (66ii - 66iii)	66iv

## भाग क- अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)

अन्य जानकारी

1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद	
2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11क (iii)]	3क
3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11ख(iii)]	3ख
4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति	
	क कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	ख तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	ग क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)	
	घ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ
	ङ धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ
5	लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई रकम, जो-	
	क धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क
	ख प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धि कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख
	ग पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
	घ आय की कोई अन्य मद	5घ
	ङ पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ
	च लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखों में विकलित रकम	
	क स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत प्रीमियम [36(1)(i)]	6क
	ख कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख
	ग किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभाना के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग
	घ उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत व्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ

ड	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)]	6ड	
च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
छ	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
ज	धारा 80 गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदाय की रकम [36(1)(iv क)]	6ज	
झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदाय के रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)]	6ट	
ठ	डूबत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
ड	डूबत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड	
ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
त	प्रतिभूतियों में संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार से आय में शामिल नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त	
थ	धारा 145(2) [36(1)(xvii)] के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	6थ	
द	सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)]	6 द	
ध	कोई अन्य अननुज्ञेय	6 ध	
न	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6घ का योग)	6 न	
प	नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारितों की मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के मामले में बाध्यकारी)		
	i भारत में तैनात	i	
	ii भारत से बाहर तैनात	ii	
	iii योग	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
ख	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	7ख	
ग	व्यय जो अधिकथित या अनन्य रूप से कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ	
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7छ	
ज	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)	7ञ	
8	अ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		
	क अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i), के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	

ख	अध्याय XVII-ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क) (i) के अधीन अनुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख	
ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अनुज्ञात योग्य रकम	अग	
घ	अध्याय XVII-ख के उपबंधों के अनुसरण के लेखे धारा 40(क) (iii) के अधीन अनुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ	
ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)]	अङ	
च	घनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(ii) क]	अच	
छ	राजस्व, अनुज्ञप्ति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(ii) के अनुसार संदत्त रकम	अछ	
ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)]	अज	
झ	कोई अन्य अनुज्ञेय	अझ	
ञ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)	8अझ	
आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम	8आ	

9 धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें			
क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क	
ख	धारा 40क(3) के अधीन अनुज्ञेय, लेखा आदाता बैंक या लेखा आदाता बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निकासी पद्धति के प्रयोग के सिवाए संदत्त रकम	9ख	
ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग	
घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारित द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क (9)]	9घ	
ङ	धारा 36(1)(xviii) [40क(13) के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	9ङ	
च	कोई अन्य अनुज्ञेय	9च	
छ	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (9क और 9ङ का योग)	9 छ	
10 किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
क	किसी निधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क	
ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग	
घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ	
ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ	
च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च	
छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ	



ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10छ का योग)	10ज	
11	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेख में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम		
क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क	
ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भाविष्य निधि या अधिवाषिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग	
घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ	

ड	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ड	
च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च	
छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ	
ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11छ का योग)	11ज	
12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम		
क	संघ उत्पाद शुल्क	12क	
ख	सेवा कर	12ख	
ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग	
घ	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ	
ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ	
च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च	
छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ	
ज	कोई अन्य कर	12ज	
झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)	12झ	
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाम समझी गई रकमें	13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम	14	
15	लाभ-हानि लेख में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम	15	
16	धारा 14क के अधीन अनुज्ञेय व्यय	16	

भाग क-परिणात्मक ब्यौरे		परिणात्मक ब्यौरे (यदि द्वारा 44कब के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज़ापक)	
परिणात्मक ब्यौरे	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में	
	1	आरंभिक स्टाक	1
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3
	4	बंद स्टाक	4
	5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में	
	6	कच्ची सामग्री	
	क	आरंभिक स्टाक	6क
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6ग
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ
	ङ	बंद स्टाक	6ङ
	च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च
	छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ
ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज	
7.	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद		
क	आरंभिक स्टाक	7क	
ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख	
ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ	
ङ	बंद स्टाक	7ङ	
च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरे)

**अनुसूची गृह संपत्ति** गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ट्रायप डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)			
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता			
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता	
		I			
	II				
	/लामू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्याक (पैन) (यदि उपलब्ध हों)	किराएदार(रों) का टैन (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)

<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया		<table border="1"> <tr> <td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>II</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>															I																	II																
I																																																		
II																																																		
क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य															1क																																		
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती										1ख																																							
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर										1ग																																							
घ	योग (1ख + 1ग)										1घ																																							
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क – 1 घ) - (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)															1ङ																																		
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)															1च																																		
छ	1च का 30%										1छ																																							
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय व्याज										1ज																																							
झ	योग (1छ + 2ज)										1झ																																							
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%															1ञ																																		
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च – 1झ + 1ञ)															1ट																																		
2	संपत्ति 2 का पता					नगर/ शहर					राज्य					पिन कोड / ज़िप कोड																																		
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)																																																		
संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता <input type="text"/>																																																		
सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक संपत्ति में अंश की प्रतिशतता																																																		
I																																																		
II																																																		
[लगभग विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>					किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)					किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (कृपया टिप्पण देखें)					किराएदार(रों) का टैन (कृपया टिप्पण देखें)																																			
<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया		<table border="1"> <tr> <td>I</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>II</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>															I																	II																
I																																																		
II																																																		
क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)															2क																																		
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती										2ख																																							
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर										2ग																																							
घ	योग (2ख + 2ग)										2घ																																							
ङ	वार्षिक मूल्य (2क – 2घ)															2ङ																																		
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)															2च																																		
छ	2च का 30%										2छ																																							
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय व्याज										2ज																																							
झ	योग (2छ + 2ज)										2झ																																							
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%															2ञ																																		
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च – 2झ + 2ञ)															2ट																																		
3	पास थ्रू आय, यदि कोई हो*															3																																		
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) / यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2अ का अंक लें )															4																																		
टिप्पण ▶		इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची भतझ में निर्दिष्ट व्यक्तियों की आय और अनुसूची तनझ में निर्दिष्ट पास थ्रू आय विनिर्दिष्ट करें																																																

## टिप्पण ▶

यदि धारा 194अख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करना आज्ञापक है।

यदि धारा 194अ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।

## अनुसूची - कारबार या वृत्ति

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय

अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति			
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क- पी और एल का मद 54 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) या 66(iv))			1
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि [लाभ और हानि अनुसूची की क्रम संख्या 66iv ]	2क		
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में ऋणात्मक चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख		
3	115 खखच के अधीन प्रभार्य/115 खखछ के अधीन प्रभार्य /आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय /प्राप्तियां	क	गृह संपत्ति	3क
		ख	सूजी अभिलाभ	3ख
		ग	अन्य स्रोत	3ग
		घ	धारा 115खखच	3घ
		ङ	धारा 115खखछ	3ङ
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि जो आयकर अधिनियम की धारा 44कघ/ 44कघव/ 44कड./ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखख/ 44घ/ 44घक/ 44घख/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (धारा 115ब में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ के सिवाय) (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	4क		
4ख	धारा 115ब में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	4ख		
4ग	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	4ग		
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है			
	(क) फर्म/ फर्मों से आय का अंश	5क		
	(ख) एओपी/बीओपी से आय का अंश	5ख		
	(ग) कोई अन्य छूट प्राप्त आय ( प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i	ग i		
	ii	ग ii		
	iii	योग ( ग i + गii)	5ग iii	
(घ) कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 गiii)	5घ			
6	बकाया (1-2क-2ख-3क-3ख-3ग-3ङ - 4क - 4ख - 4ग - 5घ)			6
7	115 खखच के अधीन प्रभार्य/115 खखछ के अधीन प्रभार्य /आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय	क	गृह संपत्ति	7क
		ख	सूजी अभिलाभ	7ख
		ग	अन्य स्रोत	7ग
		घ	धारा 115खखच	7घ
		ङ	धारा 115खखछ	7ङ
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	8क		
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा 14क के अधीन अननुज्ञेय है (भाग क अन्य जानकारी का 16)	8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ङ + 8क + 8ख)	9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)			10
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण			11
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण			
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घडत का स्तंभ 6)	12i	
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करे आयकर नियम के परिशिष्ट-अक के अनुसार)	12ii	

	iii कुल (12i + 12ii)		12iii
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)		13
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -गण्ड का 6S)	14	
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -गण्ड का 7इ)	15	
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -गण्ड का 8कज)	16	
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -गण्ड का 9घ)	17	
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं (भाग क -गण्ड का 11ज)	18	
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय व्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखक/ 35 कग/40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80इक के अधीन मानी गई आय	21	
22	43 गक के अधीन मानी गई आय	22	
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से व्याज जिसमें निर्धारती भागीदार है)	24	
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और सटाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची गण्ड का सतंभ 3क + 4घ)	25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)		26
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28	
29	धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई है ( अनुसूची उधद की मद x(4) ( यदि धारा 35 या धारा 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती की गई रकम लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	29	
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग क -गण्ड का 8ख)	30	
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अननुज्ञेय कोई रकम (भाग क -गण्ड का 10छ)	31	
32	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	32	
33	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और सटाक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची गण्ड का सतंभ 3ख+ 4इ.)	33	
34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)		34
35	आय (13+26-34)		35
36	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति के समझे जाने वाले लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ [ अनुसूची का 62(ii)]	36i	
	ii धारा 44कघक [अनुसूची का 63(ii)]	36ii	
	iii धारा 44कड [अनुसूची का 64(ii)]	36iii	
	iv धारा 44ख	36iv	
	v धारा 44खख	36v	
	vi धारा 44खखक	36vi	
	vii धारा 44खखख	36vii	
	viii धारा 44घ	36viii	
	ix धारा 44घक	36ix	( प्रारूप 3गड की मद 4)
	x धारा 44घख	36x	
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख के सिवाय)	36xi	
	xii कुल (36i to 36xi)		36xii
37	सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35+36xii)		37

38	नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हों तो, को लागू करने के पश्चात् सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 8 लागू नहीं होते हैं तो 37 में कोई संख्या भरें) (यदि हानि है तो 2i की मद को ड में ले जाएं) <b>(38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ङ + 38च)</b>			क 38	
	क	नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	38क		
	ख	नियम 7क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ख		
	ग	नियम 7ख (1) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ग		
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38घ		
	ङ	नियम 8 के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ङ		
च	नियम 7क, 7ख और 8 (मद सं. 37)के सिवाय आय	38च			
39.	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू करने के पश्चात् कुपि से हुई समझी गई आय का <b>[4ग-(38क+38ख+38ग+38घ+38ङ.)]</b>			39	
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना				
40	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			40	
	41	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		41	
	42	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां		42	
	43	सट्टेबाजी के कारबार से आय <b>(40+41-42)</b> (हानि की दशा में 6xi के अंक को अनुसूची गच ट में ले जाएं)		आ43	
इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन				
44	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			44	
	45	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		45	
	46	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां ( धारा - (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न, (ii) 32 या 35 जिनपर धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है		46	
	47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि <b>(44+45-46)</b>		47	
	48	धारा 35कघ के अनुसार कटौतियां (1)		48	
	49	विनिर्दिष्ट कारबार से आय <b>(47-48)</b> (हानि की दशा में 7xi के अंक को अनुसूची गच ट में ले जाएं)		इ49	
	50	धारा 35कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (इपडाउन मेन्यू से चयन किए जाए)		इ50	
	घ	'कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क38+ ख43+ ग49)			घ
ङ	चालू वर्ष की कारबार हानि को बट्टे खाते में डालने के अंतः शीर्ष				
क्र.सं.	कारबार आय की किरम	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो)	बट्टे खाते में डाली गई कारबार हानि	बट्टे खाते में डालने के पश्चात कारबार आय	
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	
	i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब संख्या सकारात्मक हो)		<b>(क 38)</b>	
	ii	सट्टेबाजी के कारबार से आय	(ख 43)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 49)		
	iv	धारा 115ख के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	(क-4ख)		
	v	बट्टे खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii + iv)			
v	बट्टे खाते डालने के पश्चात् शेष हानि (i - v)				

**अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण**

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं )

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी		
	2	दर (%)	15	30	40
			(i)	(ii)	(iii)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य			
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				

5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन			
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+ 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन			
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन			
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण			
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण			
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो			
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो			
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण			
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)			
16	आयकर अधिनियम (स्तंभ 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,			
17	कुल नियत मूल्यहास (15-16)			
18	उत्तराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 17 में से) की स्थिति में अननुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास			
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय			
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 द्व 3 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)			
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण ( उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	दर (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य								
4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन								

5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन							
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा( 3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन							
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
13	आयकर अधिनियम (स्तंभ 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,							
14	कुल नियत मूल्यहास (12-13)							
15	उत्तराधिकार,समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 14 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास							
16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 501 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
		क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i के अनुसार लागू)	1क		
		ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii के अनुसार लागू)	1ख		
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii के अनुसार लागू)	1ग		
		घ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग)		1घ	
	2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				
		क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii के अनुसार लागू)	2क		



	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii के अनुसार लागू)	2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv के अनुसार लागू)	2ग		
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 12v)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 12vi)				4
5	पोत (अनुसूची डीओए 12vii)				5
6	कुल अवक्षयण (1घ + 2घ + 3 + 4 + 5)				6

## अनुसूची - डीसीजी

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी				
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
	घ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग)			1घ
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)				
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
	घ	योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)				3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)				4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)				5
6	कुल अवक्षयण (1घ + 2घ + 3 + 4 + 5)				6

## अनुसूची इएसआर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम,	अनुज्ञेय कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से
----------	------------------------------------	----------------------------------	----------------	------------------------------------

	(1)	यदि कोई हो (2)	(3)	अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2 कक)			
vii	35(2 वख)			
viii	35गगग			
ix	35i गगघ			
x	योग			
टिप्पण ▶	यदि किसी मामले में धारा 35(1)(ii) or 35(1)(ii क) या 35(1)(iii) या 35(2कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार व्यौरों का उल्लेख करें।			

## अनुसूची-पूँजी अभिलाम

## पूँजी अभिलाम

क	अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)							
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से							
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य				का	
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				काii	
		iii	पूँजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (का) का 1.05 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]				काiii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ						
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii	
		iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय				ख iii	
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv	
	ग	तुलन काiii - ख iv)					1 ग	
	घ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)					1 घ	
	ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)					क 1 ङ	
	च	स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)						
		क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैना	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता	पिन कोड
	टिप्पण ▶	यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करना आज्ञापक है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें।						
2	स्लम्प बिक्री से							
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			2 क	(प्ररूप 3गडक का 5)		
	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य			2 ख	(प्ररूप 3गडक का 6(इ))		
	ग	स्लम्प की बिक्री से अल्प कालिक पूँजी अभिलाम (2 क- 2 खे)					क 2 ग	
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है							
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य					3 क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ						
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i	

	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ग iii	
	iv योग(i + ii + iii)	ख iv	
ग	शेष (3 क - ख iv)	3 ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें )	3 घ	
ङ	साम्या शेरर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ ( एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)		क 3 ङ
4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)		
	क संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर ( एसटीटी) संदत्त किया गया है		क 4
	ख संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर ( एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है		क 4
5	अनिवासियों की दशा में-धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)		
	क i विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्याँरे प्रविष्ट करें ।		
	क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य		
	ग पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ग	
	ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	iii कुल (ग + ii)	क	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv योग (i + ii + iii)	ख iv	
ग	शेष (5 क iii - ख iv)	5 ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें )	5 घ	
ङ	साम्या शेरर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ ( एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)		क 5 ङ
6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से		
	क i विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्याँरे प्रविष्ट करें ।		
	क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य		
	ग पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	ग	
	ii गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
	iii कुल (ग + ii)	क	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv योग (i + ii + iii)	ख iv	
ग	शेष (6 क iii - ख iv)	6 ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें )	6 घ	
ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ ( अनुसूची डीसीजीका 6)	6 ङ	

	च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6 च	
	छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ - 6 च )		क 6छ
7	अल्प कालिक	पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि		
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हाँ, तो ब्योरा उपलब्ध कराएँ		
	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं
	i	2015-16	54घ/54छ/54छक	वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं
	ख	धारा 54घ/54छ/54छक के अधीन 'क' से भिन्न लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि		पूँजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि
		लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + ख)		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
				क7
8	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ की प्रकृति में पास श्रू आय (अनुसूची तनज़ भरें) (अ8क + अ8ख + अ8ग)			क8
	क	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ की प्रकृति में पास श्रू आय, 15% की दर से प्रभार्य		अ8क
	ख	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ की प्रकृति में पास श्रू आय, 30% की दर से प्रभार्य		अ8ख
	ग	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ की प्रकृति में पास श्रू आय, लागू दर से प्रभार्य		अ8ग
9	क 1 - क8 में अंतर्विष्ट एसटीसीटी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीएए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है			
	क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड
	(1)	(2)	(3)	(4)
	I			
	II			
	क			डीटीएए के अनुसार भारत में अप्रभार्य कर की कुल राशि
	ख			डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल रकम
				क9 क
				क9 ख
10	कुल अल्प कालिक पूँजी अभिलाभ ( क1 ङ+ क2 ग+ क3 ङ+ क4 क+ क4ख+ क5 ङ+ क6छ+ क7 + क 8 - क 9क)			क 10
ख	दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं )			
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के ब्योरे पृथक् रूप से भरें)			
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	काii
		iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (का) का 1.05 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]	काiii
	ख		धारा 48 के अधीन कटौतियाँ	
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii
		iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii
		iv	योग ( ख i + ख ii + ख iii)	ख iv
	ग		शेष ( क iii - ख iv)	1 ग
	घ		धारा 54 घ / 54 ङ/ 54 छ / 54 छक के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें )	1 घ
	ङ		स्थावर संपत्ति पर दीर्घ कालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)	ख 1 ङ
	च		स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्योरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)	
	क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओं) का स्थायी लेखा संख्या	अंश प्रतिशतता
				राशि
				संपत्ति का पता
				पिन कोड
	टिप्पण ▶		यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्यांक प्रस्तुत करना आज्ञापक है।	
2	स्लम्य विक्री से			

	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	2क	(प्ररूप 3 गडक का 5)	
	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य	2 ख	(प्ररूप 3 गडक का 6(इ))	
	ग	शेष (2 क - 2 ख)	2 ग		
	घ	धारा 54इग के अधीन कटौती	2 घ		
	ङ	रलम्प के विक्रय से दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ)			ख 2 ङ
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)				
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
		योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	शेष (3क - ख iv)	3 ग		
	घ	धारा 54इग के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)	3 घ		
ङ	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (3 ग - 3 घ)			ख 3 ङ	
4	मूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किमी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू है, के विक्रय से				

	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i			
		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii			
		पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii			
		योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv			
	ग	शेष (4 क - ख iv)	4 ग			
	घ	धारा 54इग/ 54इइ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)	4 घ			
ङ	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4ग-4घ)			ख 4 ङ		
5	किमी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से					
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	5क			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां				
	i	बिना सूचीकरण के अर्जन की लागत (ik और ix का उच्चतर)		खi		
		क	अर्जन की लागत	ik		
			ख	यदि दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ 01.02.2018 के पूर्व अर्जित है तो ख1 और ख2 का निम्नतर	ix	
		1	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजी आस्ति का उचित बाजार मूल्य	ख1		
			2	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ख2	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii			
	iii	अंतरण के संबंध में संपूर्ण और अनन्य व्यय	खiii			
	iv	कुल कटौतियां(खi + खii + खiii)	खiv			
	ग	अतिशेष (5क - खiv)	5ग			
घ	घटा- धारा 112क के अनुसार एलटीसीजी छूट (5ग - 1 लाख रुपए)	5घ				
ङ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्योरे विनिर्दिष्ट करें)	5ङ				
च	उपर्युक्त ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (5घ - 5ङ.)			B5f		
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)					

	क	सूचीकरण फायदे के बिना संगणित दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	6क		
	ख	धारा 54ङ्ग के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	6 ख		
	ग	शेयर या डिबेंचर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (6क - 6ख)		ख 6 ग	
7		अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)( ग ), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियों, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से			
	क	I विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।			
		क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक		
		ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	iख		
		ग पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ( क और ख से उच्चतर)	iग		
	ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
	iii	कुल (iग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	पूर्णता या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii		
	iv	योग ( ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	शेष (क iii- ख iv)	7 ग		
	घ	धारा 54ङ्ग के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	7 घ		
	ङ	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (6ग-6घ )		ख 7 ङ	
8		किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से			
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	8क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	I	बिना सूचीकरण के अर्जन की लागत (Iक और Iख का उच्चतर)	ख I		
	क	अर्जन की लागत	I क		
	ख	यदि दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ 01.02.2018 के पूर्व अर्जित है तो ख1 और ख2 का निम्नतर	Iख		
	1	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजी आस्ति का उचित बाजार मूल्य	ख1		
	2	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ख2		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii		
	iii	अंतरण के संबंध में संपूर्ण और अनन्य व्यय	खiii		
	iv	कुल कटौतियां(खI + खii + खiii)	खiv		
	ग	अतिशेष (8क - खiv)	8ग		
	घ	घटा- धारा 112क के अनुसार एलटीसीजी छूट (8ग - 1 लाख रुपए)	8घ		
	ङ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ङ		
	च	उपर्युक्त ख 8 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (8घ - 8ङ.)		B8f	
9		आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं			
	क	I विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।			
		क गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण	iक		
		ख विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	iख		
		ग पूंजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य ( क और ख से उच्चतर)	iग		

	ii	गैर कोटिड शेरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
	iii	कुल (i + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग	अतिशेष (क iii - ख iv)			9 ग
घ	धारा 54घ/धारा 54च/धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			9 घ
ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (9ग-घ)			ख 9 ङ

## 10 दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि

क क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?

हां  नहीं  लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं

क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियाँ अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियाँ अर्जित/निर्मित की गई हैं	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि					
i	2015-16	54/54घ/54च/54छ/54क	वर्ष जिसमें आस्तियाँ अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि					
ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि								
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ख)								
11	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास श्र आय, (अनुसूची तनज़ भरे) (आ11क + आ11ख)								
a	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास श्र आय, 10% की दर से प्रभाय			आ11क					
b	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास श्र आय, 20% की दर से प्रभाय			आ11ख					
12	ख 1 से ख11 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभाय नहीं है या विशेष दर पर प्रभाय है								
क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आइटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									
क	डीटीए के अधीन भारत में एलटीसीजी प्रभाय नहीं कर की कुल राशि								ख12क
ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि								ख12ख

13	कुल दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3ङ + ख 4ङ + ख 5च + ख 6ग + ख 7ङ + ख 8च - ख 9च + ख10 + ख11 - ख12क) (हानि की दशा में संख्या को अनुसूची गचठ) की 9 xi पर ले जाएं	ख13
ग	"पूंजी अभािम" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 9 + ख13) (यदि हानि हो तो ख13 को शून्य लें)	ग
घ	पूंजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावे के बारे में सूचना	
1	धारा 54ख/54घ / धारा 54ङघ/धारा 54च/धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दें।	

क	54ख के अधीन कम किया गया दावा		
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष
ii	नई कृषि भूमि की लागत	क ii	
iii	नई कृषि भूमि की खरीद की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष

	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	क iv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	क v	
ख	54 ष के अधीन कम किया गया दावा			
	i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई भूमि या आद्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत	ख ii	
	iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	ख iv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	ख v	
ग	54ड.ग के अधीन कम किया गया दावा			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट या अधिसूचित बंधपत्रों में निवेश की रकम	ग ii	
	iii	निवेश की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	कम किए गए दावे की रकम	ग iv	
घ	54छ के अधीन कम किया गया दावा			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घ i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	घ ii	
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	घ iv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	घ v	
ङ	54झक के अधीन कम किया गया दावा			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ङ i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आस्ति के क्रय और सनिर्माण के लिए वहन की गई लागत और व्यय	ङ ii	
	iii	सेज में नई आस्तियों के क्रय/सनिर्माण की तारीख	ङ iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निक्षेप की गई रकम	ङ iv	
	v	कम किए गए दावे की रकम	ङ v	
च	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)			1 च

ङ पूंजी अभिलाभ चालू वर्ष की पूंजी हानि को चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (ए-8 और बी-9 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभाय रकम के सिवाय)										
क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष क पूंजी अभिलाभ (इस संतम्भ को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ 9= 1-2-3-4-5-
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दर	10%	20%	डीटीएए दर	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9





3	लागू दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाष अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
4	डीटीए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
5	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाष अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
6	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाष अनुसूची बीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
7	डीटीए दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
<b>टिप्पण</b> ▶		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अव्यसक बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें				

### अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)				1	1
क	लाभांश, सकल			1क	
ख	व्याज, सकल (खा + खाii + खाiii + खाiv)			1ख	
	i	बचत खाता से	खाi		
	ii	जमा से (बैंक/ डाकघर/महकारी सोसाइटी)	खाii		
	iii	आय कर प्रतिदाय से	खाiii		
	iv	गुजरी आय की प्रकृति में	खाiv		
	v	अन्य	खv		
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय			1ग	
घ	धारा 56(2) (भ) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है			1घ	
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	घi		
	ii	प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii		
	iii	अपयोजित प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii		
	iv	प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के मामले में, संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घiv		
	v	अपयोजित प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घv		
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)			1ङ	
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ)			2	
क	धारा 115खख के अधीन लॉटरी, बर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय			2क	
ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi)			2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi		
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
ग	धारा 111 के अधीन प्रभार्य मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचयी बकाया			2ग	
	क्र० सं०	निर्धारण वर्ष	आय फायदा	कर फायदा	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	

										2घ	
घ विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (घां से घ xix का योग)										2घ	
i	अनिवासी द्वारा प्राप्त लाभान्श (धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं)							घां			
ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त व्याज							घii			
iii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त व्याज							घiii			
iv	धारा 115क(1)(क)(iv) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग में निर्दिष्ट व्याज							घiv			
v	धारा 115A(1)(क)(iv) के अधीन प्रभार्य धारा 194 घ में निर्दिष्ट व्याज							घv			
vi	धारा 194खक में निर्दिष्ट व्याज वाली वितरित आय-धारा 115(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य							घvi			
vii	विदेशी मुद्रा में खरीदी गई धारा 10(23) में विनिर्दिष्ट यू टी आई या अन्य सारस्परिक निधि की यूनिटों से आय-धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य							घvii			
viii	सरकार या भारतीय संस्था से प्राप्त तकनीकी सेवाओंके लिए स्वामिस्व या फीस से आय-धारा 115क(1)(ख) के अधीन प्रभार्य							घviii			
ix	अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बंधपत्र या जीडीआरसे लाभान्श द्वारा आय-धारा 115क के अधीन प्रभार्य							घix			
x	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जीडीआर से लाभान्श द्वारा आय-धारा 115क के अधीन प्रभार्य							घx			
xi	(115क में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) प्रतिभूतियों के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त (लाभान्श से भिन्न आय)							घxi			
xii	धारा 115ठ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफआई आई दरों व्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115क(1)(i) के अनुसार प्रभार्य							घxii			
xiii	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर							घxiii			
xiv	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य कतिपय मामलों में गुप्त दान							घxiv			
xv	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य-दस लाख रुपये से अधिक घरेलू कंपनी से निवासी विनिर्दिष्ट निर्धारित लाभान्श द्वारा आय							घxv			
xvi	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य-भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामिस्व द्वारा आय							घxvi			
xvii	धारा 115खख के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण द्वारा आय							घxvii			
xviii	धारा 115ड के अधीन प्रभार्य-अनिवासी भारतीय की निवेश आय							घviii			
xix	कोई अन्य आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)							घxix			
ङ विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से आय की प्रकृतिमें गुजरी हुई आय										2ङ	
च ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित जो डीटीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर 2 च (नीचे सारणी के स्तंभ (2) का योग)										2च	
क्रम सं.	आय की रकम	जिसमें मनु सं० 2क और 2ड सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीटीए का अनुच्छेद	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हल्लि कुछ नहीं प्रविष्ट कर)	क्याटी आरसी प्राप्त की गई हल्लि (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्न)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
I											
II											
3 धारा 57 के अधीन कटौतियां (विशेषद दरों पर प्रभार्य दरों से)											
	क	व्यय/ कटौतियां					3क				
	ख	अवक्षयण					3ख				
	ग	योग					3ग				
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम									4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ									5	
6	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से आय (नकरात्मक की दशा में संख्या को अनुसूचीसीवाइएलए 4 झ की में ले नलाए) (1 - 3 + 4 + 5)									6	

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (शून्य के रूप 6 दर्ज करें, यदत्रिणात्मक)						7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय							
	क	प्राप्तियां	8क					
	ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्टि करें)				8ङ		
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (नकारात्मक की दशा में 8ङ को ले जाएं)						9	
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में सूचना							
	क्र०सं०	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	फॉर्म 16/6 से 15/9 तक	फॉर्म 16/9 से 15/12 तक	फॉर्म 16/12 से 15/3 तक	फॉर्म 16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 115खघक के अधीन लाभार्थ						
	2	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, फ्रासवर्ड पहेली, दौड़ खेलों, जुआ, सट्टेबाजी से आय						

**टिप्पण**

उस मद के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एस.पी.आई में निर्दिष्ट व्यक्तियों (पति/पत्नी, अल्पवय बच्चे) की आय कृपया सम्मिलित करें।

**अनुसूची सीवाईएलए**

चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्योरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय की गृह संपत्ति हानि शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वर्ष की कारवार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारवार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वर्ष के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें)		(अनुसूची एचपी का 4)	(अनुसूची जत का 2v)	(अनुसूची ओएस का 6)	
ii	गृह संपत्ति		(अनुसूची एचपी का 4)			
iii	कारवार (जिसमें सट्टे की आय और विनिर्दिष्ट कारवार से आय सम्मिलित नहीं है)		(अनुसूची एचपी का क 38)			
Iv	धारा 115ख के अधीन जीवन बीमा कारवार से लाभ और अभिलाभ		(3iv of item E of Sch. BP)			
v	सट्टे से आय		(अनुसूची एचपी की मद ड का 3ii)			
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारवार आय		(अनुसूची एचपी की मद ड 3ii)			
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ		(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)			

चालू वर्ष हानि समाप्त

viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)				
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 vii)				
Xiii	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय दीर्घ कालीनप पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभाय कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्त्रोतों से प्रभाय कुल आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
Xv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8ड)				
xvi	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xv)					

## अनुसूची-बीएफएल पूर्व वर्षों की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे

क्र.सं.	आय का शेष/स्त्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टेबाजी से आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय शामिल नहीं है)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है )			
iii	धारा 115ख के अधीन जीवन बीमा निगम कारबार से लाभ और अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है )			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है )			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है )			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है )			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है )			
viii	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है )			

ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय लघु कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है )			
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xi)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है )			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है )			
xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है )			
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xiv)				
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है )			
xv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5.xvi)				
Xvi	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि					
xvii	चालू वर्ष की मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि योग (5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5ix + 5x + 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv + 5xv)					

**अनुसूची-सीएफएल भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण**

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि	सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	रेस	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
I	2011-12									
ii	2012-13									
iii	2013-14									
iv	2014-15									
v	2015-16									
vi	2016-17									
vii	2017-18									
viii	2018-19									
ix	पूर्ववर्ष की हानियों का योग ख/ च									
x	अनुसूची बीएफएल में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची बीएफएल का 2i)	(अनुसूची बीएफएल का 2ii)	(अनुसूची बीएफएल का 2iii)	(अनुसूची बीएफएल का 2iv)	सीवाईएलए			(अनुसूची बीएफएल का 2xiv)
xi	2019-20 चालू वर्ष की हानियों को अग्रेषित करें		(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)	(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची बीएफ का ख 43, यदि -1ख)	(अनुसूची बीएफ का ग49, यदि -1ख)	(अनुसूची सीजी की मद ड का 2x+3x+4x+5x)	(अनुसूची सीजी की मद ड का 6x+7x+8x)		(अनुसूची ओएस का 8ड यदि -1ख)
xii	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि									

हानि का अग्रनयन

## अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और मोक

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन मोक		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रणीत शेष रकम	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के लिए मोक की रकम की मुजराई	अग्रणीत वर्ष के लिए अग्रणीत शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii							
iv							
v	योग		(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

## अनुसूची आ.स.प्र.मा. लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के स्तंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती			
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती				
	क्रम सं.	बचनबंध	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन /सेवा प्रदान करना आरंभ किया है	क्रम सं.	रकम
	क	बचनबंध सं0 1		क	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के बचनबंध 1 के लिए
	ख	बचनबंध सं0 2		ख	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के बचनबंध 2 के लिए
ड	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख)				ड

**अनुसूची 80छ** धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
		i					
		ii					
		iii कुल					
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
		i					
		ii					
		iii कुल					
	ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
		i					
	ii						
	iii कुल						
घ	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता	आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम	
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान		
	i						
	ii						
	iii कुल						
ड	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)						



**अनुसूची 80 छछक**

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानों के ब्यौरे

क्रम सं.	सुसंगत खण्ड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है। (ड्रापडाउन दिया जाए)	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैन	दान की रकम			दान को पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

**अनुसूची आर. ए**

अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे (धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iik) या 35(1)(iii) or 35(2कक) के अधीन कटौती)

	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैन	दान की रकम			दान की पात्र रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i						
ii						
iii	कुल					

**अनुसूची-80-झक**

धारा 80- ठक के अधीन कटौतियां

क	धारा 80-झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				क2
ख	धारा 80-झक(4) (ii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (दूरसंचार सेवाएं)	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ग	धारा 80-झक(4) (iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोन)	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ग2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घ	धारा 80-झक(4) (iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	घ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		घ2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ङ	धारा 80-झक(4) (v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80झक (vi) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ङ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
च	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2+ घ1 + घ2 + ङ1 + ङ2)			

**अनुसूची-80-झख**

धारा 80-झख के अधीन कटौतियां

क	जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा 80झख(4))	क1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
				क2
ख	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा 80झख(4))	ख1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ग	औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा 80झख(5))	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)

		ग2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घ	बहुविधा थियेटर की दशा में कटौती (धारा80इख(7क))	घ1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))
		घ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))
ङ	कन्वेशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा80इख(7ख))	ङ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))
		ङ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))
च	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा80इख(9))	च1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		च2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
छ	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(10))	छ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		छ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ज	प्रशीतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(11))	ज1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ज2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
झ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(11क))	झ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		झ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ञ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(11क))	ञ1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
		ञ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
ट	ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(11ख))	ट1	बचनबंध सं0 1	(प्ररूप 10सीसीबी ग का 11(v))
		ट2	बचनबंध सं02	(प्ररूप 10सीसीबी ग का 11(v))
ठ	वर्जित क्षेत्र से भिन्न, किसी क्षेत्र में अस्पताल के परिचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 8इख (11ग))	ठ1	बचनबंध सं0 1	(प्ररूप 10सीसीबी घ का 11(घ))
		ठ2	बचनबंध सं02	(प्ररूप 10सीसीबी घ का 11(घ))
ड	धारा 80इख के अधीन कुल कटौती (क1 से ट2 का योग)			

## अनुसूची-80-इग या 80-इड

धारा 80-इग या धारा 80इड के अधीन कटौतियां

धारा 80-इग के अधीन कटौती

धारा 80-इग के अधीन कटौती	क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
			क2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
			ख2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
			ग2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	घक	असम	घक1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
					घक2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
			घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
					घख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
			घग	मणिपुर	घग1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
					घग2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
			घघ	मिजोरम	घघ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
					घघ2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
घङ			मेघालय	घङ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	

घ	नागालैंड	घ३	बचनबंध सं०. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		घ३१	बचनबंध सं०. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
घ	त्रिपुरा	घ३२	बचनबंध सं०. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		घ३१	बचनबंध सं० 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक१ से घ३२ का योग)	घ३२	बचनबंध सं० 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		घ			
३	धारा 80अग या धारा 80अड के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)	अ			

**अनुसूची 80त धारा 80त के अधीन कटौतियां**

		आय	कटौती के लिए पात्र रकम
1	धारा 80त(2)(क)(i) इसके सदस्यों को बैंकिंग/क्रेडिट सुविधा		
2	धारा 80त(2)(क)(ii) कुटीर उद्योग		
3	धारा 80त(2)(क)(iii) इसके सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपज का विपणन		
4	धारा 80त(2)(क)(iv) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित कृषि उपकरण, बीजों, पशु धन, या अन्य वस्तुओं का क्रय		
5	धारा 80त(2)(क)(v) इसके सदस्यों की कृषि उपज की विद्युत की सहायता के बिना		
6	धारा 80त(2)(क)(vi) इसके सदस्यों के या श्रम का सामूहिक निपटान		
7	धारा 80त(2)(क)(vii) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए मछली पकड़नाय या संबद्ध क्रियाकलाप		
8	धारा 80त(2)(ख) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी/सरकारी कंपनी/ निगम को दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगे संचयी सहकारी सोसाइटी को इसके सदस्यों द्वारा उत्पन्नया उगाए गए दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगी प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां ।		
9	धारा 80त(2)(ग)(i) धारा 80त(2क) या धारा 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी		
10	धारा 80त(2)(ग)(ii) धारा 80त(2क) या 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में लगी अन्य सहकारी सोसाइटियां		
11	धारा 80त(2)(घ) अन्य सहकारी सोसाइटीयों में निवेश से ब्याज/लाभांश		
12	धारा 80त(2)(ङ) बाणिज्याक के विपणन को सुकर बनाने के लिए भण्डारण/प्रसंस्करण हेतु गोदामों/भाण्डागारों को किराए पर देने से आय		
13	धारा 80त(2)(च) अन्य		
14	योग		

**अनुसूची -6क**
**अध्याय 6क के अधीन कटौतियां**

कुल कटौतियां	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती	क	80छ	ख	80छख	ग	80छग	1	
		भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग)								
	2	भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती	घ	80-अक	( अनुसूची 80- टक का च )	ड	80-अकख	च	80-अकघ	( अनुसूची 80- अख का ड )
			घ	80-अकग		छ	80-अकघ	झ	80अग/80अड	( अनुसूची 80 अग/80अड का झ )
			ज	80-अकक		ट	80अकक	ड	80त	
			ज	80अकक		ट	80अकक	ड	80त	
			ट	80टक	प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9	ड	80त			

	भाग ग के अधीन कुल कटौती (ग से ड तक का योग)	2	
3	अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (1 से 2 का योग)	3	

**अनुसूची- एएमटी धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना**

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय			1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन				
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियों" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क			
	ख	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख			
	ग	आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाता है पर अवकाय राशि द्वारा यथा घटाया गया धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा	2ग			
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख)	2घ			
3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2ग)			3		
4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति (3) का 18.5 प्रतिशत या 9 प्रतिशत [ए.ओ.पी, बी.ओ.पी, ए.जे.पी के मामलामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है]			4		

**अनुसूची एएमटीसी धारा 115जघ के अधीन जमा कर की संगणना**

1	निर्धारण वर्ष 2019-20 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टीटीआई का 1घ)				1	
2	निर्धारण वर्ष 2019-20 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर(भाग-ख-टीटीआई का 4)				2	
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविष्ट करें) यदि 2 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें]				3	
4	उपलब्ध एएमटी जमा राशि का उपयोग (चातू वर्ष के दौरान उपयोजित एएमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वांछित अधिकतम रकम के अध्वधीन होगा और वह अग्रणीत एएमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती					
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (अ)	एएमटी प्रत्यय		चातू वर्ष के दौरान उपयोग की गई एएमटी	अग्रणीत अतिशेष एएमटी जमा (घ) = (ख3) -(ग)
	i	2013-14	सकल (ख1)	पूर्व वर्षों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)	
	ii	2014-15				
	iii	2015-16				
	iv	2016-17				
	v	2017-18				
	vi	2018-19				
	vii	चातू निर्धारण वर्ष (1-2 प्रविष्ट करें, यदि 1> 2 या शून्य प्रविष्ट करें)				
	viii	योग				
5	धारा 115जघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार]				5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष में जमा राशि के लिए उपलब्ध एएमटी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविष्ट करें]				6	

अनुसूची एसआई विशेष दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश सं0-7(ii) देखें)

क्र.सं	धारा / विवरण	<input type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111 क (शेयरों/साम्या उन्मुख पारस्परिक निधियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ/)	<input type="checkbox"/>	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vi)	
2	115 कघ ( एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
4	112(1)(c)(ii) ( गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
5	115 कख ( अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x )	
7	115 कघ ( प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi)	
9	112क शेयरों या यूनितों के विक्रय पर एलटीसीजी जिस पर एसटीटी संदत्त है	<input checked="" type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ग छ के ख 5 च और ख 8 च)	
10	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बीएफएलए का 5lx)	
11	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xii)	
12	115ब (जीवनबीमा कारवारक के लाभ और अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	12.50	(अनुसूची बीपी का भाग 4ख)	
13	115 कग ( यदि अनिवासी की आय विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बंध पत्रों या जीडीआर से है)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओएस का भाग 1 च ii)	
14	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओएस का 2क)	
15	115 खखघक (10 लाख रुपये से अधिक घरेलू कंपनी से लाभांश आय)	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओएस का 2घख)	
16	115 खखघ (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	30	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
17	115बखख (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारवार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीपी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओएस का 2घख)	
18	115खखख (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारवार या वृत्ति के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची बीपी का 8ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	<input type="checkbox"/>	10	(अनुसूची ओएस का 2घख)	
19	115क(1)(ख) (अनिवासी की राजस्व से आय )	<input type="checkbox"/>	25	(अनुसूची ओएस का भाग 2घviii)	
20	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्रोतों से आय प्रभाय है	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस के 2च का भाग)	
21	15% @ की दर पर प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस के 2vi का भाग)	
22	30% @ की दर पर प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस के 5vii का भाग)	
23	10% @ की दर पर प्रभाय दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस के 5x का भाग)	
24	20% @ की दर पर प्रभाय दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओएस के 5xi का भाग)	
25	विशेष दये पर प्रभाय अन्य स्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय	<input type="checkbox"/>		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)	
			योग		

**अनुसूची आई एफ** भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है

क्र.सं	फर्म का नाम	फर्म का पैन	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या फर्म को धारा 92ड लागू होती है (हां/नहीं)	फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सा	लाभ में हिस्से की रकम	फर्म में 31 मार्च को पूंजी बकाया
						i	ii
1							
2							
3							
4	योग						

**अनुसूची-छूट प्राप्त आय**

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)

छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय						1	
	2	घरेलु कंपनी से लाभांश आय (दस लाख रुपए से अनधिक रकम)						2	
	3	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i		
		ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii		
		iii	पूरव आठ कर-निरधारण वर्षों विनिर्दिष्ट कृषि हानि				iii		
		iv	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि (यदि हानि है तो शून्य विनिर्दिष्ट करें)				3		
		v	वर्ष के लिए कुल कृषि आय 5 लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)						
		क	पिनकोड के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।						
		ख	एकड़ में कृषि भूमिक का मापन						
		ग	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)						
	घ	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)							
	4	अन्य छूट प्राप्त आय (अल्पव्यस्क बालक की घर प्राप्त आय सहित) बच्चा कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा पर निर्भर है						5	
	5	डीटीएए के अनुसारकर से प्रभार्य नहीं आय							
		क्र.सं	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय की शीर्ष	क्या टीआटी प्रदान की गई (हां/नहीं)	
		I							
	II								
	III	कर से प्रभार्य नहीं डीटीएए से कुल आय				5			
6	कर से प्रभार्य नहीं गुजरी हुई आय (अनुसूची पीटीआई)						6		
7	योग (1+2+3+4+5+6)						7		

अनुसूची पीटीआई

धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के व्यौरे

क्रम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	आय की रकम	ऐसी रकम पर स्रोत पर कर कटौती, यदि कोई हों	
1.			i	गृह संपत्ति			
			ii	पूँजी अभिलाभ			
			क	अल्पकालिक अवधि			
				ख	दीर्घकालिक अवधि		
			iii	अन्य स्रोत			
			iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी			
			क	धारा 10(23चखख) के अधीन			
				ख	धारा .....के अधीन		
				ग	धारा.....के अधीन		
			2.			i	गृह संपत्ति
ii	पूँजी अभिलाभ						
क	अल्पकालिक अवधि						
	ख	दीर्घकालिक अवधि					
iii	अन्य स्रोत						
iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी						
क	धारा 10(23चखख) के अधीन						
	ख	धारा .....के अधीन					
	ग	धारा.....के अधीन					

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची- एफएसआई		भारत से बाहर आय और कर राहत							
क्र. सं.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय ( भाग ख तड़ में शामिल)	भारत से बाहर संदत कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदत कर	भारत में उपलब्ध कर राहत ( ङ ) = (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	यदि राहत धारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिदेश करें							

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत किए गए करों पर दावा की गई कर राहत के सारांश का ब्यौरा					
क्र. सं.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत कुल कर (अनुसूची च ध झ की (ग) का प्रत्येक देश की बाबत योग)		उपलब्ध कुल कर राहत (अनुसूची च ध झ की (ङ) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)	
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1			दावा की गई राहत के कर ब्यौरे				
योग							
2			उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहाँ डीटीएए लागू है (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)				2
3			उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहाँ डीटीएए लागू नहीं है (धारा 91) (1(घ) के योग का भाग)				3
4			क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है जिसपर भारत में कर राहत अनुज्ञात थी जिसका वर्ष के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी ने प्रतिदाय/प्रत्यय किया है ? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें				4
			क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिदेश करें					







(ii)								
छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है								
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
						राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)								
(ii)								

**टिप्पण** ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों का संदर्भ

अनुसूची जीएसटी		जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्ति के संबंध में जानकारी	
जीएसटी ब्यौरा	क्र. सं०	जीएसटीआईएन सं०	फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)

**टिप्पण** ▶ कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक जानकारी दें।

## भाग - ख

भाग ख-कुल आय		कुल आय की संगणना				
कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)		1		
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ				
		i	सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट करबार के कारबार और विनिर्दिष्ट करबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-बीपी का ए38) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2i		
		ii	सट्टेबाजी के कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-खत का ख43) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2ii		
		iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-खत का ग49) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2iii		
		iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (3 अनुसूची बीपी का 3घ और 3ड के अधीन)	2iv		
		vi	योग (2i+2ii+2iii+2iv) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रविष्टि में ले जाएं)	2v		
	3	पूंजी अभिलाभ				
		क	अल्प कालिक			
		i	15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)	कi		
	ii	30% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9iii)	कii			
	iii	लागू दर पर प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)	कiii			
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9v)	कiv			

	v	कुल अल्प कालिक (का + का ii + का iii + का iv) (यदि हानि हो तो कुछ नहीं प्रविष्टि करें)	3कv		
	ख	दीर्घ कालिक			
	i	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)	खा		
	ii	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)	ख ii		
	iii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9viii)	ख iii		
	iv	कुल दीर्घ कालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो तो शुन्य करें)	ख iv		
	ग	कुल पूंजी अभिलाभ (3 क v + 3 खा iv) (यदि हानि हो तो शुन्य करें)			3c
4	अन्य स्रोतों से आय				
	क	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्टि करें)	4 क		
	ख	विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची ओएस का 2 करें)	4 ख		
	ग	घुडदौड़ के स्वामित्व और अनुसंधान क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्टि करें)	4 ग		
	घ	योग (4 क + 4 ख + 4 ग)			4 घ
5	मदवार आय का योग (1 + 2v + 3 ग + 4 घ)				5
6	5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ष की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)				6
7	चालू वर्ष की हानि के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची 5 बीएफएलए + 4ख + 2iv का योग)				7
8	7के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रनीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के 2xvi, 3.xvi और 4xvi का योग)				8
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए के 5xvii भी + 4ख + 2iv)				9
10	9 में सम्मिलित धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय				10
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां				
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित]			11क
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2) और (9-10-2ii) तक सीमित]			11ख
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित)			11ग
12	कुल आय का हिस्सा नहीं बनने वाली आय (12a + 12b + 12c)				12
	क	धारा 10कक के अधीन कटौती (अनुच्छेद 10कक का ग)			12क
	ख	धारा 10(23चख) या 10(23चखक) में निर्दिष्ट निवेश विधि की आय			12ख
	ग	धारा 10(23चख) या 10(23चखक) में कारबार-ब्याज विधि की आय			12ग
13	कुल आय (9- 11ग -12)				13
14	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग)				14
15	रेट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 3)				15
16	कुल आय (13 - 14 + 15) (यदि (13-14) प्रभार्य कर की प्रभार्य न की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा)				16
17	अग्रनीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची सीएफएल के xi का योग)				17
18	धारा 115अग के अधीन समझी गई कुल आय				18

कर दायित्व की संरचना	1	क	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4)	1क	
		ख	पूर्वोक्त (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 1क+1ख पर	1ग	
		घ	माननी गई आय (1क+1ख+1ग) पर कुल संदेय कर	1घ	
	2		कुल आय पर संदेय कर		
		क	भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2क	
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2ख	
		ग	कृषि आय पर छूट /भाग ख-नझ का 13-14 कर से प्रभाय अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा	2ग	
		घ	कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख-2ग)	2घ	
		ङ	उपकर	2ङ	
		i अनुसूची एस आई के 12(ii) का 25%	2ङ i		
		ii [(2घ) - (अनुसूची एस आई का 12(ii))]	2ङ ii		
		iii कुल (i + ii)	2ङ iii		
	च	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 2घ+2ङiii	2च		
	छ	कुल आय पर संदेय कर (2घ +2ङ iii+ 2च)	2छ		
	3		सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)	3	
	4		पूर्व वर्षों में संदत्त कर का धारा 115जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1घ से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)	4	
	5		धारा 115 जग के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर (3 - 4)	5	
	6		कर राहत		
		क	धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क	
		ख	धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख	
		ग	योग (6क + 6ख)	6ग	
	7		शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)	7	
	8		ब्याज और देय फीस		
		क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क	
		ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख	
		ग	अग्रिम कर के आरथगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग	
		घ	भाय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234घ)	8घ	
		ङ	कुल ब्याज और देय फीस (8क+8ख+8ग +8घ)	8ङ	
	9		कुल दायित्व (7 + 8 ङ)	9	
संदत्त कर और बैंक के बॉरे	10		संदत्त कर		
		क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से )	10क	
		ख	स्रोत पर काटा गया कर (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख	
		ग	टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग	
		घ	स्वतः निर्धारण कर (15क के स्तंभ 5 से )	10घ	
		ङ	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग+10घ)	10ङ	
	11		संदेय रकम (यदि 9, 10 ङ से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)	11	
	12		प्रतिदाय (यदि 10ङ, 9से अधिक है) प्रतिदाय यदि कोई हो तो, का सीधे बैंक खाते में प्रत्यय किया जाएगा	12	
बैंक खाता	13		पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारण किए गए सभी बैंक खाते के ब्यौरे (डारमेट खातों को छोड़कर) (अनिवासियों की दशा में, किसी विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे नकद प्रतिदाय के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जा सकेंगे )		
		क्रम सं.	बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड (विदेशी बैंक खाते की दशा में एसडब्ल्यूआईएफटी कोड)	बैंक का नाम	खाता सं. (विदेशी बैंक की दशा में आईबीएएन)
		i			
		ii			
	14		क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं



ii						
टिप्पण ▶ कृपया भाग ग - टीटीआई के 10ख में स्तंभ (7) का योग प्रविष्ट करें।						

सत्यापन

में \_\_\_\_\_ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री .....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं।

में यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी ..... (ड्राप डाउन प्रदान करें) की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं एक स्थाई खाता संख्या ..... धारक हूँ (यदि आबंटित हों) (कृपया अनुदेश देखें)

में यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें→

\_\_\_\_\_

प्ररूप आकवि -6	भारतीय आयकर विवरणी [धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के लिए] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें] (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
		2	0	1	9	-	20

## भाग क-साधारण

## साधारण

व्यक्तिगत सूचना	नाम	स्थायी लेखा सं०					
	क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें	कार्यारंभ पहचान संख्या (का.प.स.) एम.सी.ए. द्वारा जारी					
	फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		कार्यारंभ की तारीख (दिन/मास/वर्ष)		
	सड़क /मार्ग/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान	/ /		/ /		
	कस्बा/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड/ जिप कोड		कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		
		देश			(i) देशी कंपनी <input type="checkbox"/>		
					(ii) विदेशी कंपनी <input type="checkbox"/>		
					यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित) <input type="checkbox"/>		
	कार्यालय की दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं०-1	मोबाइल नं०-2		ई मेल पता-1			
				ई मेल पता-2			
क	धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- विलंबित, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित, <input type="checkbox"/> 92गघ-उपांतरित विवरण, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलम्ब की माफी के पश्चात्					
	या धारा के अधीन सूचना के उत्तर में फाइल की गयी है	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153क, <input type="checkbox"/> 153ग					
ख	यदि पुनरीक्षित/वृद्धिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की प्राप्ति संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)	/ /					
ग	यदि धारा 139(9)/धारा 142(1)/धारा 153(क)/ धारा 153(ग) के अधीन सूचना या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के उत्तर में फाइल की गयी है तो ऐसी सूचना/आदेश की तारीख प्रविष्ट करें या यदि धारा 92गघ के अधीन फाइल की गई है तो अग्रिम कीमत निर्धारण करार की तारीख प्रविष्ट करें	/ /					
घ	आवासीय प्राप्ति (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी						
ङ	क्या धारा 115खक का विकल्प हो रहा है? (हां / नहीं) (घरेलू कम्पनी के लिए लागू होता है)						
च	क्या पिछले वर्ष 2016-17 में कुल व्यापारवर्त/सकल प्राप्तियां 250 करोड़ रुपये से अधिक है? (हां / नहीं) (घरेलू कंपनी के लिए लागू होना)						
छ	क्या निर्धारिती देश का या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में निर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है?						
ज	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं						
झ	क्या निर्धारिती से कम्पनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है?						
ञ	क्या कम्पनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं						
ट	क्या निर्धारिती किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित है और अपनी आय एकमात्र संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त करता है? (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं						
ठ	क्या निर्धारिती कम्पनी समापन के अधीन है (सही का निशान) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं						
ड	क्या एफआईआई/एफपीआई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं० बताएं						

फाइल करने की प्राप्ति



ड	क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी है ?	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
ण	क्या निर्धारित प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं यदि हाँ तो निम्नलिखित जानकारी दें -		
	(1) निर्धारित प्रतिनिधि का नाम		
	(2) प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन का उल्लेख करें)		
	(3) निर्धारित प्रतिनिधि का पता		
	(4) निर्धारित प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक		
त	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
	1 यदि हाँ, तो कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आबंटित स्टार्ट अप मान्यता सं. का उल्लेख करें		
	2 क्या अन्तर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
	3 यदि हाँ, तो प्रमाणन संख्या का उल्लेख करें		
	4 क्या डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा 5 के अनुसार प्ररूप-2 में घोषणा विवरणी के फाइल किए जाने से पूर्व फाइल की गई है ?	<input type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं
	5 यदि हाँ, तो प्ररूप-2 फाइल करने की तारीख का उल्लेख करें		
(क)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
(ख)	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
(ग)	यदि (ख) है, तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है ? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं		
	(1) लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/वर्ष)		
	(2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम		
	(3) लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या		
	(4) लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)		
	(5) स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं०		
	(6) लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)		
	(7) लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख		
(घ)	क्या आप धारा 92ड के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिनांक/वर्ष)	
(घii)	यदि आयकर अधिनियम के अधीन अन्य संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ? (दिन/मास/वर्ष) [कृपया अनुदेश 5 (ii) देखें]		
	क्र. सं.	अनुभाग कोड	तारीख (दिन/मास/वर्ष)
ड	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ?		
	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/मास)	अधिनियम और धारा
			(दिन/मास/मास)
(क)	कंपनी का स्वरूप (यदि नियंत्रित कंपनी है तो 1 चयन करें, यदि समनुषंगी कंपनी है तो 2 चयन करें), यदि दोनों हैं तो 3 चयन करें, यदि कोई अन्य है तो 4 चयन करें		
(ख)	यदि समनुषंगी कंपनी है तो, का उल्लेख करें		
	पैन	धारक कंपनी का नाम	धारक कंपनी का पता
			धारित शेयरों का प्रतिशत
(ग)	यदि धारक कंपनी है तो समनुषंगी कंपनी का उल्लेख करें		
	पैन	समनुषंगी कंपनी का नाम	समनुषंगी कंपनी का पता
			धारित शेयरों का प्रतिशत
(क)	समामेलक कंपनी की दशा में, सामामेलित कंपनी का उल्लेख करें		
	पैन	समामेलक कंपनी का नाम	समामेलक कंपनी का पता
			समामेलन की तारीख
(ख)	समामेलित कंपनी की दशा में, सामामेलक कंपनी का उल्लेख करें		
	पैन	समामेलित कंपनी का नाम	समामेलित कंपनी का पता
			समामेलन की तारीख

संपरीक्षा सूचना

कारबार संगठन

	(ग)	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी के ब्यौरे दें			
		पैन	परिणामिक कंपनी का नाम	परिणामिक कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख
	(घ)	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें			
		पैन	अवीलीन कंपनी का नाम	अवीलीन कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख
प्रमुख व्यक्ति	प्रबंध निदेशक, निदेशकों, सचिव और प्रधान अधिकारी, (अधिकारियों) की विशिष्टियां जो पूर्व वर्ष के दौरान पद धारित किए हुए थे।				
	क्रम सं०	नाम	पदनाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक
					निदेशक की दशा में, एमसीए द्वारा जारी निदेशक पहचान संख्यांक (नि.प.सं)
शेयरधारक की सूचना	उन व्यक्तियों की विशिष्टियां, जो पूर्व वर्ष में किसी समय दस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे।				
	क्रम सं०	नाम और पता	धारित शेयरों का प्रतिशत		स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित है)
स्वामित्व संबंधी जानकारी	असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्यून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे।				
	क्रम सं०	नाम	पता	धारित शेयरों का प्रतिशत	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)
स्वामित्व संबंधी जानकारी	विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया अव्यवहित मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।				
	क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)
					निवास के देश में आबंटित करदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
स्वामित्व संबंधी जानकारी	विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया क्रमांतिम कंपनी मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें।				
	क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)
					निवास के देश में आबंटित करदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
कंपनी का स्वरूप और उसका कर्तव्य	कंपनी का स्वरूप				(निशान लगाए) <input checked="" type="checkbox"/>
	1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क) में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी हैं			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी हैं			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं।			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	4	क्या आप बैंकारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंकारी कंपनी हैं			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक हैं			<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी है (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
7	क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी है	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
8	क्या कंपनी सूचीबद्ध है ? यदि हाँ, कृपया अनुसूची-धज-1 और अनुसूची-कठ-1 को भरना सुनिश्चित करें	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें (उनसे भिन्न, जो धारा 44कड के अधीन आय की घोषणा करते हैं)		
क्र.सं.	कोड [कृपया अनुदेश संख्या 7 (ii) देखें]	वर्णन
(i)		
(ii)		
(iii)		

## भाग क-तुलन पत्र

31 मार्च, 2019 को या समामेलन की तारीख को तुलन पत्र

साधारण पूंजी और दायित्व	<b>I साधारण पूंजी और दायित्व</b>				
	<b>1 शेयर धारक की निधि</b>				
	क	शेयर पूंजी			
		i प्राधिकृत	का		
		ii पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त	काii		
		iii अभिदत्त, किन्तु पूर्णतः संदत्त नहीं	काiii		
	iv कुल ( काii + काiii )		काiv		
	ख	आरक्षिति और अधिशेष			
		i पूंजी आरक्षिति	खा		
		ii पूंजी मोचन आरक्षिति	खाii		
		iii प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षिति	खाiii		
		iv डिबेन्चर मोचन आरक्षिति	खाiv		
		v पुर्नमूल्यांकन आरक्षिति	खv		
		vi शेयर विकल्प बकाया रकमे	खvi		
		vii अन्य आरक्षिति (स्वरूप और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		viiक	
		ख		viiख	
	ग	कुल ( viiक+viiख )	खvii		
	viii	अधिशेष अर्थात् लाभ और हानि लेखा के लेखे में अतिशेष (नामों पक्ष का अतिशेष ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)	खviii		
	ix	कुल ( खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi + खvii + खviii ) (नामों पक्ष का अतिशेष यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)		खix	
	ग	शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम		1 ग	
	घ	शेयर धारक की कुल निधि ( काiv + खix + 1 ग )		1 घ	
	<b>2 शेयर आवेदन की रकम, जिसका आबंटन लंबित है</b>				
	i	एक वर्ष से कम से लंबित है	i		
एक वर्ष से अधिक से लंबित है		ii			
कुल ( i+ii )			2		
<b>3 स्थगित दायित्व</b>					
क	दीर्घकालिक उधार				
	i	बंधपत्र/डिबेन्चर			
		क	विदेशी मुद्रा	i क	
		ख	रुपया	i ख	

		ग	कुल (i क +ii ख)		i ग	
	ii	आवधिक ऋण				
		क	विदेशी मुद्रा	ii क		
		ख	ऋण रूप में			
		1	बैंकों से	ख1		
		2	अन्य से	ख2		
		3	कुल (ख1+ख2)	ख3		
		ग	कुल आवधिक ऋण (ii क+ख3)		ii ग	
	iii	आस्थगित भुगतान का दायित्व			iii	
	iv	संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें)			iv	
	v	अन्य निक्षेप			v	
	vi	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)			vi	
	vii	अन्य ऋण और अग्रिम			vii	
	viii	दीर्घकालिक वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की परिपक्वता			viii	
	ix	कुल दीर्घकालिक (i ग+ii ग+iii+iv+v+vi+vii+viii)			3क	
	ख	आस्थगित कर दायित्व (कुल)			3ख	
	ग	अन्य दीर्घकालिक दायित्व				
		i	व्यापार संदेय	i		
		ii	अन्य	ii		
		iii	कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii)		3ग	
	घ	दीर्घकालिक विनिधान				
		i	कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान	i		
		ii	अन्य	ii		
		iii	कुल (i+ii)		3घ	
	ङ	कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ)			3ङ	
4	चालू दायित्व					
	क	अल्पकालिक उधार				
		i	मांग पर प्रतिसंदेय ऋण			
			क बैंकों से	i क		
			ख गैर-बैंककारी कंपनियों से	i ख		
			ग अन्य वित्तीय संस्थाओं से	i ग		
			घ अन्य से	i घ		
			ङ कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (i क+i ख+i ग+i घ)		i ङ	
		ii	संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप (अनुदेशों को देखें)		ii	
		iii	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)		iii	
		iv	अन्य ऋण और अग्रिम		iv	
		v	अन्य निक्षेप		v	
		vi	कुल अल्पकालिक उधार ( i ङ+ii+iii+iv+v)		4क	
	ख	व्यवसाय संदेय				
		i	एक वर्ष से अधिक के लिए बकाया	i		
		ii	अन्य	ii		
		iii	कुल व्यवसाय संदेय ( i+ii)		4ख	
	ग	अन्य चालू दायित्व				
		i	दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता	i		
		ii	वित्तपोषण पट्टा अनुबंध पत्र की प्रचलित परिपक्वता	ii		
		iii	उधार पर प्रोद्भूत ब्याज जो शोध नहीं है	iii		
		iv	उधार पर प्रोद्भूत और शोध ब्याज	iv		
		v	अग्रिम में प्राप्त आय	v		

	vi	असंदत्त लाभांश	vi		
	vii	प्रतिभूति के आबंटन के लिए आवेदन हेतु प्राप्त हुई रकम तथा प्रतिदाय और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के देय	vii		
	viii	असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	viii		
	ix	असंदत्त डिबेंचर और उस पर प्रोद्भूत ब्याज	ix		
	x	अन्य संदेय	x		
	xi	कुल अन्य चालू दायित्व (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)		4ख	
घ		अल्पकालिक उपबंध			
	i	कर्मचारिवृद्ध के फायदे के लिए उपबंध	i		
	ii	आय-कर के लिए उपबंध	ii		
	iii	प्रस्तावित लाभांश	iii		
	iv	लाभांश पर कर	iv		
	v	अन्य	v		
	vi	कुल अल्पकालिक उपबंध (i + ii +iii + iv + v)		4घ	
ङ		कुल चालू दायित्व (4क + 4ख + 4ग + 4घ)		4ङ	
		कुल शेयर और दायित्व (1घ + 2 + 3ङ + 4ङ)		1	
II		आस्तियां			
1		गैर-चालू आस्तियां			
	क	स्थिर आस्तियां			
	i	मूर्त आस्तियां			
		क सकल ब्लाक	िक		
		ख अवक्षयण	िख		
		ग ह्रास से हुई हानियां	िग		
		घ शुद्ध ब्लाक (िक- िख - िग )	िघ		
	ii	अमूर्त आस्तियां			
		क सकल ब्लाक	ििक		
		ख क्रमिक अपाकरण	ििख		
		ग ह्रास से हुई हानियां	ििग		
		घ शुद्ध ब्लाक (िििक- िििख - िििग )	िििघ		
	iii	पूंजीगत चालू काम	iii		
	iv	विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां	iv		
	v	कुल स्थिर आस्तियां (िघ + िििघ + iii + iv)		क v	
	ख	गैर-चालू विनिधान			
	i	संपत्ति में विनिधान	i		
	ii	शेयर लिखतों में विनिधान			
		क सूचीबद्ध शेयर	ििक		
		ख गैर-सूचीबद्ध शेयर	ििख		
		ग योग (ii क + ii ख )	ििग		
	iii	अधिमानी शेयरों में विनिधान	iii		
	iv	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iv		
	v	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	v		
	vi	पारस्परिक निधियों में विनिधान	vi		
	vii	भागीदारी फर्मों में विनिधान	vii		
	viii	अन्य विनिधान	viii		
	ix	कुल गैर-चालू विनिधान (i + िििक + iii + iv + v + vi + vii + viii)		खिix	
	ग	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)		ग	
	घ	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम			
	i	पूंजी अग्रिम	i		

	ii	प्रतिभूति निक्षेप	ii		
	iii	संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)	iii		
	iv	अन्य ऋण और अग्रिम	iv		
	v	कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv)			घ v
	vi	घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, जो			
	क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	vi क		
	ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	vi ख		
	ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेरधारक को, जो शेर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	vi ग		
घ		अन्य गैर-चालू आस्तियां			
	i	दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य			
	क	प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	i क		
	ख	गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	i ख		
	ग	शंकास्पद	i ग		
	घ	कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (i क + i ख + i ग)	i घ		
	ii	अन्य	ii		
	iii	योग (i घ + ii)			झ iii
	iv	ड iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेरधारक से, जो शेर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है	iv		
ड.		कुल गैर-चालू आस्तियां (कv + खi + ग+ घv + झiii)			1 च
2		चालू आस्तियां			
	क	चालू विनिधान			
	i	शेर लिखतों में विनिधान			
	क	सूचीबद्ध शेर	i क		
	ख	गैर-सूचीबद्ध शेर	i ख		
	ग	योग (i क + i ख)	i ग		
	ii	अधिमानी शेरों में विनिधान	ii		
	iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iii		
	iv	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	iv		
	v	पारस्परिक निधियों में विनिधान	v		
	vi	भागीदारी फर्मों में विनिधान	vi		
	vii	अन्य विनिधान	vii		
	viii	कुल चालू विनिधान (i क + ii + iii + iv + v + vi + vii)			कviii
	ख	संपत्ति-सूची			
	i	कच्चा माल	i		
	ii	चालू काम	ii		
	iii	तैयार माल	iii		
	iv	व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल)	iv		
	v	भंडार और स्पेयर	v		
	vi	खुले औजार	vi		
	vii	अन्य	vii		
	viii	कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			ख viii
	ग	व्यापार प्राप्य			
	i	6 मास से अधिक से बकाया	i		
	ii	अन्य	ii		

	iii	कुल व्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii)			गांiii	
घ	नकदी और नकद समतुल्य					
	i	बैंक नकद	i			
	ii	चेक, ड्राफ्ट	ii			
	iii	नकद अतिशेष	iii			
	iv	अन्य	iv			
	v	कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv)			घv	
ङ	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम					
	i	पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेशों देखें)	i			
	ii	अन्य	ii			
	iii	कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii)			ङiii	
	iv	ङiii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, जो				
		क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	iv क		
		ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	ivख		
		ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ङ) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	ivग		
च	अन्य चालू आस्तियां				च	
छ	कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गांiii + घv + ङiii + च)				2छ	
कुल आस्तियां (1च+2छ)					॥	

भाग क-नुलन पत्र - भारतीय लेखा मानकों के रूप में

31 मार्च, 2019 को या व्यावसायिक संयोजन की तारीख के अनुसार [एक कंपनी के लिए लागू है, जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के उपाबंध (भारतीय लेखा मानकों)नियम, 2015 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किए गए हैं] (उस दशा में नीचे मदों को भरें, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा मद 3 को भरें)

I	साधारण शेयर और दायित्व				
1	साधारण शेयर				
	अ	साधारण शेयर पूंजी			
		i	प्राधिकृत	का	
		ii	जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया	काii	
		iii	अभिदत्त लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया	काiii	
		iv	कुल (का + काiii)		क+iv
	आ	अन्य साधारण शेयर			
		i	अन्य रिजर्व		
			क पूंजी विमोचन आरक्षित	क	
			ख डिबेंचर विमोचन रिजर्व	ख	
			ग शेयर विकल्प वकाया लेखा	ग	
			घ अन्य (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)	घ	
			ङ. कुल अन्य भंडार (क+ख+ग+घ)	ङ.	
		ii	प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामों पक्ष का अतिशेष - वीई आंकड़े के रूप में दर्शित)	ii	
		iii	कुल (ख+ङ. + ii) (डेबिट शेष राशि को -ve आंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा)		खiii
	इ	कुल साधारण शेयर (काiv + खiii)			1ग
2	दायित्व				
	अ	गैर मौजूदा दायित्व			
	।	वित्तीय दायित्व			
		उधारी			
		क	बांड या डिबेंचर		
		1	विदेशी मुद्रा	क 1	

	2	रुपए	क 2	
	3	कुल (1 + 2)	क 3	
<b>ख</b>	<b>उधार अवधि</b>			
	1	विदेशी मुद्रा	ख 1	
	2	रुपया उधार		
		i बैंकों से	i	
		ii अन्य पार्टियों से	ii	
		iii कुल (i + ii)	ख 2	
	3	कुल अवधि उधार (ख 1 + ख 2)	ख 3	
ग	आस्थगित संदाय दायित्व			ग
घ	निकषेप			घ
ङ.	संबंधित पक्षों से उधार (अनुदेश देखें)			ङ.
च	वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता			च
छ	यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक			छ
ज	अन्य उधार			ज
झ	कुल उधारी (क 3 + ख 3 + ग + घ + ङ. + च + छ + ज)			झ
ञ	व्यापार उधार			ञ
ट	अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन ॥ में विनिर्दिष्ट के अलावा)			ट
<b>II</b>	<b>उपबंध</b>			
	क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क	
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख	
	ग	कुल उपबंध	॥ग	
<b>III</b>	<b>आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)</b>			<b>III</b>
<b>IV</b>	<b>अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व</b>			
	क	अग्रिम	क	
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख	
	ग	कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व	IVग	
<b>कुल गैर-वर्तमान देयताएं (झां + ख + झट + ॥ग + III + IVग)</b>				<b>2क</b>
<b>B</b>	<b>वर्तमान दायित्व</b>			
<b>I</b>	<b>वित्तीय दायित्व</b>			
	<b>i</b>	<b>उधारी</b>		
		क	मांग पर लौटाने वाले उधार	
		1	बैंकों से	1
		2	अन्य पार्टियों से	2
		3	मांग पर प्रतिपूर्ति कुल उधार (1 + 2)	3
	ख	संबंधित दलों से उधार		ख
	ग	निकषेप		ग
	घ	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		घ
		कुल उधार (क 3 + ख + ग + घ)		ii
	<b>ii</b>	<b>व्यापार देनदारियां</b>		
	<b>iii</b>	<b>अन्य वित्तीय दायित्व</b>		
		क	लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्वता	क
		ख	वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता	ख
		ग	अर्जित व्याज	ग
		घ	अत्रैतनिक लाभांश	घ
	ङ.	प्रतिदेयता के विस्तार की प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और उस पर अर्जित व्याज		ङ.
	च	असंदत परिपक्व निकषेप और उस पर अर्जित व्याज		च



		छ	उस पर अर्जित असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और ब्याज	छ			
		ज	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ज			
		झ	कुल अन्य वित्तीय दायित्व (क + ख + ग + घ + ङ. + च + छ + ज)			iii	
		iv	कुल वित्तीय दायित्व (झा + झां + झांii)			iv	
	II	अन्य चालू दायित्व					
		क	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	क			
		ख	अन्य अग्रिम (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
		ग	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ग			
		घ	कुल अन्य वर्तमान दायित्व (क + ख + ग)			घ	
	III	उपबंध					
		क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क			
		ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
		ग	कुल उपबंध (क + ख)			ग	
	IV	वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)					IV
		कुल मौजूदा दायित्व (iv + घ + ग + IV)					2घ
		कुल साधारण शेयर और दायित्व (1ग + 2क + 2ख)					I
II	आस्तियां						
	1	वैर तात्कालिक आस्तियां					
		क	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर				
		क	सकल ब्लॉक	क			
		ख	मूल्यह्रास	ख			
		ग	क्षति नुकसान	ग			
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क + ख + ग)			क घ	
		ख	पूंजीगत कार्य-प्रगति			ख	
		ग	निवेश सम्पत्ति				
		क	सकल ब्लॉक	क			
		ख	मूल्यह्रास	ख			
		ग	क्षति नुकसान	ग			
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क + ख + ग)			ग घ	
		घ	साख				
		क	सकल ब्लॉक	क			
		ख	क्षति नुकसान	ख			
		ग	शुद्ध ब्लॉक (क + ख)			घ ग	
		ड.	अन्य अमूर्त संपत्ति				
		क	सकल ब्लॉक	क			
		ख	उधारमुक्ति	ख			
		ग	क्षति नुकसान	ग			
		घ	शुद्ध ब्लॉक (क + ख + ग)			ड. घ	
		च	विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति			च	
		छ	वाहक पौधों के अतिरिक्त अन्य जैविक आस्तियां				
		क	सकल ब्लॉक	क			
		ख	क्षति नुकसान	ख			
		ग	शुद्ध ब्लॉक (क + ख)			छ ग	
		ज	वित्तीय आस्तियां				
		I	निवेश				

	i	साधारण साम्या लिखत में निवेश					
		क	सूचीबद्ध साम्य			क	
		ख	असूचीबद्ध साम्य			ख	
		ग	कुल (क + ख)		ग		
		ii	वरीयता शेयरों में निवेश		ii		
		iii	सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश		iii		
		iv	डिवेंचर या बांड में निवेश		iv		
		v	म्युचुअल फंड में निवेश		v		
		vi	साझेदारी फर्मों में निवेश		vi		
		vii	साझेदारी फर्मों में निवेश		vii		
		viii	कुल गैर-मौजूदा निवेश (ग + ii + iii + iv + v + vi + vii)		ज		
		II		व्यापार स्वीकार योग्य			
		क	व्यापार स्वीकार योग्य	क			
		ख	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख			
		ग	संदिग्ध	ग			
	घ	कुल व्यापार प्राप्य		ज			
	III		उधार				
	i	सुरक्षा निक्षेप		i			
	ii	संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)		ii			
	iii	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		iii			
	iv	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें (i + ii + iii))		ज			
	v	जIII में शामिल उधार, जो कि-					
	क	व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए	व				
	ख	व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	व				
	ग	आयकर अधिनियम के खंड 2 (22) (ई) के अनुसार, शेयरधारक को शेयर के फायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है।		व			
	IV		अन्य वित्तीय आस्तियां				
	i	12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप		i			
	ii	अन्य		ii			
	iii	अन्य वित्तीय आस्तियां का कुल (i + ii)		ज	IV		
	झ	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)		झ			
	ञ		अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति				
	i	पूंजीगत अग्रिम		i			
	ii	पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		ii			
	iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)		iii			
	iv	कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii)		ज			
	v	आय कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां जिनमें से ऊपर दिया गया है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या से इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ आस्तियां		v			
	कुल गैर - मौजूदा आस्तियां(क + ख + ग + घ + ङ + च + फ + छ + ज + ज। + ज।। + ज।।। + ज।।।। + ज + झ + ञ)				1		
	2		वर्तमान अस्ति				
	क	वर्तमान अस्ति					
	i	कच्चा माल		i			
	ii	कार्य प्रगति पर है		ii			
	iii	तैयार माल		iii			
	iv	स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में)		iv			

	v	स्टोर और पुर्जों	v		
	vi	हीला टूल	vi		
	vii	अन्य	vii		
	viii	कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			2क
<b>ख</b>	<b>वित्तीय आस्तियां</b>				
<b>I</b>	<b>निवेश</b>				
	i	साम्या लिखत में निवेश			
		क सूचीबद्ध साम्या	i क		
		ख असूचीबद्ध साधारण शेयर	i ख		
		ग कुल (i क + i ख)	i ग		
	ii	वरीयता शेयरों में निवेश	ii		
	iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii		
	iv	डिविडेंड या बॉन्ड में निवेश	iv		
	v	म्युचुअल फंड में निवेश	v		
	vi	भागीदारी फर्मों में निवेश	vi		
	vii	अन्य निवेश	vii		
	viii	कुल वर्तमान निवेश (i ग + ii + iii + iv + v + vi + vii)			I
<b>II</b>	<b>व्यापार स्वीकार योग्य</b>				
	i	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	i		
	ii	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ii		
	iii	संदिग्ध	iii		
	iv	कुल व्यापार प्राप्य (i + ii + iii)			II
<b>III</b>	<b>नकद और नकद समकक्ष</b>				
	i	बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति)	i		
	ii	चेक, हाथ में ड्राफ्ट	ii		
	iii	हाथ में पैसा	iii		
	iv	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iv		
	v	कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv)			III
<b>IV</b>	<b>उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष</b>				IV
<b>V</b>	<b>उधार</b>				
	i	सुरक्षा निक्षेप	i		
	ii	संबंधित पक्षों को उधार (निर्देश देखें)	ii		
	iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii		
	iv	कुल उधार (i + ii + iii)			V
	v	जो उपरोक्त वी में शामिल उधार और अग्रिम हैं-			
		क व्यापार या पेशे के उद्देश्य के लिए	vक		
		ख व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए नहीं	vख		
	ग	आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ का शेयरधारक	vग		
<b>VI</b>	<b>अन्य वित्तीय आस्तियां</b>				VI
	<b>कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI)</b>				2ख
ग	<b>चालू कर आस्तियां (शुद्ध)</b>				2ग
घ	<b>अन्य मौजूदा आस्तियां</b>				
	i	पूँजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम	i		
	ii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ii		
	iii	कुल			2घ

III	कोई लेखा-रहित मामला नहीं	कुल चालू आस्तियां (2क+2ख+2ग+2घ)	2	
		कुल आस्तियां (1 + 2)	II	
		उस मामले में, जहां कारबार या व्यवसाय की नियमित लेखा बहियां नहीं रखी जाती हैं (कारबार या व्यवसाय की बाबत 31 मार्च, 2019 तक निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें)		
		क कुल अन्यान्य ऋणियों की रकम	3क	
		ख कुल विविध लेनदारों की रकम	3ख	
		ग कुल स्टाफ व्यापार की रकम	3ग	
		घ कुल अतिशेष नकद की रकम	3घ	

**भाग क- विनिर्माण लेखा** वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनिर्माण लेखा (उस दशा में मद 1 से मद 3 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 64 भरें)

1	प्रारम्भिक तालिका	क	i	कच्ची सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	i			
			ii	प्रगतिशील सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	ii			
			iii	योग (i + ii)			कiii	
		ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग)					ख
		ग	प्रत्यक्ष मजदूरी					ग
		घ	प्रत्यक्ष कर (घा + घii + घiii)					घ
			i	आवक वहन व्यय	i			
				विद्युत् और ईंधन	ii			
				अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
		ङ	कारखाना अधिव्यय					
			I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i			
				कारखाना किराया और दर	ii			
				कारखाना बीमा	iii			
				कारखाना ईंधन और विद्युत्	iv			
				कारखाना साधारण व्यय	v			
				कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi			
				Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)			
		च	विनिर्माण खाते में किए गए विकलनों का योग (कiii+ख+ग+घ+ङvii)					1च
		2	अंत स्टॉक					
			i	कच्ची सामग्री	2i			
प्रगतिशील कार्य	2ii							
योग (2i + 2ii)						2		
3	व्यापार लेखा में उत्पाद किए गए-अंतरित किए गए माल की लागत (1च - 2)					3		

**भाग क - व्यापार लेखा** वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए व्यापार लेखा (उस दशा में मद 4 से मद 12 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 64 भरें)

4	व्यापार लेखे में जमा	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व				
		क	विक्रय/सकल कारबार की प्राप्तियां (विवरणियों तथा प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग)			
		i	माल का विक्रय	i		
			सेवाओं का विक्रय	ii		
			अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		iiiक		
			ख	iiiख		
ग	योग (iiiक + iiiख)		iiiग			

	iv	योग (i + ii + iiiग)	कiv	
	ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां	ख	
	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं की वावत प्राप्त या प्राप्य शुल्क कर और उपकर		
	i	संघ उत्पाद कर	i	
	ii	सेवा कर	ii	
	iii	मूल्य वर्धितकर/विक्रय कर	iii	
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv	
	v	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	v	
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi	
	vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii	
	viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii	
	ix	योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)	गix	
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख + गix)	4घ	
5		तैयार मालों का अंत स्टॉक	5	
6		व्यापार खाते में जमाओं का योग (4घ + 5iv)	6	
7		तैयार मालों का आरम्भिक स्टॉक	7	
8		क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)	8	
9		प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)	9	
	i	आवक वहन व्यय	i	
	ii	विद्युत और ईंधन	ii	
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष कर की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii	
10		क्रय किए गए माल और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर		
	i	सीमा शुल्क	10i	
	ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii	
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii	
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv	
	v	सेवा कर	10v	
	vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi	
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii	
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	10viii	
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix	
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x	
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi	
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii	
11		विनिर्माण खाते से उत्पादित-उपांतरित माल की लागत	11	
12		कारवार/व्यवसाय से लाभ और हानि लेखा में अंतरित सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)	12	
12क		दिनभर व्यापार से आवर्त	12क	
12ख		दिन भर व्यापार से आय	12ख	

## भाग क – लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 64 भरे)

लाभ हानि लेखे में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ			13		
	14	अन्य आय					
		i	किराया	i			
		ii	कमीशन	ii			
		iii	लाभांश आय	iii			
		iv	ब्याज आय	iv			
		v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v			
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi			
		vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii			
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii			
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix			
		x	कृषि आय	x			
		xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
			क		xiक		
		ख		xiख			
		ग	योग (xiक + xiख)	xiग			
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)			14xii		
	15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)			15		
लाभ और हानि खाते में देय	16	जावक भाड़ा			16		
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग			17		
	18	विद्युत और ईंधन			18		
	19	किराया			19		
	20	भवन की मरम्मत			20		
	21	मशीनरी की मरम्मत			21		
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर					
		i	वेतन और मजदूरी	22i			
		ii	बोनस	22ii			
		iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
		iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
		v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi				
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii				
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii				
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix				
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x				
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)			22xi		
	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं			
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख				
23	बीमा						

	i	चिकित्सीय बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	की-मैन बीमा	23iii		
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v	
24		कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय		24	
25		मनोरंजन		25	
26		आतिथ्य		26	
27		सम्मेलन		27	
28		विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है		28	
29		विज्ञापन		29	
30		कमीशन			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)		30iii	
31		स्वामिस्व			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)		31iii	
32		तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			
33		होटल, बोर्डिंग, आवास		33	
34		विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय		34	
35		विदेशी यात्रा व्यय		35	
36		प्रवहण व्यय		36	
37		टेलीफोन व्यय		37	
38		अतिथि गृह व्यय		38	
39		क्लब व्यय		39	
40		उत्सव समारोह व्यय		40	
41		छात्रवृत्ति		41	
42		उपहार		42	
43		दान		43	
44		सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त किराया और कर या संदेय दर और कर (आय पर करों को छोड़कर)			
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		

	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x	
45		संपरीक्षा फीस		45	
46		अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)		46iii	
47		डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	i			47i	
	ii			47ii	
	iii			47iii	
	iv	पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है		47iv	
	v	जहाँ स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है, वहाँ अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)		47v	
	vi	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)		47vi	
	vii	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii + 47iv + 47v + 47vi)		47vii	
48		डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध		48	
49		अन्य उपबंध		49	
50		ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 - (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32ii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47vii + 48 + 49)]		50	
51		व्याज			
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			
52		अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण		52	
53		करों से पहले शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)		53	
54		वर्तमान कर के लिए उपबंध		54	
55		आस्थगित कर और आस्थगित दायित्व के लिए उपबंध		55	
56		कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)		56	
57		पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष		57	
58		विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)		58	
59		विनियोग			
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण	59i		
	ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश	59ii		
	iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii		
	iv	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
	v	कोई अन्य विनियोग	59v		
	vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv + 59v)	59vi		
60		तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)		60	
61		धारा 44कड के अधीन माल वाहकों से प्रकल्पित आय की संगणना			
	क्र. सं.	कारवार का नाम	कारवार कोड	वर्णन	



		माल गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण सं.	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर ली गई थी	माल गाड़ी की टर्नभार क्षमता (एमटी में)	उन मासों की संख्या, जिनके लिए माल गाड़ी निर्धारिती के स्वामित्वाधीन था/उसके द्वारा पट्टे पर/किराए पर ली गई थी या	माल गाड़ी के लिए धारा 44कड के अधीन प्रकल्पित आय (12 मैट्रिक टन से अधिक टन भार की दशा में प्रतिमास 1000 रुपए की दर से या अन्यथा 7500 रुपए प्रतिमास की दर से संगणित) या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, इनमें जो भी अधिक हो	
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(क)						
	(ख)						
	यथावश्यक पंक्ति विकल्प, जो रहे (अधिकतम 10 तक)						
	(ii)	धारा 44कड के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी 61(i) के स्तम्भ (5) का योग]					61(ii)
	टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर लिए गए माल गाड़ी का संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कख के अधीन लेखाबहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है						
लेखाबहियां	62	ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय धारा 44ख, धारा 44खख, धारा 44खखक या धारा 44खखख में निर्दिष्ट कारबार से एक मात्र लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती है, वहां निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें					
	क	सकल प्राप्ति/आवर्त					62क
	ख	शुद्ध लाभ					62ख

**भाग क - विनिर्माण लेखा भारतीय - लेखा मानक**

**वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विनिर्माण लेखा** [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना] (उस दशा में, जहां नियमित लेखा बहियां बनाई रखी जाती हैं, मद 1 से मद 3 भरें, अन्यथा यथालागू मद 61 से मद 64 भरें)

1	आरम्भिक तालिक						
	क	i	कच्ची सामग्री का आरम्भिक स्टॉक	i			
		ii	प्रगतिशील कार्य का आरम्भिक स्टॉक	ii			
		iii	योग (i + ii)				कiii
	ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)					ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी					ग
	घ	प्रत्यक्ष व्यय					घ
		i	आवक वहन व्यय	i			
		ii	विद्युत और ईंधन	ii			
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
	ङ	कारखाना उपरिव्यय					
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी				
		ii	कारखाना किराया और दर				
		iii	कारखाना बीमा				
		iv	कारखाना ईंधन और विद्युत				
v		कारखाना साधारण व्यय					
vi		कारखाना मशीनरी का अवक्षयण					
vii		योग (i+ii+iii+iv+v+vi)				ङvii	
च	विनिर्माण खाते में विकलनों का योग (कiii+ख +ग +घ +ङvii)					1च	
2	अन्त स्टॉक						
		i	कच्ची सामग्री	2i			
		ii	प्रगतिशील कार्य	2ii			
		योग (2i + 2ii)					2



	viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii		
	ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
	x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
	xi	संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
	xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii	
11		विनिर्माण खाते से उत्पादित-अंतरित माल की लागत		11	
12		लाभ और हानि लेखा में अंतरित-कारबार/व्यवसाय से सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)		12	
12क		दिन भर व्यापार से आवर्त		12क	
12ख		दिन भर व्यापार से आय		12ख	

**भाग क - लाभ और हानि  
भारतीय लेखा मानक**

**वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाभ और हानि लेखा** [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होंगी] (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 64 भरें)

लाभ हानि लेखे में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ			13	
	14	अन्य आय				
		i	किराया	i		
		ii	कमीशन	ii		
		iii	लाभांश आय	iii		
		iv	ब्याज आय	iv		
		v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v		
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi		
		vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii		
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii		
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix		
		x	कृषि आय	x		
		xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क		xिक		
		ख		xिख		
		ग	योग (xिक + xिख)	xिग		
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xिग)			14xii	
	15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)			15	
लाभ और हानि खाता में देय	16	जावक भाड़ा			16	
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग			17	
	18	विद्युत और ईंधन			18	
	19	किराया			19	
	20	भवन की मरम्मत			20	
	21	मशीनरी की मरम्मत			21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
		i	वेतन और मजदूरी	22i		
	ii	बोनस	22ii			
	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v			

	<b>vi</b>	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	<b>22vi</b>		
	<b>vii</b>	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	<b>22vii</b>		
	<b>viii</b>	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	<b>22viii</b>		
	<b>ix</b>	कोई अन्य निधि में अभिदाय	<b>22ix</b>		
	<b>x</b>	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	<b>22x</b>		
	<b>xi</b>	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर ( <b>22i</b> से <b>22x</b> का योग)			<b>22xi</b>
	<b>xii</b>	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर <b>22xi</b> में सम्मिलित किया गया है	<b>xiiक</b>	हां / नहीं	
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	<b>xiiख</b>		
<b>23</b>	बीमा				
	<b>i</b>	चिकित्सीय बीमा	<b>23i</b>		
	<b>ii</b>	जीवन बीमा	<b>23ii</b>		
	<b>iii</b>	की-मैन बीमा	<b>23iii</b>		
	<b>iv</b>	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	<b>23iv</b>		
	<b>v</b>	बीमा पर कुल व्यय ( <b>23i + 23ii + 23iii + 23iv</b> )			<b>23v</b>
<b>24</b>	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय				<b>24</b>
<b>25</b>	मनोरंजन				<b>25</b>
<b>26</b>	आतिथ्य				<b>26</b>
<b>27</b>	सम्मेलन				<b>27</b>
<b>28</b>	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है				<b>28</b>
<b>29</b>	विज्ञापन				<b>29</b>
<b>30</b>	कमीशन				
	<b>i</b>	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	<b>i</b>		
	<b>ii</b>	अन्य को	<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	योग ( <b>i + ii</b> )			<b>30iii</b>
<b>31</b>	स्वामिस्व				
	<b>i</b>	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	<b>i</b>		
	<b>ii</b>	अन्य को	<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	योग ( <b>i + ii</b> )			<b>31iii</b>
<b>32</b>	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस				
	<b>i</b>	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	<b>i</b>		
	<b>ii</b>	अन्य को	<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	योग ( <b>i + ii</b> )			<b>32iii</b>
<b>33</b>	होटल, बोर्डिंग, आवास				<b>33</b>
<b>34</b>	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय				<b>34</b>
<b>35</b>	विदेशी यात्रा व्यय				<b>35</b>
<b>36</b>	प्रवहण व्यय				<b>36</b>
<b>37</b>	टेलीफोन व्यय				<b>37</b>
<b>38</b>	अतिथि गृह व्यय				<b>38</b>
<b>39</b>	क्लब व्यय				<b>39</b>
<b>40</b>	उत्सव समारोह व्यय				<b>40</b>
<b>41</b>	छात्रवृत्ति				<b>41</b>
<b>42</b>	उपहार				<b>42</b>
<b>43</b>	दान				<b>43</b>

44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (आय पर कर को छोड़कर)					
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i			
	ii	सेवा कर	44ii			
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii			
	iv	उपकर	44iv			
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v			
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi			
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii			
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii			
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix			
x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x		
45	संपरीक्षा फीस				45	
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
	i		i			
	ii		ii			
iii	योग (i + ii)			46iii		
47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
	i				47i	
	ii				47ii	
	iii				47iii	
	iv	पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है		47iv		
	v	जहां स्थायी लेखा संख्यांक उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)		47v		
	vi	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)		47vi		
	vii	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii + 47iv + 47v + 47vi)			47vii	
48	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध				48	
49	अन्य उपबंध				49	
50	व्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 - (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47vii + 48 + 49)]				50	
51	व्याज					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त	i			
	ii	अन्य को	ii			
iii	योग (i + ii)			51iii		
52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण				52	
53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 - 51iii - 52)				53	
कर और विनियोग के लिए उपबंध	54 वर्तमान कर के लिए उपबंध				54	
	55 आस्थगित कर और आस्थगित दायित्व के लिए उपबंध				55	
	56 कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)				56	
	57 पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष				57	
	58 विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)				58	
	59 विनियोग					
	i	आरक्षितियों और अग्रिशेष में अन्तरण		59i		
ii	प्रस्तावित लाभ/अन्तरिम लाभ/अंश		59ii			

	iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii			
	iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv			
	v	कोई अन्य विनियोग	59v			
	vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi			
60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)				60	
61	क	ऐसी मदें, जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी				
	i	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	i			
	ii	परिभाषित फायदा योजनाओं का पुनःपरिमाणन	ii			
	iii	ओसीआई के माध्यम से साम्या लिखतें	iii			
	iv	एफवीपीटीएल में पदाभिहीत वित्तीय दायित्वों के अपने ही जमा जोखिम से सम्बन्धित उचित मूल्य परिवर्तन	iv			
	v	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय के अंश, जिन्हें लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाना है	v			
	vi	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vi			
	vii	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	vii			
	viii	योग			61क	
	ख	वे मदें, जो लाभ और हानि के पुनःवर्गीकृत की जाएंगी				
	i	विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	i			
	ii	ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखतें	ii			
	iii	नकद प्रवाह नियंत्रण में नियंत्रणकारी लिखतों पर अभिलाओं और हानि का प्रभावी लाभ	iii			
	iv	सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक ओसीआई का अंश, जो लाभ और हानि में वर्गीकृत की जाए	iv			
	v	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	v			
	vi	उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत की जाएंगी	vi			
	vii	योग			61ख	
62	कुल व्यापक आय (56 + 61A + 61B)				62	
63	धारा 44कड के अधीन माल वाहकों से प्रकल्पित आय की संगणना					
	क्र. सं.	कारवार का नाम		कारवार कोड	वर्णन	
		माल गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण सं.	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर ली गई थी	माल गाड़ी की टर्नभार क्षमता (एमटी में)	उन मासों की संख्या, जिनके लिए माल गाड़ी निर्धारिती के स्वामित्वाधीन थी/उसके द्वारा पट्टे पर/किराए पर ली गई थी	माल गाड़ी के लिए धारा 44कड के अधीन प्रकल्पित आय (12 मैट्रिक टन से अधिक टन भार की दशा में प्रतिमास 1000 रुपए की दर से या अन्यथा 7500 रुपए प्रतिमास की दर से संगणित) या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, इनमें जो भी अधिक हो
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(क)					
	(ख)					
	यथावश्यक पंक्ति विकल्प, जोड़ें (अधिकतम 10 तक)					
	(ii)	धारा 44कड के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी 63(i) के स्तम्भ (5) का योग]				63(ii)
	टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर ली गई माल गाड़ी की संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कख के अधीन लेखा बहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है					

लेखारहित मामला	64	यदि कारवार या व्यवसाय (धारा 44कड के अन्तर्गत आने वाले कारवार या व्यवसाय से भिन्न) की नियमित लेखा बहियां बनायीं नहीं रखी जाती हैं तो कारवार या वृत्ति के सम्बन्ध में पूर्व वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें				
	(i)	कारवार करने वाले निर्धारिती के लिए				
	क	सकल प्राप्तियां/आवर्त (क1 + क2)		क1		
	1	विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्रॉफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से		क1		
	2	कोई अन्य ढंग		क2		
	ख	सकल लाभ		कख		
	ग	व्यय		कग		
	घ	शुद्ध लाभ				64i
	(ii)	व्यवसाय करने वाले निर्धारिती के लिए				
	क	सकल प्राप्तियां (क1 + ख2)		क1		
	1	विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्रॉफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से		क1		
	2	कोई अन्य ढंग		क2		
	ख	सकल लाभ		कख		
	ग	व्यय		कग		
घ	शुद्ध लाभ				64ii	
(iii)	शुद्ध लाभ (64i + 64ii)				64iii	

**भाग क- अन्य जानकारी** अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन दायी हो, तो अनिवार्य, अन्य के लिए, यदि लागू हो, भरें)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> वाणिज्य <input type="checkbox"/> नकद
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क(iii)]	3क
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11ख(iii)]	3ख
	4	पूर्व वर्ष में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति (व्यवसायों के मामले में बैकल्पिक)	
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
	घ	धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ
	ड	धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ड
	5	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई रकम, जो-	
	क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मर्दे हैं	5क
	ख	परफॉर्म जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोध के रूप में स्वीकार की जाए	5ख
	ग	पूर्ववर्ष के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
ड	पूजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ड	
च	लाभ-हानि लेखे में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ड)	5च	
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें		
क	स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	

ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1) ( i ख)]	6ख	
ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभान्श के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)( ii)]	6ग	
घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1) ( iii)]	6घ	
ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)( iii क)]	6ङ	
च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)( iv)]	6च	
छ	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)( iv)]	6छ	
ज	धारा 80 ग ग घ में निर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभितदाय रकम [36(1)( iv क)]	6ज	
झ	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)( v)]	6झ	
ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6ञ	
ट	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि [36(1)( vi)]	6ट	
ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)( vii)]	6ठ	
ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)( vii क)]	6ड	
ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)( viii)]	6ढ	
ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)( ix)]	6ण	
त	प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में सदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1)( xv)]	6त	
थ	धारा 145(2) [36(1)( xviii)] अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि के लिए चिन्हित	6थ	
द	कोई अन्य अननुज्ञेय	6द	
ध	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध)		6ध
न	कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भविष्य निधि है तो आवश्यक)		
	i भारत में अभिनियोजित	i	
	ii भारत के बाहर अभिनियोजित	ii	
	iii कुल	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें		
क	पूंजी स्वरूप का व्यय	7क	
ख	व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय	7ख	
ग	कारवार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्ण या अन्य रूप से उपगत या किया गया व्यय न हो [37(1)]	7ग	
घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(1)]	7घ	
ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7छ	
ज	कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.)	7ज	
झ	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7झ	
ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ञ	
ट	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)		7
8	अ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम		



	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक		
	ख	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(i क) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अख		
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग		
	घ	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 क(ii) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अघ		
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क(ii)	अङ		
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क(ii क)	अच		
	छ	धारा 40 क(ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के रूप में संदत्त रकम	अछ		
	ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम (40 ख)	अज		
	झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ		
	ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)		8अज	
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम		8आ	
9	क	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखे में विकलित रकमें			
	ख	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क		
	ग	पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग से भिन्न रूप में संदत्त रकम जो धारा 40क(3) के अधीन अननुज्ञेय है	9ख		
	घ	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क(7)]	9ग		
	ङ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क(9)]	9घ		
	च	कोई अन्य अननुज्ञेय	9ङ		
	ज	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)		9च	
10	क	किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान अननुज्ञेय कोई रकम			
	ख	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ग	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	घ	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	ङ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	च	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	ज	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	झ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	10छ		
	ञ	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)		10ज	
11	क	पूर्व वर्ष के लाभ-हानि लेखे में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम			
	ख	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ग	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवार्षिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	घ	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	ङ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		

12	क	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11क		
	ख	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11ख		
	घ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	11घ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11ज	
	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम				
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी)	12छ		
ज	कोई अन्य कर	12ज			
झ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ		
13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें			13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम			14	
15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम			15	
16	धारा 14 के अधीन अननुज्ञात व्यय की रकम			16	

<b>भाग क - मात्रात्मक ब्यौरे</b>		मात्रात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हो, तो अनिवार्य)			
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टाक		1	
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय		2	
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय		3	
	4	अंतिम स्टाक		4	
	5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो		5	
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
	6	कच्चा माल			
		क	आरंभिक स्टाक	6 क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6 ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान उपभोग	6 ग	
		घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6 घ	
		ङ	अंतिम स्टाक	6 ङ	
		च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च	
		छ	प्राप्त का प्रतिशत	6 छ	
		ज	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज	
	7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद			
		क	आरंभिक स्टाक	7 क	
		ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7 ख	
		ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग	
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7 घ		
	ङ	अंतिम स्टाक	7 ङ		
	च	कमी/आधिक्य यदि कोई हो	7 च		

## भाग क- ओ एल

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता

समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता	1 आरम्भिक अतिशेष			
	i हाथ नकदी	1i		
	ii बैंक	1ii		
	iii कुल आरम्भिक अतिशेष	1iii		
	2 प्राप्तियाँ			
	i ब्याज	2i		
	ii लाभांश	2ii		
	iii आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	क	2iiiक		
	ख	2iiiख		
	ग	2iiiग		
	घ कुल (2iiiक + 2iiiख + 2iiiग)	2iiiघ		
	iv देय/ऋणी का वसूल करना	2iv		
	v अन्य (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	क	2vक		
	ख	2vख		
	ग कुल अन्य प्राप्तियाँ (2vक + 2vख)	2vग		
	vi कुल प्राप्तियाँ (2i + 2ii + 2iiiघ + 2iv + 2vग)	2vi		
	3 कुल आरंभिक अतिशेष और प्राप्तियाँ			3
	4 संदाय			
	i प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4i		
	ii अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4ii		
	iii लेनदारों को प्रतिसंदाय	4iii		
	iv कमीशन	4iv		
v अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
क	4vक			
ख	4vख			
ग अन्य संदायों का योग (4vक + 4vख)	4vग			
vi कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vc)	4vi			
5 अंत अतिशेष				
i हाथ नकदी	5i			
ii बैंक	5ii			
iii कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii)	5iii			
6 कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii)			6	

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ यथा लागू भरे

## अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति के स्वामित्व को उपदर्शित करते हुए ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)				
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता				
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता		
	I					

II							
/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो) I II		किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन) (यदि उपलब्ध हों)		अभिधारी(अभिधारियों) का पैन/टैन (यदि स्रोत पर कर कटौती प्रत्यय का दावा किया गया है)	
क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य				1क			
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		1ख					
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर		1ग					
घ योग (1ख + 1ग)		1घ					
ङ वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है		1ङ					
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)		1च					
छ 1च का 30%		1छ					
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज		1ज					
झ योग (1छ + 2ज)		1झ					
ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अवसूलीकृत किराया घटा 30 प्रतिशत		1ञ					
ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)		1ट					
2 संपत्ति 2 का पता		नगर/ शहर		राज्य		पिन कोड / जिप कोड	
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)							
संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता							
सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता			
I							
II							
/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो <input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो) I II		किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन) (कृपया टिप्पण देखें)		अभिधारी(अभिधारियों) का पैन/टैन (कृपया टिप्पण देखें)	
क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वा के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वा के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)				2क			
ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती		2ख					
ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर		2ग					
घ योग (2ख + 2ग)		2घ					
ङ वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)		2ङ					
च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)		2च					
छ 1च का 30%		2छ					
ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज		2ज					
झ योग (2छ + 2ज)		2झ					
ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अवसूलीकृत किराया घटा 30 प्रतिशत		2ञ					
ट गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)		2ट					
3 पास श्रू आय, यदि कोई हो *				3			
4 "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक है, तो अनुसूची सीवाईएलए की 2/ तक के आंकड़े लें)				4			
टिप्पण ▶		कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची धतञ में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय और अनुसूची तनञ में निर्दिष्ट पास श्रू आय सम्मिलित करें					
टिप्पण ▶		यदि धारा 194अख के अधीन कर की कटौती की गई है तो अभिधारी का पैन दिया जाना अनिवार्य है यदि धारा 194अ के अधीन कर की कटौती की गई है तो अभिधारी का टैन दिया जाना अनिवार्य है					

अनुसूची - कारबार या वृत्ति		कारबार या वृत्ति से आय की संगणना			
असट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति					
कारबार या वृत्ति से आय	1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 53 और 61(iii) / भाग क-लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 55 और 63(iii) ) (यदि लागू हों)	1		
	2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में --विहन प्रविष्ट करें)	2क		
	2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- विहन प्रविष्ट करें)	2ख		
	3	लाभ और हानि लेखा में जमा आय/पावती को आय के अन्य शीर्ष के अधीन धारा 115 खख च के अधीन धारा खघ के अधीन समझा जाएगा।	क	गृह संपत्ति	3क
			ख	पूंजी अभिलाभ	3ख
			ग	अन्य स्रोत	3ग
			घ	115खखच के अधीन	3घ
			ङ	115खखछ के अधीन	3ङ
	4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखख/ 44घ/ 44घक अध्याय 12छ/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (115ख से भिन्न) (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)	4क		
	4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	4ख		
	4ग	नियम 7, 7क, 7ख (1), 7ख (1क) और 8 के अन्तर्गत आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)	4ग		
	5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है			
		क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क	
		ख	एओपी/बीओए से आय के शेर	5ख	
		ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
		i	गii		
			गiii		
गiii			कुल (गii + गiii)	5गiii	
घ	कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गiii)	5घ			
6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3 क - 3ख - 3ग - 3घ - 3ङ - 4- 5घ)	6			
7	लाभ और हानि लेख में विकलित व्यय जो धारा 115 ख ख च या धारा 115 खखछ के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा।	क	स्वामित्व संपत्ति	7क	
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख	
		ग	अन्य स्रोत	7ग	
		घ	115खखच के अधीन	7घ	
		ङ	115खखछ के अधीन	7ङ	
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है	8क			
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय, जो आय छूट से सम्बन्धित हैं, धारा 14क (भाग क-गण्ड का 16) के अधीन अननुज्ञात हैं	8ख			
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 8)	9			
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)	10			
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण	11			
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण				
	i	धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)	12i		
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशिष्ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)	12ii		
	iii	कुल (12i + 12ii)	12iii		
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13			
14	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम ( भाग अ आई का 6 द)	14			
15	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम ( भाग अ आई का 7ट)	15			
16	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम ( भाग अ आई का 8कज)	16			
17	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम ( भाग अ आई का 9 च)	17			

18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय हैं ( भाग अ आई का 11ज)	18	
19	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अननुज्ञेय ब्याज	19	
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20	
21	धारा 32कग/33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21	
22	धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	22	
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23	
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अननुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिससे कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)	24	
25	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढ़त या हानि में कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची OIका 4घ)	25	
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)	26	
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27	
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28	
29	धारा 32गक के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	29	
30	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची इएसआर का मद भ4 यदि धारा 35 गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	30	
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम (भाग अणझ का 8ख)	31	
32	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग अणझ का 10छ)	32	
33	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	33	
34	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची OIका 4ङ)	34	
35	कुल (27+28+29+30+31+32+33+34)	35	
37	आय (13+26-35)	36	
	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -		
i	धारा 44कड अनुसूची लाभ और हानि की 62(ii) या भारतीय लेखा मानक लाभ और हानि का 64 (ii)	37i	
ii	धारा 44ख	37ii	
iii	धारा 44खख	37iii	
iv	धारा 44खखक	37iv	
v	धारा 44खखख	37v	
vi	धारा 44घ	37vi	
vii	धारा 44घक	37vii	
viii	अध्याय-XII-छ (टनेज)	37viii	
ix	आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख से भिन्न)	37ix	
x	कुल (37i to 37ix)	37x	
38	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 37x)	38	
39	नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं है तो 35 की वही रकम यथाप्रविष्ट करेकं जो 35 में है करने के पश्चात विशेष कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 37 में है/ यदि हानि है तो मद ड का 2झ लें) (39क + 39ख + 39ग + 39घ + 39ङ + 39च)	39	
क	नियम 7 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39क	
ख	नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ख	
ग	नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ग	
घ	नियम 7ख(1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39घ	
ङ	नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ङ	

	च	नियम 7क, नियम 7ख और नियम 8 के अधीन (मद सं. 37) से भिन्न आय	39च	
40		वित्त अधिनियम [ 4ख-(39क+39ख+39ग+39घ+39ङ)] के अनुसार आय के संकलन के प्रयोजन के लिए नियम 7, नियम 7क, नियम 7ख(1), नियम 7ख(1क) और नियम 8 लागू करने के पश्चात् कृषि से प्राप्त हुई समझी गई आय का अतिशेष	40	
आ सट्टे के कारबार से आय की संगणना				
41		लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	41	
42		धारा 28 से 44 धक के अनुसार परिवर्धन	42	
43		धारा 28 से 44 धक के अनुसार कटौतियां	43	
44		सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (41 + 42 - 43) (यदि हानि है तो मद गचट का अंक 6 xi लें)	44ख	
इ विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना				
45		लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि	45	
46		धारा 28 से धारा 44धक के अनुसार जोड़	46	
47		धारा 28 से धारा 44धक के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ ii 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)	47	
48		विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (45 + 46 - 47)	48	
49		धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां	49	
50		विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (48 - 49) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	इ50	
51		धारा 35 अ.ई की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन करने के लिए)	इ51	
ई		लाभ और हानि शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ38+आ44+ इ50)	ई	
उ चालू वर्ष में कारबार हानि का अन्तःशीर्ष मुजरा				
क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
i	हानि का मुजरा (इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है)		(क39)	
ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख44)		
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग50)		
iv	कुल हानि मुजरा (ii + iii)			
v	मुजरा पश्चात् हानि (i - iv)			

## अनुसूची - डीपीएम

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण ( उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं )

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी		
	2	दर (%)	15	30	40
			(i)	(ii)	(iii)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य			
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन			
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन			
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+ 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन			
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्माचन			
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			

10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण			
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण			
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो			
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो			
14	आसति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण			
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)			
16	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण ( स्तंभ 15 के बाहर)			
17	शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16)			
18	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण ( स्तंभ 17 के बाहर)			
19	आसति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय			
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)			
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			

**अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण**

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण ( उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	भूमि	भवन ( जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है )			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियाँ	पोत
	2	दर (%)	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य						
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन						
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन						
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा ( 3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन						
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्माचन						
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)						
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण						
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण						
	12	कुल अवक्षयण। (10+11)						
	13	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण ( स्तंभ 12 के बाहर)						
	14	शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13)						
	15	अन्तरवर्तन,समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण ( स्तंभ 14 के बाहर)						
	16	आसति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय						
	17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं है)						



18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

**अनुसूची - डीईपी** आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है )

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी					
		क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i जैसा लागू हैं )	1क			
		ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii जैसा लागू हैं )	1ख			
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii जैसा लागू हैं )	1ग			
		घ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग)		1घ		
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)					
		क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii जैसा लागू हैं )	2क			
		ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii जैसा लागू हैं )	2ख			
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv जैसा लागू हैं )	2ग			
		घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))		2घ		
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v जैसा लागू हो)			3		
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi जैसा लागू हो)			4		
	5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii जैसा लागू हो)			5		
	6	कुल अवक्षयण (1घ+2घ+3+4+5)			6		

**अनुसूची - डीसीजी** अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
		क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
		ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
		घ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग)		1घ	
	2	भवन ( जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)				
		क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
		ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
		घ	योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ	
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)			3	
	4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)			4	
	5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)			5	
	6	कुल अवक्षयण (1घ+2घ+3+4+5)			6	

## अनुसूची - इएसआर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या गगग या गगघ के अधीन कटौती )

क्र.सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ii क)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अअ)			
vii	35(2अआ)			
viii	35गगग			
ix	35गगघ			
x	योग			

टिप्पण ► यदि धारा 35(1)(ii) या 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन किसी कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची दक के अनुसार ब्यौरे दें

## अनुसूची-पूँजी अभिलाभ

पूँजी अभिलाभ

क	लघु अवधि पूँजी अभिलाभ ( एसटीसीजी ) ( उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है )							
1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरे)							
लघु अवधि पूँजी अभिलाभ	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का				
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	कii				
		iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य (यदि (काii) 1.05 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़े को (का) के रूप में लें या अन्यथा (काii) के रूप में लें)	कiii				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i				
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
		iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय	ख iii				
		iv	योग ( ख i + ख ii + ख iii )	ख iv				
		ग	तुलन कiiiii - ख iv)	1 ग				
		घ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें )					1 घ
	ङ	स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूँजी अभिलाभ ( 1 ग - 1 घ )					क 1 ङ	
च	अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)							
	क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड	
	टिप्पण ►	यदि कर धारा 194अक के अधीन काटा गया है तो पैन देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें						
2	स्लम्य विक्री से							
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			2 क	(प्ररूप 3गडक का 5)		
	ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य			2 ख	(प्ररूप 3गडक का 6(ङ))		
	ग	स्लम्य की विक्री से लघु अवधि पूँजी अभिलाभ ( 2 क- 2 खे )					क 2 ग	
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत किया गया है							
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			3 क			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i				
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii				
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ग iii				
		iv	योग(i + ii + iii)	ख iv				
	ग	शेष ( 3 क - ख iv )					3 ग	

घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	3 घ	
	ड	साम्या शेरर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाम (एसटीटी संदत्त) (3 ड +3 घ)	क 3 ड
4	अनिवारियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेररों या लाभांशों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)		
क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है		क 4
ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है		क 4 ख
5	अनिवारियों की दशा में धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)		
क	i प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेरर के अतिरिक्त कंपनी के शेरर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-		
	क कोटा नहीं किए जाने वाले शेरर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य।		
	ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेररों का उचित बाजार मूल्य		
	ग पूंजी अभिलाम के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेररों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग	
	ii कोट न किए जाने वाले शेररों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य		
	iii कुल (ग + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv योग (i + ii + iii)	ख iv	
ग	शेष (5 क iii- ख iv)	5 ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	5 घ	
ड	साम्या शेरर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाम (एसटीटी संदत्त) (3 ड +3 घ)		क 5 ड
6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से		
क	i आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेरर के अतिरिक्त कंपनी के शेरर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-		
	क कोटा नहीं किए जाने वाले शेरर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य।		
	ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेररों का उचित बाजार मूल्य		
	ग पूंजी अभिलाम के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेररों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग	
	ii कोट न किए जाने वाले शेररों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य		
	iii कुल (ग + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
	i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv योग (i + ii + iii)	ख iv	
ग	शेष (6 क iii - ख iv)	6 ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)	6 घ	
ड	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाम (अनुसूची डीसीजीका 6)	6 ड	
च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती	6 च	
छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ड + 6 च)		क 6 छ
7	अल्प कालिक पूंजी अभिलाम समझी गई राशि		
क	व्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाम की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाम खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं		
क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है पूंजी अभिलाम खाता में से उपयोग की गई नई राशि
i	2015-16	54घ/54छ/54छक	
ख	धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाम समझी गई राशि		
	धारा 54 ख/54 घ/54 छ/54 छ लघु अवधि पूंजी अभिलाम समझी गई राशि (कxi+ ख)		
			क 7

8		अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के स्वरूप की पास श्रू आय, (तनत्र भरे) (क8क +क8व +क8ग)							क8			
	क	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के स्वरूप की पास श्रू आय, 15 प्रतिशत की दर पर प्रभार्य					क8क					
	ख	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के स्वरूप की पास श्रू आय, 30 प्रतिशत की दर पर प्रभार्य					क8व					
	ग	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के स्वरूप की पास श्रू आय, लागू दरों पर प्रभार्य					क8ग					
9		एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभार्य है:										
		क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. का से क8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीएए की धारा	संधि के अनुसार दर ( यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है ( हॉ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या(9)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
	क	डीटीएए के अधीन भारत एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि									क9क	
	ख	डीटीएए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम									क9ख	
10		कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ ( क1 ड+ क2 ग+ क3 ड+ क4 क+ क4 ख+ क5 ड+ क6 छ+ क7 + क8 - क9क)								क10		
ख		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं )										
दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ	1		भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरे)									
		क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य				का				
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				काii				
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य यदि (काii) 1.05 गुणा (का), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़े को (का) के रूप में लें या अन्यथा (काii) लें।				काiii				
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i				
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii				
			iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय				ख iii				
			iv	योग ( ख i + ख ii + ख iii)				ख iv				
		ग	शेष ( क iii - ख iv)				1 ग					
	घ	धारा 54 घ / 54 डग/54 छ /54 छक के अधीन कटौती ( नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें )				1 घ						
	ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)								ख 1 ड		
	च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें)										
		क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम		क्रेता(क्रेताओं) का पैना	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड			
		टिप्पण ▶ यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैना देना अनिवार्य है। एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें।										
2		स्लम्य विक्री से										
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				2क	(प्ररूप 3गडक का 5)					
	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य				2 ख	(प्ररूप 3गडक का 6(ड))					
	ग	शेष (2 क - 2 ख)				2 ग						
	घ	धार के अधीन कटौती				2 घ						
	ड	स्लम्य के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ)								ख 2 ड		
3		बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न )										
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				3क						
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां										
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i					
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii					
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii					
		iv	योग ( ख i + ख ii + ख iii)				ख iv					
	ग	शेष (3क - ख iv)				3 ग						
	घ	धारा के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				3 घ						
	ड	एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (3 ग - 3 घ)								ख 3 ड		
4		सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य रूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है।										
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				4क						
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां										

	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv	योग ( ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग	शेष (4 क - ख iv)		4 ग	
घ	धारा के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		4 घ	
ङ	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (4ग-4घ)			ख 4 ङ
5	किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है			
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	5क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत (i क और i ख से अधिक)	खi	
	क	अर्जन की लागत	i क	
	ख	यदि दीर्घ अवधि पूंजी अस्तित्व का अर्जन 01;02;2018 से पहले किया गया है (ख1 और ख2 से कम)	i ख	
	1	धारा (55) 2 (कग) के अनुसार पूंजी अस्तित्व का उचित बाजार मूल्य	ख1	
	2	प्रतिफल का पूरा मूल्य	ख2	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii	
	iii	अंतरण से संबंधित पूर्णतया या अनन्यता व्यय	खiii	
	iv	कुल कटौतिया (खi + खii + खiii)	खiv	
ग	अतिशेष (5 क - खiv)		5ग	
घ	धारा 112क के अनुसार कम दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ अवसीमा (5ग - 1 लाख ₹0)		5घ	
ङ	धारा 54च के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट)		5ङ	
च	उपरोक्त ख5 (5घ - 5ङ) में पूंजी अस्तित्व के विक्रय पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ			ख5च
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)			
	क	सूचीकरण फायदे के बिना संगणित दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ	6क	
	ख	धारा के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	6ख	
	ग	शेयर या डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (6क - 6ख)		ख6ग
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)( ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनितों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विदिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तम्भ ख8 भरा जाएगा )			
	क	i प्रतिभूतियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-		
		क कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।		
		ख विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य		
		ग पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग	
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य		
	iii	कुल (i ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii	
	iv	योग ( ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
ग	शेष (क iii- ख iv)		7 ग	
घ	धारा 54ङग/ 54ङड़ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		7 घ	
ङ	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (6ग-6घ )			ख 7ङ
8	अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की इकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है			
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	8क	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत (i क और i ख से अधिक)	खi	
	क	अर्जन की लागत	i क	
	ख	यदि दीर्घ अवधि पूंजी अस्तित्व का अर्जन 01;02;2018 से पहले किया गया है (ख1 और ख2 से कम)	i ख	
	1	धारा (55) 2 (कग) के अनुसार पूंजी अस्तित्व का उचित बाजार मूल्य	ख1	

		2	प्रतिफल का पूरा मूल्य	ख2							
	ii		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii							
	iii		अंतरण से संबंधित पूर्णतया या अनन्यता व्यय	खiii							
	iv		कुल कटौतिया (ख + खii + खiii)	खiv							
ग			अतिशेष (5क - खiv)	8ग							
घ			धारा 112क के अनुसार कम दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ अवसीमा (5ग - 1 लाख ₹0)	8घ							
ङ			धारा 54घ के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरें विनिर्दिष्ट)	8ङ							
च			उपरोक्त ख5 (5घ - 5ङ) में पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ			ख8च					
9			आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं								
	क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-								
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य								
		ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य								
		ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)	ग							
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य								
		iii	कुल (ग + ii)	क iii							
	ख		धारा 48 के अधीन कटौतियाँ								
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i							
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii							
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii							
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv							
	ग		शेष (9 क iii - खiv)	7 ग							
	घ		धारा 54घ/धारा 54छ/धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरें विनिर्दिष्ट करें)	7 घ							
	ङ		ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)			ख 9 ङ					
10			दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि								
	क		क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं								
		क्रम सं.	पूर्व वर्षों में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि					
		i	2015-16	54/54घ/54च/54छ/54छक							
	ख		क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि								
			दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi+ख)			ख10					
11			दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास थू आय (अनुसूची पीटीआई भरे) (ख12क + ख12ख)			ख11					
		क	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास थू आय 10 प्रतिशत की दर से प्रभाय			ख11क					
		ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास थू आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभाय			ख11ख					
12			एलटीसीजी की रकम जो क1-क7 में सम्मिलित हैं परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभाय नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभाय है:								
		क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या (9)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		I									
		II									
		क									ख12क
		ख									ख12ख
13			कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3ङ + ख 4ङ + ख 5घ + ख 6ग + ख 7ङ + ख 8घ - ख9ङ + ख 10 + ख 11 - ख12क) (हानि की दशा में संख्या को अनुसूची गचठ)की 9 Xi पर ले जाएं								ख 10
	ग		“पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 10 + ख13) (यदि हानि हो तो ख 10 को शून्य लें)								ग
	घ		पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी								
	1		धारा 54घ / धारा 54ङघ/ धारा 54छ / धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित ब्यौरें दें।								
		क									धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती



vi	दीर्घ अवधि पूंजी हानि	10%	आ4ड*+ आ5च*+ आ7ड*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क*)							
vii		20%	(आ1ड*+ आ2ड*+ आ3ड*+ आ6ग*+ आ9ड*+ आ10*+ आ11ख*)							
viii		डीटीएए दर	आ12ख							
ix	मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजराई के बाद शेष हानि (i - ix)									
इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमशः संग्रहित एसटीसीजी की वह रकम है जिसमें एसटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।										
इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमशः संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, धटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।										
च	पूंजी अभिलाम के उद्भूत /प्राप्ति के विषय में सूचना									

	पूंजी अभिलाम का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
1	15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूंजी अभिलाम अनुसूची बीएफएलए की मद 5a से मूल्य भरें, यदि कोई हो					
2	30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूंजी अभिलाम अनुसूची बीएफएलए की मद 5a से मूल्य भरें, यदि कोई हो					
3	लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाम अनुसूची बीएफएलए की मद 5b से मूल्य भरें, यदि कोई हो					
4	डीटीएए की दर पर करादेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाम अनुसूची बीएफएलए की मद 5b से मूल्य भरें, यदि कोई					
5	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम अनुसूची बीएफएलए की मद 5c से मूल्य भरें, यदि कोई					
6	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम अनुसूची बीएफएलए की मद 5c से मूल्य भरें, यदि कोई हो					
7	डीटीएए की दर पर करादेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाम अनुसूची बीएफएलए की मद 5c से मूल्य भरें, यदि कोई हो					

### अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
क	लाभांश, सकल	1क	
ख	ब्याज, सकल (खा + खii + खiii + खiv)	1ख	
i	बचत बैंक खाता	खा	
ii	जमा राशि (बैंक/डाकखाना/कॉर्पोरेटिव सोसाइटी)	खii	
iii	आय कर प्रतिदाय से	खiii	
iv	गस थूँ आय की प्रकृति में	खiv	
v	अन्य	खv	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56 (2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घi + घii + घiii + घiv + घv)	1घ	
i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi	
ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii	
iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii	
iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv	
v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv	



2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ )				2
क	लाटरी वर्ग पहली इत्यादि की जीत के रूप में आय			2क	
ख	धारा 115खखघ के अधीन प्रभार्य आय (खा + खii + खiii + खiv + खv + खvi)			2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi			
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii			
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii			
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv			
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv			
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय	खvi			
ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित अतिशेष			2ग	
	क्रसं0	निधारण वर्ष	आय प्रसूविधा	कर प्रसूविधा	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई आय (घi से घxix का कुल योग )			2घ	
i	धारा 115 क(1)(क)(i) के अधीन किसी अनिवासी जो कंपनी नहीं है या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	घi			
ii	धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी करेन्सी श्रृण पर भारतीय समुन्यान से प्राप्त ब्याज	घii			
iii	धारा115 क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना श्रृण निधि से प्राप्त ब्याज	घiii			
iv	धारा115 क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य धारा 194 टघ में निर्दिष्ट ब्याज	घiv			
v	धारा115 क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य धारा 194 औ ई में निर्दिष्ट ब्याज	घv			
vi	धारा115 क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य धारा 194 औआअ में निर्दिष्ट वितरित आय जो ब्याज है	घvi			
vii	धारा115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य यूटीआई की इकाई या धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधि से आय	घvii			
viii	धारा115 क(1)(ख) सरकार या भारतीय समुन्यान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस से आय	घviii			
ix	धारा115 कग के अधीन प्रभार्य अनिवासियों द्वारा ब्याज के रूप में या बॉण्डस या जी डी आर या विदेशी करेन्सी में क्रय किया गये लाभांश से आय	घix			
x	धारा115 कगक के अधीन प्रभार्य निवासियों द्वारा विदेशी करेन्सी में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के रूप में आय	घx			
xi	धारा115 कघ (1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभृतियों (धारा 115 कख में निर्दिष्ट इकाईयों के सिवाय) के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय	घxi			
xii	धारा115 कग(1)(i) के परन्तुक के अनुसार प्रभार्य किसी एफआईआई दवारा बाण्ड पर या धारा 194 टघ में निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभृतियों पर प्राप्त ब्याज के रूप में आय	घxii			
xiii	धारा115 खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ी या खेल संगठनों पर कर	घxiii			
xiv	धारा115खखग के अधीन प्रभार्य कतिपय मामलो में गुप्त दान	घxiv			
xv	धारा115 कखगक के अधीन प्रभार्य विनिर्दिष्ट निर्धारित दवारा देशी कम्पनी से लाभांश के रूप में प्राप्त दस लाख से अधिक आय	घxv			
xvi	धारा115 कखक के अधीन प्रभार्य भारत में विकसित और रजिस्टर्ड वेटेन्ट से रॉयल्टी के रूप में आय	घxvi			
xvii	धारा115 कखच् के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण के दवारा	घxvii			
xviii	धारा115 इ के अधीन प्रभार्य किसी अनिवासी भारतीय दवारा निवेशित आय	घxviii			
xix	कोई अन्य आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	घxix			
ङ	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय कीप्रकृति में पास थू आय (डॉप डाउन दिया जाए)			2ङ	

च डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभाय है उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित राशि (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 का कल योग)											2च
क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.2क to 2ड में जो सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभाय नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्रात किया गया है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
I											
II											
3 धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख और 2ग के अधीन विशेष दर पर प्रभाय आय से संबंधित कटौतियों के सिवाय अन्य कटौतियां)											
	क	व्यय/ कटौतियां					3क				
	ख	अवक्षयण					3ख				
	ग	योग					3ग				
4 धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम											4
5 धारा 59 के अधीन कर से प्रभाय लाभ											5
6 सामान्य लागू दर (1 - 3 + 4 + 5) पर प्रभाय अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (यदि नकारात्मक है तो सीवाईएलए अनुसूची के 3 x में अंकों को रखें )											6

7 अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) ( 2 + 6 ) ( यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें )											7
8 धुड दौड के स्वामियों के क्रियाकलापों से आय ।											
	क	प्राप्तियां					8क				
	ख	केवल 8क की प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां					8ख				
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम					8ग				
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभाय लाभ					8घ				
	ड	अतिशो (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविटि करे)					8ड				
9 "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन प्रभाय आय ( 7 + 8ड ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें)											9
10 अन्य स्रोतों से आय की प्रोभद्वन/प्राप्ति के बारे में जानकारी											
	क्र.सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक				
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)				
	1	धारा 115 खखक के अधीन लाभांश आय									
	2	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, वर्ग पहलियों दौड, खेलों, घुत,शर्तो इत्यादि से जीती हुई राशि के रूप में आय									

**टिप्पण** ▶ कृपया इस शीर्ष के अधीन आय संगणित करते समय एसपीआई अनुसूची में निदेशित विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी या अव्यसक बालक इत्यादि को सम्मिलित करें) .

**अनुसूची सीवाईएलए** चालू वॉ की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यारे

चालू वॉ हानि समायोजन	क्र.सं.	आय का शी/स्रोत	चालू वॉ की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वॉ की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वॉ की कारवार हानि (सट्टे या विनिर्दिट कारवार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वॉ के लिए मुजराई की गई हानि (दौड के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभाय रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शो बची चालू वॉ की आय
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि आकडे नकारात्मक हो तभी इस पंक्ति को भरें)		( अनुसूची एचपी का 4 )	( अनुसूची जत का 2v )	( अनुसूची ओएस का 6 )	

ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एचपी का 4)			
iii	कारबार (जिसमें सट्टे की आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय सम्मिलित नहीं है)	(अनुसूची एचपी का क 38)			
Iv	धारा 115 आ के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	(अनुसूची बीपी के मद 3 का 3iv)			
v	सट्टे से आय	(अनुसूची एचपी की मद 3 का 3ii)			
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची एचपी की मद 3 3ii)			
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद 3 का 9ii)			
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद 3 का 9 iii)			
ix	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद 3 का 9iv)			
x	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद 3 का 9v)			
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद 3 का 9vi)			
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद 3 का 9 vii)			
Xiii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद 3 का 9 viii)			
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)			
Xv	दौड़ के धोड़ो का सौमिन्त्व रखने और उनके पोषण करने से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8इ)			
xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोंतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)			
xvii	मुजरा की गई कुल हानि				
xviii	मुजरे के पश्चात् शो हानि (i - xv)				

## अनुसूची-वीएफएलए पूर्व वॉ की अग्रनीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वॉ की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रनीत हानि	मुजरा किया गया अग्रनीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रनीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शो बची चालू वॉ की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	कारबार (जिसके अंतर्गत सट्टेबाजी से आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय शामिल नहीं है)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			

Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)					
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है )				
xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvi)					
Xvi	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि						
xvii	चालू वॉ की मुजरे के पश्चात् शेष बची हानि योग	(5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)					

**अनुसूची-सीएफएल भावी के वर्षों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण**

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से हानि	सट्टे के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि	दीर्घकालिक पूंजी हानि	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और अनुसरण से हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	2011-12								
ii	2012-13								
iii	2013-14								
iv	2014-15								
v	2015-16								
vi	2016-17								
vii	2017-18								
viii	2018-19								
ix	अग्र0 पूर्ववर्ष की हानियों का योग								
x	अनुसूची बीएफएलए में उपरोक्त हानियों का समायोजन		(अनुसूची - बीएफएलए का 2i)	(अनुसूची - बीएफएलए का 2ii)	(अनुसूची - बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची - बीएफएलए का 2iv)			(अनुसूची - बीएफएलए का 2xiv)
xi	2019-20 (चालू वर्ष की हानि को अग्रणीत किया जाए)		(अनुसूची-सीवाईएलए का 2xviii )	(अनुसूची-सीवाईएलए का 3xviii )	(यदि नकारात्मक अनुसूची बीपी का आ44)	(यदि नकारात्मक अनुसूची बीपी का इ50)	अनुसूची सीजी के मद ड. का (2x+3x+4x+5x)	अनुसूची सीजी के मद ड. का (6x+7x+8x)	(यदि नकारात्मक अनुसूची ओएस का 8इ)
xii	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि								

**अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और भत्ते**

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष रकम	अग्रणीत अनामेलित भत्ते की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रेषित शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii	योग		(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

**अनुसूची**

**आ.स.प्र.मा.**

लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
।	लेखा नीति	

II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145 क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती			
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती				
	क्र० सं०	उपक्रम	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन शुरू करती है	क्र० सं०	रकम
	क	उपक्रम सं० 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)
	ख	उपक्रम सं० 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)
ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख)			ग	

### अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान	आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
		आदाता का नाम और पता					
	i						
	ii						
	iii	कुल					
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान	आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
		आदाता का नाम और पता					
	i						
	ii						
	iii	कुल					
	ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान	आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
		आदाता का नाम और पता					
	i						
	ii						
	iii	कुल					

घ	अर्हता सीमा के अध्वधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान	आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	आदाता का नाम और पता					
	i					
	ii					
	iii कुल					
ड	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)					

**अनुसूची 80जीजीए वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान का ब्यौरा**

क.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन अनुदान का दावा किया गया है (ड्राप डाउन दिया जाए)	संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	अनुदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	कुल संदान						

**अनुसूची आरए अनुसंधान संगम इत्यादि को संदान के ब्यौरा [धारा 35(1)(ii) या 35(1)(ii) या 35(1)(iii) या 35(2कख) के अधीन कटौतियां]**

	संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	संदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
			नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i					
	ii					
	iii योग					

**अनुसूची 80झक धारा 80झक के अधीन कटौतियां**

धारा 80झक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
				क2	उपक्रम सं0 2	
	ख	धारा 80झक (4) (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	ग	धारा 80-झक(4) (iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोन)	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			ग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	घ	धारा 80-झक(4) (iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	घ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			घ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	ड	धारा 80-झक(4) (v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80झक (vi) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ड1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			ड2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	च	धारा 80-झक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2+ घ1 + घ2+ ड1 + ड2)				च

**अनुसूची 80 झख धारा 80-झख के अधीन कटौती**

धारा 80-झख के अधीन कटौती	क	जम्मू-कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा80झख(4))	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
				क2	उपक्रम सं0 2	
	ख	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80झख(4))	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	ग	औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80झख(5))	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			ग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	घ	बहुविधा थियेटर की दशा में कटौती (धारा80झख(7क))	घ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगखक का मद 10(v))	

		घ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगखक का मद 10(v))
ड	कन्वेशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा80इख(7ख))	ड1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगखख का मद 10(v))
		ड2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगखख का मद 10(v))
च	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौती (धारा80इख(8क))	च1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		च2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
छ	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा80इख(9))	छ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		छ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ज	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(10))	ज1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ज2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
झ	प्रशीतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(11))	झ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		झ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ञ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(11क))	ञ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ञ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ट	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(11क))	ट1	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
		ट2	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
ठ	ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(11ख))	ठ1	उपक्रम सं0 2	प्ररुप 10गगखग का 11(v))
		ठ2	उपक्रम सं0 2	प्ररुप 10गगखग का 11(v))
ड	वर्जित क्षेत्र से भिन्न, किसी क्षेत्र में अस्पताल के परिचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 8इख (11ग))	ड1	उपक्रम सं0 1	प्ररुप 10गगखघ का 11(d))
		ड2	उपक्रम सं0 2	प्ररुप 10गगखघ का 11(d))
ढ	धारा 80इख के अधीन कुल कटौती (क1 से ड2 का योग)			

**अनुसूची-80-इग या 80-इड** धारा 80-इग या धारा 80इड के अधीन कटौतियां

धारा 80-इग के अधीन कटौती	क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
	ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
	ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			ग1	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
	घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			
	घक	असम	घक1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			घक2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
	घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			घख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
	घग	मणिपुर	घग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			घग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
	घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			घघ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
	घड	मेघालय	घड1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			घड2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
	घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
			घच2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
	घछ	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)
घछ2			उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ2 का योग)	घज			
ड	धारा 80इग या धारा 80इड के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)	ड			

## अनुसूची-VI-क

## अध्याय VI-क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां	1	भाग ख - कतिपय संदाय के बाबत कटौती				1	
	क	80छ		ख	80छछख		
	ग	80छछक		घ	80छछग		
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ)						
	2	भाग ग- कतिपय आय के बाबत कटौती				2	
	ड	80झक	(अनुसूची 80झक का च)	च	80झकख		
	छ	80झकग		ज	80झख		(अनुसूची 80झख का ण)
	झ	80झग/ झड.	(अनुसूची 80-झग/80-झड का ड.)	ञ	80अक		
	ट	80अकक	(प्ररूप 10इ.क का उपाबंध 10)	ठ	80ठक		(प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9)
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से ठ)					3	
3 अध्याय VI-क के अधीन कुल कटौतियां (1+2)							

## अनुसूची एसआई

## विशेष दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश सं0-7(ii) देखें)

क्र.सं	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111 क (शेयर्स / साम्या उन्मुख पारस्परिक निधियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ/)	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5v)	
2	115 कघ ( एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)	
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/सुनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
4	112(1)(c)(ii) ( गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
5	115 कख ( अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x )	
7	115 कघ ( प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi)	
9	112अ (ऐसे शेयर या इकाईया जिन पर एसटीटी संदत्त है के विक्रय पर	☐	10	(अनुसूची सीजी का आ5च और आ8च	
10	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसटीसीजी एलटीसीजी			(अनुसूची बीएफएलए का 5ix)	
11	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसटीसीजी			(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xiii)	
12	115ख (जीवनबीमा कारवारक के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीपी का भाग4ख)	
13	115 कग ( यदि अनिवासी की आय विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बंध पत्रों या जीडीआर से है)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 1 च ii)	
14	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2क)	
15	115खखघ (विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश)	☐	15	(अनुसूची - ओएस का भाग 2घxvi)	
16	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	60	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
17	115क (1)(ख) ( अनिवासी की राजस्व से आय )	☐	25	(अनुसूची ओएस का भाग 2घviii)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारवार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घxvi)	
19	115खखड (कार्वन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारवार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 8ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घxvii)	
20	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराध्य अन्य स्रोतों से आय	☐		(अनुसूची ओएस का 2च का भाग)	
21	15 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थूँ आय	☐		(अनुसूची बीएफएलए का 5बीआई का	
22	30 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थूँ आय	☐		(अनुसूची बीएफएलए का 5बीआईआई का	
23	10 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थूँ आय	☐		(अनुसूची बीएफएलए का 5एक्स का भाग)	
24	20 प्रतिशत की दर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति की पास थूँ आय	☐		(अनुसूची बीएफएलए का 5एक्सआई का	
25	विशेष दरों से प्रभाय अन्य स्रोतों की प्रकृति की पास थूँ आय	☐		(अनुसूची ओएस का 2इ)	
			योग		



## अनुसूची-छूट प्राप्त आय

छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (वह आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है या कर से प्रभाय नहीं है।)

छूट प्राप्त आय	1	व्याज से आय					1			
	2	घरेलू कंपनी से लाभांश आय (दस लाख रुपए से अनधिक रकम)					2			
	3	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)			i				
		ii	कृषि पर उपगत व्यय			ii				
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनश्रमेकित कृषि हानि			iii				
		iv	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)				3			
		v	यदि वर्ष के लिए कृषिगत आय 5 लाख रु० से अधिक है तो, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए (प्रत्येक कृषिगत भूमि के लिए अलग से ब्यौरा दीजिए)							
		क	जिला का नाम पिन कोड सहित, जहाँ कृषिगत भूमि है							
		ख	एकड़ में कृषिगत भूमि का नाम							
		ग	क्या कृषिगत भूमि का स्वामित्व रखते हैं या पट्टा पर ली है (ड्राप डाउन दिया जाए)							
		घ	क्या कृषिगत भूमि सिंचित है या वर्षा पर आश्रित है (ड्राप डाउन दिया जाए)							
	4	अन्य छूट प्राप्त आय (अव्यसक बालक की छूट प्राप्त आय सम्मिलित है)					5			
	5	डीटीएए के अनुसार आय जो कर से प्रभाय नहीं है								
		क्र.सं;	आय की राशि	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद			आय का शीर्ष	क्या टीआरसी लिया गया है (हाँ/ना)
		I								
	II									
	III	डीटीएए से कुल आय जो कर से प्रभाय नहीं है					5			
6	पास थू आय जो कर से प्रभाय नहीं है (अनुसूची पीटीआई)					6				
7	योग (1+2+3+4+5+6)					7				

## अनुसूची पीटीआई

धारा 115पक115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	आय की रकम	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती, यदि कोई हो	
	1.				i	गृह संपत्ति		
ii					पूँजी अभिलाभ			
क					अल्पकालिक अवधि			
					दीर्घकालिक अवधि			
iii					अन्य खोत			
iv					दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी			
क					धारा 10(23चखख) के अधीन			
					ख	.....के अधीन		
					ग	धाराके .....के अधीन		
2.								i
	ii	पूँजी अभिलाभ						
	क	अल्पकालिक अवधि						
		दीर्घकालिक अवधि						
	iii	अन्य खोत						

				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी
				क	धारा <b>10(23चखख)</b> के अधीन
				ख	धारा .....के अधीन
				ग	धाराके ..... अधीन
<b>टिप्पण</b> ▶		इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्दिशित करें।			

अनुसूची एमएटी		धारा 115ख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना	
न्यूनतम बैकल्पिक दर	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	2	यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कम्पनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	3	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षण्य की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	<input type="checkbox"/>
	4	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 56 प्रविष्ट करें )/( भाग क-पी एल आईएनडी ए एस की मद 56 में प्रविष्ट करें) (जो लागू हो)	4
	5	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)	
		क आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफबीटी से भिन्न)	5क
		ख आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	5ख
		ग अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	5ग
		घ समनुषंगी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	5घ
		ङ संदत्त या प्रस्तावित लाभांश	5ङ
		च धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5च
		छ एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं है	5छ
		ज धारा 115ख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय	5ज
	झ धारा 115ख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनियों के अंतरण पर संकेतन हानि	5झ	
	ञ 115खख के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बाबत स्वामित्व के मद्दे आय से संबंधित व्यय	5ञ	
	ट आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षण्य	5ट	
	ठ धारा 115ख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनियों के अंतरण पर अभिलाभ	5ठ	
	ड अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	5ड	
	ढ कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ+5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ+5ड)	5ढ	
6	कटौतियां		
	क आरक्षित से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	6क	
	ख धारा 10, 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	6ख	

ग	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	6ग		
घ	एओपी/बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	6घ		
ङ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	6ङ		
च	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनियों के अंतरण पर संकेतन हानि	6च		
छ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनियों के अंतरण पर हानि	6छ		
ज	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय	6ज		
झ	अग्रणीत की गई हानि या गैर आमेलित अवक्षयण जो भी कम हो या दोनों जो भी लागू हों।	6झ		
ञ	रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है।	6ञ		
ट	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	6ट		
ठ	कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ+6च+6छ+6ज+6झ+6ञ+6ट)	6ठ		
7	धारा 115अख के अधीन कुल लाभ (4+ 5ठ - 6ठ)	7		

8	क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे ब्यौरे प्रस्तुत करें।		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	क. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ		
क	शीर्ष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8क	
ख	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8ख	
ग	धारा 115अख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हों)	8ग	
घ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8घ	
ङ	कुल जोड़ (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ङ	
	ख. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती		
च	शीर्ष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8च	
छ	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8छ	
ज	धारा 115अख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हों)	8ज	
झ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8झ	
ञ	कुल जोड़ (8च + 8छ + 8ज + 8झ)	8ञ	
9	धारा 115अख (7 + 8ङ - 8ञ) के अधीन समझी गई कुल आय	9	
10	धारा 115अख के अधीन संदेय कर	10	

अनुसूची एमएटीसी		धारा 115 अकक के अधीन कर प्रत्यय की संगणना		
1	निर्धारण वर्ष 2019-20 में धारा 115अख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)	1		
2	निर्धारण वर्ष 2019-20 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ)	2		
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]	3		
4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधीन है और अग्रणीत एमएटी प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं हो सकती]			
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	एमएटी प्रत्यय	चालू वर्ष के लिए एमएटी प्रत्यय (घ)	अग्रणीत बकाया एमएटी प्रत्यय (घ) [घ = ख3 - ग]

		सकल (ख1)	पूर्व के वर्षों में मुजरा किए गए (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) = (ख2) - (ख1)			
	i	2008-09					
	ii	2009-10					
	iii	2010-11					
	iv	2011-12					
	v	2012-13					
	vi	2013-14					
	vii	2014-15					
	viii	2015-16					
	ix	2016-17					
	x	2017-18					
	xi	2018-19					
	xi	2019-20 (यदि 1>2 (से बड़ा) है तो 1-2 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)					
		योग					
5	वर्ष के दौरान उपयोग की गई घारा 115अकक के अधीन कर प्रत्यय की रकम [4ग (xiii) प्रविष्ट करें]					5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों में प्रत्यय के लिए उपलब्ध एमएटी दायित्व की रकम [ 4(घ) xiii प्रविष्ट करें]					6	

## अनुसूची - डीडीटी

देशी कंपनियों को वितरित लाभ पर कर और इसके संदाय

क्र. सं.	विवरण		पहले लाभांश के ब्यौरे		दूसरे लाभांश के ब्यौरे		तीसरे लाभांश के ब्यौरे	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	
1		धारा जिसके अधीन लाभांश घोषित किया जा रहा है						
2		देशी कंपनियों के किसी लाभांश लाभ के वितरण या संदाय की घोषणा जो भी पूर्व हो, की तारीख	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	
3		वितरित या संदत्त, घोषित लाभांश की दर						
4		घोषित वितरित या संदत्त लाभांश की रकम						
5		धारा 115ग (1क) के अधीन हटाए जानी वाली रकम						
6	वितरित, घोषित या संदत्त, लाभांश पर संदेय कर	क	धारा 115-ग के अधीन (4-5) पर <b>15%</b> या <b>30%</b> की दर, जो भी लागू हो से संदेय अतिरिक्त आयकर					
		ख	क पर अधिभार					
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (क+ख)पर					
		घ	कुल संदेय कर (क+ख+ग)					
7		धारा 115त के अधीन संदेय ब्याज						
8		अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (6घ+ 7)						
9		संदत्त कर और ब्याज						
10		शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (8-9)						
11	लाभांश वितरण कर जमा की तारीखें	तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2	
		(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	
12		बैंक और शाखा का नाम						
13		बीएसआर कोड						
14		चालान की क्रम संख्या						
15		जमा रकम						

## अनुसूची-बीबीएस

किसी देशी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में सुचीबद्ध नहीं है, के क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर वितरित आय पर कर का विवरण

क्रम	विवरण		पहले क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	दूसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे	तीसरे क्रय द्वारा वापिस के ब्यौरे			
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)			
1	क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर शेयर धारकों को किसी प्रतिफल के संदाय की तारीख		(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)			
2	कंपनी द्वारा क्रय द्वारा वापिस लिए गए शेयरों पर संदत्त प्रतिफल की रकम							
3	इस प्रकार शेयरों को जारी करने के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त रकम							
4	कंपनी की वितरित आय (2-3)							
5	वितरित आय पर संदेय कर	क	धारा 115ण के अधीन (3-4 पर) 20% की दर से संदेय अतिरिक्त क					
		ख	क पर अधिभार					
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर (क+ख) पर					
		घ	कुल संदेय कर (क+ख+ग)					
6	धारा 115घख के अधीन संदेय ब्याज							
7	संदेय अतिरिक्त आयकर और संदेय ब्याज (5घ+6)							
8	संदत्त कर और ब्याज							
9	शुद्ध संदेय/प्रतिदेय (7-8)							
10	वितरित कर पर कर के जमा की तारीखें		तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2	तारीख 1	तारीख 2
			(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)	(दिन/मास/वर्ष)
11	बैंक और शाखा का नाम							
12	बीएसआर कोड							
13	चालान की क्रम संख्या							
14	जमा रकम							

## अनुसूची-एफएसआई

भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत

क्र. सं.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	भारत के बाहर से आय (भाग बीटीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन इस आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड.)=(ग) या (घ) जो भी कम हो	डीटीएए का संबंधित अनुच्छेद यदि राहत का दावा धारा 90न के अधीन किया गया है
			(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारबार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
				योग					

टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें





## टिप्पण

कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संवर्धन ग्रहण करें। व्यक्ति होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र बीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आवृत्ति जिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आवृत्ति से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

## अनुसूची एसएच-1

असूचीबद्ध कंपनी की शेयर धृति (स्टार्ट-अप से भिन्न जिसे अनुसूची एसएच-2 भरना है)

यदि आप असूचीबद्ध कंपनी हैं, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें:-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धृति का ब्यौरा

शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	आवेदन की तारीख	आवेदन किये गए शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन धनराशि	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गमन कीमत

ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

शेयर धारक का नाम	भारत में आवासीय प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्राप्त रकम	आबंटन की तारीख	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

## अनुसूची एसएच-2

स्टार्ट-अप की शेयर धृति

यदि आप वह स्टार्ट-अप हैं जिसने डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019, के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है कृपया शेयर धारण के ब्यौरे प्रस्तुत करें:-

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर यथा शेयर धृति का ब्यौरा

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को झोप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	शेयर प्रीमियम
<b>कुल</b>									

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आबंटन के लिए लंबित साधारण शेयर आवेदन धनराशि का ब्यौरा

आवेदक का नाम	आवेदक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को झोप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन	आवेदन की तारीख	आवेदन किए गए शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर प्रस्तावित निर्गमन कीमत	शेयर आवेदन धनराशि	शेयर आवेदन प्रीमियम
<b>कुल</b>									

ऐसे शेयर धारक का ब्यौरा जो पूर्व वर्ष की समाप्ति पर शेयर धारक नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय शेयर धारक था

शेयर धारक का नाम	शेयर धारक का प्रवर्ग (अनिवासी/जोखिम पूंजी कंपनी/जोखिम पूंजी निधि/विनिर्दिष्ट कंपनी/अन्य कोई व्यक्ति को झोप-डाउन प्रदान किया जाय)	शेयर का प्रकार	पैन	आबंटन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत	प्रति शेयर प्रदत्त मूल्य	तारीख जिसको शेयर धारक के लिए समाप्त किया गया	समाप्ति का माध्यम	नए शेयर धारक के पैन के अंतरण की दशा में

## टिप्पण

पदों- "जोखिम पूंजी कंपनी", "जोखिम पूंजी निधि" और "विनिर्दिष्ट कंपनी", की परिभाषा के लिए, कृपया डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 देखें





झ	आभूषण, पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोने- चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			
ज	दायित्वों के ब्यौरे							
	वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे							
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

**अनुसूची एल-2** वर्ष के अंत में आस्तियां और दायित्व (केवल स्टार्ट-अप के लिए लागू)

	यदि आप एक ऐसे स्टार्ट-अप हैं जिसमें डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है, कृपया निगमन की तारीख से वर्ष के अंत तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-							
क	निगमन से अर्जित आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
(i)								
(ii)								
ख	निगमन से अर्जित आवासीय घर न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (₹.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
(i)								
ग	निगमन से दिए गए उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहूकारी निर्धारिती का सारवान कारवार नहीं है )							
	व्यक्ति का नाम	पैन	तारीख जिसको उधार और अग्रिम दिए गए हैं	उधारों और अग्रिमों की रकम	रकम	क्या उधार और अग्रिम का प्रतिसंदत्त हो गया है, यदि हां तो ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	ब्याज की दर यदि कोई हो
घ	निगमन से अन्य अस्तित्व को किए गए पूंजी अभिदाय के ब्यौरे							
	अस्तित्व का नाम	पैन	तारीख जिसको पूंजी अभिदाय किया गया है	अभिदाय की रकम	निकाली गई रकम यदि को हो	वर्ष के दौरान विकलित या प्रत्यय किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ङ	शेयरों और प्रतिभूतियों के अर्जन के ब्यौरे							
	कंपनी/अस्तित्व का नाम	पैन	शेयरों /प्रतिभूतियों के प्रकार	अर्जित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो
च	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे, जिसकी वास्तविक कीमत निगमन से अर्जित दस लाख रुपयों से अधिक है							

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
छ	निगमन से अर्जित आभूषणों का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ज	निगमन से अर्जित पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोना चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
झ	दायित्वों के ब्यौरे							
	वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और वसुलियों के ब्यौरे							
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

### अनुसूची जीएसटी

आवर्तन/ रिपोर्ट की गई सकल रसीद के संबंध में सूचना

जीएसटी का ब्यौरा	क्र.सं.	जीएसटीआईएन (सं.)	फाइल की गई जीएसटी विवरणी (विवरणियों) के अनुसार जाबक पूर्तियों का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)

टिप्पण ► कृपया/प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए पृथक रूप से सूचना उपर प्रस्तुत करें

### अनुसूची एफडी

विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरे (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं है)

करेंसीवार ब्यौरा	क्रम सं.		रकम (रुपये में)
	i	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय	
	ii	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान किए संदाय	
	iii	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
	iv	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें

### भाग - ख

#### भाग ख कुल आय

कुल आय की संगणना

कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 4) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	1
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सट्टे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि	
	i	सट्टे का कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क39) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	2i
	ii	सट्टे का कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का बी44) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो और रकम को अनुसूची सीएफएल में ले जाएं)	2ii

	iii	विनिर्दिष्ट कारवार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी का सी50) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें और रकम को अनुसूची सीएफएल में ले जाएं)	2iii		
	iv	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (बी पी अनुसूची का 3 घ और 3 ड)	2iv		
	V	कुल (2i + 2ii+2iii + 2iv)		2v	
3	पूँजी अभिलाभ				
	क	अल्पकालिक			
	i	अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9ii)	काi		
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iii)	काii		
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iv)	काiii		
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्प-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड की 9v)	काiv		
	v	कुल अल्पकालिक (काi + काii+काiii + काiv) (यदि हानि तो शून्य प्रविष्ट करे)	3कv		
	ख	दीर्घकालिक			
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vi)	खाi		
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vii)	खाii		
	iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड की 9viii)	खाiii		
	iv	कुल दीर्घकालिक (खाi + खाii + खाiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	खाiv		
	ग	कुल दीर्घकालिक अभिदाय (3कv + 3खाiv) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)		3ग	
4	अन्य स्रोतों से आय				
	क	साधारण लागू दरों पर कर से प्रभार्य स्रोतों से अन्य शुद्ध आय (अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करे)	4क		
	ख	आय पर प्रभार्य कर विशेष दर पर (अनुसूची ओ एस का 2)	4ख		
	ग	दोड़ के बोझों के स्वामित्व और रख-रखाव के क्रिया कलापों से आय (अनुसूची ओ एस का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग		
	घ	कुल (4क+ 4ख+ 4ग)		4घ	
5	शीर्ष-बार आय का योग (1 + 2v + 3ग + 4घ)				5
6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल 2xvii, 3xvii तथा 4xvii)				6
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची सीवाईएलए के स्तंभ 5 का योग + 4ख + 2iv भी)				7
8	7के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2xvi, 3xvi तथा 4xvi)				8
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए का 5xvii + 4ख + 2iv भी)				9
10	9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन आय पर विशेष दर से प्रभार्य कर				10
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां				
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित]		11क	
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2) और (9-10-2iii) तक सीमित]		11ख	
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित]		11ग	
12	धारा 10कक के अधीन कटौतियां (अनुसूची 10कक का ग)				12
13	कुल आय (9- 11ग -12)				13
14	विशेष दर पर आय पर प्रभार्य कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग				14
15	मामूली दर पर आय पर प्रभार्य कर (13 - 14)				15
16	शुद्ध कृषि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 3)				16
17	चालू वर्ष की हानिया जो अग्रनीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xi) का योग				17
18	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9)				18

भाग ख - कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर	1	क	धारा 15जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10)	1क	
		ख	ऊपर (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
		ग	उपर (1क+1ख) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	1ग	

	घ	धारा 115जख के अधीन संदेय कुल कर (1क + 1ख + 1ग)	1घ	
2		कुल आय पर संदेय कर		
	क	भाग ख- टी आई की मद 15 पर मामूली दरों पर कर	2क	
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई (ii) का योग)	2ख	
	ग	(2क + ख) कुल आय पर संदेय कर	2ग	
	घ	अधिभार		
	i	एस आई अनुसूची 12(ii) का 25%	2घा	
	ii	एस आई अनुसूची का 12(ii) - 2ग)	2घाii	
	iii	कुल (i + ii)	2घाiii	
	ङ	(2ग+2घाiii) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	2ङ	
	च	सकल कर दायित्व (2ग+2 घाiii +2ङ)	2च	
3		सकल संदेय कर (1घ और 2छ की उच्चतर प्रविष्ट करें)	3	
4		पूर्ववर्ष में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2छ 1घ से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का)	4	
5		धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात संदेय कर [(3 - 4)]	5	
6		कर अनुतोष		
	क	धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 1क 12 का योग)	6क	
	ख	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 1बी23 का योग)	6ख	
	ग	कुल (6क + 6ख)	6ग	
7		शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रविष्ट करे)	7	
8		संदेय ब्याज और फीस		
	क	विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क	
	ख	अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख	
	ग	अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग	
	घ	आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234च)	8घ	
	ङ	कुल संदेय ब्याज (8क+8ख+8ग +8घ)	8ङ	
9		सकल दायित्व (7 + 8ङ)	9	
देय कर	10	संदत्त कर		
		क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क
		ख	टीडीएस (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख
		ग	टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग
		घ	स्व निर्धारण कर (15क के स्तंभ 5 से)	10घ
		ङ	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग +10घ)	10ङ
	11	संदेय रकम (9 - 10ङ) (यदि 9 10ङ से अधिक है तो शून्य प्रविष्ट करे)	11	
	12	प्रतिदाय (यदि 10ङ 9 से अधिक है) (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी)	12	
बैंक खाता	13	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)(अनिवासियों की दशा में, किसी भी एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रतिदाय की जमा के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जाएं)		
		क्रम सं. बैंक का आई एफ एस कोड भारत में धारित बैंक खातों की दशा में विदेशी खातों की दशा में स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	(खाता सं) (विदेशी बैंक खाते की दशा में आईबीएएन)
		i		
	ii			
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
15		अनुसूची-आयकर		
	क	अग्रिम कर और आयकर के स्वतन्त्रनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे		

क्र.सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
i				
ii				
iii				
iv				
v				
vi				

टिप्पण-भाग ख-टीटीआई की क्रम सं 10क और 10घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रविष्ट करें।

क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस प्रत्यय [धारा 5क के अनुसार पति या पत्नी/नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैना (यदि टीडीएस प्रत्यय दूसरे व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरायेदार/क्रेता का पैना	अशेषित किया गया अदावाकृत टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस	इस वर्ष दावा किया जा रहा प्रत्यय (केवल यदि तत्स्थानी आय को इस वर्ष कर लिए प्रस्तावित किया जा रहा है)	प्रस्तावित तत्स्थानी आय	अशेषित किया जा रहा टीडीएस प्रत्यय				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	टीडीएस बी/एफ	अपने हाथों में की गई कटौती	धारा 5क के अनुसार पति या पत्नी/ नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति के हाथों में की गई कटौती (यदि लागू हो)	अपने हाथों में किया गया दावा	धारा 5क के अनुसार पति या पत्नी/ नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति के हाथों में किया गया दावा (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	
							आय टीडीएस		आय टीडीएस पैना			
i												

टिप्पण ► कृपया भाग ख -टीटीआई के स्तम्भ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें

ग	क्र.सं. और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	अग्रणीत अदावाकृत टीसीएस	चालू वित्त वर्ष का टीसीएस	इस वर्ष के लिए दावा की गई (6) या (7) में से रकम (केवल यदि पारस्परिक आय इस वर्ष के कर के लिए प्रस्तावित की गई है)	अग्रणीत होने वाली (5) या (6) में से रकम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i							
ii							

टिप्पण ► कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग भरें

### सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है।

मैं यह और घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं..... (झोप-डाउन दिया जाए) की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/ रही हूँ और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूँ (यदि आबंटित हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)

तारीख.....

यहां हस्ताक्षर करें

प्ररूप

आ.क.वि-7

## भारतीय आयकर विवरणी

[उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे केवल धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है]

(कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए)

(कृपया मार्गदर्शन के लिए अनुदेश देखें)

निर्धारण वर्ष

2019 - 20

## भाग क-साधारण

नाम (सृजन/स्थापन/निगमन/विरचना संबंधी विलेख में यथावर्णित)		स्थायी लेखा संख्यांक		
प्लैट/द्वार/ब्लाक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	विरचना/निगमन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) / /		
सड़क /मार्ग/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान	प्रास्थिति (निदेश पैरा 11ख देखें)	उपप्रास्थिति (निदेश पैरा 11ख देखें)	
नगर/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड /जिप कोड	<input type="checkbox"/>	
कार्यालय का दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित/ मोबाइल सं.	फैक्स सं. / मोबाइल सं.2	ई मेल पता 1		
ई मेल पता 2				
क्या निर्धारित द्वारा कोई परियोजना/संस्था चलाई जा रही है? (हां/नहीं) यदि हां तो कृपया ब्यौरे दें: आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे				
क्रम सं.	परियोजना/संस्था का नाम (पैरा 11गक के अनुदेश देखें)	क्रियाकलाप की प्रकृति (अनुदेश पैरा 11घ देखें)	वर्गीकरण (अनुदेश पैरा 11घ देखें)	
1				
2				
3				
4				
आयकर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (आज्ञापक हैं, यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित हों)				
क्रम सं.	धारा जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित किया गया है	रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्रीकरण सं.	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
1				
2				
3				
4				
आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे				
क्रम सं.	विधि जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है	रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्रीकरण सं.	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
1				

व्यापकता सूचना

2				
3				
4				

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए	केवल कार्यालय प्रयोग के लिए रसीद सं०.  तारीख  प्राप्त करने वाले पदाधिकारी की मुद्रा और हस्ताक्षर
-----------------------------	--

फाइल करने की प्रास्थिति	(क) धारा के अधीन फाइल (चिह्ननाकित करें ) [कृपया अनुदेश देखें]	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व <input type="checkbox"/> 139(4)- देय तारीख के पश्चात्, <input type="checkbox"/> 139(5)- पुनरीक्षित विवरणी, <input type="checkbox"/> 92 गघ-उपांतरित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्
	या धारा के अधीन सूचना के प्रतिउत्तर में फाइल किया गया	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153क, <input type="checkbox"/> 153ग
	(ख) किस धारा के अधीन विवरणी फाइल की गई है ?	<input type="checkbox"/> 139(4क) <input type="checkbox"/> 139(4ख) <input type="checkbox"/> 139(4ग) <input type="checkbox"/> 139(4घ) <input type="checkbox"/> अन्य
	कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें जिसके अधीन छूट का दावा किया गया है (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	

(ग)	यदि पुनरीक्षित/गुटिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी करने की पावती संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)	/ /
-----	---	-----

(घ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अधीन आदेश या धारा 119(2ख) के अधीन आदेश के प्रतिउत्तर में फाइल किया गया है तो ऐसी सूचना या आदेश की तारीख प्रविष्ट करें या यदि धारा 92(गघ) के अधीन फाइल किया गया है तो अग्रिम मूल्यांकन करार की तारीख प्रविष्ट करें।	/ /
(ङ)	आवासीय प्रास्थिति ? (निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> निवासी <input type="checkbox"/> अनिवासी	
(च)	क्या कोई आय किसी ऐसी कुल आय में सम्मिलित की गई है जिसके लिए धारा 90/90क/91 के अधीन दावा किया गया है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (निवासी के मामले में लागू होता है) [यदि हां, तो अनुसूची एफएसआई और अनुसूची टीआर भरना सुनिश्चित करें]	

(छ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की गई है (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें-	
(1)	प्रतिनिधि का नाम	
(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	
(3)	प्रतिनिधि का पता	
(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पेन)	
(ज)	क्या आप किसी फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें	
	फर्म का नाम	स्थायी खाता संख्यां

(झ)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय आसूचिबद्ध साधारण शेयर धारित किए हैं (निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो कृपया साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।
-----	--



कंपनी का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंत अतिशेष	
		शेयरों की सं.	अर्जन की लागत	शेयरों की सं.	अभिदाय/क्रय की तारीख	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गमन मूल्य (नए निर्गमन की दशा में)	प्रतिशेयर क्रय मूल्य (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की सं.	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की सं.	अर्जन की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

अन्य ब्यारे	क	i	क्या आपके द्वारा चलाए जा रही किसी परियोजना/संस्था पूर्व प्रयोजनों में से एक प्रयोजन साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की अभिवृद्धि करने का है यदि हां, तो												
			क	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में निर्दिष्ट व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप है ?							☐ हां		☐ नहीं	
					ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्ति							%		
			ख	i		क्या धारा 2(15) के परंतुक में यथानिर्दिष्ट किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप है ?							☐ हां		☐ नहीं
					ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्ति							%		
			क्र.	प्रयोजन/संस्था का नाम							ऐसे क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्ति की राशि				
			ii	यदि क अथवा ख हां है तो ऐसी संस्था के संबंध में क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्ति											

ख	I	क्या धारा 80छ के अधीन अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ?										☐ हां		☐ नहीं			
		ii	यदि हां तो अनुमोदन संख्यांक प्रविष्ट करें														
			iii	अनुमोदन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)										___/___/___			
		ग		ii	यदि हां, कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-												
			क		उक्त परिवर्तन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)							___/___/___					
					ख	क्या धारा 12क उपधारा (1) के खंड (कख) के अनुसार 30 दिन की नियत अवधि के भीतर विहित प्ररूप और रीति में नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है							☐ हां		☐ नहीं		
			ग			क्या धारा 12क के अधीन रजिस्ट्री मंजूर की गई है							☐ हां		☐ नहीं		
		घ	उक्त नई रजिस्ट्रीकरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)							___/___/___							
		घ	i	क्या विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ?										☐ हां		☐ नहीं	
				ii	यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रविष्ट करें ?												
iii	रजिस्ट्रीकरण की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)										___/___/___						
	iv			क	वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अंशदान की कुल रकम, यदि कोई हो।							₹. _____					
ख		वह प्रयोजन निर्दिष्ट करें, जिसके लिए उपरोक्त अभिदाय प्राप्त किया गया है															
	ड	i	क्या कारबार न्यास के साथ सेबी के साथ रजिस्ट्रीकृत है ?										☐ हां		☐ नहीं		

	ii	यदि हां, तब रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रविष्ट करें	
	iii	(दिन/मास/वर्ष)	____/____/_____
च	क्या धारा 164 के अधीन अधिकतम सीमांत दर पर कर के लिए दायी है ? (यदि धारा 13(1)(ग) और /या धारा 13(1)(घ)के अधीन नामंजूर किए जाने योग्य है ?)		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
छ	क्या यह आपकी प्रथम विवरणी है ?		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
ज	क्या आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए आप दायी हैं ? <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें :		
किस धारा के अधीन आप संपरीक्षा के लिए दायी हैं (धारा विनिर्दिष्ट करें) कृपया संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख का उल्लेख करें (तारीख/मास/वर्ष) (अनुदेश देखिए)			

12क						
क	कर संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले संपरीक्षक का नाम					
ख	संपरीक्षक का सदस्यता संख्यांक					
ग	संपरीक्षक का नाम (स्वत्वधारी/फर्म)					
घ	स्वत्वधारी/फर्म का स्थायी खाता संख्यांक					
ङ	संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख					
च	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख ...../...../..... तारीख/मास/वर्ष					
झ	यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख उल्लिखित करें ।					
		अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)			
		अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)			
ज	व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2019 को ए ओ पी सदस्यों में थे (पूजी/विनिधान निधि) द्वारा भरा जाए ।					
सदस्य की जानकारी	क्रम सं.	नाम और पता	शेयर की प्रतिशतता (यदि अबधारित करें)	पैन आई.डी.	आधार/नामांकन	प्रास्थिति
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची झ		धारा 11(2) के अर्थातर्गत या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनानुसार संचित/पृथक् के ब्यौरे					
संचयन का वर्ष ( वित्तीय वर्ष)	संचयन के वर्ष में संचित रकम	संचयन का प्रयोजन	पूर्ववर्ती वर्ष की शुरुआत तक पूर्व/रकम धार्मिक प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त राशि	धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट रीति से विधिधान या जमा रकम	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पूर्व या धार्मिक उपयोग में की गई रकमें	उपयोग के लिए अतिशेष रकम (7) = (2) - (4) - (6)	धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थातर्गत आय समझी जाने वाली रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

2012-13							
2013-14							
2014-15							
2015-16							
2016-17							
2017-18							
2018-19							
योग							

अनुसूची अ

पिछले वर्ष के अंतिम दिन को निधियां और विनिधान दर्शित करने वाला कथन [तभी भरा जाए, यदि धारा 12क/12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(vik)/10(21) के अधीन अनुमोदित है]

अ	(i)	पूर्ववर्ती वर्ष अंतिम दिन को यथाविद्यमान का संचित निधि में अतिशेष	.....रु.				
	(ii)	पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन को यथाविद्यमान गैर संचित निधि में अतिशेष	.....रु.				
आ	धारा 11(5) के अधीन किए गए विनिधान/जमाराशियों का ब्यौरा						
क्र.सं.	धारा 11(5) के अनुसार विनिधान		विनिधान की तारीख	परिपक्वता की तारीख	विनिधान की रकम	परिपक्वता पर रकम	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
i	सरकार के बचत स्कीम में विनिधान						
ii	डाक घर बचत बैंक खाता						
iii	धारा 11(5)(iii) के अनुसार अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसाइटियों में जमा						
iv	भारतीय यूनिट ट्रस्ट में विनिधान						
v	कोई अन्य						
vi	योग						
इ	उस (समुत्थानों) में, जिनमें धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का सारवान् हित है, पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान						
क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	जहां समुत्थान कोई कंपनी है जैसे लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ (6) में वर्णित रकम पूर्ववर्ष के दौरान समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
ii		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
iii		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
iv		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
v		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं					<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं

विनिधान निधियों का ब्यौरा

vi	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
<b>योग</b>					
ई	पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान				
क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कोई कंपनी है (जैसा लागू हो <i>ए</i> का निशान लगाएं)	धारित श्रेयों का वर्ग	धारित श्रेयों की संख्या	विनिधान का अभिहित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
ii		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
iii		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
iv		<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं			
v	योग				
उ	ऐसे स्वेच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तित नहीं किया गया है				
क्रम सं.	दाता का नाम और पता	अभिदाय/संदान का मूल्य	उद्देश्य के मद्दे लागू अभिदाय का मूल्य	धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम	धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i					
ii					
iii					
iv	योग				

**अनुसूची ट**

न्यास या संस्था के न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं)/ संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों)/न्यासी (न्यासियों)/प्रबंधक (प्रबंधकों) आदि के बारे में विशिष्टियों का विवरण (आईटीआर-7 भरने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य है)

अ	न्यासकर्ता(न्यासकर्ताओं)/संप्रवर्तकों/व्यवस्थापनकर्ता यदि जीवित हैं, का/के नाम और पता/पते		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)
आ	उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम, जो पूर्व वर्ष (पूर्व वर्षों) के दौरान न्यासी/प्रबंधक था/थे		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)

इ	उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम जिसने (जिन्होंने) धारा 13(3)(ख) के निबंधनों के अनुसार न्यास/संस्था में पर्याप्त अभिदाय किया है		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)
ए	न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं), संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों), न्यासी (न्यासियों), प्रबंधक (प्रबंधकों) और सारवान् अभिदायकर्ता (अभिदायकर्ताओं) का (के) नाम और जहां कोई ऐसा न्यासकर्ता, संप्रवर्तक, न्यासी, प्रबंधक या सारवान् अभिदायकर्ता कोई हिंदू अभिभक्त कुटुंब है तो उस कुटुंब के सदस्यों और उनके नातदारों के भी नाम		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)

## अनुसूची टक

## राजनैतिक दल

1	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ? जैसे लागू हों <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
2	क क्या वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	ख यदि हां तो 20 हजार रुपए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के रूप में अभिदायों से भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित है जिसने ऐसा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
3	क्या लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? जैसे लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
	यदि हां तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें:-	
	क लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	...../...../.....
	ख लेखा परीक्षा रिपोर्ट हस्ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम	
	ग लेखा परीक्षक की सदस्य संख्या	
	घ लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व/फर्म)	
	ङ स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.	
	च लेखापरीक्षक की स्थायी खाता संख्या (पैन) (स्वामित्व/फर्म)	
	छ लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख	
4	क्या पाने वाले के खाते में देय बैंक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलेक्ट्रॉनिक बंधपत्र के माध्यम से अन्यथा दो हजार रुपए से अधिक कोई संदान प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार <input checked="" type="checkbox"/> करें)	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
5	क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन उस वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? जैसा लागू हो <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
6	यदि हां है तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तारीख/ मास/ वर्ष	...../...../.....

## अनुसूची ईटी

## निर्वाचक न्यास

निर्वाचक न्यास	1	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ?	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
	2	क्या प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे ? जैसा लागू हों (✓) का निशान लगाए	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
	3	क्या प्रत्येक ऐसे पात्र राजनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य अभिदायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार ✓ का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
	4	क्या धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार ✓ का निशान लगाएं)	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
		यदि हां तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____	
	5	क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है ? जैसे लागू हों (✓) का निशान लगाएं	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
	6	प्राप्त ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यारे		
	i	1 अप्रैल को आरंभिक अतिशेष	i	
	ii	वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया स्वैच्छिक अभिदाय	ii	
	iii	योग (i+ii)	iii	
iv	राजनैतिक दलों को वितरित रकम	iv		
v	न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम	v		
vi	योग (iv+v)	vi		
Vii	धारा 13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम	Vii		
viii	31 मार्च को संवरण अतिशेष	Viii		

## अनुसूची वीसी

## स्वैच्छिक अभिदाय (आईटीआर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए)

अ	स्थानीय		
i	समग्र निधि संदान	आi	
ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त	आii	
	(क) सरकार से प्राप्त अनुदान		
	(ख) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान		
	(ग) अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान		
	(घ) अन्य संदान		
	(ङ) कुल	आiङ	
iii	स्थानीय स्वैच्छिक अभिदाय (आi + आiङ)	आiii	
आ	विदेशी अभिदाय		
i	समग्र निधि संदान	आ i	
ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त	आ ii	
iii	विदेशी अभिदाय ( आ i + आii)	आ iii	
इ	कुल अभिदाय ( आiii + आiii)	इ	
ई	ई में सम्मिलित धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य, अनाम अभिदाय		

i	प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग	i	
ii	ई पर प्राप्त कुल अभिदाय का 5% या 1,00,000 जो भी ज्यादा हो	ii	
iii	धारा 115 खखग के अधीन 30% (i – ii) की दर से प्रभार्य अनाम अभिदाय	iii	

## अनुसूची एआई

ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करके पूर्व के दौरान व्युत्पन्न कुल आय [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vिक)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]

आय का कुल जोड़	1	मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां	1	
	2	अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां	2	
	3	किराया	3	
	4	कमीशन	4	
	5	लाभांश आय	5	
	6	ब्याज आय	6	
	7	कृषि आय	7	
	8	पूंजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल	8	
	9	कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
		प्रकृति		रकम
	क		क	
	ख		ख	
	ग		ग	
	घ		घ	
	ङ	कुल (9क + 9ख + 9ग + 9घ)	ङ	
10	कुल		10	

अनुसूची  
ईआर

वर्ष के दौरान उपगत राजस्व व्यय और पूर्व वर्ष के दौरान न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों को लागू रकम-राजस्व खाता [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vिक)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]

			रकम
अ	स्थापन और प्रशासनिक व्यय		
1	किराए	1	
2	मरम्मत और अनुरक्षण	2	
3	कर्मचारियों को प्रतिकर	3	
4	बीमा	4	
5	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	5	
6	मनोरंजन और आतिथ्य	6	
7	विज्ञापन	7	
8	वृत्तिक/परामर्शिक फीस / तकनीकी सेवाओं के फीस	8	
9	विदेशी यात्रा के अतिरिक्त प्रवृत्त और यात्रा व्यय	9	

10	न्यासियों को पारिश्रमिक			10	
11	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दरे और कर (जिसमें आय पर कर अंतर्भूक्त नहीं है)			11	
12	ब्याज			12	
13	संपरीक्षा फीस			13	
14	अवक्षयण और अपाकरण लागत जिसका पहले दावा नहीं किया गया है जो उस वर्ष या किसी अन्य पूर्व वर्ष में लागू है			14	
15	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
		प्रकृति		रकम	
	क		क		
	ख		ख		
	ग		ग		
	घ		घ		
	ङ	कुल (15क + 15ख + 15ग + 15घ)	ङ		15
16	कुल (अ1 to अ15)			16	
आ	न्यास/संस्था के उद्देश्यों पर व्यय				
1	संदान				
	i	समग्र	1i		
	ii	समग्र से भिन्न	1ii		
2	धार्मिक			2	
3	गरिबों के लिए अनुतोष			3	
4	शिक्षा			4	
5	योग			5	
6	चिकित्सा अनुतोष			6	
7	पर्यावरण संरक्षण			7	
8	समारकों आदि का संरक्षण			8	
9	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता			9	
10	कुल (आ 1 to आ9)			आ10	
इ	नामंजूर किए जाने योग्य व्यय (इ1 + इ2 + इ3)			इ	
1	इबंत ऋण			1	
2	उपबंध			2	
3	कोई अन्य नामंजूर किए जाने योग्य व्यय			3	
ई	वर्ष के दौरान उपगत कुल राजस्व व्यय (अ16 + आ10 + इ)			ई	
उ	राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए निधि स्रोत			उ	
1	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ती/आय से व्युत्पन्न आय			1	



2	धारा 11(1) के सपष्टीकरण 1 खंड 2 के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में यथाउपयोजित समझी गई आय (तभी लागू होगा जब धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट का दावा किया गया हो)	2	
3	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्ववर्ती की आय	3	
4	उधार ली गई निधि	4	
5	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	5	

## अनुसूची ईंती

पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए अनुप्रयुक्त रकम – पूंजीगत लेखा [धारा 11 और धारा 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vिक) के अधीन फाइल किया जाए]

		रकम
1	कार्य में प्रगति पूंजी कार्य के लिए अतिरिक्त (उसके लिए जिसे धारा 11(1अ) के अधीन छूट के लिए दावा नहीं किया गया है)	1
2	पूंजी आस्ति का अर्जन (उसके लिए जिसे धारा 11(1अ) के अधीन छूट के लिए दावा नहीं किया गया है)	2
3	धारा 11 (1क) के अधीन छूट के दावे के लिए नई आस्तियों की लागत (शुद्ध प्रतिफल तक निर्बंधित) (अनुसूची एआई की पंक्ति 8 यदि नई आस्ति का, उद्देश्य के मद्दे उपयोजन नहीं हुआ है)	3
4	अन्य पूंजी व्यय	
	i	4i
	ii	4ii
	iii	4iii
	iv कुल व्यय (4i + 4ii + 4iii)	4iv
5	कुल पूंजी व्यय (1 + 2 + 3 + 4)	5
अ	पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए निधि का स्रोत	
1	पूर्व के दौरान संपत्ती से व्युत्पन्न आय	1
2	धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में यथाउपयोजित समझी गई आय	2
3	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्व वर्ष की आय	3
4	उधार ली गई निधि	4
5	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	5

## अनुसूची आईई-1

आय और व्यय विवरण (धारा 10(21), धारा 10(22ब), धारा 10(23ककक), धारा 10(23ब), धारा 10(23घ), धारा 10(23चक), धारा 10(23डग), धारा 10(23डघ), धारा 10(23डड), धारा 10(29क), धारा 10(46), धारा 10(47) के अधीन और धारा 10 के अन्य खंड के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू, जहां आय बिना शर्त छूट प्राप्त है)

1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1
2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2
3	संचित आय	3

**अनुसूची आईई-2 आय और व्यय विवरण (धारा 10(23क), धारा 10(24) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू)**

अ	1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्ति	1	
	2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोग	2	
	3	संचित आय	3	
आ	1	क्या आपकी कोई ऐसी आय है जो कराधेय है? यदि हां तो कृपया कराधेय के ब्यारे उपलब्ध कराएं (चिह्नित) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
		क	गृह संपत्ति से आय (कृपया अनुसूची एचपी भरें)	1क
		ख	कारबार या वृत्ति से आय (कृपया अनुसूची बीपी भरें)	1ख
		ग	पूंजीलाभ से आय (कृपया अनुसूची सीजी भरें)	1ग
		घ	अन्य स्रोत से आय (कृपया अनुसूची ओएस भरें)	1घ

**अनुसूची आईई-3**

आय और व्यय विवरण (धारा 10(23ग)(iii)कख) या धारा 10(23ग)(iii)कग के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू (कृपया प्रत्येक संस्था के लिए पृथक अनुसूची भरें):

1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	किसी स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्ति	
4	उपरोक्त क्रम सं.3 में से सरकारी अनुदान	
5	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
6	संचित अतिशेष	

**अनुसूची आईई-4**

आय और व्यय विवरण (धारा 10(23ग)(iii)कघ) या धारा 10(23ग)(iii)कड के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू (कृपया प्रत्येक संस्था के लिए पृथक अनुसूची भरें):

1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	सकल वार्षिक प्राप्ति	
4	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
5	संचित अतिशेष	

अनुसूची गृह  
संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)					
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता					
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता	
	I					
	II					
	/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (यदि उपलब्ध हो)	किरायदार (रों) का पैन/टैन (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया जाता है)	
	<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I			
	<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II			
	<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया					
	क	सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य				1क
	ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख			
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग			
	घ	योग (1ख + 1ग)	1घ			
	ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)	1ङ			
	च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)	1च			
	छ	1च का 30%	1छ			
	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज			
	झ	योग (1छ + 2ज)	1झ			
	ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त बकाया/वसूलनीय किराया	1ञ			
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)	1ट				
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड		
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)						
संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता						
सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता		
I						
II						
/लागू विकल्प पर <input checked="" type="checkbox"/> का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) <input checked="" type="checkbox"/>		किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या (पैन) (कृपया टिप्पण देखें)	किरायदार (रों) का पैन/टैन (कृपया टिप्पण देखें)		
<input type="checkbox"/> यदि किराए पर हो		I				
<input type="checkbox"/> स्वयं के उपभोग में		II				
<input type="checkbox"/> किराये पर दिया हुआ समझा गया						
क	सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)				2क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख				
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग				

घ	योग (2ख + 2ग)	2घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)	2च	
छ	1क का 30%	2छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज	
झ	योग (2छ + 2ज)	2झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त बकाया/वसूलनीय किराया	2ञ	
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)	2ट	
3	पास श्रू आय यदि कोई हो*	3	
4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1झ + 2झ + 3) (यदि नकारात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए का अंक	4	

टिप्पण ▶

कृपया अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय और इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची पीटीआई में निर्दिष्ट पास श्रू आय सम्मिलित करें।

टिप्पण ▶

किरायदार की स्थायी खाता संख्या देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-इअ के अधीन कर की कटौती की गई है।

किरायदार का टीएएन देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-इअ के अधीन कर की कटौती की गई है।

अनुसूची पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ		
1	आस्तियों से (शेयर/यूनिट जहां धारा 111क लागू होती है (एसटीटी संदत्त)		
क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1क	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
i	अर्जन की लागत	खि	
ii	सुधार की लागत	खii	
iii	अंतरण पर व्यय	खiii	
iv	योग (i + ii + iii)	खiv	
ग	अतिशेष (2क-खiv)	1ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन ध्यान में नहीं लाई गई हानि, यदि कोई हो (सकारात्मक मूल्य ही भरें)	1घ	
ङ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग+ 2घ)	अ1ङ	
2	ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112अ के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है		
क	i यदि विक्रीत आस्तियों में कोट न किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें		
क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
ख	कोट न किए गए शेयरों के उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के तरीके		
ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए गए शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	iग	
ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		
iii	कुल (iग + ii)	क iii	
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां		
i	अर्जन की लागत	खि	
ii	सुधार की लागत	खii	
iii	अंतरण पर व्यय	खiii	
iv	योग (i + ii + iii)	खiv	
ग	अतिशेष (2कiii - खiv)	2ग	
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन ध्यान में नहीं लाई गई हानि, यदि कोई हो (सकारात्मक मूल्य ही भरें)	2घ	
ङ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग+ 2घ)	2ङ	
3	अवक्षयी आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची का 6-डीसीजी)	अ3	
4	धारा 11 (1अ) के अधीन से भिन्न छूट (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें)	अ4	
5	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय (अनुसूची पीटीआई भरें) (अंक + अंक + अंक)	अ5	

पूंजी अभिलाभ

	क	15% की दर पर प्रभाय अल्पकालिक पूंजीअभिलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	अ5क		
	ख	लाभू दरों पर प्रभाय अल्पकालिक पूंजीअभिलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	अ5ख		
6		कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अ1ड + 2ड + अ3-अ4 + अ5)			अ6
आ		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ			
1		ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है			
	क	i यदि विक्रीत आस्तियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें			
		क कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क		
		ख कोट न किए गए शेयरों के उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के तरीके	ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए गए शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	ग		
		ii कोट न किए गए शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
		iii कुल (ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi		
		ii सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खii		
		iii अंतरण पर व्यय	खiii		
		iv योग (खi + खii + खiii)	खiv		
	ग	अतिशेष (1कiii-खiv)	1ग		
	घ	ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है			ख1घ
2		ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112(1)/112क के अधीन परंतुक लागू होता है (सूचीकरण के बिना)			
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	2क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खi		
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खii		
		iii अंतरण पर व्यय	खiii		
		iv योग (खi + खii + खiii)	खiv		
	ग	अतिशेष (2क-खiv)	2ग		
	घ	धारा 11(1अ) के अधीन छूट, यदि कोई हो (कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें)			2घ
	ड	धारा 112क के अधीन छूट			2ड
	च	छूट के पश्चात् अतिशेष (2ग - 2घ - 2ड)			2च
	छ	ऐसे दीर्घकालिक, जिनके लिए धारा 112(1)/ 112क के अधीन परंतुक का प्रयोग किया गया है (2ग - 2च)			2छ
3		दीर्घकालिक पूंजीअभिलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय (अनुसूची पीटीआई भरे) (आ3क+ आ3ख)			ख3
	a	10% की दर पर प्रभाय दीर्घकालिक पूंजीअभिलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	आ3क		
	b	20% की दर पर प्रभाय दीर्घकालिक पूंजीअभिलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	आ3ख		
4		कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (आ1ड+ आ2ख+ आ3)			आ4
इ		“पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (अ6+आ4) (यदि हानि है तो आ4 कुछ नहीं के रूप में प्रविष्ट करें)			इ

### अनुसूची-अन्य स्रोत अन्य स्रोतों से आय

1		सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभाय सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ड)			1
	क	लाभांश, सकल			1क
	ख	व्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv)			1ख
		i बचत बैंक से	खi		
		ii निक्षेपों से (बैंक/डाकघर/सहकारी/ सोसाइटी)	खii		
		iii आयकर प्रतिदाय से	खiii		
		iv पासश्रू आय की प्रकृति में	खiv		
		v अन्य	खv		
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय			1ग
	घ	धारा 56 (2)(भ) में निर्दिष्ट में प्रकृति की आय जो कर से प्रभाय है (घi + घii + घiii + घiv + घv)			1घ
		i प्रतिफल के बिना प्राप्त ऋण राशि का सकल मूल्य	घi		

ii	बढ़ि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घii		
iii	बढ़ि स्थावर संपत्ति अपर्वास प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टांप शुल्क मूल्य	घiii		
iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv		
v	बढ़ि अन्य संपत्ति बिना पर्वस प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv		
ड	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		1ड	
2	विशेष दरों पर प्रभाय आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ड)		2	
क	लॉटरी, बर्ष पहेली आदि जीतने से हुई आय		2क	
ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभाय आय (ख + खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)		2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi		
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii		
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii		
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv		
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv		
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
ग	धारा 111 के अधीन मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित अतिशेष		2ग	
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	आय का फायदा	कर का
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
घ	विशेष दर पर प्रभाय कोई अन्य (di to dxix का योग)		2घ	
i	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभाय अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	घi		
ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभाय सरकार या भारतीय समुधान से प्राप्त विदेशी करेंसी पर ब्याज	घii		
iii	धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभाय अवसंरचनात्मक ऋण निधि	घiii		
iv	धारा 115क(1)(क)(iv) के अधीन प्रभाय धारा 194डग में निर्दिष्ट ब्याज	घiv		
v	धारा 115क(1)(क)(v) के अधीन प्रभाय धारा 194डघ में निर्दिष्ट ब्याज	घv		
vi	संचित आय जो धारा 115क(1)(क)(vi) के अधीन प्रभाय धारा 194डक में निर्दिष्ट ब्याज है	घvi		
vii	धारा 115क(1)(क)(vii) के अधीन प्रभाय विदेशी करेंसी में क्रय की गई धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई की यूनिटों या अन्य पारस्परिक आय	घvii		
viii	धारा 115क(1)(ख) के अधीन प्रभाय सरकारी या भारतीय समुधान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामित्व या फीस से आय	घviii		
ix	धारा 115कग के अधीन प्रभाय अनिवासियों द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या जीडीआर से ब्याज या लाभांश द्वारा आय	घix		
x	धारा 115कक के अधीन प्रभाय निवासियों द्वारा विदेशी करेंसी में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश द्वारा आय	घx		
xi	धारा 115कच(1)(i) के अधीन प्रभाय प्रतिभूतियों के संबंध में (धारा 115कच में युनिटों से भिन्न) किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न)	घxi		
xii	धारा 115कच(1)(i) के परंतुक के अनुसार प्रभाय धारा 194डघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर किसी एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय	घxii		
xiii	धारा 115खखक के अधीन प्रभाय अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघों पर कर	घxiii		
xiv	धारा 115खखन के अधीन प्रभाय कतिपय मामलों में अनाम संदान	घxiv		
xv	धारा 115खखक के अधीन प्रभाय दस लाख रूपए से अधिक देशी कंपनी से देशी कंपनी, जो निवासी है से विनिर्दिष्ट निष्कारिणी द्वारा प्राप्त लाभांश के रूप में आय	घxv		
xvi	धारा 115खखच के अधीन प्रभाय भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत स्वामित्व के रूप में आय	घxvi		
xvii	धारा 115खखछ के अधीन प्रभाय कार्बन प्रत्ययों के अंतरण के रूप में आय	घxvii		

		<b>xviii</b> धारा 115ड के अधीन प्रभार्य अनिवासी भारतीय की विनिधान आय	<b>घviii</b>								
		<b>xix</b> कोई अन्य आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	<b>घxix</b>								
<b>ड</b>		विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में पासश्र आय (डापडाउन उपलब्ध किया जाए)			<b>2ड</b>						
<b>च</b>		रूप 1 और 2 में सम्मिलित रकम जो भारत में डीटीएए के अनुसार विशेष दरों पर प्रभार्य है (नीचे की सारणी के स्तंभ 2 का योग)			<b>2च</b>						
	क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.2क से 2ड जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीएए की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है <input type="checkbox"/> (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	<b>I</b>										
	<b>II</b>										
<b>3</b>		धारा 57 के अधीन कटौतियां (उन कटौतियों से भिन्न जो 2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित हैं)									
	<b>क</b>	व्यय/ कटौतियां						<b>3क</b>			
	<b>ख</b>	अवक्षयण						<b>3ख</b>			
	<b>ग</b>	योग						<b>3ग</b>			
<b>4</b>		धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम									<b>4</b>
<b>5</b>		धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ									<b>5</b>
<b>6</b>		सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (1 - 3 + 4 + 5) (यदि कुछ नहीं है तो अनुसूची सीवाईएलए का अंक 41 लें)									<b>6</b>

<b>7</b>	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						<b>7</b>
<b>8</b>	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय						
	<b>क</b>	प्राप्तियां	<b>8क</b>				
	<b>ख</b>	केवल 8क पर (3) प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	<b>8ख</b>				
	<b>ग</b>	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	<b>8ग</b>				
	<b>घ</b>	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	<b>8घ</b>				
	<b>ड</b>	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्टि करें)				<b>8ड</b>	
<b>9</b>	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें)						<b>9</b>
<b>10</b>	अन्य स्रोतों से प्रोदभूत/प्राप्ति के बारे में जानकारी						
	<b>क्र.सं</b>	<b>अन्य स्रोत से आय</b>	<b>15/6 तक</b>	<b>16/6 से 15/9 तक</b>	<b>16/9 से 15/12 तक</b>	<b>16/12 से 15/3 तक</b>	<b>16/3 से 31/3 तक</b>
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
<b>1</b>		धारा 115खखघक के अधीन लाभार्थ आय					
<b>2</b>		धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लॉटरी, वर्गपहेली, दौड़, खेल, द्युत, बाजी लगाने आदि से जीत के रूप में आय					
<b>टिप्पण</b>	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अव्यसक बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें						

<b>अनुसूची ओए</b>	<b>साधारण</b>	
	क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है ? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित व्योरे प्रविष्टि करें)	
<b>1</b>	कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेश देखें)	<b>1</b>
<b>2</b>	शाखाओं की संख्या <input type="checkbox"/>	<b>2</b>
<b>3</b>	पूर्ववर्ष में लेखांकन की पद्धति <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> वाणिज्यिक <input type="checkbox"/>	<b>3</b>
<b>4</b>	क्या लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां	<b>4</b>
<b>5</b>	धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्ववर्ष में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव	<b>5</b>
<b>6</b>	पूर्ववर्ष में लागू बंध स्टाक के मूल्यांकन की पद्धति	<b>6</b>
	क कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखें)	<input type="checkbox"/>

ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखे, यदि लागत पर है तो 2 लिखे, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखे)		
ग	व्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है, <input checked="" type="checkbox"/> (का निशान लगाएं) <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/>		
घ	धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव	6घ	

**अनुसूची कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना**

अ	सूट्टा कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार के अतिरिक्त कारबार एवं वृत्ति धारा 11(4क) में संदर्भित कारबार आय सहित		
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ		1
2	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - चिह्न प्रविष्ट करें)	2	
3	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - चिह्न प्रविष्ट करें)	3	
4	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो धारा 44कघ/धारा 44कड में निर्दिष्ट है	4	
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
	क फर्म (फर्मों) से आय का अंश	5क	
	ख एओपी/बीओआई से आय का अंश	5ख	
	ग कोई अन्य छूट प्राप्त आय	5ग	
	घ कुल छूट प्राप्त आय	5घ	
6	अतिशेष (1 - 2 - 3 - 4 - 5घ)		6
7	आय के अन्य शीर्षों के विचाराधीन लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय	7	
8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है	8	
9	योग (7 + 8)	9	
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)		10
11	धारा 33कख/ 33कखक/ 35कखख के अधीन समझी गई आय	11	
12	धारा 28 से 44घक के अधीन कोई अन्य मद या मदें	12	
13	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसके अंतर्गत ऐसी फर्मों से, जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है)	13	
14	योग (10 +11+12+13)		14
15	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	15	
16	कोई अन्य रकम, जो कटौती के रूप में अनुज्ञेय है		16
17	योग ( 15 +16)		17
18	आय (14 - 17)		18
19	कारबार या वृत्ति के निम्नलिखित के अधीन समझे गए लाभ या हानि		
	i धारा 44कघ	19i	
	ii धारा 44कघक	19ii	
	iii धारा 44कड	19iii	
	iv योग (19i से 19iii)		19iv
20	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (18 + 19iv)		20
21	नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् विशेष कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 20 में है)		क21
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना		
24	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि		24
25	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन		25
26	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां		26
27	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (24+25-26)		ख27
इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना		इ



28	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	28	
29	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	29	
30	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां धारा- (i) 35कघ (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस पर धारा 35कघ के अधीन दावा किया जाता है)	30	
31	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (28+29-30)	31	
32	धारा 35कघ (1) के अनुसार कटौतियां	32	
33	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (31-32) (यदि हानि है तो शून्य प्रविष्ट करें)	33	
34	धारा 35कघ की उपधारा (5) के सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट व्यवसाय को आच्छादित करता है	34	
ई	लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (अ23+ आ27 +इ33)	ई34	
उ	धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभाय आय की संगणना		
35	आय, जो कारबार उपक्रम के खाते में दर्शाई गई है [ धारा 11 (4) देखें ]	उ35	
36	धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभाय आय [ ई34 - उ36 ]	उ36	

**अनुसूची सीवाईएलए चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे**

क्र. सं.	आय का शीर्ष/ स्रोत	चालू वर्ष की आय	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से अन्य स्रोतों से हानि)	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय
		(इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	कुल हानि (अनुसूची- (गृह संपत्ति का 4)	कुल हानि (अनुसूची कारबार वृत्ति का अ-21)	कुल हानि (अनुसूची-ओएस का 6+2)	
		1	2	3	4	
	समायोजित की जाने वाली हानि					
i	गृह संपत्ति					
ii	कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)					
iii	सट्टेबाजी से आय					
iv	विनिर्दिष्ट कारबार से आय					
v	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vi	दीर्घकालिक अभिलाभ					
vii	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखने से लाभ और लाटरी की जीत को छोड़कर)					
viii	दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ					
ix	मुजरा की गई कुल हानि					
x	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि					

चालू वर्ष की हानि समायोजन

## अनुसूची पीटीआई

धारा 115क, 115ख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	आय की रकम	ऐसी रकम पर ख़ोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
1.			i	गृह संपत्ति		
			ii	पूँजी अभिलाभ		
			क	अल्पकालिक अवधि		
				दीर्घकालिक अवधि		
			ख	दीर्घकालिक अवधि		
			iii	अन्य ख़ोत		
			iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी		
			क	धारा 10(23चखख) के अधीन		
				धारा .....के अधीन		
				धारा.....के अधीन		
2.			i	गृह संपत्ति		
			ii	पूँजी अभिलाभ		
			क	अल्पकालिक अवधि		
				दीर्घकालिक अवधि		
			ख	दीर्घकालिक अवधि		
			iii	अन्य ख़ोत		
			iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी		
			क	धारा 10(23चखख) के अधीन		
				धारा .....के अधीन		
				धारा.....के अधीन		

पास के माध्यम से आय

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

## अनुसूची एसआई

विशेष दरों से प्रभार्य आय (कृपया अनुदेश देखें)

विशेष दर	क्र. सं.	धारा	<input checked="" type="checkbox"/>	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
1	111क	(जहां एसटीटी संदत्त किया गया है वहां शेयरों पर एटीसीसी)	<input type="checkbox"/>	15		
2	112	परंतुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर)	<input type="checkbox"/>	10		
3	112	(अन्य पर एलटीसीजी)	<input type="checkbox"/>	20		

4	112क (कारबार न्यास की साधार शयरोन्मुख निधि/यूनिटों के साधारण शयरो/यूनिटों पर एलटीसीजी, जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है)	<input type="checkbox"/>	10		
5	115घ (जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ)	<input type="checkbox"/>	12.50		
6	115खख (लाटरी,पहेली, दौड़ो, खेल आदि से जीत)	<input type="checkbox"/>	30		
7	115 खखघक (घरेलू कंपनी से लाभांश आय जो 10 लाख रुपये से अधिक है)	<input type="checkbox"/>	10		
8	115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)	<input type="checkbox"/>	60		
9	115खखच(पेटेंट से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10		
10	115खखड (कार्बन प्रत्यक्ष के वंतरण से आय पर कर)	<input type="checkbox"/>	10		
11	विशेष दर पर कोई अन्य आय (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए)	<input type="checkbox"/>			(अनुसूची ओएस के 2घ का भाग)
12	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय अन्य स्रोतों से आय	<input type="checkbox"/>			(अनुसूची ओएस के 2घ का भाग)
13	15% की दर पर प्रभाय अल्प कालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	<input type="checkbox"/>	15		
14	10% की दर पर प्रभाय दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	<input type="checkbox"/>	10		
15	20% की दर पर प्रभाय दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	<input type="checkbox"/>	20		
16	विशेष दरों पर प्रभाय अन्य स्रोत से आय की प्रकृति में पासश्रू आय	<input type="checkbox"/>			(अनुसूची ओएस का 2ड)
			योग		

**अनुसूची 115नघ धारा 115नघ के अधीन अभिवर्धित आय**

1	न्यास/संस्था की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य	1		
2	घटाएं—न्यास/संस्था का कुल दायित्व	2		
3	आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2)	3		
4	(i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य वर्धित प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की एफएमवी	4i		
	(ii) धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रभायी तारीख के लिए सृजन वा स्थापन की तारीख से अन्धि के दौरान वर्धित आस्तियों का एफएमवी और 12 के अधीन वाचा नहीं किया गया	4ii		
	(iii) धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार वंतरित आस्तियों का एफएमवी	4iii		
	(iv) कुल (4i + 4ii + 4iii)	4iv		
5	उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की वाचत दायित्व	5		
6	धारा 115नघ (3-4-5) के अनुसार अभिवर्द्धि आय	6		
7	अधिकतम उपासिक दर पर 115नघ के अधीन सदेय वतिरिक्त आय-कर	7		
8	115नघ के अधीन सदेय न्यास	8		
9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट ऋण	9		
10	वतिरिक्त आय-कर और सदेय न्यास	10		
11	आय और संदत्त न्यास	11		
12	संदाय/प्रत्यपर्णाय (10 - 11)	12		
13	अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निशेष की तारीख	तारीख 1 दिन/मास/वर्ष	तारीख 2 दिन/मास/वर्ष	तारीख 3 दिन/मास/वर्ष
14	बैंक और शाखा का नाम			
15	बीएसएर कोड			
16	चालान की क्रम संख्या			
17	ज्या की गई रकम			

## अनुसूची- एफएसआई

## भारत से बाहर होने वाली आय और कर राहत के ब्यौरे

क्र.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख-टीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर कर संदेय	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)(ग)या (घ) जो भी कम हो	यदि धारा 90 या 90क के अधीन राहत कर दावा किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
1			i	गृह संपत्ती					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोतों					
			कुल						
2			i	गृह संपत्ती					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोतों					
			कुल						
टिप्पण ▶				कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें					

## अनुसूची-टीआर

## भारत से बाहर संदत्त करों के लिए कर राहत की संक्षिप्त जानकारी

1		दावाकृत चाहे गए कर राहत के ब्यौरे					
देश का कोड	करदाता की पहचान सं०	भारत के बाहर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग	अनुसूची एफएसआई में घोषित आय पर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (घ) का योग	दावाकृत धारा के अधीन राहत (90,90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)			
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)			
कुल							
2	जहां डीटीए लागू होता है, उस देश के संबंध में उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)			2			
3	जहां डीटीए लागू नहीं होता है, उस देश के संबंध में राहत (धारा 91) (1(घ)			3			
4	क्या भारत के बाहर कोई कर संदत्त है, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात है, उसे विदेशी कर प्राधिकरण द्वारा इस वर्ष के दौरान प्रतिदाय/प्रत्यय किया गया है। यदि हां तो ब्यौरा नीचे दीजिए			4	हां/नहीं		
क	प्रतिदाय कर की रकम		ख	निर्धारण वर्ष जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात है			
टिप्पण ▶				कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें			

भारत से बाहर होने वाली आय

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत

## अनुसूची वि.आ.

## भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

क1 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय (फायदाग्राही हित समेत) धारित विदेशी जमा खातों के ब्यौरे												
क्र.सं०	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थान का नाम	वित्तीय संस्थान का पता	जिप कोड	खाता संख्या	प्रतिस्थिति	लेखा खोलने की तारीख	अवधि के दौरान उच्चतम बकाया	बंद करते समय बकाया	अवधि के दौरान खाते में संदत्त जमावुल ब्याज	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
क2 सुसंगत लेखा अभिरक्षा के दौरान किसी भी समय ( ) धारित विदेशी जमा खातों के ब्यौरे												
क्र.सं०	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्थान का नाम	वित्तीय संस्थान का पता	जिप कोड	खाता संख्या	प्रतिस्थिति	लेखा खोलने की तारीख	अवधि के दौरान उच्चतम बकाया	बंद करते समय बकाया	अवधि के दौरान खाते में संदत्त जमावुल ब्याज (वित्तीय आस्तियों/अन्य के विक्रय या मोचन से ब्याज/लाभांश/आगमों की रकम की प्रकृति विनिर्दिष्ट करते हुए ड्राप डाउन प्रदान किया जाए।)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
क3 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय किसी अस्तित्व में किसी फायदाग्राही हित समेत धारित विदेशी सभ्या और ऋण ब्याज के ब्यौरे												
क्र.सं०	देश का नाम	देश का कोड	अस्तित्व का नाम	अस्तित्व का नाम	जिप कोड	अस्तित्व की प्रकृति	हित अर्जित करने की तारीख	निवेश का आरंभिक मूल्य	अवधि के दौरान निवेशकका उच्चतम मूल्य	बंद करते समय मूल्य	अवधि के दौरान धारित के संबंध में संदत्त (जमा कुल सकल रकम)	अवधि के दौरान निवेश के विक्रय या मोचन से कुल सकल आगम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
क4 सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय (किसी फायदाग्राही हित समेत) विदेशी नकद मूल्य बीमा या धारित वार्षिकी संविदा के ब्यौरे												
क्र.सं०	देश का नाम	देश का कोड	वित्तीय संस्था का नाम जिसमें बीमा संविदा धारित है	वित्तीय संस्था का पता	जिप कोड	संविदा की तारीख	संविदा का नकद मूल्य या अभ्यर्पण मूल्य	अवधिके दौरान संविदा के संबंध में संदत्त/जमा कुल सकल रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
ख सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय (किसी फायदाग्राही हित समेत) किसी धारित अस्तित्व में वित्तीय हित के ब्यौरे												
क्र.सं०	देश का नाम और कोड	अस्तित्व की प्रकृति	अस्तित्व का नाम और पता	ब्याज की प्रकृति-सीधे/फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	रखने की तारीख से	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	ऐसे ब्याज से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												

(ii)										
ग सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय (किसी फायदाग्राही हित समेत) धारित अचल संपत्ति के ब्यौरे										
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज		
								राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)										
(ii)										

घ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय (किसी फायदाग्राही हित समेत) धारित किसी अन्य पूंजी आस्ति के ब्यौरे											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी/हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
								राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
ङ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय (किसी फायदाग्राही हित समेत) उस लेखा के ब्यौरे जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं											
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष/विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय			
								राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या बन्धुभापक हो।											
क्र. सं०	देश का नाम और कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	बन्धुभापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरे जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम			प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय			

		और पता				राशि	जहाँ अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)								
(ii)								

**टिप्पण** ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों का संदर्भ

अनुसूची एसएच		असूचीबद्ध कंपनी की शेयर धृति										
यदि आप असूचीबद्ध कंपनी हैं तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें :-												
पूर्ववर्ष के अंत में शेयरधृति के ब्यौरे												
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	अर्जन की तारीख	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम				
पूर्ववर्ष के अंत में आबंटन लंबित रहते हुए साधारण शेयर आवेदन धनराशि के ब्यौरे												
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	आवेदन की तारीख	आवेदित शेयरों की संख्या	प्राप्त आवेदन की धनराशि	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रस्तावित निर्गम कीमत				
शेयरधारकों के ब्यौरे जो पूर्ववर्ष के अंत में शेयर धारक नहीं हैं किन्तु पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय शेयर धारक थे												
शेयर धारक का नाम	भारत में निवासी प्रास्थिति	शेयर का प्रकार	पैन	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गम कीमत	प्राप्त रकम	अर्जन की तारीख	तारीख जिसको वह शेयरधारक नहीं रहता है	अस्तित्वहीन होने की रीति	अंतरण की दशा में शेयरधारक की स्थायी खाता संख्या	

## भाग - ख

**भाग ख- कुल आय** तारीख 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण

आय का विवरण	यदि धारा 12क/धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(vik) के अधीन अनुमोदित, मद 1 से 7 को भरे (यथा लागू)										
	1	समग्र निधि से भिन्न स्वैच्छिक अभिदाय [अनुसूची फग (कां ड +खii ज)]								1	
	2	धारा 11(1)(घ) के अनुसार समग्र का भाग करने वाला स्वैच्छिक अभिदाय [अनुसूची फग (कां +खi)]								2	
	3	उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित ऐच्छिक अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान वियुत्पन धारा 11, धारा 12 और धारा 13(23ग)(iv), 10(23ग)(v) और 10(23ग)(vik) में निर्दिष्ट कुल आय								3	
	4	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग :-									
	i	उधार ली गई निधि, समझा गया उपयोग, 15% तक पूर्ववर्ष के संचयन आदि से आवेदन को छोड़कर अर्थात् पूर्ववर्ष की आय से नहीं [अनुसूची ईआर से अ16 + आ10- उ2-उ3-उ4-उ5]								4i	
ii	पूर्ववर्ष के दौरान उपयोग की गई रकम पूंजीलेखा (उधार ली गई निधियों से अनुपयोग को छोड़कर) समझा गया 15% तक पूर्ववर्षी वर्ष संचयन अर्थात् पूर्ववर्षी वर्ष की आय से नहीं [5 -अ2-अ3-अ4-अ5 अनुसूची ईसी का]								4ii		
iii	पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित रकम - राजस्व/पूंजीगत लेखा (ऋण का प्रतिसंदाय)								4iii		

iv	धारा 11(1) के खंड (2) के अनुसार पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित की गई समझी गई रकम		4v	
क	यदि उपर्युक्त (iv) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं.9क देने का विकल्प है	4ivक		
	यदि हां, प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	4ivख		
V	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोजन के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (2+3) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित]		4v	
Vi	विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचित या पृथक् ऊपर (iv) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त रकम, यदि धारा 11(2) और धारा 11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक में की गई सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं (अनुसूची 1 भरे)		4vi	
vii	धारा 11(1)(ग) के अनुसार भारत से बाहर पूर्व प्रयोजनों के लिए उपयोजित रकम		4vii	
क	अनुमोदन संख्या और बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	4vii क		
	बोर्ड द्वारा दी गई अनुमोदन की तारीख	4vii ख		
Viii	कुल [4i + 4ii + 4iii + 4v + 4vi + 4vii] (मद 4iv को अपवर्जित करके – किसी पूर्वतम वर्ष की समझी गई आय का उपयोजन)		4viii	
5	जोड़ें			
i	धारा 11 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार प्रभार्य अन्य न्यास या संस्था समग्र संदान (अनुसूची ईआर की मद सं. ख1(i))		5i	
ii	धारा 11(1ख) के अधीन प्रभार्य आय		5ii	
iii	धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय		5iii	
iv	आय जिसके संबंध में धारा 11 के अधीन छूट उपलब्ध नहीं है			
क	अनुसूची बीसी के चा॥ पर गुप्त दान	5iv क		
	धारा 13(1)(ग) या 13(1)(घ) के अधीन अननुज्ञात (अनुसूची ज के भाग ड समेत)	5iv ख		
v	धारा 12(2) के अधीन प्रयाय आय		5v	
vi	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम r.w.s 40(क)(कि) या 10(23ग) r.w.s 40(क)(कि)		5vi	
vii	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम r.w.s 40अ(3)/(3अ) या 10(23ग) r.w.s 40अ(3)/(3अ)		5vii	
Viii	कुल [5i + 5ii + 5iii + 5iva + 5ivख + 5v + 5vi + 5vii]		5viii	
6	धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय [ अनुसूची खत की मद सं. उ36 के अनुसार]		6	
7	योग (2+3-4viii + 5viii + 6)		7	
8	धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23क क क), 10(23ख) 10(23डग), 10(23डघ), 10(23डड), 10(29क) के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम		8	
9	धारा 10(23ग)(iiiकख), 10(23ग)(iiiकग), 10(23C) (iii कघ), 10(23ग) (iii कङ), 10(23घ), 10(23घक), 10(23 चख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम		9	
10	धारा 10 के किसी अन्य खंड के अधीन छूट की उपयुक्त रकम (धारा 8 और धारा 9 से भिन्न)		10	
11	धारा 10(21) के साथ पठित धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय		11	
12 क	किसी राजनैतिक के मामले में धारा 13क के अधीन दावा की गई/छूट प्राप्त आय		12 क	
12 ख	किसी चुनावी न्यास के मामले में धारा 13ख के अधीन दावा की गई/छूट प्राप्त आय		12 ख	



13	उपर्युक्त मद सं 7 से 12 का भाग नहीं बनने वाली आय		
	i	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची खत का 4) (शून्य भरें यदि हानि)	13i
	ii	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची खत की मद सं 34 के अनुसार)	13ii
	iii	शीर्ष अभिलाभ के अधीन आय	
	क	अल्पकालिक (अनुसूची गद्य क 6)	13iiiक
		दीर्घकालिक (अनुसूची गद्य का ख4) (शून्य भरें यदि हानि हो)	13iiiख
		कुल पूंजी अभिलाभ (13iiiक + 13iiiख) (शून्य भरें यदि हानि हों)	13iiiग
	iv	अन्य स्रोतों से आय (अनुसूची गद की मद संख्या 9 के अनुसार)	13iv
v	कुल (13i + 13ii + 13iiiा + 13iv)	13v	
14	सकल आय [7+11+13v-8-9-10-12क- 12ख]	14	
15	चालू वर्ष में 13v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2ix, 3ix और 4ix का योग)	15	
16	कुल आय (14 - 15)	16	
17	धारा 111क, 112 आदि के अधीन विशेष दर से आय पर प्रभाय कर आदि जो 16 में सम्मिलित की गई है	17	
18	धारा 10कक के अधीन कटौतियाँ	18	
19	कुल आय [16-18]	19	
20	ऐसी आय जिसे 19 में सम्मिलित किया गया और विशेष दरों पर कर से प्रभाय है (अनुसूची एसआई 1क का योग)	20	
21	दर के प्रयोजनार्थ शुद्ध कृषि आय	21	
22	कुल आय (19 - 20 + 21) (यदि (19-20) उस रकम से अधिक है जो प्रभाय नहीं है तो लागू हो)	22	
23	22 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा (अनुसूची वी सी का घiii )	23	
24	अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभाय आय (22-23)	24	

## भाग ख- कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर	
क	भाग ख- आय मद के (22 - 23 - 24) पर सामान्य दरों पर कर	1क
	विशेष दरों पर कर ( अनुसूची एसआई का (ii) का योग )	1ख
	भाग ख-कुल आय के 23 पर धारा 115खखग के अधीन अनाम संदानों पर 30% की दर से कर	1ग
	भाग ख-कुल आय के 24 पर अधिकतम (यदि जवाब हाँ है तो (यदि जवाब हाँ है तो यह सुनिश्चित)	1घ
	कृषि आय पर रिबेट (यदि कुल आय पर कर 19-20 उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं है जो कर से प्रभाय है तो लागू हो )	1ङ
	कुल आय पर कर संदाय (1क + 1ख + 1ग + 1घ - 1ङ)	1च
2	अधिभार	3
i	अनुसूची घस का 8(ii) का 25%	2i
	पर [1च - अनुसूची घस का 8(ii)]	2ii
	कुल (i + ii)	2iii
3	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1च + 2iii)	3
4	सकल कर दायित्व (1च + 2iii + 3)	4
5	कर राहत	

	क	धारा 90/90क ( अनुसूची कर 2 विवरणी)	5क			
	ख	धारा 91 (अनुसूची कर 3 विवरणी )	5ख			
	ग	कुल (5क+5ख)		5ग		
6	शुद्ध कर दायित्व (4-5ग)			6		
7	देय फीस और ब्याज					
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	7क			
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	7ख			
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	7ग			
	घ	आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234घ)	7घ			
	ङ	संदेय कुल ब्याज और फीस (7क+7ख+7ग + 7घ)		7ङ		
8	कुल दायित्व (6+7ङ)			8		
9	संदत्त कर					
	क	अग्रिम कर (14क का स्तंभ 5)	9क			
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (14ख का स्तंभ 9)	9ख			
	ग	स्रोत पर कर का संग्रहण (14ग का स्तंभ 9)	9ग			
	घ	स्वतः कर निर्धारण (14क का स्तंभ 5)	9घ			
	ङ	कुल संदत्त कर (9क+9ख+9ग+9घ)		9ङ		
10	संदेय रकम (यदि 8, 9ङ से अधिक है तो 12 प्रविष्ट करें अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)			10		
11	प्रतिदाय (यदि 9ङ, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)			11		
संदत्त कर	क	अग्रिम कर (14क का स्तंभ 5)	9क			
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (14ख का स्तंभ 9)	9ख			
	ग	स्रोत पर कर का संग्रहण (14ग का स्तंभ 9)	9ग			
	घ	स्वतः कर निर्धारण (14क का स्तंभ 5)	9घ			
	ङ	कुल संदत्त कर (9क+9ख+9ग+9घ)		9ङ		
10	संदेय रकम (यदि 8, 9ङ से अधिक है तो 12 प्रविष्ट करें अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)			10		
11	प्रतिदाय (यदि 9ङ, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)			11		
बैंक खाता	12	पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) (अनिवासियों की दशा में, प्रत्यय के प्रतिदाय के प्रयोजन के लिए किसी एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे दें)				
		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड (विदेशी बैंक खाते की दशा में एसडब्ल्यूआईएफटी कोड)	बैंक का नाम	खाता सं. (विदेशी बैंक खातों की दशा में आईबीएएन)	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना रिफंड क्रेडिट यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं)
		i				
	ii					
13	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या				<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	

14	अनुसूची-आयकर				
क	अग्रिम कर और स्वतःनिर्धारण के संदायों के ब्यौरे				
	क्रं. सं.	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
कर संदाय	i				
	ii				
	iii				
	iv				
	v				
	vi				
टिप्पण	भाग ख-टीटीआई की क्रम सं० 13क और 13घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें।				

ख	स्रोत पर कर कटौती के व्यौर [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप 16 क या प्ररूप 16ख/16ग के अनुसार]											
क्र.सं०	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस क्रेडिट (धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी/नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का पैन/किराएदार/क्रेता का पैन	अप्रेषित अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस		इस वर्ष दावा किया जा रहा टीडीएस क्रेडिट (केवल तभी जब तत्स्थानी आय कर के लिए आमंत्रित की गई है)	आमंत्रित तत्स्थानी आय	अप्रेषित टीडीएस क्रेडिट			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अप्रेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	धारा 5क के अनुसार पति/पत्नी के हाथ में या नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में कटौती	स्वयं के हाथों में दावा की गई	इस वर्ष दावा किया जा रहा टीडीएस क्रेडिट (केवल तभी जब तत्स्थानी आय कर के लिए आमंत्रित की गई है)	कुल रकम	आय का शीर्ष	
							आय टीडीएस		आय टीडीएस पैन			
i												
टिप्पण भाग ख नमूने के 10ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें												

ग	स्रोत पर कर के संग्रहण का व्यौर [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]							
क्र.सं. और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	अग्रणीत अदावाकृत स्रोत पर कर संग्रहण रकम	वर्तमान वित्तीय वर्ष का स्रोत पर संग्रहित कर		(5) और (6) में से इस वर्ष में दावाकृत रकम केवल यदि तत्स्थानी आय पर इस वर्ष कर दिया जा रहा है	(5) या (6) में से अग्रणीत की गई रकम		
			वित्तीय वर्ष जिसमें टीडीएस संग्रहित किया जाता है	अग्रणीत रकम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
i								
ii								
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख टीडीआई के 9ग में स्तंभ (7) योग प्रविष्ट करें								

सत्यापन

मैं, \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसके साथ संलग्न विवरणी और अनुसूचियों, विवरणों आदि में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूरी है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी अपनी ..... की हैसियत में दे रहा/दे रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्यांक ..... है (यदि आवंटित हुआ हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92ग के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें →

आ.क.वि V

पावती

निर्धारण वर्ष 2019-20

..... से कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए आ.क.वि.सं 1(सहज) → 2 → 3 → 4(सुगम) → 5 → 7 → 0 में आय की विवरणी सधन्यवाद प्राप्त की, जिसकी विशिष्टियां इस प्रकार हैं

क 1 प्रथम नाम	क 2 मध्य नाम	
क 3 अंतिम नाम	क 4 स्थायी खाता संख्या	
क 5 जन्म की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	क 6 फ्लैट/ द्वार/ भवन	क 7 परिसर/ भवन/ ग्राम का नाम
क 8 सड़क/ गली	क 9 क्षेत्र/ अवस्थान	क 10 नगर/ शहर / जिला
क 11 राज्य	देश	क 12 पिन कोड

क13 केवल एक भरें फाइल की गई ( ) नियत तारीख से पहले ( ) नियत तारीख के पश्चात् सुसंशोधित विवरणी-139(9) या सूचना के उत्तर में 142(1) 148 153क/ 153ग या 92गघ या धारा 119(2)(ख) के अधीन

आय की संगणना और कर विवरण

केवल पूर्ण रूप में

यदि हानि दर्शित करना हो तो बाईं ओर कोटक में ऋण चिन्ह लगाए

ख1	सकल कुल आय	ख1 ( )
ख2	अध्याय 6-क के अधीन कटौतियां	ख2
ख3	कुल आय	ख3 ( )
ख4	चालू क्षति, यदि कोई हो	ख4 ( )
ख5	निवल संदेय कर	ख5
ख6	संदेय ब्याज और फीस	ख6
ख7	कुल संदेय कर, ब्याज और फीस	ख7
ख8	कुल संदत्त अग्रिम कर	ख8
ख9	कुल संदत्त स्व निर्धारण कर	ख9
ख10	कुल स्रोत पर कर कटौती	ख10
ख11	कुल स्रोत पर कर संग्रहण	ख11
ख12	कुल संदत्त कर (ख 8 + ख 9 + ख 10 + ख 11 )	ख12
ख13	संदेय कर (ख 7 - ख 12, यदि ख 7 > ख 12)	ख13
ख14	प्रतिदाय (ख 12 - ख 7, यदि ख 12 > ख 7)	ख14
ख15	छूट प्राप्त आय कृषि	ख15

## अन्य

	हस्ताक्षर करें
केवल कार्यालय उपयोग के लिए	प्राप्त करने पदधारी की मुहर, तारीख और हस्ताक्षर
स्टांप प्राप्ति सं०	

[अधिसूचना सं. 32/2019 फा.सं. 370142/1/2019-टीपीएल]

सौरभ गुप्ता, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2019, अधिसूचना संख्यांक. सा.का.नि. 76(अ) तारीख 30 जनवरी, 2019 द्वारा किया गया ।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2019

**Income-tax**

**G.S.R. 279(E).**— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of April, 2019.

2. In the Income-tax rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 12,—

(a) in sub-rule (1),—

(I) in the opening portion, for the figures “2018”, the figures “2019” shall be substituted;

(II) in clause (a), in the proviso, after item (IC), the following items shall be inserted, namely:—

“(ID) has claimed deduction under section 57, other than deduction claimed under clause (iia) thereof;

(IE) is a director in any company;

(IF) has held any unlisted equity share at any time during the previous year;

(IG) is assessable for the whole or any part of the income on which tax has been deducted at source in the hands of a person other than the assessee;”;

(III) in clause (ca), —

(i) in the opening portion, for the words “a Hindu undivided family or a firm, other than a limited liability partnership firm,”, the words “a Hindu undivided family, who is a resident other than not ordinarily resident, or a firm, other than limited liability partnership firm, which is a resident” shall be substituted;

(ii) in the proviso, for item (I), the following items shall be substituted, namely:—

“(I) has assets (including financial interest in any entity) located outside India;

(IA) has signing authority in any account located outside India;

(IB) has income from any source outside India;

(IC) has income to be apportioned in accordance with provisions of section 5A;

(ID) is a director in any company;

(IE) has held any unlisted equity share at any time during the previous year;

(IF) has total income, exceeding fifty lakh rupees;

(IG) owns more than one house property, the income of which is chargeable under the head “Income from house property”;

(IH) has any brought forward loss or loss to be carried forward under any head of income;

(IJ) is assessable for the whole or any part of the income on which tax has been deducted at source in the hands of a person other than the assessee;”;

(IV) in clause (g), the words, brackets, figures and letters “or sub-section (4E) or sub-section (4F)” shall be omitted;

(b) in sub-rule (3), in the Table, in column (i), against the entries at serial number 1, in column (iii), for item (b), the following item shall be substituted, namely:—

“(b) Where total income assessable under the Act during the previous year of a person, being an individual of the age of eighty years or more at any time during the previous year, and who furnishes the return in Form number SAHAJ (ITR-1) or Form number SUGAM (ITR-4).”;

(c) in sub-rule (5), for the figures “2017”, the figures “2018” shall be substituted.

3. In the principal rules, in Appendix II, for Forms “Form Sahaj (ITR-1), Form ITR-2, Form ITR-3, Form Sugam (ITR-4), Form ITR-5, Form ITR-6, Form ITR-7 and Form ITR-V”, the following Forms shall, respectively, be substituted, namely;-

<b>FORM ITR-1 SAHAJ</b>	<b>INDIAN INCOME TAX RETURN</b>			Assessment Year	
	[For individuals being a resident (other than not ordinarily resident) having total income upto Rs.50 lakh, having Income from Salaries, one house property, other sources (Interest etc.), and agricultural income upto Rs.5 thousand] [Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares] (Refer instructions for eligibility)			<b>2 0 1 9 - 2 0</b>	

PART A GENERAL INFORMATION																									
PAN			Name				Date of Birth D D M M Y Y Y Y				Aadhaar Number (12 digit)/Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (If eligible for Aadhaar)														
Mobile No.			Email Address				Address: Flat/Door/Block No. Name of Premises/Building/Village Road/Street/Post Office Area/locality Town/City/District State Country Pin code																		
Filed u/s (Tick) [Please see instruction]			<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-Belated, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay.												Nature of employment- <input type="checkbox"/> Govt. <input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> Pensioners <input type="checkbox"/> Others										
Or Filed in response to notice u/s			<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153A <input type="checkbox"/> 153C																						
If revised/defective, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)																									
If filed in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number & Date of such Notice or Order																									

PART B GROSS TOTAL INCOME														Whole- Rupee( ₹) only						
SALARY / PENSION	B1	i Gross Salary (ia + ib + ic)												i						
		a	Salary as per section 17(1)				ia													
		b	Value of perquisites as per section 17(2)				ib													
		c	Profit in lieu of salary as per section 17(3)				ic													
		ii	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility)												ii					
		iii	Net Salary (i – ii)												iii					
		iv	Deductions u/s 16 (iva + ivb + ivc)												iv					
			a	Standard deduction u/s 16(ia)				iva												
			b	Entertainment allowance u/s 16(ii)				ivb												
			c	Professional tax u/s 16(iii)				ivc												
v		Income chargeable under the head ‘Salaries’ (iii – iv)															B1			
B2	Tick applicable option <input type="checkbox"/> Self Occupied <input type="checkbox"/> Let Out <input type="checkbox"/> Deemed Let Out																			
HOUSE PROPERTY	i	Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year												i						
	ii	Tax paid to local authorities				ii														
	iii	Annual Value (i – ii)													iii					
	iv	30% of Annual Value				iv														
	v	Interest payable on borrowed capital				v														
	vi	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%				vi														
	vii	Income chargeable under the head ‘House Property’ (iii – iv – v) + vi												B2 ( )						

<b>B3</b>	<b>Income from Other Sources</b> (drop down to be provided in e-filing utility specifying nature of income)			
	<b>Less: Deduction u/s 57(iia)</b> (in case of family pension only)		<b>B3</b>	
<b>B4</b>	<b>Gross Total Income (B1+B2+B3)</b> (If loss, put the figure in negative)		<b>B4 ( )</b>	
<b>PART C – DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME</b> (Refer instructions for Deduction limit as per Income-tax Act)				
<b>80C</b>	<b>80D</b>	Drop down to be provided in e-filing utility	<b>80G</b>	Drop down to be provided in e-filing utility specifying name, address and PAN of donee, amount of donation and amount eligible for deduction
			<b>80GGA</b>	Drop down to be provided in e-filing utility specifying name, address and PAN of donee, amount of donation and amount eligible for deduction
<b>80TTB</b>	Any Other Deduction (Please specify section)	Drop down to be provided in e-filing utility	<b>Total deductions</b>	<b>C1</b>
			<b>Total Income (B4-C1)</b>	<b>C2</b>
<b>Exempt Income: For reporting purpose</b>		Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section		

<b>PART D – COMPUTATION OF TAX PAYABLE</b>							
<b>D1</b>	<b>Tax payable on total</b>		<b>D2</b>	<b>Rebate u/s 87A</b>		<b>D3</b>	<b>Tax after Rebate</b>
<b>D4</b>	<b>Health and education Cess @ 4% on D3</b>		<b>D5</b>	<b>Total Tax and Cess</b>		<b>D6</b>	<b>Relief u/s 89(1)</b>
<b>D7</b>	<b>Interest u/s 234A</b>		<b>D8</b>	<b>Interest u/s 234B</b>		<b>D9</b>	<b>Interest u/s 234C</b>
<b>D10</b>	<b>Fee u/s 234F</b>		<b>D11</b>	<b>Total Tax, Fee and Interest (D5+D7+D8+D9+D10 – D6)</b>			
<b>D12</b>	<b>Total Taxes Paid</b>		<b>D13</b>	<b>Amount payable</b> (D11-D12) (if D11>D12)		<b>D14</b>	<b>Refund</b> (D12-D11) (if D12>D11)

<b>PART E – OTHER INFORMATION</b> Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)				
<b>Sl.</b>	<b>IFS Code of the Bank</b>	<b>Name of the Bank</b>	<b>Account Number</b>	<i>(tick one account <input checked="" type="checkbox"/> for refund)</i>
<b>I</b>				
<b>II</b>				

<b>Schedule-IT</b> Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments																
	<b>BSR Code</b>				<b>Date of Deposit</b> (DD/MM/YYYY)				<b>Serial Number of Challan</b>				<b>Tax paid</b>			
	<b>Col (1)</b>				<b>Col (2)</b>				<b>Col (3)</b>				<b>Col (4)</b>			
<b>R1</b>																
<b>R2</b>																

<b>Schedule-TDS</b> Details of TDS/TCS [As per Form 16/16A/16C/27D issued by the Deductor(s)/ Employer(s)/ Payer(s)/ Collector(s)]						
	<b>TAN of deductor/Collector or PAN of the Tenant</b>	<b>Name of the Deductor/ Collector/Tenant</b>	<b>Gross payment/ receipt which is subject to tax deduction /collection</b>	<b>Year of tax deduction/ collection</b>	<b>Tax Deducted/ collected</b>	<b>TDS/TCS credit out of (5) claimed this Year</b>
	<b>Col (1)</b>	<b>Col (2)</b>	<b>Col (3)</b>	<b>Col (4)</b>	<b>Col (5)</b>	<b>Col (6)</b>
<b>T1</b>						
<b>T2</b>						

**VERIFICATION**

Stamp Receipt No., Seal, Date & Sign of Receiving Official	I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (Please see instruction).
Date: _____	Signature: _____

<b>If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:</b>		
<b>Identification No. of TRP</b>	<b>Name of TRP</b>	<b>Counter Signature of TRP</b>
<b>If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof</b>		



<b>FORM</b> <b>ITR-2</b>	<b>INDIAN INCOME TAX RETURN</b>	Assessment Year
	[For Individuals and HUFs not having income from profits and gains of business or profession] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Please refer instructions)	2 0 1 9 - 2 0

**Part A-GEN GENERAL**

<b>PERSONAL INFORMATION</b>	First name		Middle name		Last name		PAN		
	Flat/Door/Block No.			Name of Premises/Building/Village			Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF		
	Road/Street/Post Office			Date of Birth/ Formation (DD/MM/YYYY)					
	Area/locality			Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)					
	Town/City/District			State		Pin code/Zip code			
				Country					
	Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1				Mobile No. 2				
	Email Address-1 (self)				Email Address-2				
	(a) Filed u/s (Tick) [Please see instruction ]		<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)-after condonation of delay.						
	Or Filed in response to notice u/s		<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153A <input type="checkbox"/> 153C						
(b) If revised/defective/modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)								/ /	
(c) If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C/119(2)(b) enter date of such notice/order, or if filed u/s 92CD, enter date of advance pricing agreement								/ /	
<b>FILING STATUS</b>	Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)	A. Resident		<input type="checkbox"/> You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)]					
				<input type="checkbox"/> You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section (6)(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable]					
		B. Resident but not Ordinarily Resident		<input type="checkbox"/> You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)]					
			<input type="checkbox"/> You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)]						
	C. Non-resident		<input type="checkbox"/> You were a non-resident during the previous year.						
			(i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year -						
			S.No.		Jurisdiction(s) of residence		Taxpayer Identification Number(s)		
			1						
			2						
			(ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify -						
		Total period of stay in India during the previous year (in days)			Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)				
Residential Status in India (for HUF) (Tick applicable option)		<input type="checkbox"/> Resident		<input type="checkbox"/> Resident but not Ordinarily Resident		<input type="checkbox"/> Non-resident			
(e) Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
(f) Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? Tick <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If "YES" please fill Schedule 5A)									
(g) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No									
(1) Name of the representative									
(2) Capacity of the Representative (drop down to be provided)									
(3) Address of the representative									
(4) Permanent Account Number (PAN) of the representative									
(h) Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No									
(1) Name of Company							PAN		
(2) Whether its shares are listed or unlisted							Director Identification Number (DIN)		

Do not write or stamp in this area (Space for bar code)

For Office Use Only

Receipt No.

Date

Seal and Signature of receiving official

(i) Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
Name of company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance		
		No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

## SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

## Schedule S Details of Income from Salary

Name of Employer		Nature of employment (Tick) <input checked="" type="checkbox"/>			TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)						
		<input type="checkbox"/> Govt. <input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> Pensioners <input type="checkbox"/> Others									
Address of employer		Town/City			State		Pin code/ Zip code				
SALARIES	<b>1</b> Gross Salary (1a + 1b + 1c)							<b>1</b>			
	a		Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)				1a				
	b		Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)				1b				
	c		Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)				1c				
	(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)										
	<b>2</b> Total Gross Salary (from all employers)							<b>2</b>			
	<b>3</b> Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (please refer instructions)							<b>3</b>			
	<b>4</b> Net Salary (2 - 3)							<b>4</b>			
	<b>5</b> Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)							<b>5</b>			
a		Standard deduction u/s 16(ia)				5a					
b		Entertainment allowance u/s 16(ii)				5b					
c		Professional tax u/s 16(iii)				5c					
<b>6</b> Income chargeable under the Head 'Salaries' (4 - 5)							<b>6</b>				

## Schedule HP Details Of Income From House Property (Please Refer Instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)

Address of property 1		Town/ City			State		PIN Code/ Zip Code				
HOUSE PROPERTY	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)										
	Your percentage of share in the property <input type="text"/>										
	Name of Co-owner(s)				PAN of Co-owner(s)			Percentage Share in Property			
	I										
	II										

/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option] <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Self-occupied <input type="checkbox"/> Deemed let out	Name(s) of Tenant (if let out)	PAN of Tenant(s) (if available)	PAN/TAN of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)																	
	I																			
	II																			
a	Gross rent received or receivable or lettable value																1a			
b	The amount of rent which cannot be realized														1b					
c	Tax paid to local authorities														1c					
d	Total (1b + 1c)														1d					
e	Annual value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)																1e			
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)																1f			
g	30% of 1f														1g					
h	Interest payable on borrowed capital														1h					
i	Total (1g + 1h)																1i			
j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%																1j			
k	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)																1k			
2	Address of property 2										Town/ City				State		PIN Code/ Zip Code			
Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if “YES” please enter following details)																				
Your percentage of share in the property. <input type="text"/>																				
Name of Co-owner(s) PAN of Co-owner(s) Percentage Share in Property																				
I																				
II																				
/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option] <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Self-occupied <input type="checkbox"/> Deemed let out	Name(s) of Tenant (if let out)	PAN of Tenant(s) (Please see note)	PAN/TAN of Tenant(s) (Please see note)																	
	I																			
	II																			
a	Gross rent received/ receivable/ lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)																2a			
b	The amount of rent which cannot be realized														2b					
c	Tax paid to local authorities														2c					
d	Total (2b + 2c)														2d					
e	Annual value (2a – 2d)																2e			
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)																2f			
g	30% of 2f														2g					
h	Interest payable on borrowed capital														2h					
i	Total (2g + 2h)																2i			
j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%																2j			
k	Income from house property 2 (2f – 2i + 2j)																2k			
3	Pass through income if any *																3			
4	Income under the head “Income from house property” (1k + 2k + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)																4			
NOTE ▶	Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head.																			
NOTE ▶	Furnishing of PAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.																			

**Schedule CG Capital Gains**

Short-term Capital Gains	<b>A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 3 and 4 are not applicable for residents)</b>																		
	<b>1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)</b>																		
	a	i	Full value of consideration received/receivable														ai		
		ii	Value of property as per stamp valuation authority														aii		
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]														aiii		
	b	Deductions under section 48																	
		i	Cost of acquisition without indexation														bi		
ii		Cost of Improvement without indexation														bii			
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer														biii			

	iv	Total (bi + bii + biii)				biv		
	c	Balance (aiii – biv)				1c		
	d	Deduction under section 54B (Specify details in item D below)				1d		
	e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)					A1e	
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)						
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code
	NOTE	<p>► Furnishing of PAN is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents.</p> <p>In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.</p>						
2	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)							
	a	Full value of consideration				2a		
	b	Deductions under section 48						
		i	Cost of acquisition without indexation			bi		
		ii	Cost of Improvement without indexation			bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii		
		iv	Total (i + ii + iii)			biv		
	c	Balance (2a – biv)				2c		
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				2d		
	e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (2c +2d)					A2e	
3	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)							
	a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid					A3a	
	b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid					A3b	
4	For NON-RESIDENT- from sale of securities (other than those at A2) by an FII as per section 115AD							
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details					
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner			ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)			ic		
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares			aii		
		iii	Total (ic + ii)			aiii		
	b	Deductions under section 48						
		i	Cost of acquisition without indexation			bi		
		ii	Cost of improvement without indexation			bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii		
		iv	Total (i + ii + iii)			biv		
	c	Balance (4aiii – biv)				4c		
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)				4d		
	e	Short-term capital gain on sale of securities by an FII (other than those at A2) (4c +4d)					A4e	
5	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above							
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details					
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner			ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)			ic		
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares			aii		
		iii	Total (ic + ii)			aiii		
	b	Deductions under section 48						
		i	Cost of acquisition without indexation			bi		
		ii	Cost of Improvement without indexation			bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii		
		iv	Total (i + ii + iii)			biv		

Long-term Capital Gains	c		Balance (5aiii – biv)				5c				
	d		In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				5d				
	e		STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 above (5c + 5d)				A5e				
	6		Amount deemed to be short term capital gains								
	a		Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below								
	Sl.		Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)				
					Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account					
	i		2016-17	54B							
	b		Amount deemed to be short term capital gains, other than at 'a'								
			Total amount deemed to be short term capital gains (aXi + b)				A6				
	7		Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A7a + A7b + A7c)				A7				
	a		Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%				A7a				
	b		Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%				A7b				
	c		Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates				A7c				
	8		Amount of STCG included in A1 – A7 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA								
	Sl. No.		Amount of income	Item No. A1 to A7 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I										
	II										
	a		Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA				A8a				
	b		Total amount of STCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA				A8b				
	9		Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2e+ A3a+ A3b+ A4e+ A5e+A6 + A7 - A8a)				A9				
	B		Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 4, 5, 6, 7 & 8 are not applicable for residents)								
	1		From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)								
	a		i	Full value of consideration received/receivable				ai			
		ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii				
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (a) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (a)]				aiii				
b		Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition with indexation				bi				
		ii	Cost of Improvement with indexation				bii				
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii				
		iv	Total (bi + bii + biii)				biv				
c		Balance (aiii – biv)				1c					
d		Deduction under section 54/54B/54EC/54F/54GB (Specify details in item D below)				1d					
e		Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)				B1e					
f		In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)									
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code			
NOTE ►		Furnishing of PAN is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.									
2		From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)									
a		Full value of consideration				2a					
b		Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition without indexation				bi				

	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
c	Balance (2a – biv)		2c		
d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		2d		
e	LTCG on bonds or debenture (2c – 2d)				B2e
3	From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA				
	a	Full value of consideration	3a		
	b	Deductions under section 48			
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
c	Balance (3a – biv)		3c		
d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		3d		
e	Long-term Capital Gains on assets at B3 above (3c – 3d)				B3e
4	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A				
	a	Full value of consideration	4a		
	b	Deductions under section 48			
	i	Cost of acquisition without indexation (higher of iA and iB)	bi		
	A	Cost of acquisition	iA		
	B	If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, lower of B1 and B2	iB		
	1	Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac)	B1		
	2	Full value of consideration	B2		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total deductions (bi + bii +biii)	biv		
c	Balance (4a – biv)		4c		
d	Less- LTCG threshold limit as per section 112A (4c – Rs. 1 lakh)		4d		
e	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		4e		
f	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B4 above (4d – 4e)				B4f
5	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)				
	a	LTCG computed without indexation benefit	5a		
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	5b		
c	LTCG on share or debenture (5a-5b)				B5c
6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B7 is to be filled up)				
a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
	a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
	b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
	c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii		
	iii	Total (ic + ii)	aiii		
b	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
c	Balance (6aiii – biv)		6c		
d	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)		6d		
e	Long-term Capital Gains on assets at 6 above in case of NON-REESIDENT (6c - 6d)				B6e
7	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A				
	a	Full value of consideration	7a		
	b	Deductions under section 48			
	i	Cost of acquisition without indexation (higher of iA and iB)	bi		
	A	Cost of acquisition	iA		

	B	If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, lower of B1 and B2		iB																
		1	Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac)	B1																
		2	Full value of consideration	B2																
		ii	Cost of improvement without indexation	bii																
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii																
		iv	Total deductions (bi + bii +biii)	biv																
		c	Balance (7a – biv)	7c																
		d	Less- LTCG threshold limit as per section 112A (7c – Rs. 1 lakh)	7d																
		e	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)	7e																
		f	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B7 above (7d – 7e)			B7f														
8	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)																			
	a	LTCG on sale of specified asset (computed without indexation)		8a																
		Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)		8b																
		Balance LTCG on sale of specified asset (8a – 8b)				B8c														
		LTCG on sale of asset, other than specified asset (computed without indexation)		8d																
		Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)		8e																
		Balance LTCG on sale of asset, other than specified asset (8d- 8e)				B8f														
9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable																			
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details																	
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia															
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib															
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic															
	ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares		a ii																
		Total (ic + ii)		a iii																
		Deductions under section 48																		
	b	i	Cost of acquisition with indexation		bi															
			Cost of improvement with indexation		bii															
			Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii															
			Total (bi + bii +biii)		biv															
			Balance (9a iii – biv)		9c															
d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		9d																	
e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above ( 9c – 9d)																			
10	Amount deemed to be long-term capital gains																			
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year?																		
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)														
				Year in which asset acquired/ constructed	Amount utilised out of Capital Gains account															
				i	2015-16		54/54F/ 54GB													
ii	2016-17	54B																		
b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'																			
Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + b)					B10															
11	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain,(Fill up schedule PTI) (B11a + B11b)					B11														
	a	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10%			B11a															
		Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%			B11b															
12	Amount of LTCG included in B1- B11 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA																			
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]										
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
											I									
II																				
a	Total amount of LTCG not chargeable to tax as per DTAA					B12a														

		b Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates as per DTAA		B12b						
13	Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1e+B2e+B3e+B4f+B5c+B6e+B7f+B8c+B8f+B9e+B10 + B11 - B12a) (In case of loss take the figure to 5xi of schedule CFL)			B13						
C	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A9 + B13) (take B13 as nil, if loss) (If C is negative, take the figure to 4xi of schedule CFL and if it is positive, take the figure to respective row in item E)			C						
<b>D Information about deduction claimed against Capital Gains</b>										
1	In case of deduction u/s 54/54B/54EC/54F/54GB/115F give following details									
a	Deduction claimed u/s 54									
i	Date of transfer of original asset	ai	dd/mm/yyyy							
ii	Cost of new residential house	aii								
iii	Date of purchase/construction of new residential house	aiii	dd/mm/yyyy							
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	aiv								
v	Amount of deduction claimed	av								
b	Deduction claimed u/s 54B									
i	Date of transfer of original asset	bi	dd/mm/yyyy							
ii	Cost of new agricultural land	bii								
iii	Date of purchase of new agricultural land	biii	dd/mm/yyyy							
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	biv								
v	Amount of deduction claimed	bv								
c	Deduction claimed u/s 54EC									
i	Date of transfer of original asset	ci	dd/mm/yyyy							
ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)	cii								
iii	Date of investment	ciii	dd/mm/yyyy							
iv	Amount of deduction claimed	civ								
d	Deduction claimed u/s 54F									
i	Date of transfer of original asset	di	dd/mm/yyyy							
ii	Cost of new residential house	dii								
iii	Date of purchase/construction of new residential house	diii	dd/mm/yyyy							
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	div								
v	Amount of deduction claimed	dv								
e	Deduction claimed u/s 54GB									
i	Date of transfer of original residential property	ei	dd/mm/yyyy							
ii	PAN of the eligible company	eii								
iii	Amount utilised for subscription of equity shares of eligible company	eiii								
iv	Date of subscription of shares	eiv	dd/mm/yyyy							
v	Cost of new plant and machinery purchased by the eligible company	ev								
vi	Date of purchase of plant and machinery	evi	dd/mm/yyyy							
vii	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	evii								
viii	Amount of deduction claimed	eviii								
f	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)									
i	Date of transfer of original foreign exchange asset	fi	dd/mm/yyyy							
ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate	fii								
iii	Date of investment	fiii	dd/mm/yyyy							
iv	Amount of deduction claimed	fiv								
g	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f)		1g							
<b>E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A8a &amp; B12a which is not chargeable under DTAA)</b>										
Sl.	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss				Long term capital loss			Current year's capital gains remaining after set off (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%	DTAA rates	



		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Capital Loss to be set off (Fill this row only if computed figure is negative)		(A2e*+A3a*+A7a*)	A4e*+A7b*	(A1e*+A3b*+A5e*+A6*+A7c*)	A8b	(B3e*+B4f*+B6e*+B7f*+B8c*+)	(B1e*+B2e*+B5c*+B8f*+B9e*+B10*+B11b*)	B12b	
ii	Short term	15%	(A2e*+A3a*+)							
iii	Short term	30%	A4e*+A7b*							
iv	capital gain applicable rate		(A1e*+A3b*+A5e*+A6*+A7c*)							
v	DTAA		A8b							
vi	Long term	10%	(B3e*+B4f*+B6e*+B7f*+B8c*+B11a*)							
vii	capital gain	20%	(B1e*+B2e*+B5c*+B8f*+B9e*+B10*+)							
viii	DTAA		B12b							
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
x	Loss remaining after set off (i - ix)									

The figures of STCG in this table (A1e\* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A6) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

The figures of LTCG in this table (B1e\* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B10) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

**F Information about accrual/receipt of capital gain**

Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
1 Short-term capital gains taxable at the rate of 15% <i>Enter value from item 3iii of schedule BFLA, if any.</i>					
2 Short-term capital gains taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 3iv of schedule BFLA, if any.</i>					
3 Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 3v of schedule BFLA, if any.</i>					
4 Short-term capital gains taxable at DTAA rates <i>Enter value from item 3vi of schedule BFLA, if any.</i>					
5 Long- term capital gains taxable at the rate of 10% <i>Enter value from item 3vii of schedule BFLA, if any.</i>					
6 Long- term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 3viii of schedule BFLA, if any.</i>					
7 Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates <i>Enter value from item 3ix of schedule BFLA, if any.</i>					

**NOTE** Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

**Schedule OS Income from other sources**

OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)		1
	a	Dividends, Gross		1a
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv)		1b
	i	From Savings Bank	bi	
	ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative)	bii	
	iii	From Income-tax Refund	biii	
	iv	In the nature of Pass through income	biv	
	v	Others	bv	
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross		1c
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)		1d
i	Aggregate value of sum of money received without consideration	di		
ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii		

	iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration	diii			
	iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	div			
	v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	dv			
	e	Any other income (please specify nature)			1e	
2	Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e)				2	
	a	Winnings from lotteries, crossword puzzles etc. chargeable u/s 115BB			2a	
	b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)			2b	
	i	Cash credits u/s 68	bi			
	ii	Unexplained investments u/s 69	bii			
	iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii			
	iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv			
	v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv			
	vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi			
	c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111			2c	
		S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
	d	Any other income chargeable at special rate (total of di to dxix)			2d	
	i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)	di			
	ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	dii			
	iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	diii			
	iv	Interest referred to in section 194LC - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)	div			
	v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	dv			
	vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	dvi			
	vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	dvii			
	viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)	dviii			
	ix	Income by way of interest or dividends from bonds or GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dix			
	x	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA	dx			
	xi	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxii			
	xii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	dxiii			
	xiii	Tax on non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	dxiv			
	xiv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	dxv			
	xv	Income by way of dividend received by specified assessee, being resident, from domestic company exceeding rupees ten lakh chargeable u/s 115BBDA	dxvi			
	xvi	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	dxvii			

	xvii	Income by way of transfer of carbon credits chargeable u/s 115BBG				- dxvii							
	xviii	Investment Income of a Non-Resident Indian chargeable u/s 115E				- dxviii							
	xix	Any other income (Please specify)				- dxix							
e	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates (drop down to be provided)										2e		
f	Amount included in 1 and 2 above, which is chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)										2f		
	Sl. No.	Amount of income	Item No.2a to 2e in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	I												
	II												
3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b & 2d)												
	a	Expenses / Deductions				3a							
	b	Depreciation				3b							
	c	Total				3c							
4	Amounts not deductible u/s 58										4		
5	Profits chargeable to tax u/s 59										5		
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 - 3 + 4 + 5) (If negative take the figure to 3xi of schedule CYLA)										6		
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)										7		
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses												
	a	Receipts				8a							
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only				8b							
	c	Amounts not deductible u/s 58				8c							
	d	Profits chargeable to tax u/s 59				8d							
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 6xi of Schedule CFL)										8e	
9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)										9		
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources												
	S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3						
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)						
	1	Dividend Income u/s 115BBDA											
	2	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)											

**NOTE** ▶ Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

**Schedule CYLA** Details of Income after Set off of current year losses

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Net loss from Other sources chargeable at normal applicable rates (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4=1-2-3
	i	Loss to be set off → (Fill this row only if computed figure is negative)		(4 of Schedule HP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	Salaries	(6 of Schedule S)			

iii	House property	( 4 of Schedule HP)			
iv	Short-term capital gain taxable @ 15%	( 9ii of item E of schedule CG)			
v	Short-term capital gain taxable @ 30%	( 9iii of item E of schedule CG)			
vi	Short-term capital gain taxable at applicable rates	( 9iv of item E of schedule CG)			
vii	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of schedule CG)			
viii	Long term capital gain taxable @ 10%	( 9vi of item E of schedule CG)			
ix	Long term capital gain taxable @ 20%	( 9vii of item E of schedule CG)			
x	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of schedule CG)			
xi	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of schedule OS)			
xii	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of schedule OS)			
xiii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+xi+xii)				
xiv	Loss remaining after set-off (i – xiii)				

**Schedule BFLA** Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 4 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Current year's income remaining after set off	
				1	2	3
	i	Salaries	(4ii of schedule CYLA)			
ii	House property	(4iii of schedule CYLA)		(B/f house property loss)		
iii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(4iv of schedule CYLA)		(B/f short-term capital loss)		
iv	Short-term capital gain taxable @ 30%	(4v of schedule CYLA)		(B/f short-term capital loss)		
v	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(4vi of schedule CYLA)		(B/f short-term capital loss)		
vi	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(4vii of schedule CYLA)		(B/f short-term capital loss)		
vii	Long-term capital gain taxable @ 10%	(4viii of schedule CYLA)		(B/f short-term or long-term capital loss)		
viii	Long term capital gain taxable @ 20%	(4ix of schedule CYLA)		(B/f short-term or long-term capital loss)		
ix	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(4x of schedule CYLA)		(B/f short-term or long-term capital loss)		
x	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	( 4xi of schedule CYLA)				
xi	Profit from owning and maintaining race horses	(4xii of schedule CYLA)		(B/f loss from horse races)		
xii	Total of brought forward loss set off (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)					
xiii	Current year's income remaining after set off Total of (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)					

**Schedule CFL** Details of Losses to be carried forward to future years

CARRY FORWARD OF LOSS	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
	1	2	3	4	5	6
	i	2011-12				
ii	2012-13					
iii	2013-14					
iv	2014-15					
v	2015-16					
vi	2016-17					
vii	2017-18					
viii	2018-19					
ix	Total of earlier year losses					

x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2ii of schedule BFLA)			(2xi of schedule BFLA)
xi	2019-20 (Current year losses)		(2xiv of schedule CYLA)	(( 2x+3x+4x+5x) of item E of schedule CG)	((6x+7x+8x) of item E of schedule CG)	( 8e of schedule OS, if -ve)
xii	Total loss carried forward to future years					

**Schedule VI-A** Deductions under Chapter VI-A

TOTAL DEDUCTIONS	<b>1</b>	<b>Part B- Deduction in respect of certain payments</b>				
	a	80C		b	80CCC	
	c	80CCD(1)		d	80CCD(1B)	
	e	80CCD(2)		f	80CCG	
	g	80D		h	80DD	
	i	80DDB		j	80E	
	k	80EE		l	80G	
	m	80GG		n	80GGA	
	o	80GGC				
	<b>2</b>	<b>Part C, CA and D- Deduction in respect of certain incomes/other deduction</b>				
	p	80QQB		q	80RRB	
	r	80TTA		s	80TTB	
	t	80U				
	u	Total deductions under Chapter VI-A (Total of a to t)				

**Schedule 80G** Details of donations entitled for deduction under section 80G

DETAILS OF DONATIONS	<b>A</b>	<b>Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit</b>						
		Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation		Eligible Amount of donation
					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i							
	ii							
	iii	Total						
	<b>B</b>	<b>Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit</b>						
		Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation		Eligible Amount of donation
					Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i							
	ii							
	iii	Total						
	<b>C</b>	<b>Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit</b>						
		Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation		Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
i								
ii								

	iii	Total					
D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
E	Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)						

**Schedule 80GGA** Details of donations for scientific research or rural development

S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
	Total donation						

**Schedule AMT** Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC

1	Total Income as per item 12 of PART-B-TI	1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)		
a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a	
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2a)	3	
4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)	4	

**Schedule AMTC** Computation of tax credit under section 115JD

1	Tax under section 115JC in assessment year 2019-20 (1d of Part-B-TTI)				1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2019-20 (7 of Part-B-TTI)				2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3	
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
		Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)		
i	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					
v	2017-18					
vi	2018-19					
vii	Current AY (enter 1-2, if 1>2 else enter 0)					
viii	Total					
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item No. 4 (C)]				5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]				6	

**Schedule SPI** Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64

SI No	Name of person	PAN of person (optional)	Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1					

2																
3																

**Schedule SI** Income chargeable to tax at special rates (please see instructions No. 9 for rate of tax)

SI No	Section	<input type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
1	111A (STCG on shares units on which STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	(3iii of schedule BFLA)	
2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(3iv of schedule BFLA)	
3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
5	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
6	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
7	115AD (LTCG for FIIs on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
8	115E (LTCG for non-resident indian on specified asset)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
9	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	20	(3viii of schedule BFLA)	
10	112A (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
11	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 3vi of schedule BFLA)	
12	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 3ix of schedule BFLA)	
13	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 2a of schedule OS)	
14	115BBDA (Dividend income from domestic company exceeding Rs.10 lakh)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of schedule OS)	
15	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of schedule OS)	
16	115BBF (Tax on income from patent)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of schedule OS)	
17	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2d of schedule OS)	
18	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)	<input type="checkbox"/>		(part of 2d of schedule OS)	
19	Other source of income chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 2f of schedule OS)	
20	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	<input type="checkbox"/>	15	(part of 3iv of schedule BFLA)	
21	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>	30	(part of 3v of schedule BFLA)	
22	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%	<input type="checkbox"/>	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>	20	(part of 3viii of schedule BFLA)	
24	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates	<input type="checkbox"/>		(2e of schedule OS)	
			<b>Total</b>		

**Schedule EI** Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)

1	Interest income	1	
2	Dividend income from domestic company (amount not exceeding Rs. 10 lakh)	2	
3	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)	i
		Expenditure incurred on agriculture	ii
	iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years	iii
	iv	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss)	3
	v	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)	
	a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located	
	b	Measurement of agricultural land in Acre	
	c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)	
d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)		
4	Other exempt income (including exempt income of minor child)	4	
5	Income not chargeable to tax as per DTAA		

Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)		
I								
II								
III	Total Income from DTAA not chargeable to tax						5	
6	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)						6	
7	Total (1+2+3+4+5+6)						7	

**Schedule PTI** Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

Sl.	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Amount of income	TDS on such amount, if any
			ii	Capital Gains		
			a	Short term		
			b	Long term		
			iii	Other Sources		
			iv	Income claimed to be exempt		
			a	u/s 10(23FBB)		
			b	u/s .....		
			c	u/s .....		
2.			i	House property		
			ii	Capital Gains		
			a	Short term		
			b	Long term		
			iii	Other Sources		
			iv	Income claimed to be exempt		
			a	u/s 10(23FBB)		
			b	u/s .....		
			c	u/s .....		

**NOTE** ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

**Schedule FSI** Details of Income from outside India and tax relief

Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1			i	Salary						
			ii	House Property						
			iii	Capital Gains						
			iv	Other sources						
			Total							
2			i	Salary						
			ii	House Property						
			iii	Capital Gains						
			iv	Other sources						
			Total							

**NOTE** ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.



**Schedule TR Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India**

1 Summary of Tax relief claimed													
Country Code	Taxpayer Identification Number			Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)			Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)			Tax Relief Claimed under section (specify 90, 90A or 91)			
(a)	(b)			(c)			(d)			(e)			
	Total												
2 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))										2			
3 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))										3			
4 Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below										4		Yes/No	
a Amount of tax refunded								b Assessment year in which tax relief allowed in India					

**NOTE** ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

**Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India**

A1 Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
A2 Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period <i>(drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
A3 Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
A4 Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												

DETAILS OF FOREIGN ASSETS



(ii)									
G	Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession								
Sl No	Country Name and code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return			
						Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(i)									
(ii)									
<b>NOTE</b>	Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.								

**Schedule 5A** Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code

Name of the spouse					
PAN of the spouse					
	Heads of Income	Income received under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	House Property				
2	Capital gains				
3	Other sources				
4	Total				

**Schedule AL** Assets and Liabilities at the end of the year (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)

<b>DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES</b>	<b>A</b>	<b>Details of immovable assets</b>			
	Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	<b>B</b>	<b>Details of movable assets</b>			
	Sl. No.	Description			Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)			(3)
	(i)	Jewellery, bullion etc.			
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art			
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts			
	(iv)	Financial assets		Amount (cost) in Rs.	
		(a)	Bank (including all deposits)		
		(b)	Shares and securities		
		(c)	Insurance policies		
	(d)	Loans and advances given			
	(e)	Cash in hand			
<b>C</b>	<b>Liabilities in relation to Assets at (A + B)</b>				
<b>NOTE</b>	Please refer to instructions for filling out this schedule.				

## PART-B

## Part B - TI Computation of total income

TOTAL INCOME	1	Salaries (6 of Schedule S)	1	
	2	Income from house property (4 of Schedule HP) (enter nil if loss)	2	
	3	Capital gains		
	a	Short term		
	i	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai	
	ii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	aii	
	iii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	aiii	
	iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	aiv	
	v	Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	3av	
	b	Long-term		
	i	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	bi	
	ii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	bii	
	iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii	
	iv	Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)	3biv	
	c	Total capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)	3c	
	4	Income from other sources		
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a	
b	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	4b		
c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c		
d	Total (4a + 4b + 4c) (enter nil if loss)	4d		
5	Total of head wise income (1+2+3c+4d)	5		
6	Losses of current year set off against 5 (total of 2xiii and 3xiii of Schedule CYLA)	6		
7	Balance after set off current year losses (5-6) (total of column 4 of Schedule CYLA + 2 of Schedule OS)	7		
8	Brought forward losses set off against 7 (2xii of Schedule BFLA)	8		
9	Gross Total income (7-8) (3xiii of Schedule BFLA + 2 of Schedule OS)	9		
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9	10		
11	Deductions under Chapter VI-A [u of Schedule VIA and limited to (9-10)]	11		
12	Total income (9 - 11)	12		
13	Income which is included in 12 and chargeable to tax at special rates (total of column (i) of schedule SI)	13		
14	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (3 of Schedule EI)	14		
15	Aggregate income (12-13+14) [applicable if (12-13) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	15		
16	Losses of current year to be carried forward (total of row xi of Schedule CFL)	16		
17	Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	17		

## Part B -TTI Computation of tax liability on total income

COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income u/s 115JC (4 of Schedule AMT)	1a	
		b	Surcharge on (a) (if applicable)	1b	
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a + 1b) above	1c	
		d	Total tax payable on deemed total income (1a + 1b + 1c)	1d	
	2		Tax payable on total income		
	a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI	2a		

	b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule SI)			2b			
		10	Deductions under Chapter VI-A (o of Schedule VIA)					
		11	Total income					
		12	Net agricultural income/ any other income for rate purpose					
		13	'Aggregate income' (8+ 9)					
14	Losses of current year to be carried forward (total of 2vii)							
	c	Rebate on agricultural income [applicable if (12-13) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]			2c			
	d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b - 2c)				2d		
3	Rebate under section 87A						3	
4	Tax payable after rebate (2d - 3)						4	
5	Surcharge							
	i	@ 25% of 15(ii) of Schedule SI			5i			
	ii	On [(4) - (15(ii) of Schedule SI)]			5ii			
	iii	Total i + ii				5iii		
6	Health and Education Cess @ 4% on (4 + 5iii)						6	
7	Gross tax liability (4 + 5iii + 6)						7	
8	Gross tax payable (higher of 1d and 7)						8	
9	Credit u/s 115JD of tax paid in earlier years (applicable only if 7 is higher than 1d) (row 5 of Schedule AMTC)						9	
10	Tax payable after credit u/s 115JD (8 - 9)						10	
11	Tax relief							
	a	Section 89		11a				
	b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)		11b				
	c	Section 91 (3 of Schedule TR)		11c				
	d	Total (11a + 11b + 11c)				11d		
12	Net tax liability (10 - 11d) (enter zero if negative)						12	
13	Interest and fee payable							
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)		13a				
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)		13b				
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)		13c				
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)		13d				
	e	Total Interest and Fee Payable (13a+13b+13c+13d)				13e		
14	Aggregate liability 12 + 13e)						14	
TAXES PAID	15	Taxes Paid						
		a	Advance Tax (from column 5 of 22A)		15a			
		b	TDS (total of column 5 of 22B and column 9 of 22C)		15b			
		c	TCS (total of column 5 of 22D)		15c			
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 22A)		15d			
	e	Total Taxes Paid (15a + 15b + 15c + 15d)				15e		
16	Amount payable (Enter if 14 is greater than 15e, else enter 0)						16	
17	Refund (If 15e is greater than 14) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)						17	
BANK ACCOUNT	18	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) (In case of non-residents, details of any one foreign Bank Account may be furnished for the purpose of credit of refund)						
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India (SWIFT Code in case of foreign Bank Account)	Name of the Bank	Account Number (IBAN in case of foreign Bank Accounts)	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account <input checked="" type="checkbox"/> )		
		i						

	ii		
19	Do you at any time during the previous year,— (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? <i>[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes ]</i>		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

**20** If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP
21	If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof	

**22 TAX PAYMENTS**

**A** Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax

ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	i					
	ii					
	iii					
iv						

**NOTE** ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 15a & 15d of Part B-TTI

**B** Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]

TDS ON SALARY	Sl No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer	Name of the Employer	Income chargeable under Salaries	Total tax deducted
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I				
II					

**NOTE** ▶ Please enter total of column 5 in 15b of Part B-TTI

**C** Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C furnished by Deductor(s)]

Sl No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)			Corresponding Income offered		TDS credit being carried forward
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Gross Amount	Head of Income		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
							Income TDS		Income TDS PAN				
i													

**NOTE** ▶ Please enter total of column 9 in 15b of Part B- TTI

<b>D</b> Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]						
TCS	Sl No	Tax Deduction and Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed	Amount out of (4) being claimed in the hands of spouse, if section 5A is applicable
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	I					
	II					
<b>NOTE</b> ▶ Please enter total of column (5) in 15c of Part B-TTI						

**VERIFICATION**

I, \_\_\_\_\_ son/ daughter of \_\_\_\_\_, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making return in my capacity as \_\_\_\_\_ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_ (if allotted) (Please see instruction) I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Date

Sign here →

FORM

ITR-  
3

**INDIAN INCOME TAX RETURN**  
(For individuals and HUFs having income from profits and gains of business or profession)  
(Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)  
(Please refer instructions)

Assessment Year

2019-20

## Part A-GEN

## GENERAL

PERSONAL INFORMATION	First name		Middle name		Last name		PAN	
	Flat/Door/Block No.			Name Of Premises/Building/Village			Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> HUF	
	Road/Street/Post Office			Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)				
	Area/locality			Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)				
	Town/City/District			State		Pin code/Zip code		
				Country				
	Residential/Office Phone Number with STD code / Mobile No. 1				Mobile No. 2			
	Email Address-1 (self)				Email Address-2			
	FILING STATUS	(a) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]		<input type="checkbox"/> 139(1)- On or Before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)- After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)- Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay				
Or Filed in response to notice u/s		<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153A, <input type="checkbox"/> 153C						
(b) If revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)						/ /		
(c) If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C or order u/s 119(2)(b), enter date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement						/ /		
(d) Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)		A. Resident		<input type="checkbox"/> You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)]				
				<input type="checkbox"/> You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section 6(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable]				
		B. Resident but not Ordinarily Resident		<input type="checkbox"/> You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)]				
				<input type="checkbox"/> You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)]				
		C. Non-resident		<input type="checkbox"/> You were a non-resident during the previous year.				
				(i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year -				
		S.No.	Jurisdiction of residence		Taxpayer Identification Number			
		1						
		2						
		(ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify -						
		Total period of stay in India during the previous year (in days)			Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)			
Residential Status in India (for HUF) (Tick applicable option)		<input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Resident but not Ordinarily Resident		<input type="checkbox"/> Non-resident				
(e) Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No						
(f) Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? Tick <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (If "YES" please fill Schedule 5A)								
(g) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, furnish following information -								
(1) Name of the representative								
(2) Capacity of the Representative (drop down to be provided)								
(3) Address of the representative								
(4) Permanent Account Number (PAN) of the representative								



For Office Use Only

For Office Use Only

Receipt No.

Date

Seal and Signature of receiving official

(h)	Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -												
	Name of Company			PAN		Whether its shares are listed or unlisted				Director Identification Number (DIN)			
(i)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information												
	Name of Firm						PAN						
(j)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information in respect of equity shares												
	Name of company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance	
			No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(k)	In case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
(l)	Whether assessee is located in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												

AUDIT INFORMATION

(a)	Are you liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
(b)	Are you liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
(c)	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If Yes, furnish the following information below												
	(1)	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY) / /											
	(2)	Name of the auditor signing the tax audit report											
	(3)	Membership No. of the auditor											
	(4)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)											
	(5)	Proprietorship/firm registration number											
	(6)	Permanent Account Number (PAN) of the proprietorship/ firm											
	(7)	Date of report of the audit											
(di)	Are you liable for Audit u/s 92E? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No						Date of furnishing audit report? DD/MM/YYYY						
(dii)	If liable to furnish other audit report, mention the date of furnishing the audit report? (DD/MM/YY) (Please see Instruction 6)												
	Sl. No.	Section Code						Date (DD/MM/YYYY)					
(e)	If liable to audit under any Act other than the Income-tax act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?												
	Act and section				(DD/MM/YY)				Act and section				(DD/MM/YY)

NATURE OF BUSINESS

NATURE OF BUSINESS OR PROFESSION, IF MORE THAN ONE BUSINESS OR PROFESSION INDICATE THE THREE MAIN ACTIVITIES/ PRODUCTS (OTHER THAN THOSE DECLARING INCOME UNDER SECTIONS 44AD, 44ADA AND 44AE)

S.No.	Code	Trade name of the proprietorship, if any	Description
	[Please see instruction No.7(i)]		

(i)			
(ii)			
(iii)			

**Part A-BS** **BALANCE SHEET AS ON 31<sup>ST</sup> DAY OF MARCH, 2019 OF THE PROPRIETORY BUSINESS OR PROFESSION** (fill items below in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item 6)

SOURCES OF FUNDS	<b>1 Proprietor's fund</b>		
	<b>a</b>	<b>Proprietor's capital</b>	<b>a</b>
	<b>b</b>	<b>Reserves and Surplus</b>	
	<b>i</b>	<b>Revaluation Reserve</b>	<b>bi</b>
	<b>ii</b>	<b>Capital Reserve</b>	<b>bii</b>
	<b>iii</b>	<b>Statutory Reserve</b>	<b>biii</b>
	<b>iv</b>	<b>Any other Reserve</b>	<b>biv</b>
	<b>v</b>	<b>Total (bi + bii + biii + biv)</b>	<b>bv</b>
	<b>c</b>	<b>Total proprietor's fund (a + bv)</b>	<b>1c</b>
	<b>2 Loan funds</b>		
	<b>a</b>	<b>Secured loans</b>	
	<b>i</b>	<b>Foreign Currency Loans</b>	<b>ai</b>
	<b>ii</b>	<b>Rupee Loans</b>	
		<b>A From Banks</b>	<b>iiA</b>
		<b>B From others</b>	<b>iiB</b>
	<b>C Total (iiA + iiB)</b>	<b>iiC</b>	
<b>iii</b>	<b>Total (ai + iiC)</b>	<b>aiii</b>	
<b>b</b>	<b>Unsecured loans (including deposits)</b>		
<b>i</b>	<b>From Banks</b>	<b>bi</b>	
<b>ii</b>	<b>From others</b>	<b>bii</b>	
<b>iii</b>	<b>Total (bi + bii)</b>	<b>biii</b>	
<b>c</b>	<b>Total Loan Funds (aiii + biii)</b>	<b>2c</b>	
<b>3 Deferred tax liability</b>		<b>3</b>	
<b>4 Sources of funds (1c + 2c + 3)</b>		<b>4</b>	
APPLICATION OF FUNDS	<b>1 Fixed assets</b>		
	<b>a</b>	<b>Gross: Block</b>	<b>1a</b>
	<b>b</b>	<b>Depreciation</b>	<b>1b</b>
	<b>c</b>	<b>Net Block (a – b)</b>	<b>1c</b>
	<b>d</b>	<b>Capital work-in-progress</b>	<b>1d</b>
	<b>e</b>	<b>Total (1c + 1d)</b>	<b>1e</b>
	<b>2 Investments</b>		
	<b>a</b>	<b>Long-term investments</b>	
	<b>i</b>	<b>Government and other Securities - Quoted</b>	<b>ai</b>
	<b>ii</b>	<b>Government and other Securities – Unquoted</b>	<b>a ii</b>
	<b>iii</b>	<b>Total (ai + aii)</b>	<b>a iii</b>
	<b>b</b>	<b>Short-term investments</b>	
<b>i</b>	<b>Equity Shares, including share application money</b>	<b>bi</b>	
<b>ii</b>	<b>Preference Shares</b>	<b>bii</b>	

	iii	Debentures	biii		
	iv	Total (bi + bii + biii)		biv	
	c	Total investments (aiii + biv)		2c	
	3	Current assets, loans and advances			
	a	Current assets			
	i	Inventories			
		A Stores/consumables including packing material	iA		
		B Raw materials	iB		
		C Stock-in-process	iC		
		D Finished Goods/Traded Goods	iD		
		E Total (iA + iB + iC + iD)		iE	
	ii	Sundry Debtors			aii
	iii	Cash and Bank Balances			
		A Cash-in-hand	iiiA		
		B Balance with banks	iiiB		
		C Total (iiiA + iiiB)		iiiC	
	iv	Other Current Assets			aiv
	v	Total current assets (iE + aii + iiiC + aiv)			av
	b	Loans and advances			
	i	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received	bi		
	ii	Deposits, loans and advances to corporates and others	bii		
	iii	Balance with Revenue Authorities	biii		
	iv	Total (bi + bii + biii)			biv
	c	Total of current assets, loans and advances (av + biv)			3c
	d	Current liabilities and provisions			
	i	Current liabilities			
		A Sundry Creditors	iA		
		B Liability for Leased Assets	iB		
		C Interest Accrued on above	iC		
		D Interest accrued but not due on loans	iD		
		E Total (iA + iB + iC + iD)		iE	
	ii	Provisions			
		A Provision for Income Tax	iiA		
		B Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity	iiB		
		C Other Provisions	iiC		
		D Total (iiA + iiB + iiC)		iiD	
	iii	Total (iE + iiD)			diii
	e	Net current assets (3c – diii)			3e
	4	Miscellaneous expenditure not written off or adjusted			4a
	b	Deferred tax asset			4b
	c	Profit and loss account/ Accumulated balance			4c
	d	Total (4a + 4b + 4c)			4d
	5	Total, application of funds (1e + 2c + 3e + 4d)			5
NO ACCOUNT CASE	6	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained - (furnish the following information as on 31 <sup>st</sup> day of March, 2019, in respect of business or profession)			
	a	Amount of total sundry debtors			6a

<b>b</b>	Amount of total sundry creditors	<b>6b</b>	
<b>c</b>	Amount of total stock-in-trade	<b>6c</b>	
<b>d</b>	Amount of the cash balance	<b>6d</b>	

**Part A-  
Manufacturing  
Account**

Manufacturing Account for the financial year 2018-19 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 64 as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	<b>1</b>	Opening Inventory			
	<b>A</b>	<b>i</b>	Opening stock of raw-material	<b>i</b>	
		<b>ii</b>	Opening stock of Work in progress	<b>ii</b>	
		<b>iii</b>	Total (i + ii)		<b>Aiii</b>
	<b>B</b>	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			<b>B</b>
	<b>C</b>	Direct wages			<b>C</b>
	<b>D</b>	Direct expenses (Di + Dii + Diii)			<b>D</b>
		<b>i</b>	Carriage inward	<b>i</b>	
		<b>ii</b>	Power and fuel	<b>ii</b>	
		<b>iii</b>	Other direct expenses	<b>iii</b>	
	<b>E</b>	Factory Overheads			
		<b>I</b>	Indirect wages	<b>i</b>	
		<b>Ii</b>	Factory rent and rates	<b>ii</b>	
		<b>Iii</b>	Factory Insurance	<b>iii</b>	
		<b>Iv</b>	Factory fuel and power	<b>iv</b>	
		<b>V</b>	Factory general expenses	<b>v</b>	
		<b>Vi</b>	Depreciation of factory machinery	<b>vi</b>	
		<b>Vii</b>	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)		<b>Evii</b>
	<b>F</b>	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)			<b>1F</b>
	<b>2</b>	Closing Stock			
	<b>i</b>	Raw material	<b>2i</b>		
	<b>ii</b>	Work-in-progress	<b>2ii</b>		
	Total (2i + 2ii)			<b>2</b>	
<b>3</b>	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)			<b>3</b>	

**Part A-Trading  
Account**

Trading Account for the financial year 2018-19 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 64 as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	<b>4</b>	Revenue from operations				
	<b>A</b>	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)				
		<b>i</b>	<b>i</b>	Sale of goods	<b>i</b>	
			<b>ii</b>	Sale of services	<b>ii</b>	
			<b>iii</b>	Other operating revenues (specify nature and amount)		
		<b>a</b>			<b>iiia</b>	
			<b>b</b>		<b>iiib</b>	
			<b>c</b>	Total (iiia + iiib)	<b>iiic</b>	
		<b>iv</b>	Total (i + ii + iiic)			<b>Aiv</b>
		<b>B</b>	Gross receipts from Profession			<b>B</b>
		<b>C</b>	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied			
		<b>i</b>	Union Excise duties	<b>i</b>		
		<b>ii</b>	Service tax	<b>ii</b>		
		<b>iii</b>	VAT/ Sales tax	<b>iii</b>		
		<b>iv</b>	Central Goods & Service Tax (CGST)	<b>iv</b>		
		<b>v</b>	State Goods & Services Tax (SGST)	<b>v</b>		
<b>vi</b>		Integrated Goods & Services Tax (IGST)	<b>vi</b>			

DEBITS TO TRADING ACCOUNT	vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii			
	viii	Any other duty, tax and cess	viii			
	ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			Cix	
	D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)			4D	
	5	Closing Stock of Finished Stocks			5	
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5iv )			6	
	7	Opening Stock of Finished Goods			7	
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8	
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9	
		i	Carriage inward	9i		
		ii	Power and fuel	9ii		
		iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	9iii		
10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased					
	i	Custom duty	10i			
	ii	Counter veiling duty	10ii			
	iii	Special additional duty	10iii			
	Iv	Union excise duty	10iv			
	V	Service tax	10v			
	Vi	VAT/ Sales tax	10vi			
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii			
	viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii			
	Ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix			
	X	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x			
	Xi	Any other tax, paid or payable	10xi			
	Xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii	
11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account				11	
12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)				12	

**Part A-P&L**

**Profit and Loss Account for the financial year 2018-19** (fill items 13 to 60 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 64 as applicable)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account				13
	14	Other income				
		i	Rent	i		
		ii	Commission	ii		
		iii	Dividend income	iii		
		iv	Interest income	iv		
		v	Profit on sale of fixed assets	v		
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
		vii	Profit on sale of other investment	vii		
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii		
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix		
		x	Agricultural income	x		
	xi	Any other income (specify nature and amount)				
		a		xia		
		b		xib		

		c	Total (xia + xib)	xic		
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)			14xii	
15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)				15	
16	Freight outward				16	
17	Consumption of stores and spare parts				17	
18	Power and fuel				18	
19	Rents				19	
20	Repairs to building				20	
21	Repairs to machinery				21	
22	Compensation to employees					
	i	Salaries and wages	22i			
	ii	Bonus	22ii			
	iii	Reimbursement of medical expenses	22iii			
	iv	Leave encashment	22iv			
	v	Leave travel benefits	22v			
	vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi			
	vii	Contribution to recognised provident fund	22vii			
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii			
	ix	Contribution to any other fund	22ix			
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x			
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)			22xi	
	xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiia	Yes / No		
		If Yes, amount paid to non-residents	xiib			
23	Insurance					
	i	Medical Insurance	23i			
	ii	Life Insurance	23ii			
	iii	Keyman's Insurance	23iii			
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv			
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v	
24	Workmen and staff welfare expenses				24	
25	Entertainment				25	
26	Hospitality				26	
27	Conference				27	
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				28	
29	Advertisement				29	
30	Commission					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)			30iii	
31	Royalty					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)			31iii	
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			

DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

	iii	Total (i + ii)			32iii	
33	Hotel, boarding and Lodging				33	
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				34	
35	Foreign travelling expenses				35	
36	Conveyance expenses				36	
37	Telephone expenses				37	
38	Guest House expenses				38	
39	Club expenses				39	
40	Festival celebration expenses				40	
41	Scholarship				41	
42	Gift				42	
43	Donation				43	
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)					
	i	Union excise duty	44i			
	ii	Service tax	44ii			
	iii	VAT/ Sales tax	44iii			
	iv	Cess	44iv			
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v			
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi			
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii			
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii			
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix			
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)			44x	
45	Audit fee				45	
46	Other expenses (specify nature and amount)					
	i			i		
	ii			ii		
	iii	Total (i + ii)			46iii	
47	Bad debts (specify PAN of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)					
	i				47i	
	ii				47ii	
	iii				47iii	
	iv	Rows can be added as required			47iv	
	v	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN is not available (provide name and complete address)			47v	
	vi	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)			47vi	
	vii	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii + 47iv + 47v+47vi)			47vii	
48	Provision for bad and doubtful debts				48	
49	Other provisions				49	
50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47vii + 48 + 49)]				50	
51	Interest					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company		i		
	ii	To others		ii		
	iii	Total (i + ii)			51iii	
52	Depreciation and amortisation				52	
53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)				53	

PROVISIONS PROVISION FOR TAX AND APPROPRIATIONS	54	Provision for current tax			54		
	55	Provision for Deferred Tax and deferred liability			55		
	56	Profit after tax (53 - 54 - 55)			56		
	57	Balance brought forward from previous year			57		
	58	Amount available for appropriation (56 + 57)			58		
	59	Transferred to reserves and surplus			59		
	60	Balance carried to balance sheet in proprietor's account (58 - 59)			60		
PRESUMPTIVE INCOME CASES	61	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD					
		SR.NO	Name of Business	Business code	Description		
		(i)	Gross Turnover or Gross Receipts (ia + ib)			61i	
			a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received before specified date	ia		
			b	Any other mode	ib		
		(ii)	Presumptive Income under section 44AD (iia + iib)			61ii	
			a	6% of 61ia, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iia		
			b	8% of 61ib, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iib		
			NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB				
		62	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA				
		SR.NO	Name of Business	Business code	Description		
		(i)	Gross Receipts			62i	
		(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 62i, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher)			62ii	
		NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB					
	63	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE					
		SR.NO	Name of Business	Business code	Description		
		(i)	Registration No. of goods carriage	Whether owned/leased/hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee	Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher
		(a)					
		(b)					
		Add row options as necessary (upto maximum 10)					
		(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 63(i)]				63(ii)
		NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then , it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB					
NO ACCOUNT CASE	64	IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2018-19 in respect of business or profession -					
		(i)	For assessee carrying on Business				
			a	Gross receipts (a1 + a2)		ia	
				1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received before specified date	a1	
				2	Any other mode	a2	
		b	Gross profit		ib		



	c	Expenses	ic		
	d	Net profit			64i
	(ii)	For assessee carrying on Profession			
	a	Gross receipts (a1 + a2)	ii a		
		1 Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received before specified date	a1		
		2 Any other mode	a2		
	b	Gross profit	ii b		
	c	Expenses	ii c		
	d	Net profit			64ii
	(iii)	Total profit (64i + 64ii)			64iii
65	i	Turnover from speculative activity			65i
	ii	Gross Profit			65ii
	iii	Expenditure, if any			65iii
	iv	Net income from speculative activity (65ii-65iii)			65iv

**Part A- OI** Other Information (mandatory if liable for audit under section 44AB, for other fill, if applicable)

OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash			
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]			3a
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]			3b
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year			
		a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>
		b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>
		c	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
		d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A		4d
		e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A		4e
	5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -			
		a	the items falling within the scope of section 28	5a	
		b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b	
		c	escalation claims accepted during the previous year	5c	
		d	any other item of income	5d	
		e	capital receipt, if any	5e	
		f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)		5f
	6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of conditions specified in relevant clauses			
		a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a	
		b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b	
	c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c		
	d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d		
	e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e		
	f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f		

	<b>g</b>	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	<b>6g</b>	
	<b>h</b>	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	<b>6h</b>	
	<b>i</b>	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	<b>6i</b>	
	<b>j</b>	Amount of contributions to any other fund	<b>6j</b>	
	<b>k</b>	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	<b>6k</b>	
	<b>l</b>	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	<b>6l</b>	
	<b>m</b>	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiia)]	<b>6m</b>	
	<b>n</b>	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	<b>6n</b>	
	<b>o</b>	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	<b>6o</b>	
	<b>p</b>	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	<b>6p</b>	
	<b>q</b>	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	<b>6q</b>	
	<b>r</b>	Any other disallowance	<b>6r</b>	
	<b>s</b>	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)		<b>6s</b>
<b>7</b>	<b>Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section</b>			
	<b>a</b>	Expenditure of capital nature [37(1)]	<b>7a</b>	
	<b>b</b>	Expenditure of personal nature [37(1)]	<b>7b</b>	
	<b>c</b>	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	<b>7c</b>	
	<b>d</b>	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	<b>7d</b>	
	<b>e</b>	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	<b>7e</b>	
	<b>f</b>	Any other penalty or fine	<b>7f</b>	
	<b>g</b>	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	<b>7g</b>	
	<b>h</b>	Amount of any liability of a contingent nature	<b>7h</b>	
	<b>i</b>	Any other amount not allowable under section 37	<b>7i</b>	
	<b>j</b>	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)		<b>7j</b>
<b>8</b>	<b>A</b> Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40			
	<b>a</b>	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	<b>Aa</b>	
	<b>b</b>	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	<b>Ab</b>	
	<b>c</b>	Amount disallowable under section 40(a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	<b>Ac</b>	
	<b>d</b>	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	<b>Ad</b>	
	<b>e</b>	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	<b>Ae</b>	
	<b>f</b>	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	<b>Af</b>	
	<b>g</b>	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	<b>Ag</b>	
	<b>h</b>	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)]	<b>Ah</b>	

	i	Any other disallowance	Ai		
	j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)		8Aj	
	B	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B	
9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A				
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a		
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account, disallowable under section 40A(3)	9b		
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c		
	d	Any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
	e	Any other disallowance	9e		
	f	Total amount disallowable under section 40A		9f	
10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year				
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
	h	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)		10h	
11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B				
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g		
	h	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11g)		11h	
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of				
	a	Union Excise Duty	12a		
	b	Service tax	12b		
	c	VAT/sales tax	12c		
	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d		

	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e			
	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f			
	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g			
	h	Any other tax	12h			
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)			12i	
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA				13	
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41				14	
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)				15	
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A				16	

**Part A – QD** Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)

QUANTITATIVE DETAILS	(a) In the case of a trading concern			
	1	Opening stock	1	
	2	Purchase during the previous year	2	
	3	Sales during the previous year	3	
	4	Closing stock	4	
	5	Shortage/ excess, if any	5	
	(b) In the case of a manufacturing concern			
	6	Raw materials		
	a	Opening stock	6a	
	b	Purchases during the previous year	6b	
	c	Consumption during the previous year	6c	
	d	Sales during the previous year	6d	
	e	Closing stock	6e	
	f	Yield finished products	6f	
	g	Percentage of yield	6g	
	h	Shortage/ excess, if any	6h	
	7	Finished products/ By-products		
	a	opening stock	7a	
	b	purchase during the previous year	7b	
	c	quantity manufactured during the previous year	7c	
	d	sales during the previous year	7d	
	e	closing stock	7e	
	f	shortage/ excess, if any	7f	

**SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**
**Schedule S** Details of Income from Salary

SALARIES	Name of Employer		Nature of employment (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Govt. <input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> Pensioners <input type="checkbox"/> Others		TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)	
	Address of employer		Town/City	State	Pin code/Zip code	
	1	Gross Salary (1a + 1b + 1c)			1	
	a	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)		1a		
	b	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)		1b		
c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)		1c			
(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)						

2	Total Gross Salary (from all employers)			2	
3	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (please refer instructions)			3	
4	Net Salary (2 - 3)			4	
5	Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)			5	
	a	Standard deduction u/s 16(ia)	5a		
	b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	5b		
	c	Professional tax u/s 16(iii)	5c		
6	Income chargeable under the Head 'Salaries' (4 - 5)			6	

**Schedule HP** Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)

HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1		Town/ City	State	PIN Code/ Zip Code		
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)							
	Your percentage of share in the property. <input type="text"/>							
	Name of Co-owner(s)		PAN of Co-owner (s)		Percentage Share in Property			
	I							
	II							
	/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Self-occupied <input type="checkbox"/> Deemed let out		Name(s) of Tenant (if let out)	PAN of Tenant(s) (if available)		PAN/TAN of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)		
			I					
			II					
	a Gross rent received or receivable or lettable value				1a			
	b The amount of rent which cannot be realized		1b					
	c Tax paid to local authorities		1c					
	d Total (1b + 1c)		1d					
	e Annual value (1a - 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)				1e			
	f Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)				1f			
	g 30% of 1f		1g					
	h Interest payable on borrowed capital		1h					
	i Total (1g+ 1h)				1i			
	j Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%				1j			
	k Income from house property 1 (1f - 1i + 1j)				1k			
	2	Address of property 2		Town/ City	State	PIN Code/ Zip Code		
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)							
	Your percentage of share in the property <input type="text"/>							
	Name of Co-owner(s)		PAN of Co-owner (s)		Percentage Share in Property (optional)			
	I							
II								
/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Self-occupied <input type="checkbox"/> Deemed let out		Name(s) of Tenant (if let out)	PAN(s) of Tenant (Please see note)		PAN/TAN of Tenant(s) (Please see note)			
		I						
		II						
a Gross rent received or receivable/ lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)				2a				
b The amount of rent which cannot be realized		2b						
c Tax paid to local authorities		2c						
d Total (2b + 2c)		2d						

e	Annual value (2a – 2d)	2e	
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)	2f	
g	30% of 2f	2g	
h	Interest payable on borrowed capital	2h	
i	Total (2g + 2h)	2i	
j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%	2j	
k	Income from house property 2 (2f – 2i + 2j)	2k	
3	Pass through income if any *	3	
4	Income under the head “Income from house property” (1k + 2k + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)	4	
<b>NOTE</b>	Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head		
<b>NOTE</b>	Furnishing of PAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.		

**Schedule BP Computation of income from business or profession**

INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	<b>A</b>	<b>From business or profession other than speculative business and specified business</b>				
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) and 65(iv) of P&L )	1			
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) [Sl.no 65iv of Schedule	2a			
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)	2b			
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income/chargeable u/s 115BBF/ chargeable u/s 115BBG	a	Salaries	3a	
			b	House property	3b	
			c	Capital	3c	
			d	Other	3d	
			e	u/s 115BBF	3e	
			f	u/s 115BBG	3f	
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44DA (drop down to be provided)	4a			
	4b	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided and capture	4b			
5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt					
	a	Share of income from firm(s)	5a			
	b	Share of income from AOP/ BOI	5b			
	c	Any other exempt income (specify nature and amount)				
	i		ci			
	ii		cii			
iii	Total (ci + cii)	5ciii				
d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)	5d				
6	Balance (1– 2a – 2b – 3a - 3b – 3c - 3d – 3e - 3f – 4a-4b– 5d)			6		
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF or u/s 115BBG	a	Salaries	7a		
		b	House property	7b		
		c	Capital	7c		
		d	Other	7d		
		e	u/s 115BBF	7e		
		f	u/s 115BBG	7f		
8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income			8a		
8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of			8b		
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f + 8a+8b)			9		
10	Adjusted profit or loss (6+9)			10		
11	Depreciation and amortisation debited to profit and loss account			11		
12	Depreciation allowable under Income-tax Act					

	i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(ia) (item 6 of Schedule-DEP)	12i		
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of	12ii		
	iii	Total (12i + 12ii)		12iii	
13		Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)		13	
14		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6r of	14		
15		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of	15		
16		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of	16		
17		Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of	17		
18		Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section	18		
19		Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development	19		
20		Deemed income under section 41	20		
21		Deemed income under section 32AD/ 33AB/ 33ABA/ 35ABA /35ABB/ 40A(3A)/ 72A/80HHD/	21		
22		Deemed income under section 43CA	22		
23		Any other item of addition under section 28 to	23		
24		Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which individual/HUF/prop.	24		
25		Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A - OI)	25		
26		Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)		26	
27		Deduction allowable under section 32(1)(iii)	27		
28		Deduction allowable under section 32AD	28		
29		Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account,	29		
30		Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of PartA-OI)	30		
31		Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year(10g of PartA-OI)	31		
32		Any other amount allowable as deduction	32		
33		Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	33		
34		Total (27+28+29+30+31+32+33)		34	
35		Income (13+26-34)		35	
36		Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
	i	Section 44AD (61(ii) of schedule P&L)	36i		
	ii	Section 44ADA (62(ii) of schedule P&L)	36ii		
	iii	Section 44AE (63(ii) of schedule P&L)	36iii		
	iv	Section 44B	36iv		
	v	Section 44BB	36v		
	vi	Section 44BBA	36vi		
	vii	Section 44DA	36vii		(item 4 of Form 3CE)
	viii	Total (36i to 36vii)		36viii	

37	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (35 + 36viii)	37	
38	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 37) (If loss take	A38	
	a Income chargeable under Rule 7	38a	
	b Deemed income chargeable under Rule 7A	38b	
	c Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	38c	
	d Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	38d	
	e Deemed income chargeable under Rule 8	38e	
	f Income other than Rule 7A, 7B & 8 (Item No. 37)	38f	
39	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act	39	
<b>B Computation of income from speculative business</b>			
40	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account (Item No. 2a)	40	
41	Additions in accordance with section 28 to 44DA	41	
42	Deductions in accordance with section 28 to 44DA	42	
43	Income from speculative business (40+ 41 – 42) (if loss, take the figure to 6xi of schedule CET)	B43	
<b>C Computation of income from specified business under section 35AD</b>			
44	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account	44	
45	Additions in accordance with section 28 to 44DA	45	
46	Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section, - (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)	46	
47	Profit or loss from specified business (44 + 45 -46)	47	
48	Deductions in accordance with section 35AD(1)	48	
49	Income from Specified Business (47-48) (if loss, take the figure to 7xi of schedule CET)	C49	
50	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)	C50	
D	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A38 + B43 + C49)	D	
<b>E Intra head set off of business loss of current year</b>			
Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or	Business loss set off
		(1)	(2)
			(3) = (1) – (2)
i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is		(A38)
ii	Income from speculative business	(B43)	
iii	Income from specified business	(C49)	
iv	Total loss set off (ii + iii)		
v	Loss remaining after set off (i – iv)		

**NOTE** ▶ Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

**Schedule DPM** Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

<b>DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY</b>	1	Block of assets	Plant and machinery		
	2	Rate (%)	15	30	40
			(i)	(ii)	(iii)
	3	Written down value on the first day of previous year			
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year			
5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				



6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)			
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year			
8	Consideration or other realizations during the year out of 7			
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)			
10	Depreciation on 6 at full rate			
11	Depreciation on 9 at half rate			
12	Additional depreciation, if any, on 4			
13	Additional depreciation, if any, on 7			
14	Additional depreciation relating to immediately preceding year' on asset put to use for less than 180 days			
15	Total depreciation (10+11+12+13+14)			
16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)			
17	Net aggregate depreciation (15-16)			
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)			
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets			
20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) (enter negative only if block ceases to exist)			
21	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)			

**Schedule DOA Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)**

DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
	10	Depreciation on 6 at full rate							
	11	Depreciation on 9 at half rate							
	12	Total depreciation (10+11)							

13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							
15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

**Schedule DEP** Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery			
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM -17i or 18i as applicable)	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c		
	d	Total depreciation on plant and machinery ( 1a + 1b + 1c)			1d
	2	Building (not including land)			
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a		
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c		
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)			2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)			3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)			4
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)			5
	6	Total depreciation (1d+2d+3+4+5)			6

**Schedule DCG** Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets

DEEMED CAPITAL GAINS	1	Plant and machinery			
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c		
	d	Total ( 1a +1b + 1c)			1d
	2	Building (not including land)			
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a		
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c		
	d	Total ( 2a + 2b + 2c)			2d
	3	Furniture and fittings ( Schedule DOA- 17v)			3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)			4
	5	Ships (Schedule DOA- 17vii)			5
	6	Total ( 1d+2d+3+4+5)			6

## Schedule ESR

## Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)

Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
V	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
X	Total			

**NOTE** In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.

## Schedule CG

## Capital Gains

A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 and 5 are not applicable for residents)																																																																																																																																																																																	
Short-term Capital Gains	<b>1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)</b>																																																																																																																																																																																
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">a</td> <td>i</td> <td>Full value of consideration received/receivable</td> <td>ai</td> </tr> <tr> <td>ii</td> <td>Value of property as per stamp valuation authority</td> <td>aii</td> </tr> <tr> <td>iii</td> <td>Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains () [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]</td> <td>aiii</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">b</td> <td colspan="3">Deductions under section 48</td> </tr> <tr> <td>i</td> <td>Cost of acquisition without indexation</td> <td>bi</td> </tr> <tr> <td>ii</td> <td>Cost of Improvement without indexation</td> <td>bii</td> </tr> <tr> <td>iii</td> <td>Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer</td> <td>biii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iv</td> <td>Total (bi + bii + biii)</td> <td>biv</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td colspan="3">Balance (aiii – biv)</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td colspan="3">Deduction under section 54B/54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td colspan="3">Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td colspan="3">In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S.No.</td> <td>Name of buyer(s)</td> <td>PAN of</td> <td>Percentage</td> <td>Amount</td> <td>Address of</td> <td>Pin</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>NOTE ►</b></td> <td colspan="6">Furnishing of PAN is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>2 From slump sale</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a</td> <td>Full value of consideration</td> <td>2a</td> <td colspan="4">(5 of Form 3CEA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>Net worth of the under taking or division</td> <td>2b</td> <td colspan="4">(6(e) of Form 3CEA)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td colspan="6">Short term capital gains from slump sale (2a-2b)</td> </tr> <tr> <td colspan="8"><b>3 From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a</td> <td>Full value of consideration</td> <td>3a</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td></td> <td rowspan="4">b</td> <td colspan="6">Deductions under section 48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>i</td> <td>Cost of acquisition without indexation</td> <td>bi</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii</td> <td>Cost of Improvement without indexation</td> <td>bii</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii</td> <td>Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer</td> <td>biii</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>iv</td> <td>Total (i + ii + iii)</td> <td>biv</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td colspan="6">Balance (3a – biv)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d</td> <td colspan="6">Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e</td> <td colspan="6">Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)</td> </tr> </table>	a	i	Full value of consideration received/receivable	ai	ii	Value of property as per stamp valuation authority	aii	iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains () [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]	aiii	b	Deductions under section 48			i	Cost of acquisition without indexation	bi	ii	Cost of Improvement without indexation	bii	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		iv	Total (bi + bii + biii)	biv	c	Balance (aiii – biv)			d	Deduction under section 54B/54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)			e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)			f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)				S.No.	Name of buyer(s)	PAN of	Percentage	Amount	Address of	Pin										<b>NOTE ►</b>	Furnishing of PAN is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.						<b>2 From slump sale</b>									a	Full value of consideration	2a	(5 of Form 3CEA)					b	Net worth of the under taking or division	2b	(6(e) of Form 3CEA)					c	Short term capital gains from slump sale (2a-2b)						<b>3 From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)</b>									a	Full value of consideration	3a						b	Deductions under section 48							i	Cost of acquisition without indexation	bi					ii	Cost of Improvement without indexation	bii					iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii						iv	Total (i + ii + iii)	biv					c	Balance (3a – biv)							d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)							e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)					
	a		i	Full value of consideration received/receivable	ai																																																																																																																																																																												
			ii	Value of property as per stamp valuation authority	aii																																																																																																																																																																												
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains () [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]	aiii																																																																																																																																																																													
	b	Deductions under section 48																																																																																																																																																																															
		i	Cost of acquisition without indexation	bi																																																																																																																																																																													
		ii	Cost of Improvement without indexation	bii																																																																																																																																																																													
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii																																																																																																																																																																													
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv																																																																																																																																																																													
	c	Balance (aiii – biv)																																																																																																																																																																															
	d	Deduction under section 54B/54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)																																																																																																																																																																															
	e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)																																																																																																																																																																															
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)																																																																																																																																																																															
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN of	Percentage	Amount	Address of	Pin																																																																																																																																																																									
		<b>NOTE ►</b>	Furnishing of PAN is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.																																																																																																																																																																														
	<b>2 From slump sale</b>																																																																																																																																																																																
		a	Full value of consideration	2a	(5 of Form 3CEA)																																																																																																																																																																												
		b	Net worth of the under taking or division	2b	(6(e) of Form 3CEA)																																																																																																																																																																												
	c	Short term capital gains from slump sale (2a-2b)																																																																																																																																																																															
<b>3 From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)</b>																																																																																																																																																																																	
	a	Full value of consideration	3a																																																																																																																																																																														
	b	Deductions under section 48																																																																																																																																																																															
		i	Cost of acquisition without indexation	bi																																																																																																																																																																													
		ii	Cost of Improvement without indexation	bii																																																																																																																																																																													
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii																																																																																																																																																																													
		iv	Total (i + ii + iii)	biv																																																																																																																																																																													
	c	Balance (3a – biv)																																																																																																																																																																															
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)																																																																																																																																																																															
	e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)																																																																																																																																																																															

4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)				
	a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid			A4a
	b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid			A4b
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD				
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the		
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted	
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains	ic	
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares		
	iii	Total (ic + ii)		aiii	
	b	Deductions under section 48			
		i	Cost of acquisition without indexation		bi
		ii	Cost of improvement without indexation		bii
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii
		iv	Total (i + ii + iii)		biv
	c	Balance (5aiii – biv)			5c
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)			5d
	e	Short-term capital gain on sale of securities (other than those at A3 above) by an FII (5c - 5d)			A5e
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above				
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details		
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted	
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains	ic	
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares		
	iii	Total (ic + ii)		aiii	
	b	Deductions under section 48			
		i	Cost of acquisition without indexation		bi
		ii	Cost of Improvement without indexation		bii
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii
		iv	Total (i + ii + iii)		biv
	c	Balance (6aiii – biv)			6c
d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)			6d	
e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule-DCG)			6e	
f	Deduction under section 54D/54G/54GA			6f	
g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e -6f)			A6g	
7	Amount deemed to be short term capital gains				
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below			
	Sl.	Previous	Section under	New asset acquired/constructed	Amount not

		Year in which asset transferred	which deduction claimed in that	Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains	used for new asset or remained				
	i	2015-16	54D/54G/54G							
	ii	2016-17	54B							
b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54B/54D/54G/54GA, other than at 'a'									
	Total amount deemed to be short term capital gains (Xi + Xii + b)						A7			
8	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a + A8b + A8c)						A8			
	a	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain,				A8a				
	b	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain,				A8b				
	c	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates				A8c				
9	Amount of STCG included in A1-A8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA									
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
	a	Total amount of STCG not chargeable to tax as per DTAA								A9a
	b	Total amount of STCG chargeable to tax at special rates as per DTAA								A9b
10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7+A8 – A9a)									
B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 5, 6, 7, 8 & 9 are not applicable for residents)									
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)								
	a	i	Full value of consideration				ai			
		ii	Value of property as per stamp valuation				aii			
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai),				aiii			
	b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition with indexation				bi			
		ii	Cost of Improvement with indexation				bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in				biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)				biv			
	c	Balance (aiii – biv)				1c				
	d	Deduction under section 54/54B/54D/54EC/54F/54G/54GA/54GB (Specify)				1d				
	e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)						B1e		
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details								
		S.No.	Name of	PAN of	Percentage	Amount	Address of	Pin		
		NOTE: Furnishing of PAN is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
	2	From slump sale								
	a	Full value of consideration				2a	(5 of Form 3CEA)			
	b	Net worth of the under taking or division				2b	(6(e) of Form 3CEA)			
	c	Balance (2a – 2b)				2c				
	d	Deduction u/s 54EC /54F (Specify details in item D				2d				
	e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)						B2e		
3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)									
	a	Full value of consideration				3a				
	b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition without indexation			bi				
		ii	Cost of improvement without indexation			bii				

	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with	biii		
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
c	Balance (3a – biv)			3c	
d	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)			3d	
e	LTCG on bonds or debenture (3c – 3d)				B3e
4	From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA				
a	Full value of consideration			4a	
b	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
c	Balance (4a – biv)			4c	
d	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)			4d	
e	Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d)				B4e
5	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A				
a	Full value of consideration			5a	
b	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition without indexation (higher of iA and iB)	bi		
		A Cost of acquisition	iA		
		B If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, lower of B1 and B2	iB		
		1 Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(a)	B1		
		2 Full value of consideration	B2		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total deductions (bi + bii +biii)	biv		
c	Balance (5a – biv)			5c	
d	Less- LTCG threshold limit as per section 112A (5c – Rs. 1 lakh)			5d	
e	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			5e	
f	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5 above (5d – 5e)				B5f
6	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)				
a	LTCG computed without indexation benefit			6a	
b	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)			6b	
c	LTCG on share or debenture (6a-6b)				
7	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B8 is to be filled up)				
a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii		
	iii	Total (ic + ii)	aiii		
b	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv		
c	Balance (aiii – biv)			7c	
d	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)			7d	

	e	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (7c – 7d)			B7e	
8	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
	a	Full value of consideration			8a	
	b	Deductions under section 48				
	i	Cost of acquisition without indexation (higher of iA and iB)			bi	
		A	Cost of acquisition		iA	
		B	If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, lower of B1 and B2		iB	
		1	Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac)		B1	
		2	Full value of consideration		B2	
	ii	Cost of improvement without indexation			bii	
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii	
	iv	Total deductions (bi + bii +biii)			biv	
	c	Balance (8a – biv)			8c	
	d	Less- LTCG threshold limit as per section 112A (8c – Rs. 1 lakh)			8d	
	e	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			8e	
	f	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 above (8d – 8e)			B8f	
9	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)					
	a	LTCG on sale of specified asset (computed without indexation)			9a	
	b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)			9b	
	c	Balance LTCG on sale of specified asset (9a- 9b)			B9c	
	d	LTCG on sale of asset, other than specified asset (computed without indexation)			9d	
	e	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)			9e	
	f	Balance LTCG on sale of asset, other than specified asset (9d- 9e)			B9f	
10	From sale of assets where B1 to B9 above are not applicable					
	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		ia	
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		ib	
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)		ic	
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares		aii	
		iii	Total (ic + ii)		aiii	
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition with indexation		bi	
		ii	Cost of improvement with indexation		bii	
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii	
		iv	Total (bi + bii +biii)		biv	
	c	Balance (10aiii – biv)			10c	
	d	Deduction under section 54D//54F/54G/54GA (Specify details in item D below)			10d	
	e	Long-term Capital Gains on assets at B10 above (10c- 10d)			B10e	
11	Amount deemed to be long-term capital gains					
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below					
	Sl.	Previous year in which asset transfer	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)

	i	2015-16	54/54D/54F/54C/54GA								
	ii	2016-17	54B								
<b>b Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'</b>											
<b>Total amount deemed to be long-term capital gains (Xi + Xii + b)</b>										<b>B11</b>	
<b>12 Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B12a + B12b)</b>											<b>B12</b>
<b>a Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10%</b>								<b>B12a</b>			
<b>b Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%</b>								<b>B12b</b>			
<b>13 -Amount of LTCG included in items B1 to B12 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA</b>											
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B12 above in	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	<b>I</b>										
	<b>II</b>										
<b>a Total amount of LTCG not chargeable to tax as per DTAA</b>										<b>B13 a</b>	
<b>b Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates as per DTAA</b>										<b>B13 b</b>	
<b>14 Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1e + B2e + B3e + B4e + B5f + B6c + B7e + B8f + B9c + B9f + B10e + B11 + B12 - B13a) (In case of loss take the figure to 9xi of schedule CFL)</b>										<b>B14</b>	
<b>C Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A10 + B14) (take B14 as nil, if loss)</b>											<b>C</b>
<b>D Information about deduction claimed against Capital Gains</b>											
<b>1 In case of deduction u/s 54/54B/54D/54EC /54F/54G/54GA/115F give following details</b>											
<b>a Deduction claimed u/s 54</b>											
	i	Date of transfer of original asset					<b>ai</b>	dd/mm/yyyy			
	ii	Cost of new residential house					<b>aii</b>				
	iii	Date of purchase /construction of new residential house					<b>aiii</b>	dd/mm/yyyy			
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					<b>aiv</b>				
	v	Amount of deduction claimed					<b>av</b>				
<b>b Deduction claimed u/s 54B</b>											
	i	Date of transfer of original asset					<b>bi</b>	dd/mm/yyyy			
	ii	Cost of new agricultural land					<b>bii</b>				
	iii	Date of purchase of new agricultural land					<b>biii</b>	dd/mm/yyyy			
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					<b>biv</b>				
	v	Amount of deduction claimed					<b>bv</b>				
<b>c Deduction claimed u/s 54D</b>											
	i	Date of acquisition of original asset					<b>ci</b>	dd/mm/yyyy			
	ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking					<b>cii</b>				
	iii	Date of purchase of new land or building					<b>ciii</b>	dd/mm/yyyy			
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					<b>civ</b>				
	v	Amount of deduction claimed					<b>cv</b>				
<b>d Deduction claimed u/s 54EC</b>											
	i	Date of transfer of original asset					<b>di</b>	dd/mm/yyyy			
	ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)					<b>dii</b>				
	iii	Date of investment					<b>diii</b>	dd/mm/yyyy			
	iv	Amount of deduction claimed					<b>div</b>				
<b>e Deduction claimed u/s 54F</b>											
	i	Date of transfer of original asset					<b>ei</b>	dd/mm/yyyy			
	ii	Cost of new residential house					<b>eii</b>				
	iii	Date of purchase/construction of new residential house					<b>eiii</b>	dd/mm/yyyy			
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					<b>eiv</b>				
	v	Amount of deduction claimed					<b>ev</b>				



f	Deduction claimed u/s 54G				
	i	Date of transfer of original asset from urban area	fi	dd/mm/yyyy	
	ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	fii		
	iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	fiii	dd/mm/yyyy	
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	fiv		
	v	Amount of deduction claimed	fv		
	g	Deduction claimed u/s 54GA			
		i	Date of transfer of original asset from urban area	gi	dd/mm/yyyy
		ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	gii	
		iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ	giii	dd/mm/yyyy
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	giv	
	h	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)			
		i	Date of transfer of original foreign exchange asset	hi	dd/mm/yyyy
		ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate	hii	
		iii	Date of investment	hiii	dd/mm/yyyy
iv		Amount of deduction claimed	hiv		
i	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1g + 1h)			1i	
2	In case of deduction u/s 54GB, furnish PAN of the				

E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A8 & B12 which is chargeable under DTAA)

SI	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss			Long term capital loss			Current year's capital gains remaini	
			15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%		DTAA rates
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Capital Loss to be set off (Fill this row only, if figure computed is negative)		(A3e*+A4a*+A8a*)	(A5e*+A8b*)	(A1e*+A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*)	A9b	(B4e*+B5f*+B7e*+B8f*+B9c*+B12a*)	(B1e*+B2e*+B3e*+B6c*+B9f*+B10e*+B11*+B12b*)	B13b	
ii	Short term capital gain	15%	(A3e*+A4a*+A8a*)							
iii		30%	(A5e*+A8b*)							
iv		applicable rate	(A1e*+A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*)							
v		DTAA rates	A9b							
vi		Long term capital gain	10%	(B4e*+B5f*+B7e*+B8f*+B9c*+B12a*)						
vii	20%	(B1e*+B2e*+B3e*+B6c*+B9f*+B10e*+B11*+B12b*)								
viii	DTAA rates	B13b								
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)									
x	Loss remaining after set off (i- ix)									

The figures of STCG in this table (A1e\* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

The figures of LTCG in this table (B1e\* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B12) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.

F Information about accrual/receipt of capital gain

	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15%					
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30%					
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates					
4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates <i>Enter value from item Six of schedule BFLA, if any.</i>					
5	Long- term capital gains taxable at the rate of 10%					
6	Long- term capital gains taxable at the rate of 20%					
7	Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates <i>Enter value from item 5xii of</i>					

**NOTE** ▶ Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this

### Schedule OS Income from other sources

		1		1	
<b>1</b>		<b>Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)</b>		<b>1</b>	
a		Dividends, Gross		1a	
b		Interest, Gross (bi + bii + biii + biv)		1b	
i		From Savings Bank	bi		
ii		From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society/)	bii		
iii		From Income-tax Refund	biii		
iv		In the nature of Pass through income	biv		
v		Others	bv		
c		Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross		1c	
d		Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax		1d	
i		Aggregate value of sum of money received without consideration		di	
ii		In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property		dii	
iii		In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such		diii	
iv		In case any other property is received without consideration, fair market value of property		div	
v		In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration		dv	
e		Any other income (please specify nature)		1e	
<b>2</b>		<b>Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e)</b>		<b>2</b>	
a		Winnings from lotteries, crossword puzzles etc. chargeable u/s		2a	
b		Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)		2b	
i		Cash credits u/s 68	bi		
ii		Unexplained investments u/s 69	bii		
iii		Unexplained money etc. u/s 69A	biii		
iv		Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv		
v		Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv		
vi		Amount borrowed or repaid on hundi u/s	bvi		
c		Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111		2c	
		S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
d		Any other income chargeable at special rate (total of di to dxix)		2d	
i		Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)		di	

OTHER SOURCES

	ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	dii								
	iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	diii								
	iv	Interest referred to in section 194LC - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)	div								
	v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	dv								
	vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s	dvi								
	vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s	dvii								
	viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)	dviii								
	ix	Income by way of interest or dividends from bonds or GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dix								
	x	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA	dx								
	xi	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s	dxii								
	xii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD – chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	dxii								
	xiii	Tax on non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	dxiii								
	xiv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	dxiv								
	xv	Income by way of dividend received by specified assessee, being resident, from domestic company exceeding rupees ten lakh	dxv								
	xvi	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable	dxvi								
	xvii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG	dxvii								
	xviii	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E	dxviii								
	xix	Any other income (Please specify)	dxix								
e	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates (drop down to be provided)									2e	
f	Amount included in 1 and 2 above, which is chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)									2f	
	Sl. No.	Amount of income	Item No.2a to 2e in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate (lower of (6) or (9))	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b & 2d)										
	a	Expenses / Deductions					3a				
	b	Depreciation					3b				
	c	Total					3c				
4	Amounts not deductible u/s 58									4	
5	Profits chargeable to tax u/s 59									5	
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 – 3 + 4 + 5) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)									6	

7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 +6 ) (enter 6 as nil, if						7
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses						
	a	Receipts	8a				
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only	8b				
	c	Amounts not deductible u/s 58	8c				
	d	Profits chargeable to tax u/s 59	8d				
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 10xi of Schedule CFL)				8e	
9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (take 8e as nil, if negative)						9
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources						
	S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	1	Dividend Income u/s 115BBDA					
	2	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(iv)					

**NOTE** ▶ Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

#### Schedule CYLA Details of Income after set-off of current years losses

Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year	House property loss	Business Loss	Other sources loss	Current year's
		(Fill this column only if income is zero or positive)	of the current year set off	(other than speculation loss or specified business loss) of the current year set off	(other than loss from owning race horses) of the current year set off	Income remaining after set off
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	Loss to be set off (Fill this row only if computed figure is negative) →		(4 of Schedule -HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
ii	Salaries	(6 of Schedule S)				
iii	House property	(4 of Schedule HP)				
iv	Income from Business (excluding speculation profit and income from specified business) or profession	(A38 of Schedule BP)				
v	Speculative Income	(3ii of item E of schedule BP)				
vi	Specified Business Income	(3iii of item E of schedule BP)				
vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of schedule CG)				
viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of schedule CG)				
ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of schedule CG)				
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of schedule CG)				
xi	Long term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of schedule CG)				
xii	Long term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of schedule CG)				
xiii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of schedule CG)				
xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of schedule OS)				

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT



iv	2014-15							
v	2015-16							
vi	2016-17							
vii	2017-18							
viii	2018-19							
ix	Total of earlier year losses b/f							
x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA	(2ii of schedule BFLA)	(2iii of schedule BFLA)	(2iv of schedule BFLA)	(2v of schedule BFLA)			(2xiv of schedule BFLA)
xi	2019-20 (Current year losses to be carried forward)	(2xviii of schedule CYLA)	(3xviii of schedule CYLA)	(B43 of schedule BP, if -ve)	(C49 of schedule BP, if -ve)	(2x+3x+4x+5x) of item E of schedule CG)	((6x+7x+8x) of item E of schedule CG)	(8e of schedule OS, if -ve)
xii	Total loss Carried forward to future years							

**Schedule UD Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)**

Sl No	Assessment Year	Depreciation			Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year						
ii							
iii							
iv							
v	<b>Total</b>		(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

**Schedule ICDS Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit**

Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	Accounting Policies	
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)	
III	Construction Contracts	
IV	Revenue Recognition	
V	Tangible Fixed Assets	
VI	Changes in Foreign Exchange Rates	
VII	Government Grants	
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)	
IX	Borrowing Costs	
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	
11a.	<b>Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if positive)</b>	
11b.	<b>Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if negative)</b>	

**Schedule 10AA** Deduction under section 10AA

DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone					
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction	
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)	
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)	
c	Total deduction under section 10AA (a + b)					c

**Schedule 80G** Details of donations entitled for deduction under section 80G

DETAILS OF DONATIONS	A Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
	B Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
ii							
iii	Total						
C Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit							
Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
i							
ii							
iii	Total						
D Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit							
Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
i							
ii							
iii	Total						
E Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)							

**Schedule RA** Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(iia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]

Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i						
ii						
iii	Total					

**Schedule 80-IA**

a	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(ii) [Telecommunication services]	a1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
		a2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iii) [Industrial park and SEZs]	b1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
		b2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
c	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	c1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
		c2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
d	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] and deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(vi) [Cross-country natural gas distribution network]	d1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
		d2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
e	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2+ d1 + d2)	e		

**Schedule 80-IB****Deductions under section 80-IB**

a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
b	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward states specified in Eighth Schedule [Section 80-IB(4)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
c	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward districts [Section 80-IB(5)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
d	Deduction in the case of multiplex theatre [Section 80-IB(7A)]	d1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)
		d2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)
e	Deduction in the case of convention centre [Section 80-IB(7B)]	e1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)
		e2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)
f	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	f1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		f2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
g	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	g1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		g2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
h	Deduction in the case of an undertaking operating a cold chain facility [Section 80-IB(11)]	h1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		h2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
i	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	i1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		i2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
j	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	j1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		j2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
k	Deduction in the case of an undertaking engaged in	k1	Undertaking no. 1	(11(v) of Form 10CCBC)



	operating and maintaining a rural hospital [Section 80-IB(11B)]	k2	Undertaking no. 2	(11(v) of Form 10CCBC)	
l	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a hospital in any area, other than excluded area [Section 80-IB(11C)]	l1	Undertaking no. 1	(11(d) of Form 10CCBD)	
		l2	Undertaking no. 2	(11(d) of Form 10CCBD)	
m	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to l2)				m

**Schedule 80-IC or 80-IE** Deductions under section 80-IC or 80-IE

DEDUCTION U/S 80-IC	a Deduction in respect of undertaking located in Sikkim			a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
				a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	b Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh			b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
				b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	c Deduction in respect of undertaking located in Uttaranchal			c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
				c1	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	d Deduction in respect of undertaking located in North-East					
	da Assam		da1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			da2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	db Arunachal Pradesh		db1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			db2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	dc Manipur		dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	dd Mizoram		dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	de Meghalaya		de1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			de2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	df Nagaland		df1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			df2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	dg Tripura		dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
dh Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to da2)			dh			
e Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)			e			

**Schedule VI-A** Deductions under Chapter VI-A

TOTAL DEDUCTIONS	1 Part B- Deduction in respect of certain payments					
	a	80C		b	80CCC	
	c	80CCD(1)		d	80CCD(1B)	
	e	80CCD(2)		f	80CCG	
	g	80D		h	80DD	
	i	80DDB		j	80E	
	k	80EE		l	80G	
	m	80GG		n	80GGC	
	Total Deduction under Part B (total of a to n)					1
	2 Part C- Deduction in respect of certain incomes					
o	80-IA	(e of Schedule 80-IA)	p	80-IAB		

	q	80-IB	(m of Schedule 80-IB)	r	80-IBA			
	s	80-IC/ 80-IE	(e of Schedule 80-IC/ 80-IE)	t	80JJA			
	u	80JJAA		v	80QQB			
	w	80RRB						
	Total Deduction under Part C (total of o to w )						2	
3	Part CA and D- Deduction in respect of other incomes/other deduction							
	x	80TTA		y	80TTB			
	z	80U						
	Total Deduction under Part CA and D (total of x, y and z)						3	
4	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2 + 3)						4	

**Schedule AMT** Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC

1	Total Income as per item 14 of PART-B-TI			1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)				
	a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a		
	b	Deduction claimed u/s 10AA	2b		
	c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed	2c		
	d	Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)	2d		
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)			3	
4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)			4	

**Schedule AMTC** Computation of tax credit under section 115JD

1	Tax under section 115JC in assessment year 2019-20 (1d of Part-B-TTI)				1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2019-20 (2i of Part-B-TTI)				2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3	
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
		Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)		
i	2013-14					
ii	2014-15					
iii	2015-16					
iv	2016-17					
v	2017-18					
vi	2018-19					
vii	Current AY (enter 1 - 2, if 1>2 else enter 0)					
viii	Total					

5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item no 4 (C)]	5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]	6	

**Schedule SPI** Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64

Sl No	Name of person	PAN of person (optional)	Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1					
2					
3					

**Schedule SI** Income chargeable to tax at special rates (please see instructions No. 7 for rate of tax)

Sl No	Section	<input type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)	
1	111A (STCG on shares units on which where STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of schedule BFLA)		
2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of schedule BFLA)		
3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)		
4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)		
5	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)		
6	115AC (Income of non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 2dix of schedule OS)		
7	115ACA (LTCG for an employee of specified company on	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)		
8	115AD (LTCG for FIIs on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)		
9	115E (LTCG for non-resident indian on specified asset)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)		
10	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	20	(5xi of schedule BFLA)		
11	112A (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	10	(B5f and B8f of schedule CG)		
12	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5ix of schedule BFLA)		
13	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5xii of schedule BFLA)		
SPECIAL RATE	14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(2a of schedule OS)	
	15	115BBDA (Dividend income from domestic company exceeding	<input type="checkbox"/>	10	(2dxv of schedule OS)	
	16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or	<input type="checkbox"/>	60	(2b of schedule OS)	
	17	115BBF (Tax on income from patent)				
	a	Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3e of schedule BP)	
	b	Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2dxvi of schedule OS)	
	18	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)				
	a	Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3f of schedule BP)	
	b	Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2dxvii of schedule OS)	
	19	115A(1)(b) (Income of a non-resident from Royalty)	<input type="checkbox"/>	25	(part of 2dviii of schedule OS)	
	20	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 2f of schedule OS)	
	21	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	<input type="checkbox"/>		(part of 5vi of schedule BFLA)	
	22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>		(part of 5vii of schedule BFLA)	
	23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%	<input type="checkbox"/>		(part of 5x of schedule BFLA)	
	24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>		(part of 5xi of schedule BFLA)	
	25	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates	<input type="checkbox"/>		(2e of schedule OS)	
				<b>Total</b>		

**Schedule IF** Information regarding partnership firms in which you are partner

FIRMS IN WHICH PARTNER	Number of firms in which you are partner							
	Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit	Capital balance on 31 <sup>st</sup> March in the firm
							i	ii
1								
2								
3								
4	Total							

**Schedule EI** Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)

EXEMPT INCOME	1	Interest income					1			
	2	Dividend income from domestic company (amount not exceeding Rs. 10 lakh)					2			
	3	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)			i				
		ii	Expenditure incurred on agriculture			ii				
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years			iii				
		iv	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss)				3			
		v	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)							
		a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located							
		b	Measurement of agricultural land in Acre							
		c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)							
		d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)							
	4	Other exempt income (including exempt income of minor child) (please specify)					4			
	5	Income not chargeable to tax as per DTAA					5			
		Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA			Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)
		I								
	II									
	III	Total Income from DTAA not chargeable to tax								
6	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)					6				
7	Total (1+2+3+4+5+6)					7				

**Schedule PTI** Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

PASS THROUGH INCOME	Sl.	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Amount of income	TDS on such amount, if any				
	1.				i	House property					
ii					Capital Gains						
a					Short term						
					Long term						
iii					Other Sources						
iv					Income claimed to be exempt						
a					u/s 10(23FBB)						
					u/s .....						
					u/s .....						
2.								i	House property		
								ii	Capital Gains		
								a	Short term		
									Long term		
	iii	Other Sources									
	iv	Income claimed to be exempt									

					a	u/s 10(23FBB)		
					b	u/s .....		
					c	u/s .....		

**NOTE** ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief						
Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Business or Profession					
			iv	Capital Gains					
			v	Other sources					
			Total						
2			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Business or Profession					
			iv	Capital Gains					
			v	Other sources					
			Total						

**NOTE** ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3	
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4	Yes/No
	a	Amount of tax refunded		b	Assessment year in which tax relief allowed in India	

**NOTE** ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.



(ii)											
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period											
Sl No	Country Name and code	Nature of Asset	Ownership-Direct/Beneficial owner/Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period and which has not been included in A to D above.											
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor											
Sl No	Country Name and code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession											
Sl No	Country Name and code	Name and address of the person from whom derived		Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return				
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
(i)											
(ii)											

**NOTE** Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

#### Schedule 5A Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code

Name of the spouse					
PAN of the spouse					
	Heads of Income	Income received under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	House Property				
2	Business or profession				
3	Capital gains				
4	Other sources				
5	Total				

**Schedule AL** Assets and Liabilities at the end of the year (other than those included in Part A- BS) (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)

A Details of immovable assets				
Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)				
(ii)				
B Details of movable assets				
Sl. No.	Description			Amount (cost) in Rs.
(1)	(2)			(3)
(i)	Jewellery, bullion etc.			
(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art			
(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts			
(iv)	Financial assets			Amount (cost) in Rs.
	(a)	Bank (including all deposits)		
	(b)	Shares and securities		
	(c)	Insurance policies		
	(d)	Loans and advances given		
	(e)	Cash in hand		
C Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof				
Sl. No.	Name and address of the firm(s)/ AOP(s)	PAN of the firm/ AOP	Assessee's investment in the firm/ AOP on cost basis	
(1)	(2)	(3)	(4)	
(i)				
(ii)				
D Liabilities in relation to Assets at (A + B + C)				

**NOTE** ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

**Schedule GST** INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST

Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
(1)	(2)	(3)

**NOTE** ▶ Please furnish the information above for each GSTIN No. separately

**PART-B**

**Part B - TI** Computation of total income

TOTAL INCOME			
1	Salaries (6of Schedule S)	1	
2	Income from house property (4 of Schedule-HP) (enter nil if loss)	2	
3	Profits and gains from business or profession		
i	Profit and gains from business other than speculative business and specified business (A38 of Schedule BP) (enter nil if loss)	3i	
ii	Profit and gains from speculative business (B43 of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3ii	
iii	Profit and gains from specified business (C49 of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3iii	
iv	Income chargeable to tax at special rates (3e & 3f of Schedule BP)	3iv	
v	Total (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (enter nil if 3v is a loss)	3v	
4	Capital gains		



	<b>a</b>	<b>Short term</b>		
	<b>i</b>	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai	
	<b>ii</b>	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	aii	
	<b>iii</b>	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	aiii	
	<b>iv</b>	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	aiv	
	<b>v</b>	Total Short-term (ai + aii + aiii+aiv) (enter nil if loss)	4av	
	<b>b</b>	<b>Long-term</b>		
	<b>i</b>	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	bi	
	<b>ii</b>	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	bii	
	<b>iii</b>	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii	
	<b>iv</b>	Total Long-term (bi + bii+biii) (enter nil if loss)	4biv	
	<b>c</b>	Total capital gains (4av+4biv) (enter nil if loss)		4c
	<b>5</b>	<b>Income from other sources</b>		
	<b>a</b>	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	5a	
	<b>b</b>	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	5b	
	<b>c</b>	Income from the activity of owning and maintaining race horses ( 8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	5c	
	<b>d</b>	Total (5a + 5b + 5c) (enter nil if loss)		5d
	<b>6</b>	Total of head wise income (1 + 2 + 3v +4c +5d)		6
	<b>7</b>	Losses of current year to be set off against 6 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA)		7
	<b>8</b>	Balance after set off current year losses (6 – 7) (total of column 5 of Schedule CYLA+5b+3iv)		8
<b>9</b>	Brought forward losses to be set off against 8 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA)		9	
<b>10</b>	Gross Total income (8-9) (5xvii of Schedule BFLA+ 5b+ 3iv)		10	
<b>11</b>	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 10		11	
<b>12</b>	<b>Deductions under Chapter VI-A</b>			
	<b>a</b>	Part-B, CA and D of Chapter VI-A [(1 + 3) of Schedule VI-A and limited upto (10-11)]	12a	
	<b>b</b>	Part-C of Chapter VI-A [(2 of Schedule VI-A and limited upto (10-11-3iii)]	12b	
	<b>c</b>	Total (12a + 12b) [limited upto (10-11)]	12c	
<b>13</b>	Deduction u/s 10AA (c of Sch. 10AA)		13	
<b>14</b>	Total income (10 - 12c - 13)		14	
<b>15</b>	Income which is included in 14 and chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)		15	
<b>16</b>	Net agricultural income/ any other income for rate purpose ( 3 of Schedule EI)		16	
<b>17</b>	Aggregate income (14-15+16)[applicable if (14-15) exceeds maximum amount not chargeable to tax]		17	
<b>18</b>	Losses of current year to be carried forward (total of row xii of Schedule CFL)		18	
<b>19</b>	Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)		19	

**Part B – TTI** Computation of tax liability on total income

COMPUTATION OF TAX LIABILITY	<b>1</b>	<b>a</b>	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)	1a
		<b>b</b>	Surcharge on (a) (if applicable)	1b
		<b>c</b>	Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above	1c
		<b>d</b>	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)	1d
	<b>2</b>	Tax payable on total income		
		<b>a</b>	Tax at normal rates on 17 of Part B-TI	2a
		<b>b</b>	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	2b

	<b>c</b>	<b>Rebate on agricultural income</b> [applicable if (14-15) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	<b>2c</b>		
	<b>d</b>	<b>Tax Payable on Total Income (2a + 2b – 2c)</b>		<b>2d</b>	
	<b>e</b>	<b>Rebate under section 87A</b>		<b>2e</b>	
	<b>f</b>	<b>Tax payable after rebate (2d – 2e)</b>		<b>2f</b>	
	<b>g</b>	<b>Surcharge</b>			
		<b>i</b> @ 25% of 16(ii) of Schedule SI	<b>2gi</b>		
		<b>ii</b> On [(2f) – (16(ii) of Schedule SI)]	<b>2gii</b>		
		<b>iii</b> Total (i + ii)		<b>2giii</b>	
	<b>h</b>	<b>Health and Education Cess @ 4% on (2f + 2giii)</b>		<b>2h</b>	
	<b>i</b>	<b>Gross tax liability (2f + 2giii + 2h)</b>		<b>2i</b>	
	<b>3</b>	<b>Gross tax payable (higher of 1d and 2i)</b>		<b>3</b>	
	<b>4</b>	<b>Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2i is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)</b>		<b>4</b>	
	<b>5</b>	<b>Tax payable after credit under section 115JD (3 - 4)</b>		<b>5</b>	
	<b>6</b>	<b>Tax relief</b>			
	<b>a</b>	<b>Section 89</b>	<b>6a</b>		
	<b>b</b>	<b>Section 90/ 90A ( 2 of Schedule TR)</b>	<b>6b</b>		
	<b>c</b>	<b>Section 91 ( 3 of Schedule TR)</b>	<b>6c</b>		
	<b>d</b>	<b>Total (6a + 6b+ 6c)</b>		<b>6d</b>	
	<b>7</b>	<b>Net tax liability (5 - 6d) (enter zero if negative)</b>		<b>7</b>	
	<b>8</b>	<b>Interest and fee payable</b>			
	<b>a</b>	<b>Interest for default in furnishing the return (section</b>	<b>8a</b>		
	<b>b</b>	<b>Interest for default in payment of advance tax (section</b>	<b>8b</b>		
	<b>c</b>	<b>Interest for deferment of advance tax (section 234C)</b>	<b>8c</b>		
	<b>d</b>	<b>Fee for default in furnishing return of income (section</b>	<b>8d</b>		
	<b>e</b>	<b>Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)</b>		<b>8e</b>	
	<b>9</b>	<b>Aggregate liability (7 + 8e)</b>		<b>9</b>	
<b>TAXES PAID</b>	<b>10</b>	<b>Taxes Paid</b>			
	<b>a</b>	<b>Advance Tax (from column 5 of 17A)</b>	<b>10a</b>		
	<b>b</b>	<b>TDS (total of column 5 of 18B and column 9 of</b>	<b>10b</b>		
	<b>c</b>	<b>TCS (column 7 of 17D)</b>	<b>10c</b>		
	<b>d</b>	<b>Self-Assessment Tax (from column 5 of 17A)</b>	<b>10d</b>		
	<b>e</b>	<b>Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)</b>		<b>10e</b>	
	<b>11</b>	<b>Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)</b>		<b>11</b>	
	<b>12</b>	<b>Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)</b>		<b>12</b>	
<b>BANK ACCOUNT</b>	<b>13</b>	<b>Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) (In case of non-residents, details of any one foreign Bank Account may be furnished for the purpose of credit of refund)</b>			
		<b>Sl.</b>	<b>IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India (SWIFT Code in case of foreign</b>	<b>Name of the Bank</b>	<b>Account Number (IBAN in case of foreign Bank Accounts)</b>
		<b>i</b>			
	<b>ii</b>				
	<b>14</b>	<b>Do you at any time during the previous year,-</b> (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes ]			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

**15** If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:

Identification No. of TRP	Name of TRP	Counter Signature of TRP

If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof

**16**

**17** TAX PAYMENTS

**A** Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax

ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
iv					
<b>NOTE ▶</b> Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI					
<b>B</b> Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]					
TDS ON SALARY	Sl No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer	Name of the Employer	Income chargeable under Salaries	Total tax deducted
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	I				
	II				
<b>NOTE ▶</b> Please enter total of column 5 in 10b of Part B-TTI					

**C** Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C furnished by Deductor(s) ]

Sl No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)			Corresponding Income offered		TDS credit being carried forward		
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Gross Amount	Head of Income				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)	(13)	
							Income	TDS		Income	TDS	PAN			
i															
<b>NOTE ▶</b> Please enter total of column 9 in 10b of Part B- TTI															

**D** Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]

TDS ON OTHER INCOME	Sl. No.	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. year	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward
				Fin. Year in which collected	Amount b/f			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i								
ii								
<b>NOTE ▶</b> Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI								

### VERIFICATION

I, \_\_\_\_\_ son/ daughter of \_\_\_\_\_ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making returns in my capacity as \_\_\_\_\_ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_ (if allotted) (Please see instruction). I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Date

Sign here →

FORM

ITR-4  
SUGAM

## INDIAN INCOME TAX RETURN

[For Individuals, HUFs and Firms (other than LLP) being a resident having total income upto Rs.50 lakh and having income from business and profession which is computed under sections 44AD, 44ADA or 44AE]

[Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares]

(Please refer instructions for eligibility)

Assessment Year

2019-20

## PART A GENERAL INFORMATION

(A1) First Name	(A2) Middle Name	(A3) Last Name	(A4) Permanent Account Number
(A5) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)			(A6) Flat/Door/Block No.
(A7) Name of Premises/ Building/ Village	(A8) Road/Street/Post Office		(A9) Area/locality
(A10) Town/City/District	(A11) State	(A12) Country	(A13) Pin code/Zip code
(A14) Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)			(A15) Status Individual <input type="checkbox"/> HUF <input type="checkbox"/> Firm (other than LLP) <input type="checkbox"/>
(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No.1		(A17) Mobile No. 2	(A18) Email Address-1 (self) Email Address -2
(A19) Nature of employment - <input type="checkbox"/> Govt. <input type="checkbox"/> PSU <input type="checkbox"/> Pensioners <input type="checkbox"/> Others			
(A20) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]-		<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay	
Or Filed in response to notice u/s		<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153A <input type="checkbox"/> 153C	
(A21) If revised/defective then enter Receipt No. and Date of filing of original return (DD/MM/YYYY)		/ /	
(A22) If filed in response to notice u/s 139(9) /142(1)/148/153A/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number & Date of such Notice or Order		/ /	
(A23) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -			
(1) Name of the representative			
(2) Capacity of the representative			
(3) Address of the representative			
(4) Permanent Account Number (PAN) of the representative			

## PART B GROSS TOTAL INCOME

Whole- Rupee(· ) only

B1	Income from Business & Profession (NOTE-Enter value from E8 of Schedule BP)	B1	
B2	i Gross Salary	i	
SALARY / PENSION	a Salary as per section 17(1)	ia	
	b Value of perquisites as per section 17(2)	ib	
	c Profit in lieu of salary as per section 17(3)	ic	
	ii Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility)	ii	
	iii Net Salary (i – ii)	iii	
	iv Deductions u/s 16 (iva + ivb+ivc)	iv	
	a Standard deduction u/s 16(ia)	iva	
	b Entertainment allowance u/s 16(ii)	ivb	
c Professional tax u/s 16(iii)	ivc		
v Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv) (NOTE- Ensure to Fill "Sch TDS1")	B2		
B3	Tick applicable option Self Occupied <input type="checkbox"/> Let Out <input type="checkbox"/> Deemed Let Out <input type="checkbox"/>		
HOUSE PROPERTY	i Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year	i	
	ii Tax paid to local authorities	ii	
	iii Annual Value (i – ii)	iii	
	iv 30% of Annual Value	iv	
	v Interest payable on borrowed capital	v	
	vi Arrears/Unrealized Rent received during the year Less 30%	vi	
	vii Income chargeable under the head 'House Property' (iii – iv – v) + vi (If loss, put the figure in negative)	B3 ( )	
B4	Income from Other Sources (drop down to be provided in e-filing utility specifying nature of income) NOTE- Fill "Sch TDS2" if applicable.		
	Less: Deduction u/s 57(ia) (in case of family pension only)	B4	
B5	Gross Total Income (B1+B2+B3+B4)	B5( )	

FOR OFFICE USE ONLY

STAMP RECEIPT NO.  
HERE

SEAL, DATE AND SIGNATURE OF RECEIVING OFFICIAL

PART C-DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer to instructions for limits on Amount of Deductions as per "Income Tax Act")										
C1	80C		C2	80CCC		C3	80CCD (1)			
C4	80CCD(1B)		C5	80CCD(2)		C6	80CCG			
C7	80D	Drop down to be provided in e-filing utility	C8	80DD	Drop down to be provided in e-filing utility	C9	80DDB	Drop down to be provided in e-filing utility		
C10	80E		C11	80EE		C12	80G	Please fill up Schedule 80G		
C13	80GG		C14	80GGC		C15	80TTA			
C16	80TTB		C17	80U	Drop down to be provided in e-filing utility					
C18	Total deductions (Add items C1 to C17)								C18	
C19	Taxable Total Income (B5 - C18)								C19	

### PART D – TAX COMPUTATIONS AND TAX STATUS

D1	Tax payable on total income (C19)			D1		
D2	Rebate on 87A			D2		
D3	Tax payable after Rebate (D1-D2)			D3		
D4	Health and Education Cess @ 4% on (D3)			D4		
D5	Total Tax, and Cess ( D3+D4)			D5		
D6	Relief u/s 89			D6		
D7	Balance Tax after Relief (D5 – D6)			D7		
D8	Total Interest u/s 234A			D8		
D9	Total Interest u/s 234B			D9		
D10	Total Interest u/s 234C			D10		
D11	Fee u/s 234F			D11		
D12	Total Tax, Fee and Interest (D7 + D8 + D9 + D10 + D11)			D12		
D13	Total Advance Tax Paid			D13		
D14	Total Self-Assessment Tax Paid			D14		
D15	Total TDS Claimed (total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 6 of Schedule-TDS2)			D15		
D16	Total TCS Collected (total of column (5) of Schedule-TCS)			D16		
D17	Total Taxes Paid (D13 + D14 + D15 +D16)			D17		
D18	Amount payable (D12 – D17, If D12 > D17)			D18		
D19	Refund (D17 – D12, If D17 > D12)			D19		
D20	Exempt income only for reporting purposes (If agricultural income is more than Rs.5,000/-, use ITR 3/5) (Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section)			D20		
BANK ACCOUNT	D21	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)				
		Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	(tick one account <input checked="" type="checkbox"/> for refund)
		i				
		ii				

### SCHEDULE BP – DETAILS OF INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION

#### COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD

S. No.	Name of Business	Business code	Description
(i)			
E1	Gross Turnover or Gross Receipts		
a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received before		E1a

		specified date		
	<b>b</b>	Any other mode	<b>E1b</b>	
<b>E2</b>	<b>Presumptive Income under section 44AD</b>			
	<b>a</b>	6% of E1a or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	<b>E2a</b>	
	<b>b</b>	8% of E1b or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	<b>E2b</b>	
	<b>c</b>	Total (a + b)	<b>E2c</b>	
	NOTE—If Income is less than the above percentage of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & regular ITR 3 or 5 has to be filled not this form			

**COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA**

S. No.	Name of Business	Business code	Description
(i)			
<b>E3</b>	<b>Gross Receipts</b>		<b>E3</b>
<b>E4</b>	<b>Presumptive Income under section 44ADA (50% of E3) or the amount claimed to have been earned, whichever is higher</b>		<b>E4</b>
	NOTE—If Income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & regular ITR 3 or 5 has to be filled not this form		

**COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE**

S. No.	Name of Business	Business code	Description		
(i)					
	<u>Registration No. of goods carriage</u>	<u>Whether owned/ leased/ hired</u>	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned/ leased/hired by assessee</u>	<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher</u>
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)					
(b)					

Add row options as necessary (upto maximum 10)

<b>E5</b>	<b>Presumptive Income from Goods Carriage under section 44AE [total of column (5)]</b>	<b>E5</b>
	NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of Vehicles owned at any time exceed 10 then the regular ITR 3/5 form has to be filled and not this form	
<b>E6</b>	<b>Salary and interest paid to the partners</b>	<b>E6</b>
	NOTE – This is to be filled up only by firms	
<b>E7</b>	<b>Presumptive Income u/s 44AE (E5-E6)</b>	<b>E7</b>
<b>E8</b>	<b>Income chargeable under Business or Profession (E2c+E4+E7 )</b>	<b>E8</b>

**INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST**

Note – Please furnish the information below for each GSTIN No. separately

<b>E9</b>	<b>GSTIN No(s).</b>	<b>E9</b>
<b>E10</b>	<b>Annual value of outward supplies as per the GST returns filed</b>	<b>E10</b>

**FINANCIAL PARTICULARS OF THE BUSINESS**NOTE—For E11 to E25 furnish the information as on 31<sup>st</sup> day of March, 2019

<b>E11</b>	<b>Partners/ Members own capital</b>	<b>E11</b>
<b>E12</b>	<b>Secured loans</b>	<b>E12</b>
<b>E13</b>	<b>Unsecured loans</b>	<b>E13</b>
<b>E14</b>	<b>Advances</b>	<b>E14</b>
<b>E15</b>	<b>Sundry creditors</b>	<b>E15</b>
<b>E16</b>	<b>Other liabilities</b>	<b>E16</b>
<b>E17</b>	<b>Total capital and liabilities (E11+E12+E13+E14+E15+E16)</b>	<b>E17</b>
<b>E18</b>	<b>Fixed assets</b>	<b>E18</b>
<b>E19</b>	<b>Inventories</b>	<b>E19</b>
<b>E20</b>	<b>Sundry debtors</b>	<b>E20</b>
<b>E21</b>	<b>Balance with banks</b>	<b>E21</b>
<b>E22</b>	<b>Cash-in-hand</b>	<b>E22</b>
<b>E23</b>	<b>Loans and advances</b>	<b>E23</b>

<b>E24</b>	<b>Other assets</b>	<b>E24</b>	
<b>E25</b>	<b>Total assets (E18+E19+E20+E21+E22+E23+E24)</b>	<b>E25</b>	
<b>NOTE</b> ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule (E15, E19, E20, E22 are mandatory and others if available)			

**Schedule 80G DETAILS OF DONATIONS ENTITLED FOR DEDUCTION UNDER SECTION 80G**

A		Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit				
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation		
			Donation in cash	Donation in other mode	Total donation	
i						
ii						
iii	Total					
B		Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit				
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation		
			Donation in cash	Donation in other mode	Total donation	
i						
ii						
iii	Total					
C		Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit				
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation		
			Donation in cash	Donation in other mode	Total donation	
i						
ii						
iii	Total					
D		Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit				
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation		
			Donation in cash	Donation in other mode	Total donation	
i						
ii						
iii	Total					
E		Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)				

**SCHEDULE IT DETAILS OF ADVANCE TAX AND SELF ASSESSMENT TAX PAYMENTS**

	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Challan No.				Tax paid			
	Col (1)				Col (2)				Col (3)				Col (4)			
R1																
R2																
R3																

**NOTE** ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in D14 & D15**Schedule TCS Details of Tax Collected at Source [As per Form 27D issued by the Collector(s)]**

Sl No	Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Details of amount paid as mentioned in Form 26AS	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed
(1)	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)
i					
ii					

**NOTE** ▶ Please enter total of column (5) of Schedule-TCS in D17**SCHEDULE TDS1 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE FROM SALARY [As per Form 16 issued by Employer(s)]**

	TAN	Name of the Employer	Income under Salary	Tax deducted
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
S1				
S2				
S3				

**NOTE** ▶ Enter the total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 9 of Schedule-TDS2 in D16

**SCHEDULE TDS2 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE ON INCOME OTHER THAN SALARY [As per Form 16 A issued or Form 16C furnished by Deductor(s)]**

Sl. No.	TAN of the Deductor/ PAN of Tenant	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year	TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)	Corresponding Income offered		TDS credit being carried forward
		Fin. Year in which deducted	TDS b/f	TDS Deducted	TDS Claimed	Gross Amount	Head of Income	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								

**VERIFICATION**

I, \_\_\_\_\_ son/ daughter of \_\_\_\_\_ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making returns in my capacity as \_\_\_\_\_ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_. (Please see instruction)

Place: \_\_\_\_\_ Signature here →

Date :

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:

TRP PIN (10 Digit)	Name of TRP	Counter Signature of TRP
Amount to be paid to TRP		



FORM ITR-5	<b>INDIAN INCOME TAX RETURN</b> [For persons other than,- (i) individual, (ii) HUF, (iii) company and (iv) person filing Form ITR-7] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules,1962) (Please refer instructions)	Assessment Year					
		2	0	1	9	-	2 0

**Part A-GEN** GENERAL

PERSONAL INFORMATION	Name		PAN					
	Is there any change in the name? If yes, please furnish the old name		Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN) issued by MCA, if applicable					
	Flat/Door/Block No	Name of Premises/Building/Village		Date of formation (DDMMYYYY)				
			Date of commencement of business (DD/MM/YYYY)					
	Road/Street/Post Office	Area/Locality	Status (firm-1sub-status- Partnership Firm, LLP, local authority-2, AOP/BOI- 3 sub-status- other cooperative bank, other cooperative society, society registered under society registration Act, 1860 or any other Law corresponding to that state, Primary agricultural credit society/cooperative bank, Rural development bank, Trust other than trust eligible to file Return in ITR 7, any other AOP/BOI,, artificial juridical person-4, sub-status- Estate of the deceased, Estate of the insolvent, Other AJP), Business trust - 5, investment fund -6					<input type="checkbox"/>
	Town/City/District	State	Pin code/Zip code					
			Country					
	Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1				Mobile No. 2			
	Email Address -1			Email Address -2				
FILING STATUS	(a)	Filed u/s (Tick) [Please see instruction]	<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay.					
		Or Filed in response to notice u/s	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153A <input type="checkbox"/> 153C					
		Whether you are a business trust?	<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No			
		Whether you are a investment fund referred to in section 115UB?	<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No			
	(b)	If revised/in response to notice for Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)	/ /					
	(c)	If filed in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C/119(2)(b) enter date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement	/ /					
	(d)	Residential Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident						
	(e)	Whether assessee is located in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange?						
	(f)	Whether you are recognized as start up by DPIIT	<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No			
(g)	If yes, please provide start up recognition number allotted by the DPIIT							
(h)	Whether certificate from inter-ministerial board for certification is received?	<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No				
(i)	If yes, please provide the certification number							
(j)	In the case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No							
(k)	Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No.							
(l)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -							
	(1) Name of the representative							
	(2) Capacity of the Representative (drop down to be provided)							
	(3) Address of the representative							
	(4) Permanent Account Number (PAN) of the representative							
(m)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information							
	Name of Firm	PAN						

(n)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information in respect of equity shares												
	Name of company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance	
			No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

AUDIT INFORMATION	a	Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	b	Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
	c	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If Yes, furnish the following information-													
		(i)	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY) / /												
		(ii)	Name of the auditor signing the tax audit report												
		(iii)	Membership no. of the auditor												
		(iv)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)												
		(v)	Proprietorship/firm registration number												
		(vi)	Permanent Account Number (PAN) of the auditor (proprietorship/ firm)												
		(vii)	Date of audit report												
PARTNERS/ MEMBERS/TRUST INFORMATION	di	Are you liable for Audit u/s 92E? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No						Date of furnishing audit report? DD/MM/YYYY							
	di	If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention the date of furnishing of the audit report? (DD/MM/YY) (Please see Instruction 6(ii))													
		Sl. No.	Section Code						Date (DD/MM/YYYY)						
	e	If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?													
		Act and section			(DD/MM/YY)			Act and section			(DD/MM/YY)				
	A	Whether there was any change during the previous year in the partners/members of the firm/AOP/BOI (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (In case of societies and cooperative banks give details of Managing Committee) If Yes, provide the following details													
		Sl.	Name of the Partner/member			Admitted/Retired		Date of admission/retirement			Percentage of share (if determinate)				
		1.													
	2.														
B	Is any member of the AOP/BOI/executor of AJP a foreign company? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No														
C	If Yes, mention the percentage of share of the foreign company in the AOP/BOI/ executor of AJP <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>														
D	Whether total income of any member of the AOP/BOI/executor of AJP (excluding his share from such association or body or executor of AJP) exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax in the case of that member? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No														
E	Particulars of persons who were partners/ members in the firm/AOP/BOI or settlor/trustee/beneficiary in the trust or executors in the case of estate of deceased / estate of insolvent as on 31 <sup>st</sup> day of March, - 2019 or date of dissolution														
	S.No	Name and Address			Percentage of share (if determinate)		PAN		Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar)		Designated Partner Identification Number, in case partner in LLP		Status (see instruction No. 6(iii))	Rate of Interest on Capital	Remuneration paid/ payable
	(1)	(2)			(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)
For persons referred to in section 160(1)(iii) or (iv)	F	To be filled in case of persons referred to in section 160(1)(iii) or (iv)													
	1	Whether shares of the beneficiary are determinate or known?										<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	2	Whether the person referred in section 160(1)(iv) has Business Income?										<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	3	Whether the person referred in section 160(1)(iv) is declared by a Will and /or is exclusively for the benefit of any dependent relative of the settlor and/or is the only trust declared by the settlor?										<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
	4	Please furnish the following details (as applicable) :													

	(i)	Whether all the beneficiaries have income below basic exemption limit?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	(ii)	Whether the relevant income or any part thereof is receivable under a trust declared by any person by will and such trust is the only trust so declared by him?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	(iii)	Whether the trust is non-testamentary trust created before 01-03-1970 for the exclusive benefit of relatives/member of HUF of the settlor mainly dependent on him/Family?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	(iv)	Whether the trust is created on behalf of a provident fund, superannuation fund, gratuity fund, pension fund or any other fund created bona fide by a person carrying on Business or profession exclusive for the employees in such Business or Profession?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
NATURE OF BUSINESS	G	Nature of business or profession, if more than one business or profession indicate the three main activities/ products (Other than those declaring income under sections 44AD, 44ADA and 44AE)	
	S.No.	Code [Please see instruction]	Trade name of the business, if any
	(i)		
	(ii)		

**Part A-BS** BALANCE SHEET AS ON 31<sup>ST</sup> DAY OF MARCH, 2019 OR DATE OF DISSOLUTION (fill items A and B in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item C)

APPLICA TION OF	SOURCES OF FUNDS	A Sources of Funds			
		1	Partners' / members' fund		
		a	Partners' / members' capital	a	
		b	Reserves and Surplus		
		i	Revaluation Reserve	bi	
		ii	Capital Reserve	bii	
		iii	Statutory Reserve	biii	
		iv	Any other Reserve	biv	
		v	Credit balance of Profit and loss account	bv	
		vi	Total (bi + bii + biii + biv + bv)	bvi	
		c	Total partners'/ members' fund (a + bvi)	1c	
		2	Loan funds		
		a	Secured loans		
		i	Foreign Currency Loans	ai	
		ii	Rupee Loans		
		A	From Banks	iiA	
		B	From others	iiB	
		C	Total ( iiA + iiB)	iiC	
		iii	Total secured loans (ai + iiC)	aiii	
		b	Unsecured loans (including deposits)		
i	Foreign Currency Loans	bi			
ii	Rupee Loans				
A	From Banks	iiA			
B	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	iiB			
C	From others	iiC			
D	Total Rupee Loans ( iiA + iiB + iiC)	iiD			
iii	Total unsecured loans (bi + iiD)	Biii			
c	Total Loan Funds (aiii + Biii)	2c			
3	Deferred tax liability	3			
4	Advances				
i	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	i			
ii	From others	ii			
iii	Total Advances (i + ii)	4iii			
5	Sources of funds (1c + 2c + 3 + 4iii)	5			
B	Application of funds				
	1	Fixed assets			
	a	Gross: Block	1a		

<b>b</b>	<b>Depreciation</b>	<b>1b</b>		
<b>c</b>	<b>Net Block (a – b)</b>	<b>1c</b>		
<b>d</b>	<b>Capital work-in-progress</b>	<b>1d</b>		
<b>e</b>	<b>Total (1c + 1d)</b>		<b>1e</b>	
<b>2</b>	<b>Investments</b>			
<b>a</b>	<b>Long-term investments</b>			
<b>i</b>	<b>Investment in property</b>	<b>i</b>		
<b>ii</b>	<b>Equity instruments</b>			
	<b>A Listed equities</b>	<b>iiA</b>		
	<b>B Unlisted equities</b>	<b>iiB</b>		
	<b>C Total</b>	<b>iiC</b>		
<b>iii</b>	<b>Preference shares</b>	<b>iii</b>		
<b>iv</b>	<b>Government or trust securities</b>	<b>iv</b>		
<b>v</b>	<b>Debenture or bonds</b>	<b>v</b>		
<b>vi</b>	<b>Mutual funds</b>	<b>vi</b>		
<b>vii</b>	<b>Others</b>	<b>vii</b>		
<b>viii</b>	<b>Total Long-term investments (i + iiC + iii + iv + v + vi + vii)</b>		<b>aviii</b>	
<b>b</b>	<b>Short-term investments</b>			
<b>i</b>	<b>Equity instruments</b>			
	<b>A Listed equities</b>	<b>iA</b>		
	<b>B Unlisted equities</b>	<b>iB</b>		
	<b>C Total</b>	<b>iC</b>		
<b>ii</b>	<b>Preference shares</b>	<b>ii</b>		
<b>iii</b>	<b>Government or trust securities</b>	<b>iii</b>		
<b>iv</b>	<b>Debenture or bonds</b>	<b>iv</b>		
<b>v</b>	<b>Mutual funds</b>	<b>v</b>		
<b>vi</b>	<b>Others</b>	<b>vi</b>		
<b>vii</b>	<b>Total Short-term investments (iC + ii + iii + iv + v + vi)</b>		<b>bvii</b>	
<b>c</b>	<b>Total investments (aviii + bvii)</b>		<b>2c</b>	
<b>3</b>	<b>Current assets, loans and advances</b>			
<b>a</b>	<b>Current assets</b>			
<b>i</b>	<b>Inventories</b>			
	<b>A Raw materials</b>	<b>iA</b>		
	<b>B Work-in-progress</b>	<b>iB</b>		
	<b>C Finished goods</b>	<b>iC</b>		
	<b>D Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)</b>	<b>iD</b>		
	<b>E Stores/consumables including packing material</b>	<b>iE</b>		
	<b>F Loose tools</b>	<b>iF</b>		
	<b>G Others</b>	<b>iG</b>		
<b>H</b>	<b>Total (iA + iB + iC + iD + iE + iF + iG)</b>		<b>iH</b>	
<b>ii</b>	<b>Sundry Debtors</b>			
	<b>A Outstanding for more than one year</b>	<b>iiA</b>		
	<b>B Others</b>	<b>iiB</b>		
<b>C</b>	<b>Total Sundry Debtors</b>		<b>iiC</b>	
<b>iii</b>	<b>Cash and bank balances</b>			
	<b>A Balance with banks</b>	<b>iiiA</b>		
	<b>B Cash-in-hand</b>	<b>iiiB</b>		
	<b>C Others</b>	<b>iiiC</b>		
<b>D</b>	<b>Total Cash and cash equivalents (iiiA + iiiB + iiiC)</b>		<b>iiiD</b>	
<b>iv</b>	<b>Other Current Assets</b>		<b>aiv</b>	

	v	Total current assets (iH +iiC + iiiD + aiv)		av	
	b	Loans and advances			
	i	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received	bi		
	ii	Deposits, loans and advances to corporate and others	bii		
	iii	Balance with Revenue Authorities	bihi		
	iv	Total (bi + bii + bihi)		biv	
	v	Loans and advances included in biv which is			
	a	for the purpose of business or profession	va		
	b	not for the purpose of business or profession	vb		
	c	Total (av + biv)		3c	
	d	Current liabilities and provisions			
	i	Current liabilities			
	A	Sundry Creditors			
	1	Outstanding for more than one year	1		
	2	Others	2		
	3	Total (1 + 2)	A3		
	B	Liability for leased assets	iB		
	C	Interest Accrued and due on borrowings	iC		
	D	Interest accrued but not due on borrowings	iD		
	E	Income received in advance	iE		
	F	Other payables	iF		
	G	Total (A3 + iB + iC + iD + iE + iF)		iG	
	ii	Provisions			
	A	Provision for Income Tax	iiA		
	B	Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity	iiB		
	C	Other Provisions	iiC		
	D	Total (iiA + iiB+ iiC)		iiE	
	iii	Total (iE + iiD)		diii	
	e	Net current assets (3c – diii)		3e	
	4	a	Miscellaneous expenditure not written off or adjusted	4a	
		b	Deferred tax asset	4b	
		c	Debit balance in Profit and loss account/ accumulated balance	4c	
		d	Total (4a + 4b + 4c)	4d	
	5	Total, application of funds (1e + 2c + 3e +4d)		5	
NO ACCOUNT CASE	C	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information as on 31 <sup>st</sup> day of March, - 2019, in respect of business or profession			
	1	Amount of total sundry debtors		C1	
	2	Amount of total sundry creditors		C2	
	3	Amount of total stock-in-trade		C3	
	4	Amount of the cash balance		C4	

**Part A-  
Manufacturing  
Account**

**Manufacturing Account for the financial year 2018-19** (fill items 1 to 3 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 64 as applicable)

1	Opening Inventory			
A	i	Opening stock of raw-material	i	
	ii	Opening stock of Work in progress	ii	
	iii	Total (i + ii)		Aiii
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)		B
	C	Direct wages		C
	D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)		D

	i	Carriage inward	i			
	ii	Power and fuel	ii			
	iii	Other direct expenses	iii			
E	Factory Overheads					
	i	Indirect wages	i			
	i	Factory rent and rates	ii			
	iii	Factory Insurance	iii			
	iv	Factory fuel and power	iv			
	v	Factory general expenses	v			
	vi	Depreciation of factory machinery	vi			
	vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)			Evii	
F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)					F
2	Closing Stock					
	i	Raw material	2i			
	ii	Work-in-progress	2ii			
	Total (2i + 2ii)					2
3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F-2)					3

**Part A-Trading Account**

Trading Account for the financial year 2018-19 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 64 as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations						
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)						
		i	Sale of goods	i				
		ii	Sale of services	ii				
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)					
		a		iiia				
		b		iiib				
		c	Total (iiia + iiib)			iiic		
		iv	Total (i + ii + iiic)			Aiv		
		B	Gross receipts from Profession					B
		C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied					
			i	Union Excise duties	i			
		ii	Service tax	ii				
		iii	VAT/ Sales tax	iii				
		iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv				
		v	State Goods & Services Tax (SGST)	v				
		vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi				
		vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii				
		viii	Any other duty, tax and cess	viii				
		ix	Total (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			Cix		
	D	Total Revenue from operations (Aiv + B + Cix)					4D	
	5	Closing Stock of Finished Stocks					5	
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5iv)					6	
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	7	Opening Stock of Finished Goods					7	
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)					8	
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)					9	
		i	Carriage inward	i				
		ii	Power and fuel	ii				
		iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii				
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased						
		i	Custom duty	10i				

	ii	Counter veiling duty	10ii			
	iii	Special additional duty	10iii			
	iv	Union excise duty	10iv			
	v	Service tax	10v			
	vi	VAT/ Sales tax	10vi			
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii			
	viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii			
	ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix			
	x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x			
	xi	Any other tax, paid or payable	10xi			
	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii		
11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account				11	
12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)				12	

## Part A-P&amp;L

Profit and Loss Account for the financial year 2018-19 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 64 as applicable)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account				13	
	14	Other income					
		i	Rent	i			
		ii	Commission	ii			
		iii	Dividend income	iii			
		iv	Interest income	iv			
		v	Profit on sale of fixed assets	v			
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi			
		vii	Profit on sale of other investment	vii			
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii			
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (FMV of inventory as on the date of conversion)	ix			
		x	Agricultural income	x			
		xi	Any other income (specify nature and amount)				
			a		xia		
		b		xib			
		c	Total (xia + xib)	xic			
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)				14xii	
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)				15	
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	16	Freight outward				16	
	17	Consumption of stores and spare parts				17	
	18	Power and fuel				18	
	19	Rents				19	
	20	Repairs to building				20	
	21	Repairs to machinery				21	
	22	Compensation to employees					
		i	Salaries and wages	22i			
		ii	Bonus	22ii			
		iii	Reimbursement of medical expenses	22iii			
	iv	Leave encashment	22iv				
	v	Leave travel benefits	22v				
	vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi				
	vii	Contribution to recognised provident fund	22vii				
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii				
	ix	Contribution to any other fund	22ix				

	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)			22xi
	xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiiia	Yes / No	
		If Yes, amount paid to non-residents	xiiib		
23	Insurance				
	i	Medical Insurance	23i		
	ii	Life Insurance	23ii		
	iii	Keyman's Insurance	23iii		
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24	Workmen and staff welfare expenses				
25	Entertainment				
26	Hospitality				
27	Conference				
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				
29	Advertisement				
30	Commission				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			30iii
31	Royalty				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			31iii
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			32iii
33	Hotel, boarding and Lodging				
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				
35	Foreign travelling expenses				
36	Conveyance expenses				
37	Telephone expenses				
38	Guest House expenses				
39	Club expenses				
40	Festival celebration expenses				
41	Scholarship				
42	Gift				
43	Donation				
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)				
	i	Union excise duty	44i		
	ii	Service tax	44ii		
	iii	VAT/ Sales tax	44iii		
	iv	Cess	44iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix		



	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)										44x	
45	Audit fee											45	
46	Salary/Remuneration paid to Partners of the firm											46	
47	Other expenses (specify nature and amount)												
	i										i		
	ii										ii		
	iii	Total (i + ii)									47iii		
48	Bad debts (specify PAN of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)												
	i											48i	
	ii											48ii	
	iii											48iii	
	iv	Rows can be added as required									48iv		
	v	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN is not available (provide name and complete address)									48v		
	vi	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)									48vi		
	vii	Total Bad Debt (48i + 48ii + 48iii + 48iv + 48v + 48vi)									48vii		
49	Provision for bad and doubtful debts											49	
50	Other provisions											50	
51	Profit before interest, depreciation and taxes [15 - (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48vii + 49 + 50)]											51	
52	Interest												
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company									i		
	ii	To others									ii		
	iii	Total (i + ii)									52iii		
53	Depreciation and amortisation											53	
54	Net profit before taxes (51 - 52iii - 53)											54	
55	Provision for current tax											55	
56	Provision for Deferred Tax and deferred liability											56	
57	Profit after tax (54 - 55 - 56)											57	
58	Balance brought forward from previous year											58	
59	Amount available for appropriation (57 + 58)											59	
60	Transferred to reserves and surplus											60	
61	Balance carried to balance sheet in proprietor's account (59 - 60)											61	
62	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD (Only for Resident Partnership Firm other than LLP)												
	SR.NO.	Name of Business					Business code			Description			
	(i)	Gross Turnover or Gross Receipts (ia + ib)										62i	
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received before specified date							ia				
	b	Any other mode							ib				
	(ii)	Presumptive Income under section 44AD (iia + iib)										62ii	
	a	6% of 62ia, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher							iia				
	b	8% of 62ib, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher							iib				
	NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB												
63	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA (Only for Resident Partnership Firm other than LLP)												
	SR.NO.	Name of Business					Business code			Description			
	(i)	Gross Receipts										63i	
	(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 63i, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher)										63ii	
	NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB												
64	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE												
	SR.NO.	Name of Business					Business code			Description			

PROVISION FOR TAX  
AND

PRESUMPTIVE INCOME CASES

	Registration No. of goods carriage	Whether owned/leased/ hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of months for which goods carriage was owned/ leased/ hired by assessee	Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
	(i)							
	(a)							
	(b)							
Add row options as necessary (upto maximum 10)								
	(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 64(i)]				64(ii)		
	(iii)	Less: Salary/Remuneration to Partners of the firm				64(iii)		
	(iv)	Total Presumptive Income u/s 44AE (ii-iii)				64(iv)		
<i>NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned at any time during the year exceeds 10, then the regular ITR 3 or ITR 5 form has to be filled up.</i>								
NO ACCOUNT CASE	65	IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2018-19 in respect of business or profession -						
		(i)	For assessee carrying on Business					
		a	Gross receipts (a1 + a2)			ia		
			1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received before specified date		a1		
			2	Any other mode		a2		
		b	Gross profit			ib		
		c	Expenses			ic		
		d	Net profit				65i	
		(ii)	For assessee carrying on Profession					
		a	Gross receipts (a1 + a2)			ia		
			1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received before specified date		a1		
			2	Any other mode		a2		
		b	Gross profit			iib		
		c	Expenses			iic		
		d	Net profit				65ii	
	(iii)	Total profit (65i + 65ii)				65iii		
	66	i	Turnover from speculative activity			66i		
		ii	Gross Profit			66ii		
		iii	Expenditure, if any			66iii		
		iv	Net income from speculative activity (66ii - 66iii)			66iv		

**Part A- OI** Other Information (mandatory if liable for audit under section 44AB)

OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash						
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No						
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]				3a		
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]				3b		
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year						
		a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)				<input type="checkbox"/>	
		b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)				<input type="checkbox"/>	
		c	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					
		d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A			4d		
		e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A			4e		
		5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -					
			a	the items falling within the scope of section 28		5a		
			b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned		5b		
			c	escalation claims accepted during the previous year		5c		
			d	any other item of income		5d		
		e	capital receipt, if any		5e			

f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)		5f
6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-		
a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a	
b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b	
c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c	
d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d	
e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e	
f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f	
g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g	
h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h	
i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i	
j	Amount of contributions to any other fund	6j	
k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k	
l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l	
m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6m	
n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n	
o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o	
p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p	
q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q	
r	Expenditure for purchase of sugarcane in excess of the government approved price [36(1)(xvii)]	6r	
s	Any other disallowance	6s	
t	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6s)		6t
u	Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund)		
	i deployed in India	i	
	ii deployed outside India	ii	
	iii Total	iii	
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37		
a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a	
b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b	
c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c	
d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d	
e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e	
f	Any other penalty or fine	7f	
g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g	
h	Amount of any liability of a contingent nature	7h	
i	Any other amount not allowable under section 37	7i	
j	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)		7j
8	A. Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40		
	a Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa	
	b Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab	
	c Amount disallowable under section 40 (a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac	
	d Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad	

	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae		
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(ia)]	Af		
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag		
	h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)]	Ah		
	i	Any other disallowance	Ai		
	j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)		8Aj	
	B.	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B	
9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A				
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a		
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account, disallowable under section 40A(3)	9b		
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c		
	d	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
	e	Marked to market loss or other expected loss except as allowable u/s 36(1)(xviii) [40A(13)]	9e		
	f	Any other disallowance	9f		
	g	Total amount disallowable under section 40A		9g	
10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year				
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
	h	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)		10h	
11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B				
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g		
	h	Total amount disallowable under Section 43B(total of 11a to 11g)		11h	
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of				
	a	Union Excise Duty	12a		
	b	Service tax	12b		
	c	VAT/sales tax	12c		
	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d		
	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e		

	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f		
	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g		
	h	Any other tax	12h		
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)		12i	
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC				13
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41				14
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)				15
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A				16

**Part A – QD** Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)

QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern				
	1	Opening stock		1		
	2	Purchase during the previous year		2		
	3	Sales during the previous year		3		
	4	Closing stock		4		
	5	Shortage/ excess, if any		5		
	(b)	In the case of a manufacturing concern				
	6	Raw materials				
		a	Opening stock		6a	
		b	Purchases during the previous year		6b	
		c	Consumption during the previous year		6c	
		d	Sales during the previous year		6d	
		e	Closing stock		6e	
		f	Yield finished products		6f	
		g	Percentage of yield		6g	
		h	Shortage/ excess, if any		6h	
	7	Finished products/ By-products				
		a	opening stock		7a	
		b	purchase during the previous year		7b	
		c	quantity manufactured during the previous year		7c	
	d	sales during the previous year		7d		
	e	closing stock		7e		
	f	shortage/ excess, if any		7f		

**SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)****Schedule HP**

Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)

HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1	Town/ City	State	PIN Code/ Zip code	
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)					
	Assessee's percentage of share in the property <input type="text"/>					
	Name of Co-owner(s)		PAN of Co-owner (s)		Percentage Share in Property	
	I					
	II					
	[Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]		Name(s) of Tenant (if let out)		PAN/TAN of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)	
	<input type="checkbox"/> Let out		I			
	<input type="checkbox"/> Deemed let out		II			
	a	Gross rent received or receivable or lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two if let out for part of the year)				1a
b	The amount of rent which cannot be realized		1b			
c	Tax paid to local authorities		1c			

	<b>d</b>	Total (1b + 1c)	<b>1d</b>	
	<b>e</b>	Annual value (1a – 1d)	<b>1e</b>	
	<b>f</b>	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)	<b>1f</b>	
	<b>g</b>	30% of 1f	<b>1g</b>	
	<b>h</b>	Interest payable on borrowed capital	<b>1h</b>	
	<b>i</b>	Total (1g + 1h)	<b>1i</b>	
	<b>j</b>	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%	<b>1j</b>	
	<b>k</b>	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)	<b>1k</b>	
<b>2</b>	Address of property 2		Town/ City	State
				PIN Code/ Zip code
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if “YES” please enter following details)			
	Assessee’s percentage of share in the property			
	Name of Co-owner(s)		PAN of Co-owner (s)	Percentage Share in Property
	<b>I</b>			
	<b>II</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Let out	Name(s) of Tenant (if let out)	PAN of Tenant(s) (Please see note)	PAN/TAN of Tenant(s) (Please see note)
	<input type="checkbox"/> Deemed let out			
	<b>I</b>			
	<b>II</b>			
	<b>a</b>	Gross rent received or receivable or lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)		<b>2a</b>
	<b>b</b>	The amount of rent which cannot be realized	<b>2b</b>	
	<b>c</b>	Tax paid to local authorities	<b>2c</b>	
	<b>d</b>	Total (2b + 2c)	<b>2d</b>	
	<b>e</b>	Annual value (2a – 2d)	<b>2e</b>	
	<b>f</b>	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)	<b>2f</b>	
	<b>g</b>	30% of 2f	<b>2g</b>	
	<b>h</b>	Interest payable on borrowed capital	<b>2h</b>	
	<b>i</b>	Total (2g + 2h)	<b>2i</b>	
	<b>j</b>	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%	<b>2j</b>	
	<b>k</b>	Income from house property 2 (2f – 2i + 2j)	<b>2k</b>	
<b>3</b>	Pass through income if any *			<b>3</b>
<b>4</b>	Income under the head “Income from house property” (1k + 2k + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)			<b>4</b>
<b>NOTE</b>	Furnishing of PAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.			

**Schedule BP**

**Computation of income from business or profession**

<b>INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION</b>	<b>A</b>	From business or profession other than speculative business and specified business			
	<b>1</b>	Profit before tax as per profit and loss account (item 54, 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) & 66(iv) of Part A-P&L)		<b>1</b>	
	<b>2a</b>	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) [Sl. No. 66iv of Schedule P&L]	<b>2a</b>		
	<b>2b</b>	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)	<b>2b</b>		
	<b>3</b>	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income/chargeable u/s 115BBF/ chargeable u/s 115BBG	<b>a</b>	House property	<b>3a</b>
			<b>b</b>	Capital gains	<b>3b</b>
			<b>c</b>	Other sources	<b>3c</b>
			<b>d</b>	u/s 115BBF	<b>3d</b>
			<b>e</b>	u/s 115BBG	<b>3e</b>
	<b>4a</b>	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/ 44ADA/ 44AE/ 44B/ 44BB/ 44BBA/ 44BBB/ 44D/ 44DA/ 44DB/ First Schedule of Income-tax Act (other than profit from life insurance business referred to in section 115B) (Dropdown to be provided)		<b>4a</b>	
	<b>4b</b>	Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B		<b>4b</b>	
	<b>4c</b>	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided)		<b>4c</b>	
<b>5</b>	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt				
<b>a</b>	Share of income from firm(s)	<b>5a</b>			

	b	Share of income from AOP/ BOI	5b				
	c	Any other exempt income (specify nature and amount)					
	i		ci				
	ii		cii				
	iii	Total (ci + cii)	5ciii				
	d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)		5d			
6	Balance (1- 2a - 2b - 3a - 3b - 3c - 3d - 3e - 4a - 4b - 4c- 5d)					6	
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF/or u/s 115BBG		a	House property	7a		
			b	Capital gains	7b		
			c	Other sources	7c		
			d	u/s 115BBF	7d		
			e	u/s 115BBG	7e		
8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income			8a			
8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)			8b			
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 8a+ 8b)			9			
10	Adjusted profit or loss (6+9)					10	
11	Depreciation and amortisation debited to profit and loss account					11	
12	Depreciation allowable under Income-tax Act						
	I	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(ia) (column 6 of Schedule-DEP)	12i				
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii				
	iii	Total (12i + 12ii)			12iii		
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 - 12iii)					13	
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6s of Part A-OI)			14			
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of Part A-OI)			15			
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 8Aj of Part A-OI)			16			
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of PartA-OI)			17			
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of Part A-OI)			18			
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006			19			
20	Deemed income under section 41			20			
21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-IA			21			
22	Deemed income under section 43CA			22			
23	Any other item of addition under section 28 to 44DB			23			
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which assessee is a partner)			24			
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI)			25			
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)					26	
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)			27			
28	Deduction allowable under section 32AD			28			
29	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)			29			
30	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI)			30			

31	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year(10g of Part A-OI)	31		
32	Any other amount allowable as deduction	32		
33	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	33		
34	Total (27+28+29+30+31+32+33)		34	
35	Income (13+26-34)		35	
36	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
	i	Section 44AD [62(ii) of schedule]	36i	
	ii	Section 44ADA [63(ii) of schedule]	36ii	
	iii	Section 44AE [64(iv) of schedule]	36iii	
	iv	Section 44B	36iv	
	v	Section 44BB	36v	
	vi	Section 44BBA	36vi	
	vii	Section 44BBB	36vii	
	viii	Section 44D	36viii	
	ix	Section 44DA	36ix	(item 4 of Form 3CE)
	x	Section 44DB	36x	
	xi	First Schedule of Income-tax Act (other than 115B)	36xi	
	xii	Total (36i to 36xi)		36xii
37	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (35 + 36xii)		37	
38	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 37) (If loss take the figure to 2i of item E) (38a+ 38b + 38c + 38d + 38e + 38f)		A38	
	a	Income chargeable under Rule 7	38a	
	b	Deemed income chargeable under Rule 7A	38b	
	c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	38c	
	d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	38d	
	e	Deemed income chargeable under Rule 8	38e	
	f	Income other than Rule 7A, 7B & Rule 8 (Item No. 37)	38f	
39	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4c-(38a+38b+38c+38d+38e)]		39	
<b>B Computation of income from speculative business</b>				
40	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account		40	
41	Additions in accordance with section 28 to 44DB		41	
42	Deductions in accordance with section 28 to 44DB		42	
43	Income from speculative business (if loss, take the figure to 6xi of schedule CFL)		B43	
<b>C Computation of income from specified business under section 35AD</b>				
44	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account		44	
45	Additions in accordance with section 28 to 44DB		45	
46	Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section, - (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)		46	
47	Profit or loss from specified business 44+45-46)		47	
48	Deductions in accordance with section 35AD(1)		48	
49	Income from Specified Business (47-48) (if loss, take the figure to 7xi of schedule CFL)		C49	
50	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)		C50	
D	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A38+B43+C49)		D	
<b>E Intra head set off of business loss of current year</b>				
Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A38)	



ii	Income from speculative business	(B43)		
iii	Income from specified business	(C49)		
iv	Profit and gains from life insurance business u/s 115B	(A4b)		
v	Total loss set off (ii + iii+ iv)			
vi	Loss remaining after set off (i – v)			

**Schedule DPM** Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

1	Block of assets	Plant and machinery		
		15	30	40
		(i)	(ii)	(iii)
2	Rate (%)			
3	Written down value on the first day of previous year			
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year			
5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4			
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative)			
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year			
8	Consideration or other realizations during the year out of 7			
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result is negative)			
10	Depreciation on 6 at full rate			
11	Depreciation on 9 at half rate			
12	Additional depreciation, if any, on 4			
13	Additional depreciation, if any, on 7			
14	Additional depreciation relating to immediately preceding year' on asset put to use for less than 180 days			
15	Total depreciation* (10+11+12+13+14)			
16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)			
17	Net aggregate depreciation (15-16)			
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)			
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets			
20	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 19) (enter negative only if block ceases to exist)			
21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)			

**Schedule DOA** Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)

1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
		Nil	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
2	Rate (%)							
3	Written down value on the first day of previous year							
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative)							
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							

8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
10	Depreciation on 6 at full rate							
11	Depreciation on 9 at half rate							
12	Total depreciation* (10+11)							
13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							
15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

**Schedule DEP** Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery			
		a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	1a	
		b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b	
		c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c	
		d	Total depreciation on plant and machinery ( 1a + 1b + 1c)		1d
	2	Building (not including land)			
		a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a	
		b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b	
		c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c	
		d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)		2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 12v)			3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 12vi)			4
	5	Ships (Schedule DOA- 12vii)			5
	6	Total depreciation ( 1d+2d+3+4+5)			6

**Schedule DCG** Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets

SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery			
		a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a	
		b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b	
		c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c	
		d	Total ( 1a +1b + 1c)		1d
	2	Building (not including land)			
		a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a	
		b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b	
		c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c	
		d	Total ( 2a + 2b + 2c)		2d
	3	Furniture and fittings ( Schedule DOA- 17v)			3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)			4
	5	Ships (Schedule DOA- 17vii)			5
	6	Total ( 1d+2d+3+4+5)			6

**Schedule ESR** Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)

Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
x	Total			
NOTE	In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.			

**Schedule CG** Capital Gains

A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)										
Short-term Capital Gains	<b>1 From sale of land or building or both</b>									
	a	I	Full value of consideration received/receivable					ai		
		ii	Value of property as per stamp valuation authority					aii		
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]					aiii		
	b	Deductions under section 48								
		I	Cost of acquisition without indexation					bi		
		ii	Cost of Improvement without indexation					bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer					biii		
	c	Total (bi + bii + biii)					biv			
		Balance (aiii - biv)					1c			
d	Deduction under section 54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)					1d				
e Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)							A1e			
f In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)										
	S.No.	Name of buyer(s)	PAN of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code			
NOTE ► Furnishing of PAN is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.										
<b>2 From slump sale</b>										
a	Full value of consideration				2a	(5 of Form 3CEA)				
	Net worth of the under taking or division				2b	(6(e) of Form 3CEA)				
	Short term capital gains from slump sale (2a-2b)				A2c					
<b>3 From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)</b>										
a	Full value of consideration					3a				
	Deductions under section 48									
	I	Cost of acquisition without indexation					bi			
		Cost of Improvement without indexation					bii			
		Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer					biii			
Iv	Total (i + ii + iii)					biv				
	Balance (3a - biv)					3c				
d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)					3d				
e Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)							A3e			
<b>4 For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)</b>										
a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid							A4a		

	b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid		A4b		
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD					
	a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	a ii		
		iii	Total (ic + ii)	a iii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (i + ii + iii)	biv		
	c	Balance (5a iii – biv)		5c		
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)		5d		
	e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)		A5e		
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above					
	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	a ii		
		iii	Total (ic + ii)	a iii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of Improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (i + ii + iii)	biv		
	c	Balance (6a iii – biv)		6c		
	d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)		6d		
	e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)		6e		
	f	Deduction under section 54D/54G/54GA		6f		
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)		A6g		
7	Amount deemed to be short term capital gains					
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below				
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)
	i	2015-16	54D/54G/54GA			
	b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a'				
	Amount deemed to be short term capital gains (Xi + b)				A7	
8	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a + A8b + A8c)				A8	
	a	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%		A8a		
	b	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%		A8b		

	c	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates							A8c			
	9	Amount of STCG included in A1 – A8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
		Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
	a	Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA									A9a	
	b	Total amount of STCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA									A9b	
	10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8 – A9a)									A10	
B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 5, 6, 7, 8 & 9 are not applicable for residents)											
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)										
	a	I	Full value of consideration received/receivable							ai		
		ii	Value of property as per stamp valuation authority							aii		
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]							aiii		
	b	Deductions under section 48										
		I	Cost of acquisition with indexation							bi		
		ii	Cost of Improvement with indexation							bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer							biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)							biv		
	c	Balance (aiii – biv)							1c			
	d	Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)							1d			
	e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)									B1e	
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)										
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code				
		NOTE ► Furnishing of PAN is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.										
	2	From slump sale										
	a	Full value of consideration					2a	(5 of Form 3CEA)				
	b	Net worth of the under taking or division					2b	(6(e) of Form 3CEA)				
	c	Balance (2a – 2b)					2c					
	d	Deduction u/s 54EC					2d					
	e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)									B2e	
	3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)										
	a	Full value of consideration							3a			
	b	Deductions under section 48										
		I	Cost of acquisition without indexation							bi		
		ii	Cost of improvement without indexation							bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer							biii		
		iv	Total (bi + bii +biii)							biv		
	c	Balance (3a – biv)							3c			
	d	Deduction under sections (Specify details in item D below)							3d			
	e	LTCG on bonds or debenture (3c – 3d)									B3e	
	4	From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable										
	a	Full value of consideration							4a			
	b	Deductions under section 48										
		i	Cost of acquisition without indexation							bi		
		ii	Cost of improvement without indexation							bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer							biii		
		iv	Total (bi + bii +biii)							biv		
	c	Balance (4a – biv)							4c			

Long-term Capital Gains

	d	Deduction under sections (Specify details in item D below)	4d	
	e	Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d)		B4e
5	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A			
	a	Full value of consideration	5a	
	b	Deductions under section 48		
	i	Cost of acquisition without indexation (higher of iA and iB)	bi	
	A	Cost of acquisition	iA	
	B	If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, lower of B1 and B2	iB	
	1	Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac)	B1	
	2	Full value of consideration	B2	
	ii	Cost of improvement without indexation	bii	
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
	iv	Total deductions (bi + bii +biii)	biv	
	c	Balance (5a – biv)	5c	
	d	Less- LTCG exempt as per section 112A (5c – Rs. 1 lakh)	5d	
	e	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	5e	
	f	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5 above (5d – 5e)		B5f
6	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)			
	a	LTCG computed without indexation benefit	6a	
	b	Deduction under sections 54EC (Specify details in item D below)	6b	
	c	LTCG on share or debenture (6a- 6b)		B6c
7	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD			
	a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details		
		a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
		b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
		c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii	
	iii	Total (ic + ii)	aiii	
	b	Deductions under section 48		
	i	Cost of acquisition without indexation	bi	
	ii	Cost of improvement without indexation	bii	
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv	
	c	Balance (aiii – biv)	7c	
	d	Deduction under sections 54EC (Specify details in item D below)	7d	
	e	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (7c – 7d)		B7e
8	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A			
	a	Full value of consideration	8a	
	b	Deductions under section 48		
	i	Cost of acquisition without indexation (higher of iA and iB)	bi	
	A	Cost of acquisition	iA	
	B	If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, lower of B1 and B2	iB	
	1	Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac)	B1	
	2	Full value of consideration	B2	
	ii	Cost of improvement without indexation	bii	
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
	iv	Total deductions (bi + bii +biii)	biv	
	c	Balance (8a – biv)	8c	
	d	Less- LTCG exempt as per section 112A (8c – Rs. 1 lakh)	8d	
	e	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	8e	
	f	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 above (8d – 8e)		B8f
9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable			

	a	i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details									
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares					ia			
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner					ib			
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)					ic			
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares					aii			
		iii	Total (ic + ii)					aiii			
		b	Deductions under section 48								
			i	Cost of acquisition with indexation					bi		
			ii	Cost of improvement with indexation					bii		
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer					biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)					biv			
	c	Balance (aiii – biv)								9c	
	d	Deduction under section 54D//54G/54GA (Specify details in item D below)								9d	
	e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c- 9d)								B9e	
10	Amount deemed to be long-term capital gains										
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below										
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)					
				Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account						
	i	2015-16	54/54D/54F/54G/54GA								
b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'										
	Amount deemed to be long-term capital gains (Xi + b)								B10		
11	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a + B11b)								B11		
	a	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10%					B11a				
	b	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%					B11b				
12	Amount of LTCG included in items B1 to B11 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not specified)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate (lower of (6) or (9))	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	a	Total amount of LTCG not chargeable to tax in India as per DTAA								B12a	
	b	Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA								B12b	
13	Total long term capital gain [B1e + B2e + B3e + B4e + B5f + B6c + B7e + B8f + B9f+ B10+B11-B12a] (In case of loss take the figure to 9xi of schedule CFL)								B12		
C	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A9 + B13) (take B13 as nil, if loss)								C		
D	Information about deduction claimed against Capital Gains										
	1	In case of deduction u/s 54B/54D/54EC /54G/54GA give following details									
		a	Deduction claimed u/s 54B								
			i	Date of transfer of original asset				ai	dd/mm/yyyy		
			ii	Cost of new agricultural land				aii			
			iii	Date of purchase of new agricultural land				aiii	dd/mm/yyyy		
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date				aiv			
			v	Amount of deduction claimed				av			
		b	Deduction claimed u/s 54D								
			i	Date of acquisition of original asset				bi	dd/mm/yyyy		

	ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking	bii		
	iii	Date of purchase of new land or building	biii	dd/mm/yyyy	
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	biv		
	v	Amount of deduction claimed	bv		
	c Deduction claimed u/s 54EC				
	i	Date of transfer of original asset	ci	dd/mm/yyyy	
	ii	Amount invested in specified/notified bonds	cii		
	iii	Date of investment	ciii	dd/mm/yyyy	
	iv	Amount of deduction claimed	civ		
	d Deduction claimed u/s 54G				
	i	Date of transfer of original asset	di	dd/mm/yyyy	
	ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	dii		
	iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	diii	dd/mm/yyyy	
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	div		
	v	Amount of deduction claimed	dv		
	e Deduction claimed u/s 54GA				
	i	Date of transfer of original asset from urban area	ei	dd/mm/yyyy	
	ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	eii		
	iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ	eiii	dd/mm/yyyy	
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	eiv		
v	Amount of deduction claimed	ev			
f	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e)			f	
<b>E</b> Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A8 & B10 which is chargeable under DTAA)					

Sl.	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss				Long term capital loss			Current year's capital gains remaining after set off (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%	DTAA rates	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Capital Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative)		(A3e*+A4a*+A8a*)	(A5e*+A8b*)	(A1e*+A2c*+A4b*+A6g*+A7+A8c*)	A9b	(B4e*+B5f*+B7e*+B8f*+B9f*+B12a*)	B1e*+B2e*+B6c*+B9f*+B10e*+B11*+B12b*)	B12b	
ii	Short term capital gain	15%	(A3e+A4a+A8a*)							
iii		30%	(A5e+ A8b*)							
iv		applicable rate	(A1e*+ A2c*+ A4b*+ A6g*+ A7+A8c*)							
v		DTAA rates	A9b							
vi	Long term capital gain	10%	(B4e*+B5f*+B7e*+B8f*+B9f*+B12a*)							
vii		20%	B1e*+ B2e*+ B6c*+ B9f*+ B10e*+ B11*+ B12b*)							
viii		DTAA rates	B12b							
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
x	Loss remaining after set off (i – ix)									
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										
<b>F</b> Information about accrual/receipt of capital gain										



	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 5v of schedule BFLA, if any.					
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.					
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.					
4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.					
5	Long- term capital gains taxable at the rate of 10% Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.					
6	Long- term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.					
7	Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any.					

**NOTE ►** Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

**Schedule OS** Income from other sources

OTHER SOURCESxx	<b>1</b>	<b>Gross Income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)</b>				<b>1</b>
	a	Dividends, Gross			1a	
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv)			1b	
	i	From Savings Bank			bi	
	ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society/)			bii	
	iii	From Income-tax Refund			biii	
	iv	In the nature of Pass through income			biv	
	v	Others			bv	
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross			1c	
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)			1d	
	i	Aggregate value of sum of money received without consideration			di	
	ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property			dii	
	iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration			diiii	
	iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property			div	
	v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration			dv	
	e	Any other income (please specify nature)			1e	
	<b>2</b>	<b>Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e)</b>				<b>2</b>
	a	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles etc. chargeable u/s 115BB			2a	
	b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)			2b	
	i	Cash credits u/s 68			bi	
	ii	Unexplained investments u/s 69			bii	
	iii	Unexplained money etc. u/s 69A			biii	
	iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B			biv	
	v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C			bv	
	vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D			bvi	
	c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111			2c	
		S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
d	Any other income chargeable at special rate (total of di to dxix)			2d		
i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)		di			
ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)		dii			
iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(ia)		diiii			

	iv	Interest referred to in section 194LC - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)	div									
	v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	dv									
	vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	dvi									
	vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	dvii									
	viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)	dviii									
	ix	Income by way of interest or dividends from bonds or GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dix									
	x	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA	dx									
	xi	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxii									
	xii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	dxii									
	xiii	Tax on non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	dxiii									
	xiv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	dxiv									
	xv	Income by way of dividend received by specified assessee, being resident, from domestic company exceeding rupees ten lakh chargeable u/s 115BBDA	dxv									
	xvi	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	dxvi									
	xvii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG	dxvii									
	xviii	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E	dxviii									
	xix	Any other income (Please specify)	dxix									
e	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates (drop down to be provided)										2e	
f	Amount included in 1 and 2 above, which is chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)										2f	
	Sl. No.	Amount of income	Item No.2a to 2e in which	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b & 2d)											
	a	Expenses / Deductions					3a					
	b	Depreciation					3b					
	c	Total					3c					
4	Amounts not deductible u/s 58											
5	Profits chargeable to tax u/s 59										5	
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 - 3 + 4 + 5) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)										6	
7	Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)										7	
8	Income from the activity of owning race horses											
	a	Receipts					8a					
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only					8b					
	c	Amounts not deductible u/s 58					8c					
	d	Profits chargeable to tax u/s 59					8d					

e Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 10xi of Schedule CFL)							8e
9 Income under the head "Income from other sources" (7+ 8e) (take 8e as nil if negative)							9
10 Information about accrual/receipt of income from Other Sources							
S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3	
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	Dividend Income u/s 115BBDA						
2	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)						

**NOTE** Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

**Schedule CYLA** Details of Income after Set off of current year losses

Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative)		(4 of Schedule -HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
ii	House property	(4 of Schedule HP)				
iii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(A38 of Schedule BP)				
iv	Profit and gains from life insurance business u/s 115B	(3iv of item E of Sch. BP)				
v	Speculation income	(3ii of item E of Sch. BP)				
vi	Specified business income u/s 35AD	(3iii of item E of Sch. BP)				
vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of schedule CG)				
viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of schedule CG)				
ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of schedule CG)				
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of schedule CG)				
xi	Long term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of schedule CG)				
xii	Long term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of schedule CG)				
xiii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of schedule CG)				
xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of schedule OS)				
xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of schedule OS)				
xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2f of schedule OS)				
xvii	Total loss set off					
xviii	Loss remaining after set-off (i – xv)					

Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
		1	2	3	4	5
i	House property	(5ii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
ii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(5iii of schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iii	Profit and gains from life insurance business u/s 115B	(5iv of schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iv	Speculation Income	(5v of schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
v	Specified Business Income	(5vi of schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
x	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5xi of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xi	Long term capital gain taxable @ 20%	(5xii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xiii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiv of schedule CYLA)				
xiv	Profit from owning and maintaining race horses	(5xv of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
xv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xvi of schedule CYLA)				
xvi	Total of brought forward loss set off					
xvii	Current year's income remaining after set off Total of (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)					

**Schedule CFL** Details of Losses to be carried forward to future years

Sl. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Loss from business other than loss from speculative business and specified business	Loss from speculative business	Loss from specified business	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
i	2011-12								
ii	2012-13								
iii	2013-14								
iv	2014-15								
v	2015-16								
vi	2016-17								
vii	2017-18								
viii	2018-19								
ix	Total of earlier year losses b/f								
x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2i of schedule BFLA)	(2ii of schedule BFLA)	(2iii of schedule BFLA)	(2iv of schedule BFLA)			(2xiv of schedule BFLA)
xi	2019-20 (Current year losses to be carried forward)		(2xviii of schedule CYLA)	(3xviii of schedule CYLA)	(B43 of schedule BP, if -ve)	(C49 of schedule BP, if -ve)	(2x+3x+4x+5x of item E of schedule CG)	(6x+7x+8x) of item E of schedule CG)	(8e of schedule OS, if -ve)
xii	Total loss Carried forward to future years								

**Schedule UD** Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)

Sl No	Assessment Year	Depreciation			Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year						
ii							
iii							
iv							
v	Total		(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit	
Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)	
(i)	(ii)	(iii)	
I	Accounting Policies		
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)		
III	Construction Contracts		
IV	Revenue Recognition		
V	Tangible Fixed Assets		
VI	Changes in Foreign Exchange Rates		
VII	Government Grants		
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)		
IX	Borrowing Costs		
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets		
11a.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if positive)		
11b.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if negative)		

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA	
DEDUCTION U/S 10AA			
Deductions in respect of units located in Special Economic Zone			
Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Amount of deduction
a	Undertaking No.1		(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)
b	Undertaking No.2		(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)
c	Total deduction under section 10AA (a + b + c + d)		c

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G	
DETAILS OF DONATIONS			
A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit		
	Name and address of donee		PAN of Donee
			Amount of donation
			Eligible Amount of donation
			Donation in cash
i			Donation in other mode
			Total Donation
ii			
iii	Total		
B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit		
	Name and address of donee		PAN of Donee
			Amount of donation
			Eligible Amount of donation
			Donation in cash
i			Donation in other mode
			Total Donation
ii			
iii	Total		
C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit		

	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
<b>D</b>	<b>Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit</b>						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
<b>E</b>	<b>Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)</b>						

**Schedule 80GGA** Details of donations for scientific research or rural development

S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	Total donation						

**Schedule RA** Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]

	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					

**Schedule 80-IA** Deductions under section 80-IA

<b>a</b>	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	<b>a1</b>	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		<b>a2</b>	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
<b>b</b>	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(ii) [Telecommunication services]	<b>b1</b>	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		<b>b2</b>	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
<b>c</b>	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iii) [Industrial park and SEZs]	<b>c1</b>	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		<b>c2</b>	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
<b>d</b>	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	<b>d1</b>	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		<b>d2</b>	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
<b>e</b>	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] and deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(vi) [Cross-country natural gas distribution network]	<b>e1</b>	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		<b>e2</b>	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
<b>f</b>	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2+ d1 + d2 + e1 + e2)					<b>f</b>

**Schedule 80-IB** Deductions under section 80-IB

<b>a</b>	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir [Section 80-IB(4)]	<b>a1</b>	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		<b>a2</b>	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
<b>b</b>	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward states specified in Eighth Schedule [Section 80-IB(4)]	<b>b1</b>	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		<b>b2</b>	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	

c	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward districts [Section 80-IB(5)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
d	Deduction in the case of multiplex theatre [Section 80-IB(7A)]	d1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)
		d2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)
e	Deduction in the case of convention centre [Section 80-IB(7B)]	e1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)
		e2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)
f	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	f1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		f2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
g	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	g1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		g2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
h	Deduction in the case of an undertaking operating a cold chain facility [Section 80-IB(11)]	h1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		h2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
i	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	i1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		i2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
j	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	j1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		j2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
k	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a rural hospital [Section 80-IB(11B)]	k1	Undertaking no. 1	(11(v) of Form 10CCBC)
		k2	Undertaking no. 2	(11(v) of Form 10CCBC)
l	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a hospital in any area, other than excluded area [Section 80-IB(11C)]	l1	Undertaking no. 1	(11(d) of Form 10CCBD)
		l2	Undertaking no. 2	(11(d) of Form 10CCBD)
m	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to l2)			m

**Schedule 80-IC or 80-IE** Deductions under section 80-IC or 80-IE

a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
c	Deduction in respect of undertaking located in Uttaranchal	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		c1	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
d	Deduction in respect of undertaking located in North-East			
da	Assam	da1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		da2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
db	Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		db2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		de2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
df	Nagaland	df1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		df2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)	dh		
e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)	e		

Schedule 80P		Deductions under section 80P		Income	Amount eligible for deduction
1	Sec.80P(2)(a)(i) Banking/Credit Facilities to its members				
2	Sec.80P(2)(a)(ii) Cottage Industry				
3	Sec.80P(2)(a)(iii) Marketing of Agricultural produce grown by its members				
4	Sec.80P(2)(a)(iv) Purchase of Agricultural Implements, seeds, livestock or other articles intended for agriculture for the purpose of supplying to its members.				
5	Sec.80P(2)(a)(v) Processing, without the aid of power, of the agricultural Produce of its members.				
6	Sec.80P(2)(a)(vi) Collective disposal of Labour of its members				
7	Sec.80P(2)(a)(vii) Fishing or allied activities for the purpose of supplying to its members.				
8	Sec.80P(2)(b) Primary cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members to Federal cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables/Government or local authority/Government Company / corporation established by or under a Central, State or Provincial Act				
9	Sec.80P(2)(c)(i) Consumer Cooperative Society Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)				
10	Sec.80P(2)(c)(ii) Other Cooperative Society engaged in activities Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)				
11	Sec.80P(2)(d) Interest/Dividend from Investment in other co-operative society				
12	Sec.80P(2)(e) Income from Letting of godowns / warehouses for storage, processing / facilitating the marketing of commodities				
13	Sec.80P(2)(f) Others				
14	Total				

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A						
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments						
		a	80G		b	80GGA		
		c	80GGC					
		Total Deduction under Part B (a + b + c)					1	
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes						
		d	80-IA	(f of Schedule 80-IA)	e	80-IAB		
		f	80-IAC		g	80-IB	(m of Schedule 80-IB)	
		h	80-IBA		i	80-IC/ 80-IE	(e of Schedule 80-IC/ 80-IE)	
		j	80JJA		k	80JJA		
		l	80LA	(9 of Annexure to Form 10CCF)	m	80P		
		Total Deduction under Part C (total of c to m)					2	
	3	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)					3	

Schedule AMT		Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC					
1	Total Income as per item 13 of PART-B-TI					1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)						
	a	Deduction Claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"		2a			
	b	Deduction Claimed u/s 10AA		2b			
	c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed					
	d	Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)		2d			
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)					3	
4	Tax payable under section 115JC(1) [18.5% or 9% as the case may be of (3)] (In the case of AOP, BOI, AJP this is applicable if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)					4	



1	Tax under section 115JC in assessment year 2019-20 (1d of Part-B-TTI)				1		
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2019-20 (2g of Part-B-TTI)				2		
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3		
4	Utilisation of AMT credit Available ( <i>Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward</i> )						
	S.No	Assessment Year (AY) (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)		
	i	2013-14					
	ii	2014-15					
	iii	2015-16					
	iv	2016-17					
	v	2017-18					
	vi	2018-19					
	vii	Current AY (enter 1 - 2, if 1>2 else enter 0)					
	viii	Total					
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item No. 4 (C)]				5		
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]				6		

**Schedule SI** Income chargeable to tax at special rates [Please see instruction Number-7(ii) for section and rate of tax]

SI No	Section/Description	<input checked="" type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
1	111A (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	(part of 5vi of schedule BFLA)	
2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of schedule BFLA)	
3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5xof of schedule BFLA)	
5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
7	115AD (LTCG for FII on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
8	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	20	(5xi of schedule BFLA)	
9	112A (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	10	(B5f and B8f of schedule CG)	
10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 5ix of schedule BFLA)	
11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5xii of schedule BFLA)	
12	115B (Profits and gains of life insurance business)	<input type="checkbox"/>	12.50	(part of 4b of schedule BP)	
13	115AC (Income of a non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 1fii of schedule OS)	
14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(2a of schedule OS)	
15	115BBDA (Dividend income from domestic company exceeding Rs.10 lakh)	<input type="checkbox"/>	10	(2dxv of schedule OS)	
16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of schedule OS)	
17	115BBF (Tax on income from patent)				
	a Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3d of schedule BP)	
	b Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2dxvi of schedule OS)	
18	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)				
	a Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(8e of schedule BP)	
	b Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2dxvii of schedule OS)	
19	115A(1)(b) (Income of a non-resident from Royalty)	<input type="checkbox"/>	25	(part of 2dviii of schedule OS)	
20	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 2f of schedule OS)	
21	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	<input type="checkbox"/>		(part of 5vi of schedule BFLA)	
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>		(part of 5vii of schedule BFLA)	
23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%	<input type="checkbox"/>		(part of 5x of schedule BFLA)	
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>		(part of 5xi of schedule BFLA)	

SPECIAL RATE]

25	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates	<input type="checkbox"/>		(2e of schedule OS)	
Total					

**Schedule IF Information regarding partnership firms in which you are partner**

FIRMS IN WHICH PARTNER	Number of firms in which you are partner								
	Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit	Capital balance on 31 <sup>st</sup> March in the firm	
							i	ii	
1									
2									
3									
4	Total								

**Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)**

EXEMPT INCOME	Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)							
	Sl. No.	Description					1	2
	1	Interest income					1	
2	Dividend income					2		
3	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)				i		
	ii	Expenditure incurred on agriculture				ii		
	iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years				iii		
	iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 40 of Sch. BP)				iv		
	v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)				3		
	vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)						
	a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located						
b	Measurement of agricultural land in Acre							
c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)							
d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)							
4	Other exempt income including exempt income of minor child (please specify)					4		
5	Income not chargeable to tax as per DTAA							
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)	
	I							
	II							
III	Total Income from DTAA not chargeable to tax					5		
6	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)					6		
7	Total (1+2+3+4+5 + 6)					7		

**Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB**

PASS THROUGH INCOME	Sl.	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Amount of income	TDS on such amount, if any	
	1.				i	House property		
					ii	Capital Gains		
a						Short term		
b						Long term		
iii					Other Sources			
iv					Income claimed to be exempt			
					a	u/s 10(23FBB)		
					b	u/s .....		
					c	u/s .....		
2.								i
	ii	Capital Gains						
		a	Short term					
		b	Long term					
	iii	Other Sources						
	iv	Income claimed to be exempt						
		a	u/s 10(23FBB)					
		b	u/s .....					
		c	u/s .....					

**NOTE ▶** Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief						
Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1			i	House Property					
			ii	Business or Profession					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
			Total						
2			i	House Property					
			ii	Business or Profession					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
			Total						
<b>NOTE ▶</b>			Please refer to the instructions for filling out this schedule.						

Schedule TR		Details Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India			
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed			
	Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Total				
2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))			2	
3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))			3	
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below			4	Yes/No
	a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India	
<b>NOTE ▶</b> Please refer to the instructions for filling out this schedule.					

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India										
DETAILS OF FOREIGN ASSETS	A1	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period										
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	A2	Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period										
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	A3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the relevant accounting period										



G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession								
Sl No	Country Name and code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return		
						Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)								
(ii)								

**NOTE** ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

**Schedule GST INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST**

DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)

**NOTE** ▶ Please furnish the information above for each GSTIN No. separately

PART-B

**Part B - TI Computation of total income**

TOTAL INCOME	1	Income from house property ( 4 of Schedule-HP) (enter nil if loss)			1	
	2	Profits and gains from business or profession				
		i	Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A38 of Schedule BP)(enter nil if loss)	2i		
		ii	Profits and gains from speculative business (B43 of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2ii		
		iii	Profits and gains from specified business (C49 of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2iii		
		iv	Income chargeable to tax at special rate (3d and 3e of Schedule BP)	2iv		
		v	Total (2i + 2ii + 2iii + 2iv) (enter nil, if loss and carry this figure of loss to Schedule CYLA)		2v	
	3	Capital gains				
		a	Short term			
			i	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai	
			ii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	aii	
			iii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	aiii	
			iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	aiv	
		v	Total Short-term (ai + aii + ai iii + aiv) (enter nil if loss)	3av		
	b	Long-term				
		i	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of Schedule CG)	bi		
		ii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of Schedule CG)	bii		
		iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii		
		iv	Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)	biv		
	c	Total capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)			3c	
4	Income from other sources					
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates ( 6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a			
	b	Income chargeable to tax at special rate (2 of Schedule OS)	4b			
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c			
	d	Total (4a + 4b + 4c)			4d	
5	Total of head wise income (1 + 2v + 3c +4d)			5		
6	Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA)			6		
7	Balance after set off of current year losses (5 – 6) (total of column 5 of schedule CYLA + 4b + 2iv)			7		
8	Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA)			8		
9	Gross Total income (7 – 8)(also 5xvii of Schedule BFLA + 4b + 2iv)			9		
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9			10		
11	Deductions under Chapter VI-A					
	a	Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto (9-10)]		11a		
	b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A and limited upto (9-10-2iii)]		11b		
	c	Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)]		11c		
12	Incomes not forming part of total income (12a + 12b+ 12c)			12		
	a	Deduction u/s 10AA (c of Sch. 10AA)		12a		
	b	Income of investment fund referred to in section 10(23FB) or 10(23FBA)		12b		
	c	Income of a business trust referred to in section 10(23FC) or 10(23FCA)		12c		
13	Total income (9 - 11c - 12)			13		

14	Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)			14			
15	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (3 of Schedule EI)			15			
16	Aggregate income (13 – 14 + 15) [applicable if (13-14) exceeds maximum amount not chargeable to tax]			16			
17	Losses of current year to be carried forward (total of xi of Schedule CFL)			17			
18	Deemed total income under section 115JC (3 of Schedule AMT)			18			
<b>Part B - TTI</b> Computation of tax liability on total income							
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)		1a		
		b	Surcharge on (a) above (if applicable)		1b		
		c	Health and Education Cess @ 4% on 1a+1b above		1c		
		d	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)		1d		
	2	Tax payable on total income					
		a	Tax at normal rates on 16 of Part B-TI		2a		
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)		2b		
		c	Rebate on agricultural income [applicable if (13-14) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]		2c		
		d	Tax Payable on total income (2a+2b -2c)		2d		
		e	Surcharge				
			i	25% of 12(ii) of Schedule SI	2ei		
					2g(ii)		
			ii	On [(2d) – (12(ii) of Schedule SI)]	2eii		
			iii	Total (i + ii)	2eiii		
		f	Health and Education Cess @ 4% on 2d+2eiii		2f		
		g	Gross tax liability (2d + 2eiii + 2f)		2g		
	3	Gross tax payable (higher of 1d or 2g)				3	
	4	Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2g is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)				4	
	5	Tax payable after credit under section 115JD (3 - 4)				5	
	6	Tax relief					
	a	Section 90/90A (2 of Schedule TR)		6a			
	b	Section 91(3 of Schedule TR)		6b			
	c	Total (6a + 6b)		6c			
7	Net tax liability (5 – 6c) (enter zero, if negative)				7		
8	Interest and fee payable						
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)		8a			
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)		8b			
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)		8c			
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)		8d			
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)		8e			
9	Aggregate liability (7 + 8e)				9		
TAXES PAID AND BANK DETAILS	10	Taxes Paid					
		a	Advance Tax (from column 5 of 115A)		10a		
		b	TDS (total of column 9 of 15B)		10b		
		c	TCS (total of column 7 of 15C)		10c		
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)		10d		
		e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)		10e		
11	Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)				11		
12	Refund (If 10e is greater than 9) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)				12		
BANK ACCOUNT	13	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) (In case of non-residents, details of any one foreign Bank Account may be furnished for the purpose of credit of refund)					
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India (SWIFT Code in case of foreign Bank Account)	Name of the Bank	Account Number (IBAN in case of foreign Bank Accounts)	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account <input checked="" type="checkbox"/> )	
		i					
	ii						
14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes ]				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		

A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																	
ADVANCE/ SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan				Amount (Rs)			
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)			
	i																
	ii																
iii																	
<b>NOTE</b> ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI																	

B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C furnished by Deductor(s)]														
Sl No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)			Corresponding Income offered		TDS credit being carried forward	
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Gross Amount	Head of Income		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
							Income	TDS		Income	TDS	PAN		
i														
ii														

**NOTE** ▶ Please enter total of column 9 in 10b of Part B- TTI

C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]								
TCS ON INCOME	Sl No	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. year	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward
				Fin. Year in which collected	Amount b/f			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i								
ii								
<b>NOTE</b> ▶ Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI								

#### VERIFICATION

I, \_\_\_\_\_ (full name in block letters), son/ daughter of \_\_\_\_\_, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as \_\_\_\_\_ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_ (if allotted) (Please see instruction)

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Date

Sign here →

<b>FORM</b>	<b>INDIAN INCOME TAX RETURN</b> [For Companies other than companies claiming exemption under section 11] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Please refer instructions)	Assessment Year					
		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>20</b>

**Part A-GEN GENERAL**

<b>PERSONAL INFORMATION</b>	Name		PAN					
	Is there any change in the company's name? If yes, please furnish the old name		Corporate Identity Number (CIN) issued by MCA					
	Flat/Door/Block No	Name of Premises/Building/Village	Date of incorporation (DD/MM/YYYY)		Date of commencement of business (DD/MM/YYYY)			
	Road/Street/Post Office	Area/Locality			Type of company (Tick any one) <input checked="" type="checkbox"/>			
					(i) Domestic Company <input type="checkbox"/>			
					(ii) Foreign Company <input type="checkbox"/>			
	Town/City/District	State	Pin code/Zip code		If a public company write 6, and if private company write 7 (as defined in section 3 of The Companies Act) <input type="checkbox"/>			
		Country						
	Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1		Mobile No. 2		Email Address-1			
Email Address-2								
<b>FILING STATUS</b>	(a)	Filed u/s (Tick) [Please see instruction]	<input type="checkbox"/> 139(1)- On or Before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)- After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)- Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay					
		Or filed in response to notice u/s	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153A, <input type="checkbox"/> 153C					
	(b)	If revised/ defective/Modified, then enter Receipt No and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)	_ / _ / _					
	(c)	If filed, in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C or order u/s 119(2)(b), enter date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement	_ / _ / _					
	(d)	Residential Status (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-Resident						
	(e)	Whether opting for section 115BA? (Yes/No) (applicable on Domestic Company)						
	(f)	Whether total turnover/ gross receipts in the previous year 2016-17 exceeds 250 crore rupees? (Yes/No) (applicable for Domestic Company)						
	(g)	Whether assessee is a resident of a country or specified territory with which India has an agreement referred to in sec 90 (1) or Central Government has adopted any agreement under sec 90A(1)?						
	(h)	In the case of non-resident, is there a Permanent Establishment (PE) in India (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No						
	(i)	Whether assessee is required to seek registration under any law for the time being in force relating to companies?						
	(j)	Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No						
	(k)	Whether assessee is located in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No						
	(l)	Whether the assessee company is under liquidation (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No						
	(m)	Whether you are an FII / FPI? Yes/No		If yes, please provide SEBI Regn. No.				
	(n)	Whether the company is a producer company as defined in Sec.581A of Companies Act, 1956?					<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
(o)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No							
	If yes, please furnish following information -							
(1)	Name of the representative assessee							



	(2)	Capacity of the Representative (drop down to be provided)				
	(3)	Address of the representative assessee				
	(4)	Permanent Account Number (PAN) of the representative assessee				
	(p)	Whether you are recognized as start up by DPIIT		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	1	If yes, please provide start up recognition number allotted by the DPIIT				
		2	Whether certificate from inter-ministerial board for certification is received?		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
		3	If yes provide the certification number			
		4	Whether declaration in Form-2 in accordance with para 5 of DPIIT notification dated 19/02/2019 has been filed before filing of the return?		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	
		5	If yes, provide date of filing Form-2			
	AUDIT INFORMATION	(a)	Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
(b)		Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
(c)		If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
		If Yes, furnish the following information below				
(1)		Mention the date of furnishing of audit report (DD/MM/YYYY)				
(2)		Name of the auditor signing the tax audit report				
(3)		Membership No. of the auditor				
(4)		Name of the auditor (proprietorship/ firm)				
(5)		Proprietorship/firm registration number				
(6)		Permanent Account Number (PAN) of the auditor (proprietorship/ firm)				
(7)	Date of audit report					
(di)	Are you liable for Audit u/s 92E? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		Date of furnishing audit report? DD/MM/YYYY			
(dii)	If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention the date of furnishing the audit report? (DD/MM/YY) (Please see Instruction 5(ii))					
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	Sl. No.		Section Code			
(e)	Mention the <u>Act, section</u> and date of furnishing the audit report under any Act other than the Income-tax Act					
	<i>Act and section</i>		<i>(DD/MM/YY)</i>			
	<i>Act and section</i>		<i>(DD/MM/YY)</i>			
HOLDING STATUS	(a)	Nature of company (select 1 if holding company, select 2 if a subsidiary company, select 3 if both, select 4 if any other)				
	(b)	If subsidiary company, mention the details of the Holding Company				
		PAN	Name of Holding Company	Address of Holding Company	Percentage of Shares held	
	(c)	If holding company, mention the details of the subsidiary companies				
PAN		Name of Subsidiary Company	Address of Subsidiary Company	Percentage of Shares held		
BUSINESS ORGANISATION	(a)	In case of amalgamating company, mention the details of amalgamated company				
		PAN	Name of Amalgamated Company	Address of Amalgamated Company		
				Date of Amalgamation		
	(b)	In case of amalgamated company, mention the details of amalgamating company				
	PAN	Name of Amalgamating Company	Address of Amalgamating Company			
			Date of Amalgamation			

	(c) In case of demerged company, mention the details of resulting company					
	PAN	Name of Resulting Company	Address of Resulting Company	Date of Demerger		
	(d) In case of resulting company, mention the details of demerged company					
	PAN	Name of Demerged Company	Address of Demerged Company	Date of Demerger		
K E Y	Particulars of Managing Director, Directors, Secretary and Principal officer(s) who have held the office during the previous year					
	S.No.	Name	Designation	Residential Address	PAN	Director Identification Number (DIN) issued by MCA, in case of Director
S H A R E H O L D E R S I N F O R M A T I O N	Particulars of persons who were beneficial owners of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year					
	S.No.	Name and Address		Percentage of shares held	PAN (if allotted)	
O W N E R S H I P I N F O R M A T I O N	In case of unlisted company, particulars of natural persons who were the ultimate beneficial owners, directly or indirectly, of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year					
	S.No.	Name	Address	Percentage of shares held	PAN (if allotted)	
	In case of Foreign company, please furnish the details of immediate parent company.					
	S.No	Name	Address	Country of residence	PAN (if allotted)	Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence
In case of foreign company, please furnish the details of ultimate parent company						
S.No	Name	Address	Country of residence	PAN (if allotted)	Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence	
N A T U R E O F C O M P A N Y A N D I T S B U S I N E S	Nature of company					(Tick) <input checked="" type="checkbox"/>
	1	Whether a public sector company as defined in section 2(36A) of the Income-tax Act				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	2	Whether a company owned by the Reserve Bank of India				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	3	Whether a company in which not less than forty percent of the shares are held (whether singly or taken together) by the Government or the Reserve Bank of India or a corporation owned by that Bank				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	4	Whether a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	5	Whether a scheduled Bank being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

6	Whether a company registered with Insurance Regulatory and Development Authority (established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999)	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
7	Whether a company being a non-banking Financial Institution	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
8	Whether the company is unlisted? If yes, please ensure to fill up the Schedule SH-1 and Schedule AL-1	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
Nature of business or profession, if more than one business or profession indicate the three main activities/ products (Other than those declaring income under section 44AE)			
S.No.	Code [Please see instruction No.7(i)]	Description	
(i)			
(ii)			
(iii)			

**Part A-BS BALANCE SHEET AS ON 31<sup>ST</sup> DAY OF MARCH, 2019 OR AS ON THE DATE OF AMALGAMATION**

<b>I</b>		<b>Equity and Liabilities</b>		
<b>EQUITY AND LIABILITIES</b>	<b>1</b>	<b>Shareholder's fund</b>		
	<b>A</b>	<b>Share capital</b>		
		<b>i</b>	Authorised	<b>Ai</b>
		<b>ii</b>	Issued, Subscribed and fully Paid up	<b>Aii</b>
		<b>iii</b>	Subscribed but not fully paid	<b>Aiii</b>
		<b>iv</b>	Total (Aii + Aiii)	<b>Aiv</b>
	<b>B</b>	<b>Reserves and Surplus</b>		
		<b>i</b>	Capital Reserve	<b>Bi</b>
		<b>ii</b>	Capital Redemption Reserve	<b>Bii</b>
		<b>iii</b>	Securities Premium Reserve	<b>Biii</b>
		<b>iv</b>	Debenture Redemption Reserve	<b>Biv</b>
		<b>v</b>	Revaluation Reserve	<b>Bv</b>
		<b>vi</b>	Share options outstanding amount	<b>Bvi</b>
		<b>vii</b>	Other reserve (specify nature and amount)	
		<b>a</b>		<b>vii a</b>
		<b>b</b>		<b>vii b</b>
		<b>c</b>	Total (vii a + vii b)	<b>Bvii</b>
		<b>viii</b>	Surplus i.e. Balance in profit and loss account (Debit balance to be shown as -ve figure)	<b>Bviii</b>
		<b>ix</b>	Total (Bi + Bii + Biii + Biv + Bv + Bvi + Bvii + Bviii) (Debit balance to be shown as -ve figure)	<b>Bix</b>
		<b>C</b>	Money received against share warrants	<b>1C</b>
	<b>D</b>	Total Shareholder's fund (Aiv + Bix + 1C)	<b>1D</b>	
<b>2</b>	<b>Share application money pending allotment</b>			
	<b>i</b>	Pending for less than one year	<b>i</b>	
	<b>ii</b>	Pending for more than one year	<b>ii</b>	
	<b>iii</b>	Total (i + ii)	<b>2</b>	
<b>3</b>	<b>Non-current liabilities</b>			
	<b>A</b>	<b>Long-term borrowings</b>		
	<b>i</b>	<b>Bonds/ debentures</b>		
		<b>a</b>	Foreign currency	<b>ia</b>
		<b>b</b>	Rupee	<b>ib</b>
		<b>c</b>	Total (ia + ib)	<b>ic</b>
	<b>ii</b>	<b>Term loans</b>		
		<b>a</b>	Foreign currency	<b>ii a</b>

	<b>b</b>	<b>Rupee loans</b>			
	<b>1</b>	<b>From Banks</b>	<b>b1</b>		
	<b>2</b>	<b>From others</b>	<b>b2</b>		
	<b>3</b>	<b>Total (b1 + b2)</b>	<b>b3</b>		
	<b>c</b>	<b>Total Term loans (ia + b3)</b>		<b>iiic</b>	
	<b>iii</b>	<b>Deferred payment liabilities</b>		<b>iii</b>	
	<b>iv</b>	<b>Deposits from related parties (see instructions)</b>		<b>iv</b>	
	<b>v</b>	<b>Other deposits</b>		<b>v</b>	
	<b>vi</b>	<b>Loans and advances from related parties (see instructions)</b>		<b>vi</b>	
	<b>vii</b>	<b>Other loans and advances</b>		<b>vii</b>	
	<b>viii</b>	<b>Long term maturities of finance lease obligations</b>		<b>viii</b>	
	<b>ix</b>	<b>Total Long term borrowings (ic + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)</b>		<b>3A</b>	
	<b>B</b>	<b>Deferred tax liabilities (net)</b>		<b>3B</b>	
	<b>C</b>	<b>Other long-term liabilities</b>			
	<b>i</b>	<b>Trade payables</b>	<b>i</b>		
	<b>ii</b>	<b>Others</b>	<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	<b>Total Other long-term liabilities (i + ii)</b>		<b>3C</b>	
	<b>D</b>	<b>Long-term provisions</b>			
	<b>i</b>	<b>Provision for employee benefits</b>	<b>i</b>		
	<b>ii</b>	<b>Others</b>	<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	<b>Total (i + ii)</b>		<b>3D</b>	
	<b>E</b>	<b>Total Non-current liabilities (3A + 3B + 3C + 3D)</b>		<b>3E</b>	
<b>4</b>		<b>Current liabilities</b>			
	<b>A</b>	<b>Short-term borrowings</b>			
	<b>i</b>	<b>Loans repayable on demand</b>			
	<b>a</b>	<b>From Banks</b>	<b>ia</b>		
	<b>b</b>	<b>From Non-Banking Finance Companies</b>	<b>ib</b>		
	<b>c</b>	<b>From other financial institutions</b>	<b>ic</b>		
	<b>d</b>	<b>From others</b>	<b>id</b>		
	<b>e</b>	<b>Total Loans repayable on demand (ia + ib + ic + id)</b>		<b>ie</b>	
	<b>ii</b>	<b>Deposits from related parties (see instructions)</b>		<b>ii</b>	
	<b>iii</b>	<b>Loans and advances from related parties (see instructions)</b>		<b>iii</b>	
	<b>iv</b>	<b>Other loans and advances</b>		<b>iv</b>	
	<b>v</b>	<b>Other deposits</b>		<b>v</b>	
	<b>vi</b>	<b>Total Short-term borrowings (ie + ii + iii + iv + v)</b>		<b>4A</b>	
	<b>B</b>	<b>Trade payables</b>			
	<b>i</b>	<b>Outstanding for more than 1 year</b>	<b>i</b>		
	<b>ii</b>	<b>Others</b>	<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	<b>Total Trade payables (i + ii)</b>		<b>4B</b>	
	<b>C</b>	<b>Other current liabilities</b>			
	<b>i</b>	<b>Current maturities of long-term debt</b>	<b>i</b>		
	<b>ii</b>	<b>Current maturities of finance lease obligations</b>	<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	<b>Interest accrued but not due on borrowings</b>	<b>iii</b>		
	<b>iv</b>	<b>Interest accrued and due on borrowings</b>	<b>iv</b>		
	<b>v</b>	<b>Income received in advance</b>	<b>v</b>		
	<b>vi</b>	<b>Unpaid dividends</b>	<b>vi</b>		

	vii	Application money received for allotment of securities and due for refund and interest accrued	vii		
	viii	Unpaid matured deposits and interest accrued thereon	viii		
	ix	Unpaid matured debentures and interest accrued thereon	ix		
	x	Other payables	x		
	xi	Total Other current liabilities (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)			4C
D	Short-term provisions				
	i	Provision for employee benefit	i		
	ii	Provision for Income-tax	ii		
	iii	Proposed Dividend	iii		
	iv	Tax on dividend	iv		
	v	Other	v		
	vi	Total Short-term provisions (i + ii + iii + iv + v)			4D
E	Total Current liabilities (4A + 4B + 4C + 4D)				4E
Total Equity and liabilities (1D + 2 + 3E + 4E)					I
<b>II ASSETS</b>					
I	Non-current assets				
A	Fixed assets				
	i	Tangible assets			
	a	Gross block	ia		
	b	Depreciation	ib		
	c	Impairment losses	ic		
	d	Net block (ia – ib - ic)	id		
	ii	Intangible assets			
	a	Gross block	iiia		
	b	Amortization	iiib		
	c	Impairment losses	iiic		
	d	Net block (iiia – iiib - iiic)	iiid		
	iii	Capital work-in-progress	iii		
	iv	Intangible assets under development	iv		
	v	Total Fixed assets (id + iiid + iii + iv)			Av
B	Non-current investments				
	i	Investment in property	i		
	ii	Investments in Equity instruments			
	a	Listed equities	iiia		
	b	Unlisted equities	iiib		
	c	Total (iiia + iiib)	iiic		
	iii	Investments in Preference shares	iii		
	iv	Investments in Government or trust securities	iv		
	v	Investments in Debenture or bonds	v		
	vi	Investments in Mutual funds	vi		
	vii	Investments in Partnership firms	vii		
	viii	Others Investments	viii		
	ix	Total Non-current investments (i + iiic + iii + iv + v + vi + vii + viii)			Bix
C	Deferred tax assets (Net)				C

D	Long-term loans and advances			
	i	Capital advances	i	
	ii	Security deposits	ii	
	iii	Loans and advances to related parties ( <i>see instructions</i> )	iii	
	iv	Other Loans and advances	iv	
	v	Total Long-term loans and advances (i + ii + iii + iv)		Dv
	vi	Long-term loans and advances included in Dv which is		
	a	for the purpose of business or profession	via	
	b	not for the purpose of business or profession	vib	
	c	given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vic	
	E Other non-current assets			
	i	Long-term trade receivables		
	a	Secured, considered good	ia	
b	Unsecured, considered good	ib		
c	Doubtful	ic		
d	Total Other non-current assets (ia + ib + ic)		id	
ii	Others		ii	
iii	Total (id + ii)		Eiii	
iv	Non-current assets included in Eiii which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act		iv	
F Total Non-current assets (Av + Bix + C + Dv + Eiii)			1F	
2	Current assets			
A	Current investments			
i	Investment in Equity instruments			
a	Listed equities	ia		
b	Unlisted equities	ib		
c	Total (ia + ib)		ic	
ii	Investment in Preference shares		ii	
iii	Investment in government or trust securities		iii	
iv	Investment in debentures or bonds		iv	
v	Investment in Mutual funds		v	
vi	Investment in partnership firms		vi	
vii	Other investment		vii	
viii	Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)		Aviii	
B	Inventories			
i	Raw materials	i		
ii	Work-in-progress	ii		
iii	Finished goods	iii		
iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iv		
v	Stores and spares	v		
vi	Loose tools	vi		
vii	Others	vii		
viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)		Bviii	
C	Trade receivables			

	i	Outstanding for more than 6 months	i		
	ii	Others	ii		
	iii	Total Trade receivables (i + ii + iii)			Ciii
D	Cash and cash equivalents				
	i	Balances with Banks	i		
	ii	Cheques, drafts in hand	ii		
	iii	Cash in hand	iii		
	iv	Others	iv		
	v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)			Dv
E	Short-term loans and advances				
	i	Loans and advances to related parties (see instructions)	i		
	ii	Others	ii		
	iii	Total Short-term loans and advances (i + ii)			Eiii
	iv	Short-term loans and advances included in Eiii which is			
	a	for the purpose of business or profession	iva		
	b	not for the purpose of business or profession	ivb		
	c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	ivc		
F	Other current assets				F
G	Total Current assets (Aviii + Bviii + Ciii + Dv + Eiii + F)				2G
Total Assets (1F + 2G)					II

## Part A-BS – Ind AS

BALANCE SHEET AS ON 31<sup>ST</sup> DAY OF MARCH, 2019 OR AS ON THE DATE OF BUSINESS COMBINATION [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] (fill items below in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item III)

I	Equity and Liabilities				
1	Equity				
	A	Equity share capital			
	i	Authorised	Ai		
	ii	Issued, Subscribed and fully paid up	Aii		
	iii	Subscribed but not fully paid	Aiii		
	iv	Total (Aii + Aiii)			Aiv
	B	Other Equity			
	i	Other Reserves			
	a	Capital Redemption Reserve	ia		
	b	Debenture Redemption Reserve	ib		
	c	Share Options Outstanding account	ic		
	d	Other (specify nature and amount)	id		
	e	Total other reserves (ia + ib + ic + id)	ie		
	ii	Retained earnings (Debit balance of statement of P&L to be shown as -ve figure)		ii	
	iii	Total (Bie + ii) (Debit balance to be shown as -ve figure)			Biii
	C	Total Equity (Aiv + Biii)			1C
2	Liabilities				
	A	Non-current liabilities			
	I	Financial Liabilities			
	Borrowings				

<b>a</b>	<b>Bonds or debentures</b>			
	<b>1</b>	Foreign currency	<b>a1</b>	
	<b>2</b>	Rupee	<b>a2</b>	
	<b>3</b>	Total (1 + 2)	<b>a3</b>	
<b>b</b>	<b>Term loans</b>			
	<b>1</b>	Foreign currency	<b>b1</b>	
	<b>2</b>	Rupee loans		
		<b>i</b> From Banks	<b>i</b>	
		<b>ii</b> From other parties	<b>ii</b>	
		<b>iii</b> Total (i + ii)	<b>b2</b>	
	<b>3</b>	Total Term loans (b1 + b2)	<b>b3</b>	
<b>c</b>	Deferred payment liabilities			<b>c</b>
<b>d</b>	Deposits			<b>d</b>
<b>e</b>	Loans from related parties ( <i>see instructions</i> )			<b>e</b>
<b>f</b>	Long term maturities of finance lease obligations			<b>f</b>
<b>g</b>	Liability component of compound financial instruments			<b>g</b>
<b>h</b>	Other loans			<b>h</b>
<b>i</b>	Total borrowings (a3 + b3 + c + d + e + f + g + h)			<b>i</b>
<b>j</b>	Trade Payables			<b>j</b>
<b>k</b>	Other financial liabilities (Other than those specified in II under provisions)			<b>k</b>
<b>II</b>	<b>Provisions</b>			
	<b>a</b>	Provision for employee benefits	<b>a</b>	
	<b>b</b>	Others (specify nature)	<b>b</b>	
	<b>c</b>	Total Provisions	<b>IIc</b>	
<b>III</b>	Deferred tax liabilities (net)			<b>III</b>
<b>IV</b>	<b>Other non-current liabilities</b>			
	<b>a</b>	Advances	<b>a</b>	
	<b>b</b>	Others (specify nature)	<b>b</b>	
	<b>c</b>	Total Other non-current liabilities	<b>IVc</b>	
<b>Total Non-Current Liabilities (Ii + Ij + Ik + IIC + III + IVc)</b>				<b>2A</b>
<b>B</b>	<b>Current liabilities</b>			
<b>I</b>	<b>Financial Liabilities</b>			
	<b>i</b>	<b>Borrowings</b>		
		<b>a</b> Loans repayable on demand		
		<b>1</b> From Banks	<b>1</b>	
		<b>2</b> From Other parties	<b>2</b>	
		<b>3</b> Total Loans repayable on demand (1 + 2)	<b>3</b>	
		<b>b</b> Loans from related parties	<b>b</b>	
		<b>c</b> Deposits	<b>c</b>	
		<b>d</b> Other loans (specify nature)	<b>d</b>	
		Total Borrowings (a3 + b + c + d)	<b>Ii</b>	
	<b>ii</b>	Trade payables		<b>Iii</b>
	<b>iii</b>	<b>Other financial liabilities</b>		
		<b>a</b> Current maturities of long-term debt	<b>a</b>	
		<b>b</b> Current maturities of finance lease obligations	<b>b</b>	
		<b>c</b> Interest accrued	<b>c</b>	
		<b>d</b> Unpaid dividends	<b>d</b>	



	e	Application money received for allotment of securities to the extent refundable and interest accrued thereon	e		
	f	Unpaid matured deposits and interest accrued thereon	f		
	g	Unpaid matured debentures and interest accrued thereon	g		
	h	Others (specify nature)	h		
	i	Total Other financial liabilities (a + b +c +d +e +f +g+ h)			Iiii
iv	Total Financial Liabilities (Ii + Iii + Iiii)				Iiv
<b>II Other Current liabilities</b>					
	a	Revenue received in advance	a		
	b	Other advances (specify nature)	b		
	c	Others (specify nature)	c		
	d	Total Other current liabilities (a + b+ c)			IId
<b>III Provisions</b>					
	a	Provision for employee benefits	a		
	b	Others (specify nature)	b		
	c	Total provisions (a + b)			IIIc
IV	Current Tax Liabilities (Net)				IV
Total Current liabilities (Iiv + IId + IIIc+ IV)					2B
Total Equity and liabilities (1C + 2A +2B)					I
<b>II ASSETS</b>					
<b>1 Non-current assets</b>					
<b>A Property, Plant and Equipment</b>					
	a	Gross block	a		
	b	Depreciation	b		
	c	Impairment losses	c		
	d	Net block (a – b - c)			Ad
<b>B Capital work-in-progress</b>					
<b>C Investment Property</b>					
	a	Gross block	a		
	b	Depreciation	b		
	c	Impairment losses	c		
	d	Net block (a – b - c)			Cd
<b>D Goodwill</b>					
	a	Gross block	a		
	b	Impairment losses	b		
	c	Net block (a – b )			Dc
<b>E Other Intangible Assets</b>					
	a	Gross block	a		
	b	Amortisation	b		
	c	Impairment losses	c		
	d	Net block (a – b - c)			Ed
<b>F Intangible assets under development</b>					
<b>G Biological assets other than bearer plants</b>					
	a	Gross block	a		
	b	Impairment losses	b		

	c	Net block (a – b)		Gc	
H	Financial Assets				
	I	Investments			
	i	Investments in Equity instruments			
	a	Listed equities	ia		
	b	Unlisted equities	ib		
	c	Total (ia + ib)		ic	
	ii	Investments in Preference shares			
	iii	Investments in Government or trust securities			
	iv	Investments in Debenture or bonds			
	v	Investments in Mutual funds			
	vi	Investments in Partnership firms			
	vii	Others Investments (specify nature)			
	viii	Total non-current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)		HI	
	II	Trade Receivables			
	a	Secured, considered good	a		
	b	Unsecured, considered good	b		
	c	Doubtful	c		
	d	Total Trade receivables		HII	
	III	Loans			
	i	Security deposits	i		
	ii	Loans to related parties ( <i>see instructions</i> )	ii		
	iii	Other loans (specify nature)	iii		
	iv	Total Loans (i + ii + iii)		HIII	
	v	Loans included in HIII above which is-			
	a	for the purpose of business or profession	va		
	b	not for the purpose of business or profession	vb		
	c	given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vc		
	IV	Other Financial Assets			
	i	Bank Deposits with more than 12 months maturity	i		
	ii	Others	ii		
	iii	Total of Other Financial Assets (i + ii)		HIV	
	I	Deferred Tax Assets (Net)		I	
	J	Other non-current Assets			
	i	Capital Advances	i		
	ii	Advances other than capital advances	ii		
	iii	Others (specify nature)	iii		
	iv	Total non-current assets (i + ii + iii)		J	
	v	Non-current assets included in J above which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act		v	
	Total Non-current assets (Ad + B + Cd + Dc + Ed + F + Gc + HI + HII + HIII + HIV + I + J)				1
2	Current assets				
	A	Inventories			
	i	Raw materials	i		
	ii	Work-in-progress	ii		

	iii	Finished goods	iii		
	iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iv		
	v	Stores and spares	v		
	vi	Loose tools	vi		
	vii	Others	vii		
	viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			2A
<b>B</b>	<b>Financial Assets</b>				
<b>I</b>	<b>Investments</b>				
	i	Investment in Equity instruments			
	a	Listed equities	ia		
	b	Unlisted equities	ib		
	c	Total (ia + ib)	ic		
	ii	Investment in Preference shares		ii	
	iii	Investment in government or trust securities		iii	
	iv	Investment in debentures or bonds		iv	
	v	Investment in Mutual funds		v	
	vi	Investment in partnership firms		vi	
	vii	Other Investments		vii	
	viii	Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)			I
<b>II</b>	<b>Trade receivables</b>				
	i	Secured, considered good	i		
	ii	Unsecured, considered good	ii		
	iii	Doubtful	iii		
	iv	Total Trade receivables (i + ii + iii)		II	
<b>III</b>	<b>Cash and cash equivalents</b>				
	i	Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents)		i	
	ii	Cheques, drafts in hand		ii	
	iii	Cash on hand		iii	
	iv	Others (specify nature)		iv	
	v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)			III
<b>IV</b>	<b>Bank Balances other than III above</b>				IV
<b>V</b>	<b>Loans</b>				
	i	Security Deposits		i	
	ii	Loans to related parties ( <i>see instructions</i> )		ii	
	iii	Others(specify nature)		iii	
	iv	Total loans (i + ii + iii)		V	
	v	Loans and advances included in V above which is-			
	a	for the purpose of business or profession	va		
	b	not for the purpose of business or profession	vb		
	c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vc		
<b>VI</b>	<b>Other Financial Assets</b>				VI
<b>Total Financial Assets (I + II + III + IV + V + VI)</b>					<b>2B</b>
<b>C</b>	<b>Current Tax Assets (Net)</b>				<b>2C</b>
<b>D</b>	<b>Other current assets</b>				
	i	Advances other than capital advances		i	

	ii	Others(specify nature)	ii		
	iii	Total			2D
	Total Current assets (2A + 2B + 2C + 2D)				2
	Total Assets (1 + 2)				II
III	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained - (furnish the following information as on 31 <sup>st</sup> day of March, 2019, in respect of business or profession)				
NO ACCOUNT CASE	a	Amount of total sundry debtors			IIIa
	b	Amount of total sundry creditors			IIIb
	c	Amount of total stock-in-trade			IIIc
	d	Amount of the cash balance			III d

**Part A-  
Manufacturing  
Account**

**Manufacturing Account for the financial year 2018-19** (fill items 1 to 3 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 64 as applicable)

1	Opening Inventory				
A	i	Opening stock of raw-material	i		
	ii	Opening stock of Work in progress	ii		
	iii	Total (i + ii)			Aiii
B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)				B
C	Direct wages				C
D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)				D
	i	Carriage inward	i		
	ii	Power and fuel	ii		
	iii	Other direct expenses	iii		
E	Factory Overheads				
I	i	Indirect wages	i		
	ii	Factory rent and rates	ii		
	iii	Factory Insurance	iii		
	iv	Factory fuel and power	iv		
	v	Factory general expenses	v		
	vi	Depreciation of factory machinery	vi		
	vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)			
F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)				1F
2	Closing Stock				
i	i	Raw material	2i		
	ii	Work-in-progress	2ii		
	Total (2i +2ii)				2
3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)				3

**Part A-Trading  
Account**

**Trading Account for the financial year 2018-19** (fill items 4 to 12 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 64 as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations			
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)			
		i	Sale of goods	i	
		ii	Sale of services	ii	
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)		
	a		iiia		

		<b>b</b>		<b>iiib</b>		
		<b>c</b>	Total (iiia + iiib)	<b>iiic</b>		
	<b>iv</b>	Total (i + ii + iiic)				<b>Aiv</b>
<b>B</b>	Gross receipts from Profession					<b>B</b>
<b>C</b>	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied					
	<b>i</b>	Union Excise duties		<b>i</b>		
	<b>ii</b>	Service tax		<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	VAT/ Sales tax		<b>iii</b>		
	<b>iv</b>	Central Goods & Service Tax (CGST)		<b>iv</b>		
	<b>v</b>	State Goods & Services Tax (SGST)		<b>v</b>		
	<b>vi</b>	Integrated Goods & Services Tax (IGST)		<b>vi</b>		
	<b>vii</b>	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)		<b>vii</b>		
	<b>viii</b>	Any other duty, tax and cess		<b>viii</b>		
	<b>ix</b>	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)				<b>Cix</b>
<b>D</b>	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)					<b>4D</b>
<b>5</b>	Closing Stock of Finished Stocks					<b>5</b>
<b>6</b>	Total of credits to Trading Account (4D + 5iv )					<b>6</b>
<b>7</b>	Opening Stock of Finished Goods					<b>7</b>
<b>8</b>	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)					<b>8</b>
<b>9</b>	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)					<b>9</b>
	<b>i</b>	Carriage inward		<b>i</b>		
	<b>ii</b>	Power and fuel		<b>ii</b>		
	<b>iii</b>	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses		<b>iii</b>		
<b>10</b>	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased					
	<b>i</b>	Custom duty		<b>10i</b>		
	<b>ii</b>	Counter veiling duty		<b>10ii</b>		
	<b>iii</b>	Special additional duty		<b>10iii</b>		
	<b>iv</b>	Union excise duty		<b>10iv</b>		
	<b>v</b>	Service tax		<b>10v</b>		
	<b>vi</b>	VAT/ Sales tax		<b>10vi</b>		
	<b>vii</b>	Central Goods & Service Tax (CGST)		<b>10vii</b>		
	<b>viii</b>	State Goods & Services Tax (SGST)		<b>10viii</b>		
	<b>ix</b>	Integrated Goods & Services Tax (IGST)		<b>10ix</b>		
	<b>x</b>	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)		<b>10x</b>		
	<b>xi</b>	Any other tax, paid or payable		<b>10xi</b>		
	<b>xii</b>	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)				<b>10xii</b>
<b>11</b>	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account					<b>11</b>
<b>12</b>	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)					<b>12</b>
<b>12a</b>	Turnover from Intraday Trading					<b>12a</b>
<b>12b</b>	Income from Intraday Trading					<b>12b</b>

DEBITS TO TRADING ACCOUNT

## Part A-P &amp; L

**Profit and Loss Account for the financial year 2018-19** (fill items 13 to 60 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 64 as applicable)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account			13	
	14	Other income				
		i	Rent	i		
		ii	Commission	ii		
		iii	Dividend income	iii		
		iv	Interest income	iv		
		v	Profit on sale of fixed assets	v		
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
		vii	Profit on sale of other investment	vii		
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii		
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix		
		x	Agricultural income	x		
		xi	Any other income (specify nature and amount)			
		a		xia		
		b		xib		
		c	Total (xia + xib)	xic		
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)			14xii	
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)			15	
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	16	Freight outward			16	
	17	Consumption of stores and spare parts			17	
	18	Power and fuel			18	
	19	Rents			19	
	20	Repairs to building			20	
	21	Repairs to machinery			21	
	22	Compensation to employees				
		i	Salaries and wages	22i		
		ii	Bonus	22ii		
		iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
		iv	Leave encashment	22iv		
		v	Leave travel benefits	22v		
		vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
		vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
		viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
	ix	Contribution to any other fund	22ix			
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x			
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)		22xi		
	xiiia	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiiia	Yes / No		
	xiiib	If Yes, amount paid to non-residents	xiiib			
	23	Insurance				
		i	Medical Insurance	23i		
		ii	Life Insurance	23ii		
		iii	Keyman's Insurance	23iii		
		iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)		23v		

24	Workmen and staff welfare expenses			24	
25	Entertainment			25	
26	Hospitality			26	
27	Conference			27	
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)			28	
29	Advertisement			29	
30	Commission				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		30iii	
31	Royalty				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		31iii	
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)		32iii	
33	Hotel, boarding and Lodging			33	
34	Traveling expenses other than on foreign traveling			34	
35	Foreign travelling expenses			35	
36	Conveyance expenses			36	
37	Telephone expenses			37	
38	Guest House expenses			38	
39	Club expenses			39	
40	Festival celebration expenses			40	
41	Scholarship			41	
42	Gift			42	
43	Donation			43	
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)				
	i	Union excise duty	44i		
	ii	Service tax	44ii		
	iii	VAT/ Sales tax	44iii		
	iv	Cess	44iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix		
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x	
45	Audit fee			45	
46	Other expenses (specify nature and amount)				
	i		i		
	ii		ii		
	iii	Total (i + ii)		46iii	

47	Bad debts (specify PAN of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)											
	i										47i	
	ii										47ii	
	iii										47iii	
	iv	Rows can be added as required									47iv	
	v	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN is not available (provide name and complete address)									47v	
	vi	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)									47vi	
	vii	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii + 47iv + 47v+ 47vi)									47vii	
48	Provision for bad and doubtful debts										48	
49	Other provisions										49	
50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47vii + 48 + 49)]										50	
51	Interest											
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company						i				
	ii	To others						ii				
	iii	Total (i + ii)								51iii		
52	Depreciation and amortisation										52	
53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)										53	
54	Provision for current tax										54	
55	Provision for Deferred Tax and deferred liability										55	
56	Profit after tax (53 - 54 - 55)										56	
57	Balance brought forward from previous year										57	
58	Amount available for appropriation (56 + 57)										58	
59	Appropriations											
	i	Transfer to reserves and surplus						59i				
	ii	Proposed dividend/ Interim dividend						59ii				
	iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years						59iii				
	iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013)						59iv				
	v	Any other appropriation						59v				
	vi	Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)						59vi				
60	Balance carried to balance sheet (58 - 59vi)										60	
61	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE											
	SR. NO.	Name of Business				Business code		Description				
		Registration No. of goods carriage	Whether owned/leased/hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee		Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher					
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					
	(a)											
	(b)											



		<b>Add row options as necessary (upto maximum 10)</b>	
		(ii) Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 61(i)]	61(ii)
<i>NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then , it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB</i>			
NO ACCOUNT CASE	62	In case of Foreign Company whose total income comprises solely of profits and gains from business referred to in sections 44B, 44BB, 44BBA or 44BBB, furnish the following information	
	a	Gross receipts / Turnover	62a
	b	Net profit	62b

**Part A-  
Manufacturing  
Account Ind-AS**

**Manufacturing Account for the financial year 2018-19** [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] (fill items 1 to 3 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 64 as applicable)

NO ACCOUNT CASE	1	<b>Opening Inventory</b>		
	A	i	Opening stock of raw-material	i
		ii	Opening stock of Work in progress	ii
		iii	Total (i + ii)	Aiii
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)		B
	C	Direct wages		C
	D	Direct expenses		D
		i	Carriage inward	i
		ii	Power and fuel	ii
		iii	Other direct expenses	iii
	E	Factory Overheads		
		I	Indirect wages	
		II	Factory rent and rates	
		III	Factory Insurance	
		IV	Factory fuel and power	
		V	Factory general expenses	
		VI	Depreciation of factory machinery	
		Vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)	Evii
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)		1F
	2	<b>Closing Stock</b>		
	i	Raw material	2i	
	ii	Work-in-progress	2ii	
	Total (2i +2ii)		2	
3	<b>Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)</b>		3	

**Part A-Trading  
Account Ind-AS**

**Trading Account for the financial year 2018-19** [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] (fill items 4 to 12 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 64 as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	<b>Revenue from operations</b>		
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)		
		i	Sale of goods	i
		ii	Sale of services	ii
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)	
		a		iiia
		b		iiib
		c	Total (iiia + iiib)	iiic

	iv	Total (i + ii + iiic)		Aiv	
B	Gross receipts from Profession			B	
C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied				
	i	Union Excise duties	i		
	ii	Service tax	ii		
	iii	VAT/ Sales tax	iii		
	iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv		
	v	State Goods & Services Tax (SGST)	v		
	vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi		
	vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii		
	viii	Any other duty, tax and cess	viii		
	ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)		Cix	
D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)			4D	
5	Closing Stock of Finished Stocks			5	
6	Total of credits to Trading Account (4D + 5iv )			6	
7	Opening Stock of Finished Goods			7	
8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8	
9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9	
	i	Carriage inward	i		
	ii	Power and fuel	ii		
	iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii		
10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased				
	i	Custom duty	10i		
	ii	Counter veiling duty	10ii		
	iii	Special additional duty	10iii		
	iv	Union excise duty	10iv		
	v	Service tax	10v		
	vi	VAT/ Sales tax	10vi		
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii		
	viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii		
	ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix		
	x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x		
	xi	Any other tax, paid or payable	10xi		
	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii	
11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account			11	
12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)			12	
12a	Turnover from Intraday Trading			12a	
12b	Income from Intraday Trading			12b	

DEBITS TO TRADING ACCOUNT

**Part A-P& L**  
**Ind-AS**

**Profit and Loss Account for the financial year 2018-19** [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015] (fill items 13 to 60 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 64 as applicable)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account				
	14	Other income				
		i	Rent	i		
		ii	Commission	ii		
		iii	Dividend income	iii		
		iv	Interest income	iv		
		v	Profit on sale of fixed assets	v		
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
		vii	Profit on sale of other investment	vii		
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii		
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix		
		x	Agricultural income	x		
		xi	Any other income (specify nature and amount)			
			a	xia		
			b	xib		
			c	xic		
		xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)			14xii
		15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)			15
		16	Freight outward			16
		17	Consumption of stores and spare parts			17
		18	Power and fuel			18
		19	Rents			19
		20	Repairs to building			20
	21	Repairs to machinery			21	
	22	Compensation to employees				
		i	Salaries and wages	22i		
		ii	Bonus	22ii		
		iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
		iv	Leave encashment	22iv		
		v	Leave travel benefits	22v		
		vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
		vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
		viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
		ix	Contribution to any other fund	22ix		
		x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
		xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)		22xi	
		xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiia	Yes / No	
			If Yes, amount paid to non-residents	xiib		
	23	Insurance				
		i	Medical Insurance	23i		
		ii	Life Insurance	23ii		
		iii	Keyman's Insurance	23iii		
		iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		

	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v	
24		Workmen and staff welfare expenses			24	
25		Entertainment			25	
26		Hospitality			26	
27		Conference			27	
28		Sales promotion including publicity (other than advertisement)			28	
29		Advertisement			29	
30		Commission				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company		i		
	ii	To others		ii		
	iii	Total (i + ii)			30iii	
31		Royalty				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company		i		
	ii	To others		ii		
	iii	Total (i + ii)			31iii	
32		Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company		i		
	ii	To others		ii		
	iii	Total (i + ii)			32iii	
33		Hotel, boarding and Lodging			33	
34		Traveling expenses other than on foreign traveling			34	
35		Foreign travelling expenses			35	
36		Conveyance expenses			36	
37		Telephone expenses			37	
38		Guest House expenses			38	
39		Club expenses			39	
40		Festival celebration expenses			40	
41		Scholarship			41	
42		Gift			42	
43		Donation			43	
44		Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)				
	i	Union excise duty		44i		
	ii	Service tax		44ii		
	iii	VAT/ Sales tax		44iii		
	iv	Cess		44iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)		44v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)		44vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)		44vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)		44viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT		44ix		
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)			44x	
45		Audit fee			45	
46		Other expenses (specify nature and amount)				
	i			i		
	ii			ii		
	iii	Total (i + ii)			46iii	

47	<b>Bad debts</b> (specify PAN of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)						
	i				47i		
	ii				47ii		
	iii				47iii		
	iv	Rows can be added as required			47iv		
	v	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN is not available (provide name and complete address)			47v		
	vi	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)			47vi		
	vii	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii + 47iv + 47v+47vi)			47vii		
48	<b>Provision for bad and doubtful debts</b>				48		
49	<b>Other provisions</b>				49		
50	<b>Profit before interest, depreciation and taxes</b> [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47vii + 48 + 49)]				50		
51	<b>Interest</b>						
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company		i			
	ii	To others		ii			
	iii	Total (i + ii)		51iii			
52	<b>Depreciation and amortisation</b>				52		
53	<b>Net profit before taxes</b> (50 – 51iii – 52)				53		
54	<b>Provision for current tax</b>				54		
55	<b>Provision for Deferred Tax and deferred liability</b>				55		
56	<b>Profit after tax</b> (53 - 54 - 55)				56		
57	<b>Balance brought forward from previous year</b>				57		
58	<b>Amount available for appropriation</b> (56 + 57)				58		
59	<b>Appropriations</b>						
	i	Transfer to reserves and surplus		59i			
	ii	Proposed dividend/ Interim dividend		59ii			
	iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years		59iii			
	iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013)		59iv			
	v	Any other appropriation		59v			
	vi	Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)		59vi			
60	<b>Balance carried to balance sheet</b> (58 - 59vi)				60		
61	A	<b>Items that will not be reclassified to P&amp;L</b>					
		i	Changes in revaluation surplus	i			
		ii	Re-measurements of the defined benefit plans	ii			
		iii	Equity instruments through OCI	iii			
		iv	Fair value Changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at FVTPL	iv			
		v	Share of Other comprehensive income in associates and joint ventures , to the extent not to be classified to P&L	v			
		vi	Others (Specify nature)	vi			
		vii	Income tax relating to items that will not be reclassified to P&L	vii			
		viii	Total	61A			
	B	<b>Items that will be reclassified to P&amp;L</b>					
		i	Exchange differences in translating the financial statements of a foreign operation	i			

	ii	Debt instruments through OCI			ii			
	iii	The effective portion of gains and loss on hedging instruments in a cash flow hedge			iii			
	iv	Share of OCI in associates and joint ventures to the extent to be classified into P&L			iv			
	v	Others (Specify nature)			v			
	vi	Income tax relating to items that will be reclassified to P&L			vi			
	vii	Total					61B	
62	Total Comprehensive Income (56 + 61A + 61B)						62	
63	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE							
	SR. NO.	Name of Business			Business code	Description		
		Registration No. of goods carriage	Whether owned/leased/hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee	Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher		
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
	(a)							
	(b)							
	Add row options as necessary (upto maximum 10)							
	(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 63(i)]					63(ii)	
	<i>NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned /leased / hired at any time during the year exceeds 10, then , it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB</i>							
64	IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2018-19 in respect of business or profession – (OTHER THAN COVERED U/S 44AE)							
	(i)	For assessee carrying on Business						
	a	Gross receipts / Turnover (a1 + a2)			ia			
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received before specified date			a1		
		2	Any other mode			a2		
	b	Gross profit			ib			
	c	Expenses			ic			
	d	Net profit				64i		
	(ii)	For assessee carrying on Profession						
	a	Gross receipts (a1 + a2)			ii a			
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received before specified date			a1		
		2	Any other mode			a2		
	b	Gross profit			ii b			
	c	Expenses			ii c			
	d	Net profit				64ii		
	(iii)	Total profit (64i + 64ii)					64iii	

NO ACCOUNT CASE

## Part A- OI

Other Information (mandatory, if liable for audit under section 44AB, for other fill, if applicable)

1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mercantile <input type="checkbox"/> cash		
2	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]	3a	
3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]	3b	
4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year (optional in case of professionals)		
	a Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>
	b Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		<input type="checkbox"/>
	c Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No		
	d Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d	
	e Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e	
5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -		
	a the items falling within the scope of section 28	5a	
	b the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b	
	c escalation claims accepted during the previous year	5c	
	d any other item of income	5d	
	e capital receipt, if any	5e	
	f Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)	5f	
6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-		
	a Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a	
	b Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b	
	c Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c	
	d Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d	
	e Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e	
	f Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f	
	g Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g	
	h Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h	
	i Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i	
	j Amount of contributions to any other fund	6j	
	k Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k	
	l Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l	
	m Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viiia)]	6m	
	n Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n	
	o Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o	
	p Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p	

OTHER INFORMATION

q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q		
r	Any other disallowance	6r		
s	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)		6s	
t	Total number of employees employed by the company ( <i>mandatory in case company has recognized Provident Fund</i> )			
	i	deployed in India	i	
	ii	deployed outside India	ii	
	iii	Total	iii	
<b>7 Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37</b>				
a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a		
b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b		
c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c		
d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d		
e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e		
f	Any other penalty or fine	7f		
g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g		
h	Expenditure incurred on corporate social responsibility (CSR)	7h		
i	Amount of any liability of a contingent nature	7i		
j	Any other amount not allowable under section 37	7j		
k	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7j)		7k	
<b>8 A. Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40</b>				
a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa		
b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab		
c	Amount disallowable under section 40(a)(ib) on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac		
d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad		
e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae		
f	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	Af		
g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag		
h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)]	Ah		
i	Any other disallowance	Ai		
j	Total amount disallowable under section 40 (total of Aa to Ai)		Aj	
B.	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year		8B	
<b>9 Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A</b>				
a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a		
b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account, disallowable under section 40A(3)	9b		
c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c		
d	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
e	Any other disallowance	9e		
f	Total amount disallowable under section 40A (Total of 9a to 9e)		9f	



10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a	
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b	
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c	
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d	
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e	
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f	
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g	
	h	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g )		10h
11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a	
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b	
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c	
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d	
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e	
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f	
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g	
	h	Total amount disallowable under Section 43B(total of 11a to 11g)		11h
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of			
	a	Union Excise Duty	12a	
	b	Service tax	12b	
	c	VAT/sales tax	12c	
	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d	
	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e	
	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f	
	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g	
	h	Any other tax	12h	
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)		12i
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC			13
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41			14
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)			15
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A			16

**Part A – QD** Quantitative details (mandatory, if liable for audit under section 44AB)

QUANTITATIVE DETAILS	<b>(a) In the case of a trading concern</b>		
	1	Opening stock	1
	2	Purchase during the previous year	2
	3	Sales during the previous year	3
	4	Closing stock	4
	5	Shortage/ excess, if any	5
	<b>(b) In the case of a manufacturing concern</b>		
	6	Raw materials	
	a	Opening stock	6a
	b	Purchases during the previous year	6b
	c	Consumption during the previous year	6c
	d	Sales during the previous year	6d
	e	Closing stock	6e
	f	Yield finished products	6f
	g	Percentage of yield	6g
	h	Shortage/ excess, if any	6h
	7	Finished products/ By-products	
	a	opening stock	7a
	b	purchase during the previous year	7b
	c	quantity manufactured during the previous year	7c
d	sales during the previous year	7d	
e	closing stock	7e	
f	shortage/ excess, if any	7f	

**Part A – OL** Receipt and payment account of company under liquidation

Receipt and payment account of company under liquidation	1	Opening balance	
	i	Cash in hand	1i
	ii	Bank	1ii
	iii	Total opening balance	1iii
	2	Receipts	
	i	Interest	2i
	ii	Dividend	2ii
	iii	Sale of assets (pls. specify nature and amount)	
	a		2iiia
	b		2iiib
	c		2iiic
	d	Total (iiia + iiib + iiic)	2iiid
	iv	Realisation of dues/debtors	2iv
	v	Others (pls. specify nature and amount)	
	a		2va
	b		2vb
	c	Total of other receipts (va + vb)	2vc
	vi	Total receipts (2i + 2ii + 2iiid+ 2iv + 2vc)	2vi
	3	Total of opening balance and receipts	3
	4	Payments	
i	Repayment of secured loan	4i	

	ii	Repayment of unsecured loan	4ii		
	iii	Repayment to creditors	4iii		
	iv	Commission	4iv		
	v	Others (pls. specify)			
	a			4va	
		b		4vb	
		c	Total of other payments (4va + 4vb)	4vc	
	vi	Total payments (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vc)	4vi		
	5	Closing balance			
	i			5i	
		ii	Cash in hand	5i	
iii		Bank	5ii		
	iii	Total of closing balance (5i + 5ii)	5iii		
6	Total of closing balance and payments (4vi + 5iii)			6	

**SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**

<b>HOUSE PROPERTY</b>	<b>Schedule HP</b>		<b>Details of Income from House Property</b> (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)													
	1				Address of property 1				Town/ City				State		PIN Code / Zip Code	
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)															
	Assessee's percentage of share in the property <input type="text"/>															
					Name of Co-owner(s)				PAN of Co-owner (s)				Percentage Share in Property			
	I															
	II															
	/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]				Name(s) of Tenant (if let out)				PAN of Tenant(s) (if available)				PAN/TAN of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)			
	<input type="checkbox"/> Let out				I											
	<input type="checkbox"/> Deemed let out				II											
	a				Gross rent received or receivable or lettable value								1a			
	b				The amount of rent which cannot be realized				1b							
	c				Tax paid to local authorities				1c							
	d				Total (1b + 1c)				1d							
	e				Annual value (1a - 1d) (nil, if self -occupied etc. as per section 23(2) of the Act)								1e			
	f				Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)								1f			
	g				30% of 1f				1g							
	h				Interest payable on borrowed capital				1h							
	i				Total (1g + 1h)				1i							
	j				Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%								1j			
	k				Income from house property 1 (1f - 1i+1j)								1k			
	2		Address of property 2				Town/ City				State		PIN Code/Zip code			
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)															
	Assessee's percentage of share in the property <input type="text"/>															
					Name of Co-owner(s)				PAN of Co-owner (s)				Percentage Share in Property			
I																
II																
/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option]				Name(s) of Tenant (if let out)				PAN of Tenant(s) (Please see note)				PAN/TAN of Tenant(s) (Please see note)				

<input type="checkbox"/> Let out		I																		
<input type="checkbox"/> Deemed let out		II																		
a	Gross rent received or receivable/ letable value <i>(higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)</i>															2a				
b	The amount of rent which cannot be realized										2b									
c	Tax paid to local authorities										2c									
d	Total (2b + 2c)										2d									
e	Annual value (2a – 2d)															2e				
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)															2f				
g	30% of 2f										2g									
h	Interest payable on borrowed capital										2h									
i	Total (2g + 2h)															2i				
j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%															2j				
k	Income from house property 2 (2e – 2h + 2j)															2k				
3	Pass through income if any *															3				
4	Income under the head “Income from house property” (1k + 2k + 3) <i>(if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)</i>															4				
<b>NOTE</b>		Furnishing of PAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.																		

**Schedule BP** Computation of income from business or profession

<b>INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION</b>	<b>A From business or profession other than speculative business and specified business</b>																	
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 53 and 61(iii) of Part A-P&L) / (item 55 and 63(iii) of Part A-P&L – Ind AS) <i>(as applicable)</i>														1		
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss)										2a						
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)										2b						
	3		a	House property								3a						
			b	Capital gains								3b						
			c	Other sources								3c						
			d	u/s 115BBF								3d						
			e	u/s 115BBG								3e						
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44B/44BB/44BBA/44BBB/ 44D/44DA/ Chapter-XII-G/ First Schedule of Income-tax Act (other than 115B) <i>(Dropdown to be provided)</i>														4a		
	4b	Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B														4b		
	4c	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 <i>(Dropdown to be provided)</i>														4c		
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt																
			a	Share of income from firm(s)								5a						
			b	Share of income from AOP/ BOI								5b						
c			Any other exempt income (specify nature and amount)															
			i									ci						
			ii									cii						
iii	Total (ci + cii)								5ciii									
d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)														5d			
6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 4– 5d)															6		
7		a	House property								7a							
		b	Capital gains								7b							
		c	Other sources								7c							
		d	u/s 115BBF								7d							

		e	u/s 115BBG	7e	
8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to			8a	
8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)			8b	
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 8)			9	
10	Adjusted profit or loss (6+9)				10
11	Depreciation and amortization debited to profit and loss account				11
12	Depreciation allowable under Income-tax Act				
	i Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iii) (item 6 of Schedule-DEP)			12i	
	ii Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)			12ii	
	iii Total (12i + 12ii)				12iii
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)				13
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6r of Part A-OI)			14	
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7k of Part A-OI)			15	
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI)			16	
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of Part A-OI)			17	
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of Part A-OI)			18	
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006			19	
20	Deemed income under section 41			20	
21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/ 35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/			21	
22	Deemed income under section 43CA			22	
23	Any other item of addition under section 28 to 44DA			23	
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is			24	
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock			25	
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)				26
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)			27	
28	Deduction allowable under section 32AD			28	
29	Amount allowable as deduction under section 32AC			29	
30	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)			30	
31	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI)			31	
32	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10g of Part A-OI)			32	
33	Any other amount allowable as deduction			33	
34	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)			34	
35	Total (27+28+29+30+31+32+33+34)				35
36	Income (13+26-35)				36
37	Profits and gains of business or profession deemed to be under -				
	i Section 44AE (62(ii) of schedule P&L or 64(ii) of Ind As P&L)			37i	
	ii Section 44B			37ii	
	iii Section 44BB			37iii	
	iv Section 44BBA			37iv	
	v Section 44BBB			37v	

	vi	Section 44D	37vi		
	vii	Section 44DA	37vii	(item 4 of Form 3CE)	
	viii	Chapter-XII-G (tonnage)	37viii	(total of col. 7 of item 10 of Form 3CE)	
	ix	First Schedule of Income-tax Act (other than 115B)	37ix		
	x	Total (37i to 37ix)			37x
38		Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34+37x)			38
39		Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 38) (If loss take the figure to 2i of item E) (39a+ 39b + 39c + 39d + 39e + 39f)			A39
	a	Income chargeable under Rule 7	39a		
	b	Deemed income chargeable under Rule 7A	39b		
	c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	39c		
	d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	39d		
	e	Deemed income chargeable under Rule 8	39e		
	f	Income other than Rule 7A, 7B & 8 (Item No. 38)	39f		
40		Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4b-(39a+39b+39c+39d+39e)]			40
<b>B Computation of income from speculative business</b>					
41		Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account			41
42		Additions in accordance with section 28 to 44DA			42
43		Deductions in accordance with section 28 to 44DA			43
44		Income from speculative business ) (41+42-43) (if loss, take the figure to 6xi of schedule CFL)			B44
<b>C Computation of income from specified business under section 35AD</b>					
45		Net profit or loss from specified business as per profit or loss account			45
46		Additions in accordance with section 28 to 44DA			46
47		Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)			47
48		Profit or loss from specified business ) (45+46-47)			48
49		Deductions in accordance with section 35AD(1)			49
50		Income from Specified Business) (48-49) (if loss, take the figure to 7xi of schedule CFL)			C50
51		Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)			C51
<b>D Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A38+B44+C50)</b>					
<b>D</b>					

E Intra head set off of business loss of current year				
Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
		(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A39)	
ii	Income from speculative business	(B44)		
iii	Income from specified business	(C50)		
iv	Total loss set off (ii + iii)			
v	Loss remaining after set off (i - iv)			

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)			
DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery		
	2	Rate (%)	15	30	40
			(i)	(ii)	(iii)
	3	Written down value on the first day of previous year			
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year			
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4			
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)			
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year			
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7			
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result is negative)			
	10	Depreciation on 6 at full rate			
	11	Depreciation on 9 at half rate			
	12	Additional depreciation, if any, on 4			
	13	Additional depreciation, if any, on 7			
	14	Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days			
	15	Total depreciation (10+11+12+13+14)			
	16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)			
	17	Net aggregate depreciation (15-16)			
	18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)			
	19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets			
	20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) (enter negative only, if block ceases to exist)			
21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0, if result is negative)				

Schedule DOA		Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)							
DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							

7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
10	Depreciation on 6 at full rate							
11	Depreciation on 9 at half rate							
12	Total depreciation (10+11)							
13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							
15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

## Schedule DEP

Summary of depreciation on assets (Other than on assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery			
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c		
	d	Total depreciation on plant and machinery ( 1a + 1b + 1c)		1d	
	2	Building (not including land)			
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a		
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c		
	d	Total depreciation on building (2a+2b+2c)		2d	
	3	Furniture and fittings(Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)		3	
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)		4	
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)		5	
	6	Total depreciation ( 1d+2d+3+4+5)		6	

## Schedule DCG

Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets

	1	Plant and machinery		
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a	
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b	



c Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)		1c	
d Total ( 1a +1b + 1c)		1d	
<b>2 Building (not including land)</b>			
a Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)		2a	
b Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)		2b	
c Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)		2c	
d Total ( 2a + 2b + 2c)		2d	
3 Furniture and fittings ( Schedule DOA- 17v)		3	
4 Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)		4	
5 Ships (Schedule DOA- 17vii)		5	
6 Total ( 1d+2d+3+4+5)		6	

**Schedule ESR** Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)

Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iia)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
x	Total			

NOTE In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(iia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.

**Schedule CG** Capital Gains

CAPITAL GAINS	<b>A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 &amp; 5 are not applicable for residents)</b>					
	Short-term Capital Gains	<b>1</b>		<b>From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)</b>		
		<b>a</b>	<b>i</b>	Full value of consideration received/receivable	<b>ai</b>	
			<b>ii</b>	Value of property as per stamp valuation authority	<b>aii</b>	
			<b>iii</b>	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]	<b>aiii</b>	
		<b>b</b>	<b>Deductions under section 48</b>			
			<b>i</b>	Cost of acquisition without indexation	<b>bi</b>	
			<b>ii</b>	Cost of Improvement without indexation	<b>bii</b>	
		<b>iii</b>	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	<b>biii</b>		

		iv	Total (bi + bii + biii)				biv			
		c	Balance (aiii – biv)					1c		
		d	Deduction under section 54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)					1d		
		e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)						A1e	
		f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
			S.No.	Name of buyer(s)	PAN of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code	
		NOTE	Furnishing of PAN is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents.							
			In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
	2	From slump sale								
		a	Full value of consideration				2a	(5 of Form		
		b	Net worth of the under taking or division				2b	(6(e) of Form		
		c	Short term capital gains from slump sale (2a-2b)						A2c	
	3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)								
		a	Full value of consideration					3a		
		b	Deductions under section 48							
			i	Cost of acquisition without indexation				bi		
			ii	Cost of Improvement without indexation				bii		
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii		
			iv	Total (i + ii + iii)				biv		
		c	Balance (3a – biv)					3c		
		d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)					3d		
		e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)						A3e	
	4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)								
		a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid						A4a	
		b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid						A4b	
	5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD								
		a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details						
			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted			ia			
			b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner			ib			
			c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains			ic			
			ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares				aii		
			iii	Total (ic + ii)				aiii		
		b	Deductions under section 48							
			i	Cost of acquisition without indexation				bi		
			ii	Cost of improvement without indexation				bii		

	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii	
	iv	Total (i + ii + iii)		biv	
	c	Balance (5aiii – biv)		5c	
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)		5d	
	e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)		A5e	
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above				
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details		
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia	
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib	
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA	ic	
		ii	Full value of consideration in respect of assets	aii	
		iii	Total (ic + ii)	aiii	
	b	Deductions under section 48			
		i	Cost of acquisition without indexation	bi	
		ii	Cost of Improvement without indexation	bii	
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with	biii	
		iv	Total (i + ii + iii)	biv	
	c	Balance (6aiii – biv)		6c	
	d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)		6d	
	e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule- DCG)		6e	
	f	Deduction under section 54D/54G/54GA		6f	
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)		A6g	
7	Amount deemed to be short-term capital gains				
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year?				
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)
	i	2015-16	54D/54G/54GA		
b	Amount deemed to be short-term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a'				
	Total Amount deemed to be short-term capital gains u/s 54D/54G/54GA (aXi + b)				
8	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a + A8b + A8c)				
	a	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%		A8a	
	b	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%		A8b	

			c	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates							A8c	
	9		Amount of STCG included in A1 – A8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA									
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
	a	Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA									A9a	
	b	Total amount of STCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA									A9b	
	10		Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8 – A9a)									A10
<b>B Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 5, 6, 7, 8 &amp; 9 are not applicable for residents)</b>												
	1		From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)									
	a	i	Full value of consideration received/receivable							ai		
		ii	Value of property as per stamp valuation authority							aii		
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]							aiii		
	b		Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition with indexation							bi		
		ii	Cost of Improvement with indexation							bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer							bii	i	
		iv	Total (bi + bii + biii)							bi		
	c		Balance (aiii – biv)							1c		
	d		Deduction under section 54D/54EC /54G/54GA (Specify details in item D below)							1d		
	e		Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)									B1
	f		In case of transfer of immovable property, please furnish the following details									
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code				
	NOTE		Furnishing of PAN is mandatory, if the tax is deduced under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.									
	2		From slump sale									
	a	Full value of consideration							2a	(5 of Form 3CEA)		
	b	Net worth of the under taking or division							2b	(6(e) of Form 3CEA)		
	c		Balance (2a – 2b)							2c		
	d		Deduction u/s							2d		
	e		Long term capital gains from slump sale (2c-2d)									B2e
	3		From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)									

	a	Full value of consideration	3a	
	b	Deductions under section 48		
	i	Cost of acquisition without indexation	bi	
	ii	Cost of improvement without indexation	bii	
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv	
	c	Balance (3a – biv)	3c	
	d	Deduction under sections (Specify details in item D below)	3d	
	e	LTCG on bonds or debenture (3c – 3d)		B3e
4		From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable		
	a	Full value of consideration	4a	
	b	Deductions under section 48		
	i	Cost of acquisition without indexation	bi	
	ii	Cost of improvement without indexation	bii	
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
	iv	Total (bi + bii +biii)	biv	
	c	Balance (4a – biv)	4c	
	d	Deduction under sections (Specify details in item D below)	4d	
	e	Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d)		B4e
5		From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A		
	a	Full value of consideration	5a	
	b	Deductions under section 48		
	i	Cost of acquisition without indexation (higher of iA and iB)	bi	
		A Cost of acquisition	iA	
		B If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, lower of B1 and B2	iB	
		1 Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac)	B1	
		2 Full value of consideration	B2	
	ii	Cost of improvement without indexation	bii	
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii	
	iv	Total deductions (bi + bii +biii)	biv	
	c	Balance (5a – biv)	5c	
	d	Less- LTCG threshold limit as per section 112A (5c – Rs. 1 lakh)	5d	
	e	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)	5e	
	f	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5 above (5d – 5e)		B5f
6		For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)		
	a	LTCG computed without indexation benefit	6a	
	b	Deduction under sections (Specify details in item D below)	6b	
	c	LTCG on share or debenture (6a – 6b)		

7		For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B8 is to be filled up)	
a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details	
a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		ia
b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		ib
c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)		ic
ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares		aii
iii	Total (ic + ii)		aiii
b	Deductions under section 48		
i	Cost of acquisition without indexation		bi
ii	Cost of improvement without indexation		bii
iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii
iv	Total (bi + bii +biii)		biv
c	Balance (aiii – biv)		7c
d	Deduction under sections (Specify details in item D below)		7d
e	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-REESIDENT (7 – 7d)		B7e
8		For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A	
a	Full value of consideration		8a
b	Deductions under section 48		
i	Cost of acquisition without indexation (higher of iA and iB)		bi
A	Cost of acquisition		iA
B	If the long term capital asset was acquired before 01.02.2018, lower of B1 and B2		iB
1	Fair Market Value of capital asset as per section 55(2)(ac)		B1
2	Full value of consideration		B2
ii	Cost of improvement without indexation		bii
iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii
iv	Total deductions (bi + bii +biii)		biv
c	Balance (8a – biv)		8c
d	Less- LTCG threshold limit as per section 112A (8c – Rs. 1 lakh)		8d
e	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)		8e
f	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 above (8d – 8e)		B8f
9		From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable	
a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details	
a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		
b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		
c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)		ic

	ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares									
	iii	Total (ic + ii)				aiii					
b	Deductions under section 48										
	i	Cost of acquisition with indexation				bi					
	ii	Cost of improvement with indexation				bii					
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii					
	iv	Total (bi + bii + biii)				biv					
	c	Balance (aiii - biv)				7c					
d	Deduction under section 54D/54G/54GA (Specify details in item D below)				7d						
e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c- 9d)						B9e				
10	Amount deemed to be long-term capital gains										
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not applicable. If yes, then provide the details below										
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)					
				Year in which asset acquired/constructed	Amount 403tilized out of Capital Gains account						
i	2015-16	54/54D/54F/54G/54GA									
b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'										
Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + b)							B10				
11	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B12a + B12b)										
a	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10%				B11a						
b	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%				B11b						
12	Amount of LTCG included in items B1 to B8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
a	Total amount of LTCG not chargeable to tax in India as per DTAA							B12a			
b	Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA							B12b			
13	Total long term capital gain (B1e+ B2e+ B3e+ B4e+ B5f+ B6c+ B7e + B8f + B9e+ B10 + B11 - B12a) (In case of loss take the figure to 9xi of schedule CFL)							B13			
C	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A10 + B13) (take B10 as nil, if loss)							C			
D	Information about deduction claimed against Capital Gains										
1	In case of deduction u/s 54D/54EC/54G/54GA give following details										
a	Deduction claimed u/s 54D										
i	Date of acquisition of original asset				ai	dd/mm/yyyy					
ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking				aii						
iii	Date of purchase of new land or building				aiii	dd/mm/yyyy					
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due				aiv						
v	Amount of deduction claimed				av						

	b	Deduction claimed u/s 54EC				
		i	Date of transfer of original asset	bi	dd/mm/yyyy	
		ii	Amount invested in specified/notified bonds	bii		
		iii	Date of investment	biii	dd/mm/yyyy	
		iv	Amount of deduction claimed	biv		
		c	Deduction claimed u/s 54G			
			i	Date of transfer of original asset from urban area	ci	dd/mm/yyyy
			ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	cii	
			iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	ciii	dd/mm/yyyy
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	civ	
			v	Amount of deduction claimed	cv	
		d	Deduction claimed u/s 54GA			
			i	Date of transfer of original asset from urban area	di	dd/mm/yyyy
			ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new	dii	
			iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ	diii	dd/mm/yyyy
			iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due	div	
			v	Amount of deduction claimed	dv	
		e	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d)			1e

**E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A7 & B9 which is chargeable under DTAA)**

Sl.	Type of Capital Gain	Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss set off				Long term capital loss set off			Current year's capital gains remaining after set off
			15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%	DTAA rates	
			1	2	3	4	5	6	7	
i	Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative)		(A3e*+A4a*+A8a*)	(A5e*+A8b*)	(A1e*+A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*)	A9b	(B4e*+B5f*+B7e*+B8f*+B9e*+B11a*)	(B1e*+B2e*+B3e*+B6c*+B9e*+B10*+B11b*)	B12b	
ii	Short term capital gain	15%	(A3e*+A4a*+A8a*)							
iii		30%	(A5e*+A8b*)							
iv		applicable rate	(A1e*+A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*)							
v		DTAA rates	A9b							
vi		Long term capital gain	10%	(B4e*+B5f*+B7e*+B8f*+B9e*+B11a*)						
vii	20%		(B1e*+B2e*+B3e*+B6c*+B9e*+B10*+B11b*)							
viii		DTAA rates	B12b							
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)									
x	Loss remaining after set off (i-ix)									

The figures of STCG in this table (A1e\* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.



The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.						
F Information about accrual/receipt of capital gain						
	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% <i>Enter value from item 5v of schedule BFLA, if any.</i>					
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.</i>					
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.</i>					
4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates <i>Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.</i>					
5	Long-term capital gains taxable at the rate of 10% <i>Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.</i>					
6	Long-term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.</i>					
7	Long-term capital gains taxable at the rate DTAA rates <i>Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any.</i>					

**Schedule OS** Income from other sources

1		Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)			1	
OTHER SOURCES	a	Dividends, Gross			1a	
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv)			1b	
		i	From Savings Bank	bi		
		ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society)	bii		
		iii	From Income-tax Refund	biii		
		iv	In the nature of Pass through income	biv		
		v	Others	bv		
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross			1c	
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)			1d	
		i	Aggregate value of sum of money received without consideration		di	

	ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii		
	iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration	diiii		
	iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	ddiv		
	v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	dv		
2		Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e)			2
	a	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles etc.			2a
	b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)			2b
		i	Cash credits u/s 68	bi	
		ii	Unexplained investments u/s 69	bii	
		iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii	
		iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv	
		v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv	



<b>3</b>	<b>Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b &amp; 2d )</b>						
	<b>a</b>	<b>Expenses / Deductions</b>	<b>3a</b>				
	<b>b</b>	<b>Depreciation</b>	<b>3b</b>				
	<b>c</b>	<b>Total</b>	<b>3c</b>				
<b>4</b>	<b>Amounts not deductible u/s 58</b>						<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Profits chargeable to tax u/s 59</b>						<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 – 3 + 4 + 5) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)</b>						<b>6</b>
<b>7</b>	<b>Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (2 +6 )) (enter 6 as nil, if negative)</b>						<b>7</b>
<b>8</b>	<b>Income from the activity of owning race horses</b>						
	<b>a</b>	<b>Receipts</b>	<b>8a</b>				
	<b>b</b>	<b>Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only</b>	<b>8b</b>				
	<b>c</b>	<b>Amounts not deductible u/s 58</b>	<b>8c</b>				
	<b>d</b>	<b>Profits chargeable to tax u/s 59</b>	<b>8d</b>				
	<b>e</b>	<b>Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 10xi of Schedule CFL)</b>				<b>8e</b>	
<b>9</b>	<b>Income under the head “Income from other sources” (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)</b>						<b>9</b>
<b>10</b>	<b>Information about accrual/receipt of income from Other Sources</b>						
	<b>S. No.</b>	<b>Other Source Income</b>	<b>Upto 15/6</b>	<b>From 16/6 to 15/9</b>	<b>From 16/9 to 15/12</b>	<b>From 16/12 to 15/3</b>	<b>From 16/3 to 31/3</b>
			<b>(i)</b>	<b>(ii)</b>	<b>(iii)</b>	<b>(iv)</b>	<b>(v)</b>
	<b>1</b>	<b>Dividend Income u/s 115BBDA</b>					
	<b>2</b>	<b>Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)</b>					

**NOTE ►** Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

**Schedule CYLA** Details of Income after Set off of current year losses

<b>CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT</b>	<b>SL.No</b>	<b>Head/ Source of Income</b>	<b>Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)</b>	<b>House property loss of the current year set off</b>	<b>Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off</b>	<b>Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off</b>	<b>Current year's Income remaining after set off</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5=1-2-3-4</b>
	<b>i</b>	<b>Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative)</b> →		<i>(4 of Schedule – HP)</i>	<i>(2v of item E of Schedule BP)</i>	<i>(6 of Schedule-OS)</i>	
	<b>ii</b>	<b>House property</b>	<i>(4 of Schedule HP)</i>				
	<b>iii</b>	<b>Business (excluding speculation income and income from specified business)</b>	<i>(A39 of Schedule BP)</i>				
	<b>iv</b>	<b>Profit and gains from life insurance business u/s 115B</b>	<i>(3iv of item E of Sch. BP)</i>				
	<b>v</b>	<b>Speculation income</b>	<i>(3ii of item E of Sch. BP)</i>				
	<b>vi</b>	<b>Specified business income u/s 35AD</b>	<i>(3iii of item E of Sch. BP)</i>				

vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of schedule CG)				
viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	( 9iii of item E of schedule CG)				
ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	( 9iv of item E of schedule CG)				
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of schedule CG)				
xi	Long term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of schedule CG)				
xii	Long term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of schedule CG)				
xiii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of schedule CG)				
xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	( 6 of schedule OS)				
xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	( 8e of schedule OS)				
xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2f of schedule OS)				
xvii	Total loss set off					
xviii	Loss remaining after set-off ( i – xv)					

**Schedule BFLA** Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
		1	2	3	4	5
i	House property	(5ii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
ii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(5iii of schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iii	Profit and gains from life insurance business u/s 115B	(5iv of schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iv	Speculation Income	(5v of schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
v	Specified Business Income	(5vi of schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	( 5viii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
x	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5xi of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xi	Long term capital gain taxable @ 20%	( 5xii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xiii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			

BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT

xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiv of schedule CYLA)				
xiv	Profit from owning and maintaining race horses	(5xv of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
xv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xvi of schedule CYLA)				
xvi	Total of brought forward loss set off					
xvii	Current year's income remaining after set off Total of 5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii+5xiii+ 5xiv + 5xv)					

**Schedule CFL** Details of Losses to be carried forward to future years

Sl. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	Loss from business other than loss from speculative business and specified business	Loss from speculative business	Loss from specified business	Short-term capital loss	Long-term Capital loss	Loss from owning and maintaining race horses
i	2011-12								
ii	2012-13								
iii	2013-14								
iv	2014-15								
v	2015-16								
vi	2016-17								
vii	2017-18								
viii	2018-19								
ix	Total of earlier year losses b/f								
x	Adjustment of above losses in Schedule BFLA		(2i of schedule BFLA)	(2ii of schedule BFLA)	(2iii of schedule BFLA)	(2iv of schedule BFLA)			(2xiv of schedule BFLA)
xi	2019-20 (Current year losses to be carried forward)		(2xviii of schedule CYLA)	(3xviii of schedule CYLA)	(B44 of schedule BP, if -ve)	(C50 of schedule BP, if -ve)	(2x+3x+4x+5x) of item E of schedule CG)	6x+7x+8x) of item E of schedule CG)	( 8e of schedule OS, if -ve)
xii	Total loss Carried forward to future years								

**Schedule UD** Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)

Sl No	Assessment Year	Depreciation			Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year						
ii							
iii							
iv	Total		(3xvi of BFLA)			( 4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit	
Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)	
(i)	(ii)	(iii)	
I	Accounting Policies		
II	Valuation of Inventories ( <i>other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI</i> )		
III	Construction Contracts		
IV	Revenue Recognition		
V	Tangible Fixed Assets		
VI	Changes in Foreign Exchange Rates		
VII	Government Grants		
VIII	Securities ( <i>other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI</i> )		
IX	Borrowing Costs		
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets		
11a.	<b>Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if positive)</b>		
11b.	<b>Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if negative)</b>		

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA			
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone				
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)
	c	Total deduction under section 10AA (a + b)			

Schedule 80G		Details of donations entitled for deduction under section 80G					
DETAILS OF DONATIONS	<b>A</b>	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit					
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
		i		Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
		ii					
		iii					
		iv	Total				
	<b>B</b>	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit					
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
		i		Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
		ii					
		iii					
		iv	Total				
	<b>C</b>	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit					

	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
	i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	ii						
	iii						
	iv	Total					
<b>D</b>	<b>Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit</b>						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
	i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	ii						
	iii						
	iv	Total					
<b>E</b>	<b>Total donations (Aiv + Biv + Civ + Div)</b>						

**Schedule 80GGA** Details of donations for scientific research or rural development

S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed ( <i>drop down to be provided</i> )	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
	<b>Total donation</b>						

**Schedule RA** Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]

	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					

**Schedule 80-IA** Deductions under section 80-IA

DEDUCTION U/S 80-IA	a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [ <i>Infrastructure facility</i> ]	a1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
			a2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
	b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(ii) [ <i>Telecommunication services</i> ]	b1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
			b2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
	c	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iii) [ <i>Industrial park and SEZs</i> ]	c1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
			c2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)
	d	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [ <i>Power</i> ]	d1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)

		d2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
e	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] and deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(vi) [Cross-country natural gas distribution network]	e1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		e2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
f	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2+ d1 + d2+ e1 + e2)				f

**Schedule 80-IB** Deductions under section 80-IB

a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward states specified in Eighth Schedule [Section 80-IB(4)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward districts [Section 80-IB(5)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
d	Deduction in the case of multiplex theatre [Section 80-IB(7A)]	d1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)	
		d2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)	
e	Deduction in the case of convention centre [Section 80-IB(7B)]	e1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)	
		e2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)	
f	Deduction in the case of company carrying on scientific research [Section 80-IB(8A)]	f1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		f2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
g	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	g1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		g2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
h	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	h1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		h2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
i	Deduction in the case of an undertaking operating a cold chain facility [Section 80-IB(11)]	i1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		i2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
j	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	j1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		j2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
k	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	k1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		k2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
l	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a rural hospital [Section 80-IB(11B)]	l1	Undertaking no. 1	(11(v) of Form 10CCBC)	
		l2	Undertaking no. 2	(11(v) of Form 10CCBC)	
m	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a hospital in any area, other than	m1	Undertaking no. 1	(11(d) of Form 10CCBD)	



	excluded area [Section 80-IB(11C)]	m2	Undertaking no. 2	(11(d) of Form 10CCBD)	
n	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to m2)				n

**Schedule 80-IC or 80-IE** Deductions under section 80-IC or 80-IE

DEDUCTION U/S 80-IC	a		Deduction in respect of undertaking located in Sikkim		a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	b		Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh		b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	c		Deduction in respect of undertaking located in Uttaranchal		c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
					c1	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	d		Deduction in respect of undertaking located in North-East				
	da		Assam	da1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				da2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	db		Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				db2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	dc		Manipur	dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	dd		Mizoram	dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	de		Meghalaya	de1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				de2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	df		Nagaland	df1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
				df2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	dg		Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
dh		Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)			dh		
e		Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)			e		

**Schedule VI-A** Deductions under Chapter VI-A

TOTAL DEDUCTIONS	1		Part B- Deduction in respect of certain payments				
	a	80G		b	80GGB		
	c	80GGA		d	80GGC		
	Total Deduction under Part B (a + b + c + d)					1	
	2		Part C- Deduction in respect of certain incomes				
	e	80-IA	(f of Schedule 80-IA)	f	80-IAB		
	g	80-IAC		h	80-IB	(n of Schedule 80-IB)	
	i	80-IBA		j	80-IC/ 80-IE	(e of Schedule 80-IC/ 80-IE)	
	k	80JJA		l	80JJAA	(10 of Annexure to Form 10DA)	
	m	80LA	(9 of Annexure to Form 10CCF)				
	Total Deduction under Part C (total of e to m)					2	
	3		Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)			3	

**Schedule SI** Income chargeable to tax at special rates [Please see instruction Number-7(ii) for section and rate of tax]

SI No	Section/Description	<input checked="" type="checkbox"/>	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
1	111A (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid)	<input type="checkbox"/>	15	(5v of schedule BFLA)	
2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	<input type="checkbox"/>	30	(part of 5vii of schedule BFLA)	
3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
7	115AD (LTCG for FII on securities)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
8	112 (LTCG on others)	<input type="checkbox"/>	20	(5xi of schedule BFLA)	
9	112A (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	<input type="checkbox"/>	10	(B5f and B8f of schedule CG)	
10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5ix of schedule BFLA)	
11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 5xii of schedule BFLA)	
12	115B (Profits and gains of life insurance business)	<input type="checkbox"/>	12.50	(part of 4b of schedule BP)	
13	115AC (Income of a non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	<input type="checkbox"/>	10	(part of 1fii of schedule OS)	
14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	<input type="checkbox"/>	30	(2a of schedule OS)	
15	115BBD (Dividend received from specified foreign company)	<input type="checkbox"/>	15	(part of 2dxvi of schedule OS)	
16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	<input type="checkbox"/>	60	(2b of schedule OS)	
17	115A(1)(b) (Income of a foreign company from Royalty)	<input type="checkbox"/>	25	(part of 2dviii of schedule OS)	
18	115BBF (Tax on income from patent)				
	a Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(3d of schedule BP)	
	b Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2dxvi of schedule OS)	
19	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)				
	a Income under head business or profession	<input type="checkbox"/>	10	(8e of schedule BP)	
	b Income under head other sources	<input type="checkbox"/>	10	(2dxvii of schedule OS)	
20	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	<input type="checkbox"/>		(part of 2f of schedule OS)	
21	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	<input type="checkbox"/>		(part of 5vi of schedule BFLA)	
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	<input type="checkbox"/>		(part of 5vii of schedule BFLA)	
23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%	<input type="checkbox"/>		(part of 5x of schedule BFLA)	
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	<input type="checkbox"/>		(part of 5xi of schedule BFLA)	
25	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates	<input type="checkbox"/>		(2e of schedule OS)	
			<b>Total</b>		

SPECIAL RATE

**Schedule EI****Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)**

<b>EXEMPT INCOME</b>	<b>1</b>	<b>Interest income</b>						<b>1</b>	
	<b>2</b>	<b>Dividend income</b>						<b>2</b>	
	<b>3</b>	<b>i</b>	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)				<b>i</b>		
		<b>ii</b>	Expenditure incurred on agriculture				<b>ii</b>		
		<b>iii</b>	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years				<b>iii</b>		
		<b>iv</b>	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 40 of Sch. BP)				<b>iv</b>		
		<b>v</b>	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)						
	<b>vi</b>	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)							
		<b>a</b>	Name of district along with pin code in which agricultural land is located						
		<b>b</b>	Measurement of agricultural land in Acre						
<b>c</b>		Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)							
	<b>d</b>	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)							
<b>4</b>	Other exempt income including exempt income of minor child (please specify)						<b>4</b>		
<b>5</b>	Income not chargeable to tax as per DTAA								
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income			Whether TRC obtained (Y/N)
<b>6</b>	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)						<b>6</b>		
<b>7</b>	Total (1+2+3+4+5+6)						<b>7</b>		

**Schedule PTI****Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB**

<b>PASS THROUGH INCOME</b>	<b>Sl.</b>	<b>Name of business trust/ investment fund</b>	<b>PAN of the business trust/ investment fund</b>	<b>Sl.</b>	<b>Head of income</b>	<b>Amount of income</b>	<b>TDS on such amount, if any</b>	
	<b>1.</b>			<b>i</b>	House property			
				<b>ii</b>	Capital Gains			
					<b>a</b>	Short term		
					<b>b</b>	Long term		
				<b>iii</b>	Other Sources			
				<b>iv</b>	Income claimed to be exempt			
					<b>a</b>	u/s 10(23FBB)		
					<b>b</b>	u/s .....		
	<b>c</b>	u/s .....						
	<b>2.</b>			<b>i</b>	House property			
				<b>ii</b>	Capital Gains			
					<b>a</b>	Short term		
					<b>b</b>	Long term		
<b>iii</b>				Other Sources				
<b>iv</b>				Income claimed to be exempt				
				<b>a</b>	u/s 10(23FBB)			
				<b>b</b>	u/s .....			
<b>c</b>	u/s .....							

**NOTE ►**

Please refer to the instructions for filling out this schedule.

**Schedule MAT** Computation of Minimum Alternate Tax payable under section 115JB

MINIMUM ALTERNATE TAX	1	Whether the Profit and Loss Account is prepared in accordance with the provisions of Parts II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (If yes, write 'Y', if no write 'N')		<input type="checkbox"/>
	2	If 1 is no, whether profit and loss account is prepared in accordance with the provisions of the Act governing such company (If yes, write 'Y', if no write 'N')		<input type="checkbox"/>
	3	Whether, for the Profit and Loss Account referred to in item 1 above, the same accounting policies, accounting standards and same method and rates for calculating depreciation have been followed as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general body meeting? (If yes, write 'Y', if no write 'N')		<input type="checkbox"/>
	4	Profit after tax as shown in the Profit and Loss Account (enter item 56 of Part A-P&L) / (enter item 56 of Part A- P&L Ind AS) (as applicable)		4
	5	Additions (if debited in profit and loss account)		
	a	Income-tax paid or payable or its provision -including the amount of deferred tax and the provision thereof	5a	
	b	Reserve (except reserve under section 33AC)	5b	
	c	Provisions for unascertained liability	5c	
	d	Provisions for losses of subsidiary companies	5d	
	e	Dividend paid or proposed	5e	
	f	Expenditure related to exempt income under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	5f	
	g	Expenditure related to share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86	5g	
	h	Expenditure in case of foreign company referred to in clause (fb) of explanation 1 to section 115JB	5h	
	i	Notional loss on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (fc) of explanation 1 to section 115JB	5i	
	j	Expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax u/s 115BBF	5j	
	k	Depreciation attributable to revaluation of assets	5k	
	l	Gain on transfer of units referred to in clause (k) of explanation 1 to section 115JB	5l	
	m	Others (including residual unadjusted items and provision for diminution in the value of any asset)	5m	
	n	Total additions (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i+5j+5k+5l+5m)		5n
	6	Deductions		
	a	Amount withdrawn from reserve or provisions if credited to Profit and Loss account	6a	
b	Income exempt under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	6b		
c	Amount withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account to the extent it does not exceed the amount of depreciation attributable to revaluation of asset	6c		
d	Share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 credited to Profit and Loss account	6d		
e	Income in case of foreign company referred to in clause (iid) of explanation 1 to section 115JB	6e		
f	Notional gain on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (iie) of explanation 1 to section 115JB	6f		
g	Loss on transfer of units referred to in clause (iif) of explanation 1 to section 115JB	6g		
h	Income by way of royalty referred to in clause (iig) of explanation 1 to section 115JB	6h		
i	Loss brought forward or unabsorbed depreciation whichever is less or both as may be applicable	6i		
j	Profit of sick industrial company till net worth is equal to or exceeds accumulated losses	6j		

	k	Others (including residual unadjusted items and the amount of deferred tax credited to P&L A/c)	6k	
	l	Total deductions (6a+6b+6c+6d+6e+6f+6g+6h+6i+6j+6k)	6l	
7	Book profit under section 115JB (4+ 5n – 6l)			7
8	Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards (Ind-AS) specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. If yes, furnish the details below:-			<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	A. Additions to book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB			
	a	Amounts credited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit & loss"	8a	
	b	Amounts debited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	8b	
	c	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	8c	
	d	Others (including residual adjustment)	8d	
	e	Total additions (8a + 8b + 8c + 8d)	8e	
	B. Deductions from book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB			
	f	Amounts debited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit & loss"	8f	
	g	Amounts credited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	8g	
	h	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	8h	
	i	Others (including residual adjustment)	8i	
	j	Total deductions (8f + 8g + 8h + 8i)	8j	
9	Deemed total income under section 115JB (7 + 8e – 8j)			9
10	Tax payable under section 115JB			10

**Schedule MATC** Computation of tax credit under section 115JAA

MAT CREDIT	1	Tax under section 115JB in assessment year 2019-20 (1d of Part-B-TTI)				1		
	2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2019-20 (2f of Part-B-TTI)				2		
	3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3		
	4	Utilisation of MAT credit Available [Sum of MAT credit utilised during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of MAT Credit Brought Forward ]						
		S.No	Assessment Year (A)	MAT Credit			MAT Credit Utilised during the Current Year (C)	Balance MAT Credit Carried Forward (D)=(B3) – (C)
				Gross (B1)	Set-off in earlier years (B2)	Balance Brought forward (B3)=(B2)-(B1)		
		i	2008-09					
		ii	2009-10					
		iii	2010-11					
		iv	2011-12					
		v	2012-13					
		vi	2013-14					
	vii	2014-15						
	viii	2015-16						
	ix	2016-17						
	x	2017-18						
	xi	2018-19						
	xi	2019-20 (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)						
	xii	Total						
	5	Amount of tax credit under section 115JAA utilised during the year [enter 4(C)xiii]				5		
	6	Amount of MAT liability available for credit in subsequent assessment years [enter 4(D)xiii]				6		

## Schedule- DDT

## Details of tax on distributed profits of domestic companies and its payment

Sl	Description		Details of 1 <sup>st</sup> dividend		Details of 2 <sup>nd</sup> dividend		Details of 3 <sup>rd</sup> dividend	
			(iii)	(iv)	(v)	(v)		
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)	(v)		
1	Section Under which dividend is being declared							
2	Date of declaration or distribution or payment, whichever is earliest, of dividend by domestic company		(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)			
3	Rate of dividend, declared, distributed or paid							
4	Amount of dividend declared, distributed or paid							
5	Amount of reduction as per section 115-O(1A)							
6	Tax payable on dividend declared, distributed or paid	a	Additional income-tax @ 15% or 30% as applicable payable under section 115-O on (4-5)					
		b	Surcharge on 'a'					
		c	Health & Education cess on (a+b)					
		d	Total tax payable (a+b+c)					
7	Interest payable under section 115P							
8	Additional income-tax and interest payable (6d+7)							
9	Tax and interest paid							
10	Net payable/refundable (8-9)							
11	Date(s) of deposit of dividend distribution tax		Date 1	Date 2	Date 1	Date 2	Date 1	Date 2
			(DD/MM/YY YY)	(DD/MM/YY YY)	(DD/MM/YY YY)	(DD/MM/YY YY)	(DD/MM/YY YY)	(DD/MM/YY YY)
12	Name of Bank and Branch							
13	BSR Code							
14	Serial number of challan							
15	Amount deposited							

DIVIDEND DISTRIBUTION TAX

**Schedule- BBS** Details of tax on distributed income of a domestic company on buy back of shares, not listed on stock exchange

Sl	Description		Details of 1 <sup>st</sup> buy-back		Details of 2 <sup>nd</sup> buy- back		Details of 3 <sup>rd</sup> buy- back	
			(iii)	(iv)	(v)	(v)		
(i)	(ii)		(iii)	(iv)	(v)	(v)		
1	Date of payments of any consideration to the shareholder on buy back of share		(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)	(DD/MM/YYYY)		
2	Amount of consideration paid by the company on buy-back of shares							
3	Amount received by the company for issue of such shares							
4	Distributed Income of the company (2 – 3)							
5	Tax payable on distributed income	a	Additional income-tax @20% payable under section 115QA on 4					
		b	Surcharge on 'a'					
		c	Health & Education cess on (a+b)					
		d	Total tax payable (a+b+c)					
6	Interest payable under section 115QB							
7	Additional income-tax and interest payable (5d + 6)							
8	Tax and interest paid							
9	Net payable/refundable (7-8)							
10	Date(s) of deposit of tax on distribution income		Date 1	Date 2	Date 1	Date 2	Date 1	Date 2
			(DD/MM/YY YY)	(DD/MM/YY YY)	(DD/MM/YY YY)	(DD/MM/YY YY)	(DD/MM/YY YY)	(DD/MM/YY YY)
11	Name of Bank and Branch							
12	BSR Code							
13	Serial number of challan							
14	Amount deposited							

**Schedule FSI** Details of Income from outside India and tax relief

INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF	Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1				i	House Property					
				ii	Business or Profession					

			iii	Capital Gains						
			iv	Other sources						
			Total							
2			i	House Property						
			ii	Business or Profession						
			iii	Capital Gains						
			iv	Other sources						
			Total							
<b>NOTE ▶</b> Please refer to the instructions for filling out this schedule.										

**Schedule TR Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India**

TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	<b>1 Details of Tax relief claimed</b>												
		Country Code	Taxpayer Identification Number		Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)			Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)		Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)			
		(a)	(b)		(c)			(d)		(e)			
		Total											
		2 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))										2	
		3 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))										3	
		4 Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below										4	Yes/No
		a	Amount of tax refunded				b	Assessment year in which tax relief allowed in India					
<b>NOTE ▶</b> Please refer to the instructions for filling out this schedule.													

**Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India**

DETAILS OF FOREIGN ASSETS	<b>A1 Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period</b>											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	<b>A2 Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period</b>											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)



(i)												
(ii)												
A3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the relevant accounting period											
Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
A4	Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period											
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
B	Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period											
Sl No	Country Name and code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
C	Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period											
Sl No	Country Name and code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return				
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(i)												
(ii)												
D	Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period											
Sl No	Country Name and code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return				
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(i)												
(ii)												
E	Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period and which has not been included in A to D above.											
Sl	Name of the	Address of	Name of	Account	Peak Balance/	Whether	If (7) is	If (7) is yes, Income offered in this return				



										Total				
<b>Details of share application money pending allotment as at the end of the previous year</b>														
Name of the applicant	Category of applicant <i>(drop down to be provided- non-resident/ venture capital company/ venture capital fund/ specified company/ any other person)</i>			Type of share	PAN	Date of application	Number of shares applied for	Face value per share	Proposed issue price per share	Share application money	Share application premium			
										Total				
<b>Details of shareholder who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year</b>														
Name of the shareholder	Category of shareholder <i>(drop down to be provided- non-resident/ venture capital company/ venture capital fund/ specified company/ any other person)</i>	Type of share	PAN	Date of allotment	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Paid up value per share	Date on which ceased to be shareholder	Mode of cessation	In case of transfer, PAN of the new shareholder			
<b>NOTE</b> For definition of expressions- "venture capital company", "venture capital fund" and "specified company", please refer DPIIT notification dated 19.02.2019.														

**Schedule AL-1** Assets and liabilities as at the end of the year (mandatorily required to be filled up by an unlisted company) (other than a start-up for which Schedule AL-2 is to be filled up)

<b>A</b> Details of building or land appurtenant there to, or both, being a residential house												
Sl. No.	Address		Pin code		Date of acquisition		Cost of acquisition Rs.			Purpose for which used <i>(dropdown to be provided)</i>		
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)		
(i)												
(ii)												
<b>B</b> Details of land or building or both not being in the nature of residential house												
Sl. No.	Address		Pin code		Date of acquisition		Cost of acquisition Rs.			Purpose for which used <i>(dropdown to be provided)</i>		
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)		
(i)												
<b>C</b> Details of listed equity shares												
Opening balance			Shares acquired during the year			Shares transferred during the year			Closing balance			
No. of shares	Type of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Type of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Type of shares	Sale consideration	No. of shares	Type of shares	Cost of acquisition	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>D</b> Details of unlisted equity shares												
Name of company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance		

DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES

			No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
<b>E Details of other securities</b>													
Type of securities	Whether listed or unlisted	Opening balance		Securities acquired during the year					Securities transferred during the year		Closing balance		
		No. of securities	Cost of acquisition	No. of securities	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price of security (in case of fresh issue)	Purchase price per security (in case of purchase from existing holder)	No. of securities	Sale consideration	No. of securities	Cost of acquisition	
<b>F Details of capital contribution to other entity</b>													
Name of entity	PAN	Opening balance	Amount contributed during the year	Amount withdrawn during the year	Amount of profit/loss/dividend/interest debited or credited during the year	Closing balance							
<b>G Details of Loans &amp; Advances to any other concern (If money lending is not assessee's substantial business)</b>													
Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest debited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)						
<b>H Details of motor vehicle, aircraft, yacht or other mode of transport</b>													
Particulars of asset	Registration number of vehicle	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)									
<b>I Details of Jewellery, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art or bullion</b>													

Particulars of asset	Quantity	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose of use (dropdown to be provided)			
<b>J Details of liabilities</b>							
<b>Details of loans, deposits and advances taken from a person other than financial institution</b>							
Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest credited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)

**NOTE** ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.



<b>H Details of archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art or bullion acquired since incorporation</b>							
Particulars of asset	Quantity	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred, if Yes date of transfer	Closing balance as at the end of the previous year, if any	
<b>I Details of liabilities</b>							
<b>Details of loans, deposits and advances taken from a person other than financial institution</b>							
Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest credited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)

**NOTE** ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

**Schedule GST****INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST**

DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)

**NOTE** ▶ Please furnish the information above for each GSTIN No. separately

**Schedule FD****Break-up of payments/receipts in Foreign currency (to be filled up by the assessee who is not liable to get accounts audited u/s 44AB)**

Foreign Currency Transaction	S. No.	Amount (in Rs.)	
	i	Payments made during the year on capital account	
	ii	Payments made during the year on revenue account	
	iii	Receipts during the year on capital account	
	iv	Receipts during the year on revenue account	

**NOTE** ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

## Part B

**Part B - TI****Computation of total income**

TOTAL INCOME	1	Income from house property ( 4 of Schedule-HP) (enter nil if loss)	1
	2	Profits and gains from business or profession	
	i	Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A39 of Schedule BP) (enter nil if loss)	2i
	ii	Profits and gains from speculative business (B44 of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2ii
	iii	Profits and gains from specified business ( C50 of Schedule BP)(enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2iii
	iv	Income chargeable to tax at special rates (3d and 3e of Schedule BP)	2iv
	v	Total (2i + 2ii+2iii + 2iv )	2v
	3	Capital gains	
	a	Short term	
	i	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai
ii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	aii	

	iii	Short-term chargeable at applicable rate ( 9iv of item E of schedule CG)	aiii		
	iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	aiv		
	v	Total Short-term ( ai + aii + aiii + aiv ) ( enter nil if loss )	3av		
	b	Long-term			
	i	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	bi		
	ii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	bii		
	iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii		
	iv	Total Long-term ( bi + bii + biii ) ( enter nil if loss )	biv		
	c	Total capital gains (3av + 3biv) ( enter nil if loss )		3c	
4		Income from other sources			
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates ( 6 of Schedule OS ) ( enter nil if loss )	4a		
	b	Income chargeable to tax at special rate ( 2 of Schedule OS )	4b		
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses ( 8e of Schedule OS ) ( enter nil if loss )	4c		
	d	Total (4a + 4b + 4c)		4d	
5		Total of head wise income (1 + 2v + 3c + 4d)		5	
6		Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA)		6	
7		Balance after set off current year losses (5 – 6) (total of column 5 of schedule CYLA + 4b + 2iv)		7	
8		Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA)		8	
9		Gross Total income (7 – 8) ( 5xvii of Schedule BFLA + 4b + 2iv)		9	
10		Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9		10	
11		Deductions under Chapter VI-A			
	a	Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto (9-10)]		11a	
	b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A and limited upto (9-10-2iii)]		11b	
	c	Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)]		11c	
12		Deduction u/s 10AA (c of Sch. 10AA)		12	
13		Total income (9 - 11c - 12)		13	
14		Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)		14	
15		Income chargeable to tax at normal rates (13 - 14)		15	
16		Net agricultural income( 3 of Schedule EI)		16	
17		Losses of current year to be carried forward (total of xi of Schedule CFL)		17	
18		Deemed total income under section 115JB (9 of Schedule MAT)		18	

**Part B - TTI** Computation of tax liability on total income

COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax Payable on deemed total Income under section 115JB (10 of Schedule MAT)		1a		
		b	Surcharge on (a) above (if applicable)		1b		
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above		1c		
		d	Total Tax Payable u/s 115JB (1a+1b+1c)		1d		
	2		Tax payable on total income				
		a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI	2a			
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	2b			
		c	Tax Payable on Total Income (2a + 2b)		2c		
		d	Surcharge				
		i	25% of 12(ii) of Schedule SI	2di			
		ii	On [(2c) – (12(ii) of Schedule SI)]	2dii			
		iii	Total (i + ii)		2diii		

	e	Health and Education Cess @ 4% on (2c+2diii)			2e		
	f	Gross tax liability (2c+2diii+2e)			2f		
3	Gross tax payable (higher of 1d and 2f)				3		
4	Credit under section 115JAA of tax paid in earlier years (if 2f is more than 1d) (5 of Schedule MATC)				4		
5	Tax payable after credit under section 115JAA [(3 - 4)]				5		
6	Tax relief						
	a	Section 90/90A(2 of Schedule TR)		6a			
	b	Section 91(3 of Schedule TR)		6b			
	c	Total (6a + 6b)			6c		
7	Net tax liability (5 - 6c) (enter zero if negative)				7		
8	Interest and fee payable						
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)		8a			
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)		8b			
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)		8c			
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)		8d			
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)			8e		
9	Aggregate liability (7 + 8e)				9		
TAXES PAID	10	Taxes Paid					
		a	Advance Tax (from column 5 of 15A)		10a		
		b	TDS (total of column 9 of 15B)		10b		
		c	TCS (total of column 7 of 15C)		10c		
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)		10d		
		e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c + 10d)			10e	
	11	Amount payable (9 - 10e) (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)				11	
	12	Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)				12	
BANK ACCOUNT	13	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) (In case of non-residents, details of any one foreign Bank Account may be furnished for the purpose of credit of refund)					
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India (SWIFT Code in case of foreign Bank Account)	Name of the Bank	Account Number (IBAN in case of foreign Bank Accounts)	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account <input checked="" type="checkbox"/> )	
		i					
		ii					
	14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India?				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

<b>15 TAX PAYMENTS</b>					
<b>A</b>	Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax				
ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
<b>NOTE</b> ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TT1					



B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C furnished by Deductor(s)]														
Sl No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)			Corresponding Income offered		TDS credit being carried forward	
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Gross Amount	Head of Income		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)	(13)
							Income TDS		Income TDS PAN					
i														
<b>NOTE</b> ▶ Please enter total of column 9 in 10b of Part B- TTI														

C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]								
Sl No	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. year	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward	
			Fin. Year in which collected	Amount b/f				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
i								
ii								
<b>NOTE</b> ▶ Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI								

### VERIFICATION

I, \_\_\_\_\_ son/ daughter of \_\_\_\_\_, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as \_\_\_\_\_ (drop down to be provided and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_ (if allotted) (Please see instruction).

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Date

Sign here →

FORM

ITR-7

**INDIAN INCOME TAX RETURN**  
 [For persons including companies required to furnish return under  
 sections 139(4A) or 139(4B) or 139(4C) or 139(4D) only]  
 (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)  
 (Please refer instructions for guidance)

Assessment Year

2	0	1	9	-	2	0
---	---	---	---	---	---	---

**Part A-GEN**

PERSONAL INFORMATION	Name (as mentioned in deed of creation/ establishing/ incorporation/ formation)			PAN		
	Flat/Door/Block No	Name Of Premises/Building/Village		Date of formation/incorporation (DD/MM/YYYY) / /		
	Road/Street/Post Office	Area/Locality		Status (see instructions para 11b)	<input type="checkbox"/>	Sub Status (see instructions para 11b)
	Town/City/District	State	Pin code/Zip code			
	Office Phone Number with STD code/Mobile No. 1		Fax Number/Mobile No. 2		Email Address 1	
	Email Address 2					
	Whether any project/institution is run by the assessee? (Yes/No) If Yes, then please furnish the details: Details of the projects/institutions run by you					
	Sl.	Name of the project/institution (see instruction para 11ca)	Nature of activity (see instruction para 11d)		Classification (see instructions para 11d)	
	1					
	2					
3						
4						
Details of registration or approval under the Income-tax Act (Mandatory, if required to be registered)						
Sl.	Section under which registered or approved	Date of registration or approval	Approval/ Notification/ Registration No.		Approving/ registering Authority	
1						
2						
3						
4						
Details of registration or approval under any law other than Income-tax Act						
Sl.	Law under which registered	Date of registration or approval	Approval/ Notification/ Registration No.		Approving/ registering Authority	
1						
2						
3						
4						

For Office Use Only

For Office Use Only

Receipt No.

Date

Seal and Signature of receiving official

FILING STATUS	(a)	Return filed u/s (Tick) [Please see instruction ]	<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 92CD-Modified return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- after condonation of delay.											
		Or filed in response to notice u/s	<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153A <input type="checkbox"/> 153C											
	(b)	Return furnished under section	<input type="checkbox"/> 139(4A) <input type="checkbox"/> 139(4B) <input type="checkbox"/> 139(4C) <input type="checkbox"/> 139(4D) <input type="checkbox"/> Others											
		Please specify the section under which the exemption is claimed (dropdown to be provided)												
	(c)	If revised/ defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)										_	_	_
	(d)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C or order u/s 119(2)(b), enter date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement										/	/	/
	(e)	Residential status? (Tick) <input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Non-resident												
	(f)	Whether any income included in total income for which claim under section 90/90A/91 has been made? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No [applicable in the case of resident] [if yes, ensure to fill Schedule FSI and Schedule TR]												
	(g)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information -												
		(1)	Name of the representative											
	(2)	Capacity of the Representative (drop down to be provided)												
	(3)	Address of the representative												
	(4)	Permanent Account Number (PAN) of the representative												
(h)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information													
	Name of Firm						PAN							
(i)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
	Name of company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance		
			No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OTHER DETAILS	A	i	Where, in any of the projects/institutions run by you, one of the charitable purposes is advancement of any other object of general public utility then,-											
		a	i	Whether there is any activity in the nature of trade, commerce or business referred to in proviso to section 2(15)?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
			ii	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts							%			
		b	i	Whether there is any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business for any consideration as referred to in proviso to section 2(15)?							<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
			ii	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts							%			
		ii	If 'a' or 'b' is YES, the aggregate annual receipts from such activities in respect of that institution											
		Sl.	Name of the project/Institution					Amount of aggregate annual receipts from such activities						
		a												
		b												
B	i	Whether approval obtained u/s 80G?									<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			

	ii	If yes, then enter Approval No.	
	iii	Date of Approval (DD/MM/YYYY)	____/____/____
C	i	Is there any change in the objects/activities during the Year on the basis of which approval/registration was granted?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	ii	If yes, please furnish following information:-	
	a	date of such change (DD/MM/YYYY)	____/____/____
	b	Whether an application for fresh registration has been made in the prescribed form and manner within the stipulated period of thirty days as per Clause (ab) of sub-section (1) of section 12A	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	c	Whether fresh registration has been granted under section 12AA	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	d	date of such fresh registration (DD/MM/YYYY)	____/____/____
D	i	Whether registered under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA)?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	ii	If yes, then enter Registration No.	
	iii	Date of Registration (DD/MM/YYYY)	____/____/____
	iv	a Total amount of foreign contribution received during the year, if any	Rs. _____
		b Specify the purpose for which the above contribution is received	
E	i	Whether a business trust registered with SEBI?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	ii	If yes, then enter Registration No.	
	iii	Date of Registration (DD/MM/YYYY)	____/____/____
F		Whether liable to tax at maximum marginal rate under section 164? (If disallowable u/s 13(1)(c) and/or 13(1)(d))?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
G		Is this your first return?	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

AUDIT INFORMATION	H	Are you liable for audit under the Income-tax Act?(Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No, If yes, furnish following information-										
	Section under which you are liable for audit (specify section). Please mention date of audit report. (DD/MM/YY) (see Instruction 6(ii))											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">12A</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>						12A					
	12A											
		a	Name of the auditor signing the tax audit report									
		b	Membership No. of the auditor									
		c	Name of the auditor (proprietorship/ firm)									
		d	Permanent Account Number (PAN) of the proprietorship/ firm									
		e	Date of audit report									
		f	Date of furnishing of the audit report ____/____/____ (DD/MM/YYYY).									
	I	If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?										
		<i>Act and section</i>	<i>(DD/MM/YY)</i>	<i>Act and section</i>	<i>(DD/MM/YY)</i>							
MEMBER'S INFORMATION	J	Particulars of persons who were members in the AOP on 31 <sup>st</sup> day of March, 2019 (to be filled by venture capital fund/investment fund)										
		S.No	Name and Address	Percentage of share (if determinate)	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar)						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)						

**SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)****Schedule I** Details of amounts accumulated / set apart within the meaning of section 11(2) or in terms of third proviso to section 10(23C)

Year of accumulation (F.Yr.)	Amount accumulated in the year of accumulation	Purpose of accumulation	Amount applied for charitable/religious purposes upto the beginning of the previous year	Amount invested or deposited in the modes specified in section 11(5)	Amounts applied for charitable or religious purpose during the previous year	Balance amount available for application (7) = (2) - (4) - (6)	Amount deemed to be income within meaning of sub-section (3) of section 11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2012-13							
2013-14							
2014-15							
2015-16							
2016-17							
2017-18							
2018-19							
<b>Total</b>							

**Schedule J** Statement showing the funds and investments as on the last day of the previous year [to be filled if registered under section 12A/12AA or approved under section 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/10(23C)(vi)/10(23C)(via)/10(21)]

A	i	Balance in the corpus fund as on the last day of the previous year	Rs. _____				
	ii	Balance in the non-corpus fund as on the last day of the previous year	Rs. _____				
<b>B</b> Details of investment/deposits made under section 11(5)							
Sl. No.	Mode of investment as per section 11(5)		Date of investment	Date of maturity	Amount of investment	Maturity amount	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
i	Investment in Government Saving Scheme						
ii	Post Office Saving Bank						
iii	Deposit in Schedule Bank or co-operative societies as per section 11(5)(iii)						
iv	Investment in UTI						
v	Any Other						
vi	TOTAL						
<b>C</b> Investment held at any time during the previous year (s) in concern (s) in which persons referred to in section 13(3) have a substantial interest							
Sl. No.	Name and address of the concern	Where the concern is a company (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )	Number of shares held	Class of shares held	Nominal value of the investment	Income from the investment	Whether the amount in col (6) exceeds 5 percent of the capital of the concern during the previous year (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
ii		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No					<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

DETAILS OF INVESTMENT OF FUNDS

iii		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
iv		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
v		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
<b>TOTAL</b>						
<b>D Other investments as on the last day of the previous year</b>						
Sl. No.	Name and address of the concern	Whether the concern is a company (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )	Class of shares held	Number of shares held	Nominal value of investment	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
i		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
ii		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
iii		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
iv		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
v	<b>TOTAL</b>					
<b>E Voluntary contributions/donations received in kind but not converted into investments in the specified modes u/s 11(5) within the time provided</b>						
Sl. No.	Name and address of the donor	Value of contribution/donation	Value of contribution applied towards objective	Amount out of (3) invested in modes prescribed under section 11(5)	Balance to be treated as income under section 11(3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
i						
ii						
iii						
iv	<b>TOTAL</b>					

**Schedule K Statement of particulars regarding the Author(s) / Founder(s) / Trustee(s) / Manager(s), etc., of the Trust or Institution (to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7)**

<b>A</b>	Name(s) of author(s) / founder(s) / Settlor(s) and address(es), if alive		
Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)
<b>B</b>	Name(s) of the person(s) who was / were trustee(s) / manager(s) during the previous year(s)		
Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)
<b>C</b>	Name(s) of the person(s) who has / have made substantial contribution to the trust / institution in terms of section 13(3)(b)		
Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)

D	Name(s) of relative(s) of author(s), founder(s), trustee(s), manager(s), and substantial contributor(s) and where any such author, founder, trustee, manager or substantial contributor is a Hindu undivided family, also the names of the members of the family and their relatives		
Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)

**Schedule LA Political Party**

POLITICAL PARTY	1	Whether books of account were maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
	2	a	Whether any voluntary contribution from any person in excess of twenty thousand rupees was received during the year? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
		b	If yes, whether record of each voluntary contribution (other than contributions by way of electoral bonds) in excess of twenty thousand rupees (including name and address of the person who has made such contribution) were maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	3	Whether the accounts have been audited? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )		<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
		If yes, furnish the following information:-		
		a	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY)	___/___/___
		b	Name of the auditor signing the audit report	
		c	Membership No. of the auditor	
		d	Name of the auditor (proprietorship/ firm)	
		e	Proprietorship/firm registration No.	
		f	Permanent Account Number (PAN) of the auditor (proprietorship/ firm)	
		g	Date of audit report	
		4	Whether any donation exceeding two thousand rupees was received otherwise than by an account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through electoral bond? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
		5	Whether the report under sub-section (3) of section 29C of the Representation of the People Act, 1951 for the financial year has been submitted? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	6	If yes, then date of submission of the report (DD/MM/YYYY)	___/___/___	

**Schedule ET Electoral Trust**

ELECTORAL TRUST	1	Whether books of account were maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	
	2	Whether record of each voluntary contribution (including name, address and PAN of the person who has made such contribution along with the mode of contribution) were maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	
	3	Whether record of each eligible political party to whom the distributable contributions have been distributed (including name, address, PAN and registration number of eligible political party) was maintained? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	
	4	Whether the accounts have been audited as per rule 17CA(12)? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	
		If yes, date of audit report in Form No.10BC (DD/MM/YYYY)			
	5	Whether the report as per rule 17CA(14) furnished to the Commissioner of Income-tax or Director of Income-tax? (tick as applicable <input checked="" type="checkbox"/> )	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No	
	6	Details of voluntary contributions received and amounts distributed during the year			
		i	Opening balance as on 1 <sup>st</sup> April	i	
		ii	Voluntary contribution received during the year	ii	
		iii	Total (i + ii)	iii	
		iv	Amount distributed to Political parties	iv	
		v	Amount spent on administrative and management functions of the Trust	v	
	vi	Total (iv + v)	vi		
	vii	Total amount eligible for exemption under section 13B	vii		

	viii	Closing balance as on 31 <sup>st</sup> March (iii – vi)	viii	
--	------	---	------	--

**Schedule VC Voluntary Contributions (to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7)**

<b>AGGREGATE OF INCOME</b>	<b>A</b>	<b>Local</b>				
		<b>i</b>	Corpus fund donation	<b>Ai</b>		
		<b>ii</b>	Other than corpus fund donation			
			(a) Grants Received from Government			
			(b) Grants Received from Companies under Corporate Social Responsibility			
			(c) Other specific grants			
			(d) Other Donations			
			(e) Total	<b>Aiie</b>		
		<b>iii</b>	Voluntary contribution local (Ai + Aiie)	<b>Aiii</b>		
		<b>B</b>	<b>Foreign contribution</b>			
			<b>i</b>	Corpus fund donation	<b>Bi</b>	
			<b>ii</b>	Other than corpus fund donation	<b>Bii</b>	
			<b>iii</b>	Foreign contribution (Bi + Bii)	<b>Biii</b>	
		<b>C</b>	<b>Total Contributions (Aiii + Biii)</b>		<b>C</b>	
		<b>D</b>	<b>Anonymous donations, included in C, chargeable u/s 115BBC</b>			
			<b>i</b>	Aggregate of such anonymous donations received	<b>i</b>	
			<b>ii</b>	5% of total donations received at C or 1,00,000 whichever is higher	<b>ii</b>	
			<b>iii</b>	Anonymous donations chargeable u/s 115BBC @ 30% (i – ii)	<b>iii</b>	

**Schedule AI Aggregate of income derived during the previous year excluding Voluntary contributions [to be filled by assesses claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)]**

<b>AGGREGATE OF INCOME</b>	<b>1</b>	Receipts from main objects		<b>1</b>		
	<b>2</b>	Receipts from incidental objects		<b>2</b>		
	<b>3</b>	Rent		<b>3</b>		
	<b>4</b>	Commission		<b>4</b>		
	<b>5</b>	Dividend income		<b>5</b>		
	<b>6</b>	Interest income		<b>6</b>		
	<b>7</b>	Agriculture income		<b>7</b>		
	<b>8</b>	Net consideration on transfer of capital asset		<b>8</b>		
	<b>9</b>	Any other income (specify nature and amount)				
			Nature	Amount		
		<b>a</b>		<b>a</b>		
		<b>b</b>		<b>b</b>		
		<b>c</b>		<b>c</b>		
		<b>d</b>		<b>d</b>		
	<b>e</b>	Total (9a+ 9b+ 9c +9d)	<b>e</b>	<b>9e</b>		
<b>10</b>	<b>Total</b>		<b>10</b>			

**Schedule ER Revenue expenditure incurred during the year and amount applied to stated objects of the trust/institution during the previous year - Revenue Account [to be filled by assessee claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv),(v),(vi),(via)]**

			<b>Amount</b>
<b>A</b>	<b>Establishment and Administrative expenses</b>		
	<b>1</b>	<b>Rents</b>	<b>1</b>
	<b>2</b>	<b>Repairs and maintenance</b>	<b>2</b>
	<b>3</b>	<b>Compensation to employees</b>	<b>3</b>



4	Insurance			4	
5	Workmen and staff welfare expenses			5	
6	Entertainment and Hospitality			6	
7	Advertisement			7	
8	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services			8	
9	Conveyance and Traveling expenses other than on foreign travel			9	
10	Remuneration to Trustee			10	
11	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)			11	
12	Interest			12	
13	Audit fee			13	
14	Depreciation and amortization cost of which is not already claimed as application in same or any other previous year			14	
15	Other expenses (Specify nature and amount)				
		Nature		Amount	
	a		a		
	b		b		
	c		c		
	d		d		
	e	Total (15a+ 15b+ 15c+ 15d)	e		15
16	Total (A1 to A15)			A16	
<b>B</b>	Expenditure on objects of the trust/institution				
1	Donation			1	
	i	Corpus	ii		
	ii	Other than Corpus	iii		
2	Religious			2	
3	Relief of poor			3	
4	Educational			4	
5	Yoga			5	
6	Medical relief			6	
7	Preservation of environment			7	
8	Preservation of monuments etc.			8	
9	General public utility			9	
10	Total (B 1 to B9)			B10	
<b>C</b>	Disallowable expenditure (C1 + C2 + C3)				C
1	Bad debts			1	
2	Provisions			2	
3	Any other disallowable expenditure			3	
<b>D</b>	Total Revenue expenditure incurred during the year (A16 + B10 + C)				D
<b>E</b>	Source of fund to meet revenue expenditure				E
1	Income derived from the property/income earned during previous year			1	
2	Income deemed as application in any preceding year under clause 2 of explanation 1 of section 11(1) (applicable only when exemption is claimed u/s 11 and 12)			2	
3	Income of earlier years upto 15% accumulated or set apart			3	
4	Borrowed Fund			4	
5	Any other (Please specify)			5	

<b>Schedule EC</b>		<b>Amount applied to charitable or religious purposes in India or for the stated objects of the trust/institution during the previous year—Capital Account [excluding amount exempt u/s 11(1A)] [to be filled by assesses claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv)/(v)/(vi)/(via)]</b>	
			<b>Amount</b>
<b>1</b>	<b>Addition to Capital work in progress</b> (for which exemption u/s 11(1A) has not been claimed)		<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Acquisition of capital asset</b> (not claimed earlier as application of income and for which exemption u/s 11(1A) has not been claimed)		<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Cost of new asset for claim of Exemption u/s 11(1A)</b> (restricted to the net consideration (row 8 of schedule AI, if new asset is not application towards object)		<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Other capital expenses</b>		
	<b>i</b>	<b>4i</b>	
	<b>ii</b>	<b>4ii</b>	
	<b>iii</b>	<b>4iii</b>	
	<b>iv</b>	<b>Total expenses (4i + 4ii + 4iii)</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Total capital expenses (1 + 2 +3 +4)</b>		<b>5</b>
<b>A</b>	<b>Source of fund to meet capital expenditure</b>		
<b>1</b>	<b>Income derived from the property during previous year</b>		<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Income deemed as application in any preceding year under clause 2 of explanation 1 of section 11(1)</b>		<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Income of earlier years upto 15% accumulated or set apart</b>		<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Borrowed Fund</b>		<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Any other (Please specify)</b>		<b>5</b>

<b>Schedule IE-1</b>		<b>Income &amp; Expenditure statement (Applicable for assessee claiming exemption under sections 10(21), 10(22B), 10(23AAA), 10(23B), 10(23D), 10(23DA), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(29A), 10(46), 10(47) and other clauses of section 10 where income is unconditionally exempt)</b>	
<b>1</b>	Total receipts including any voluntary contribution		<b>1</b>
<b>2</b>	Application of income towards object of the institution		<b>2</b>
<b>3</b>	Accumulation of income		<b>3</b>

<b>Schedule IE-2</b>		<b>Income &amp; Expenditure statement (Applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23A), 10(24)</b>	
<b>A</b>	<b>1</b>	Total receipts including any voluntary contribution	<b>1</b>
	<b>2</b>	Application of income towards object of the institution	<b>2</b>
	<b>3</b>	Accumulation of income	<b>3</b>
<b>B</b>	<b>1</b>	Do you have any income which is taxable? If Yes Please provide details of taxable income (Tick <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	<b>a</b>	Income from House Property (Please fill Schedule HP)	<b>1a</b>
	<b>b</b>	Income from Business or Profession (Please fill Schedule BP)	<b>1b</b>
	<b>c</b>	Income from Capital gains (Please fill Schedule CG)	<b>1c</b>
	<b>d</b>	Income from other Sources (Please fill Schedule OS)	<b>1d</b>

<b>Schedule IE-3</b>		<b>Income &amp; Expenditure statement (applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23C)(iiiab) or 10(23C)(iiiac) (please fill up separate schedule for each institution):</b>	
<b>1</b>	<b>Objective of the institution</b> (drop down to be provided - Educational / Medical)		
<b>2</b>	<b>Addresses where activity is carrying out</b>		
<b>3</b>	<b>Total receipts including any voluntary contribution</b>		
<b>4</b>	<b>Government Grants out of Sl. No. 3 above</b>		
<b>5</b>	<b>Amount applied for objective</b>		
<b>6</b>	<b>Balance accumulated</b>		

<b>Schedule IE-4</b>		<b>Income &amp; Expenditure statement (applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23C)(iiid) or 10(23C)(iiiae) (please fill up separate schedule for each institution):</b>	
<b>1</b>	<b>Objective of the institution</b> (drop down to be provided - Educational / Medical)		
<b>2</b>	<b>Addresses where activity is carrying out</b>		
<b>3</b>	<b>Gross Annual receipts</b>		
<b>4</b>	<b>Amount applied for objective</b>		
<b>5</b>	<b>Balance accumulated</b>		

**Schedule HP** Details of Income from House Property (Please refer to instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)

HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1			Town/ City			State			PIN Code/ Zip Code				
	Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)														
	Your percentage of share in the property <input type="text"/>														
	Name of Co-owner(s)			PAN of Co-owner(s) (optional)			Percentage Share in Property								
	I														
	II														
	/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Deemed let out			Name(s) of Tenant (if let out)			PAN of Tenant(s) (if available)			PAN/TAN of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)					
				I											
	II														
	a Gross rent received or receivable or lettable value							1a							
	b The amount of rent which cannot be realized				1b										
	c Tax paid to local authorities				1c										
	d Total (1b + 1c)				1d										
	e Annual value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)							1e							
	f 30% of 1e				1f										
	g Interest payable on borrowed capital				1g										
	h Total (1f + 1g)							1h							
	i Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%							1i							
	j Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)							1j							
	2	Address of property 2			Town/ City			State			PIN Code/ Zip Code				
Is the property co-owned? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "YES" please enter following details)															
Your percentage of share in the property. <input type="text"/>															
Name of Co-owner(s)			PAN of Co-owner(s) (optional)			Percentage Share in Property									
I															
II															
/Tick <input checked="" type="checkbox"/> the applicable option <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Deemed let out			Name(s) of Tenant (if let out)			PAN of Tenant(s) (Please see note)			PAN/TAN of Tenant(s) (Please see note)						
			I												
II															
a Gross rent received/ receivable/ lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)							2a								
b The amount of rent which cannot be realized				2b											
c Tax paid to local authorities				2c											
d Total (2b + 2c)				2d											
e Annual value (2a – 2d)							2e								
f 30% of 2f				2f											
g Interest payable on borrowed capital				2g											
h Total (2f + 2g)							2h								
i Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%							2i								
j Income from house property 2 (2e – 2h + 2j)							2j								
3	Pass through income if any *						3								
4	Income under the head "Income from house property" (1j + 2j + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)						4								
<b>NOTE</b> ▶ Furnishing of PAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.															

**Schedule CG Capital Gains**

<b>CAPITAL GAINS</b>	<b>A Short-term capital gain</b>				
	<b>1</b>	<b>From assets (shares/units) where section 111A is applicable (STT paid)</b>			
		<b>a</b>	Full value of consideration	<b>1a</b>	
		<b>b</b>	<b>Deductions under section 48</b>		
			<b>i</b>	Cost of acquisition	
			<b>bi</b>		
			<b>ii</b>	Cost of Improvement	
			<b>bii</b>		
			<b>iii</b>	Expenditure on transfer	
			<b>biii</b>		
			<b>iv</b>	Total (i + ii + iii)	
			<b>biv</b>		
		<b>c</b>	Balance (1a – biv)		
			<b>1c</b>		
		<b>d</b>	Loss, if any, to be ignored under section 94(7) or 94(8) (Enter positive value only)		
			<b>1d</b>		
		<b>e</b>	Short-term capital gain (1c +1d)		
			<b>A1e</b>		
		<b>2</b>	<b>From assets where section 111A is not applicable</b>		
			<b>a</b>	<b>i</b>	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details
				<b>a</b>	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares
				<b>ia</b>	
				<b>b</b>	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner
				<b>ib</b>	
				<b>c</b>	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)
				<b>ic</b>	
			<b>ii</b>	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	
			<b>a</b>		
			<b>aii</b>		
		<b>iii</b>	Total (ic + ii)		
			<b>a</b>		
			<b>aiii</b>		
		<b>b</b>	<b>Deductions under section 48</b>		
			<b>i</b>	Cost of acquisition	
			<b>bi</b>		
			<b>ii</b>	Cost of Improvement	
			<b>bii</b>		
			<b>iii</b>	Expenditure on transfer	
			<b>biii</b>		
			<b>iv</b>	Total (i + ii + iii)	
			<b>biv</b>		
		<b>c</b>	Balance (2aiii – biv)		
			<b>2c</b>		
		<b>d</b>	Loss, if any, to be ignored under section 94(7) or 94(8) (Enter positive value only)		
			<b>2d</b>		
		<b>e</b>	Short-term capital gain (2c + 2d)		
			<b>2e</b>		
	<b>3</b>	Deemed short term capital gain on depreciable assets			
		<b>A3</b>			
	<b>4</b>	Exemption other than u/s 11(1A), if any (pls. specify section)			
		<b>A4</b>			
	<b>5</b>	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A5a + A5b + A5c)			
		<b>A5</b>			
		<b>a</b>	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%		
			<b>A5a</b>		
		<b>b</b>	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates		
			<b>A5b</b>		
	<b>6</b>	Total short term capital gain (A1e + 2e + A3 - A4 + A5)			
		<b>A6</b>			
	<b>B Long term capital gain</b>				
	<b>1</b>	<b>From asset where proviso under section 112(1) is not applicable</b>			
		<b>a</b>	<b>i</b>	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details	
			<b>a</b>	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	
			<b>ia</b>		
			<b>b</b>	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	
			<b>ib</b>		
			<b>c</b>	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	
			<b>ic</b>		
		<b>ii</b>	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares		
			<b>a</b>		
			<b>aii</b>		
		<b>iii</b>	Total (ic + ii)		
			<b>a</b>		
			<b>aiii</b>		
		<b>b</b>	<b>Deductions under section 48</b>		
			<b>i</b>	Cost of acquisition after indexation	
			<b>bi</b>		

	ii	Cost of improvement after indexation	bii		
	iii	Expenditure on transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (1a + bii - biv)	1c		
	d	Long-term capital gains where proviso under section 112(1) is not applicable		B1d	
2		From asset where proviso under section 112(1)/112A is applicable (without indexation)			
	a	Full value of consideration	2a		
	b	Deductions under section 48			
	i	Cost of acquisition without indexation	bi		
	ii	Cost of improvement without indexation	bii		
	iii	Expenditure on transfer	biii		
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (2a - biv)	2c		
	d	Exemption other than u/s 11(1A), if any (pls. specify section)		2d	
	e	Exemption u/s 112A		2e	
	f	Balance after exemption (2c-2d-2e)		2f	
	g	Long-term capital gains where proviso under section 112(1)/112A is applicable (2c - 2f)		2g	
3		Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B3a + B3b)		B3	
	a	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%	B3a		
	b	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	B3b		
4		Total long term capital gain (B1e + B2g + B3)		B4	
C		Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A6 + B4) (enter B4 as nil, if loss)		C	

**Schedule OS** Income from other sources

OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)			1	
	a	Dividends, Gross		1a		
	b	Interest, Gross		1b		
		i	From Savings Bank	bi		
		ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society)	bii		
		iii	From Income-tax Refund	biii		
		iv	In the nature of Pass through income	biv		
		v	Others	bv		
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross		1c		
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)		1d		
		i	Aggregate value of sum of money received without consideration	di		
		ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii		
		iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration	diii		
		iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	div		
		v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	dv		
	e	Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e)			2	
		a	Income from winnings from lotteries, crossword puzzles etc.		2a	
		b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)		2b	
		i	Cash credits u/s 68		bi	
		ii	Unexplained investments u/s 69		bii	
	iii	Unexplained money etc. u/s 69A		biii		
	iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B		biv		

v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C			bv	
vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D			bvi	
c	Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111			2c	
	S.No.	Assessment Year	Income benefit	Tax benefit	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
d	Any other income chargeable at special rate ( <i>total of di to dxix</i> )			2d	
i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)			di	
ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)			dii	
iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)			diii	
iv	Interest referred to in section 194LC - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)			div	
v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)			dv	
vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)			dvi	
vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)			dvii	
viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)			dviii	
ix	Income by way of interest or dividends from bonds or GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC			dix	
x	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA			dx	
xi	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)			dxii	
xii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)			dxii	
xiii	Tax on non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA			dxiii	
xiv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC			dxiv	
xv	Income by way of dividend received by specified assessee, being resident, from domestic company exceeding rupees ten lakh chargeable u/s 115BBDA			dxv	
xvi	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF			dxvi	
xvii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG			dxvii	
xviii	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E			dxviii	
xix	Any other income (Please specify)			dxix	
e	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates ( <i>drop down to be provided</i> )			2e	
f	Amount included in 1 and 2 above, which is chargeable at special rates in India as per DTAA ( <i>total of column (2) of table below</i> )			2f	

	Sl. No.	Amount of income	Item No.2a to 2e in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]										
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
											I									
3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b & 2d)																			
	a	Expenses / Deductions					3a													
	b	Depreciation					3b													
	c	Total					3c													
4	Amounts not deductible u/s 58										4									
5	Profits chargeable to tax u/s 59										5									
6	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 - 3 + 4 + 5) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)										6									
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)										7									
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses																			
	a	Receipts					8a													
	b	Deductions under section 57 in relation to (3) receipts at 8a only					8b													
	c	Amounts not deductible u/s 58					8c													
	d	Profits chargeable to tax u/s 59					8d													
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d)										8e								
9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)										9									
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources																			
	S. No.	Other Source Income		Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3												
				(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)												
	1	Dividend	Income u/s 115BBDA																	
	2	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)																		
<b>NOTE</b>	Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.																			

**Schedule OA** General

	Do you have any income under the head business and profession? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (if "yes" please enter following										
1	Nature of Business or profession (refer to the instructions)										1
2	Number of branches <input type="text"/>										2
3	Method of accounting employed in the previous year (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mercantile										3
4	Is there any change in method of accounting (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes										4
5	Effect on the profit because of deviation, if any, in the method of accounting employed in the previous year from accounting standards prescribed under section 145A										5
6	Method of valuation of closing stock employed in the previous year										6
	a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)								<input type="checkbox"/>	
	b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)								<input type="checkbox"/>	
	c	Is there any change in stock valuation method (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No									
	d	Effect on the profit or loss because of deviation, if any, from the method of valuation prescribed under section 145A								6d	

**Schedule BP Computation of income from business or profession**

INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	<b>A From business or profession other than speculative business and specified business [including business income as referred to in section 11(4A)]</b>			
	1	Profit before tax as per profit and loss account	1	
	2	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter -ve sign in case of loss)	2	
	3	Net profit or loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter -ve sign in case of loss)	3	
	4	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44AE	4	
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt		
		a	share of income from firm(s)	5a
		b	Share of income from AOP/ BOI	5b
		c	Any other exempt income	5c
		d	Total exempt income	5d
	6	Balance (1- 2 - 3 - 4- 5d)		6
	7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income	7	
	8	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income	8	
	9	Total (7 + 8)	9	
	10	Adjusted profit or loss (6+9)		10
	11	Deemed income under section 33AB/33ABA/35ABB	11	
	12	Any other item or items of addition under section 28 to 44DA	12	
	13	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a partner)	13	
	14	Total (10 +11+12+13)		14
	15	Deduction allowable under section 32(1)(iii)	15	
	16	Any other amount allowable as deduction		16
	17	Total ( 15 +16)		17
	18	Income (14 - 17)		18
	19	Profits and gains of business or profession deemed to be under -		
		i	Section 44AD	19i
		ii	Section 44ADA	19ii
		iii	Section 44AE	19iii
		iv	Total (19i to 19iii)	19iv
20	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (18 + 19iv)		20	
21	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 7C, if applicable (If rule 7A, 7B or 7C is not applicable, enter same figure as in 20)		A21	
<b>B Computation of income from speculative business</b>				
24	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account		24	
25	Additions in accordance with section 28 to 44DA		25	
26	Deductions in accordance with section 28 to 44DA		26	
27	Profit or loss from speculative business (24+25-26) (enter nil if loss)		B27	
<b>C Computation of income from specified business under section 35AD</b>				
28	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account		28	
29	Additions in accordance with section 28 to 44DA		29	
30	Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)		30	



	31	Profit or loss from specified business (28+29-30)	31	
	32	Deductions in accordance with section 35AD(1)	32	
	33	Profit or loss from specified business (31-32) (enter nil if loss)	33	
	34	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)	35	
D		Income chargeable under the head 'Profits and gains' (A21+B27+C33)	D34	
E		Computation of income chargeable to tax under section 11(4)		
	35	Income as shown in the accounts of business under taking [refer section 11(4)]	E35	
	36	Income chargeable to tax under section 11(4) [D34-E35]	E36	

**Schedule CYLA** Details of Income after set-off of current years losses

Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			Total loss (4 of Schedule - HP)	Total loss (A21 of Schedule-BP)	Total loss (6+2 of Schedule-OS)	
			1	2	3	
	Loss to be adjusted ->					
i	House property					
ii	Business (excluding speculation income and income from specified business)					
iii	Speculation income					
iv	Specified business income					
v	Short-term capital gain					
vi	Long term capital gain					
vii	Other sources (excluding profit from owning race horses and winnings from lottery)					
viii	Profit from owning and maintaining race horses					
ix	Total loss set-off					
x	Loss remaining after set-off					

**Schedule PTI** Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

Sl.	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Amount of income	TDS on such amount, if any
1.			i	House property		
			ii	Capital Gains		
			a	Short term		
			b	Long term		
			iii	Other Sources		
			iv	Income claimed to be exempt		
			a	u/s 10(23FBB)		
			b	u/s .....		
			c	u/s .....		
			2.			i
ii	Capital Gains					
a	Short term					
b	Long term					
iii	Other Sources					

				iv	Income claimed to be exempt		
				a	u/s 10(23FBB)		
				b	u/s .....		
				c	u/s .....		

**NOTE** ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

**Schedule SI** Income chargeable to tax at special rates [Please see instruction]

SI No	Section	☐	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
1	111A (STCG on shares where STT paid)	☐	15		
2	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without	☐	10		
3	112 (LTCG on others)	☐	20		
4	112A(LTCG on equity shares/units of equity oriented fund/units of business trust on which STT is paid)	☐	10		
5	115B (Profits and gains of life insurance business)	☐	12.50		
6	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games)	☐	30		
7	115BBDA (Dividend Income from domestic company that exceeds Rs.10 Lakh)	☐	10		
8	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or	☐	60		
9	115BBF (Tax on income from patent)	☐	10		
10	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)	☐	10		
11	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided)	☐		(part of 2d of schedule OS)	
12	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 2f of schedule OS)	
13	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	☐	15		
14	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%	☐	10		
15	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	☐	20		
16	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates	☐		(2e of schedule OS)	
			<b>Total</b>		

**Schedule 115TD** Accreted income under section 115TD

1	Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of trust/institution	1	
2	Less: Total liability of trust/institution	2	
3	Net value of assets (1 – 2)	3	
4	(i) FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1)	4i	
	(ii) FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration u/s 12AA, if benefit u/s 11 and 12 not claimed during the said period	4ii	
	(iii) FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2)	4iii	
	(iv) Total (4i + 4ii + 4iii)	4iv	
5	Liability in respect of assets at 4 above	5	
6	Accreted income as per section 115TD [3 – (4 – 5)]	6	
7	Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate	7	
8	Interest payable u/s 115TE	8	
9	Specified date u/s 115TD	9	
10	Additional income-tax and interest payable	10	
11	Tax and interest paid	11	
12	Net payable/refundable (10 - 11)	12	

13	Date(s) of deposit of tax on accreted income	Date 1 DD/MM/YYYY	Date 2 DD/MM/YYYY	Date 3 DD/MM/YYYY
14	Name of Bank and Branch			
15	BSR Code			
16	Serial number of challan			
17	Amount deposited			

**Schedule FSI**
**Details of Income from outside India and tax relief**

Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1			i	House Property					
			ii	Business or Profession					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
			Total						
2			i	House Property					
			ii	Business or Profession					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
			Total						

**NOTE** ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

**Schedule TR Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India**

1 Details of Tax relief claimed					
Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)	
				(a)	(b)
Total					
2 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2	
3 Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3	
4 Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4	Yes/No
a	Amount of tax refunded		b	Assessment year in which tax relief allowed in India	

**NOTE** ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

**Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India**

DETAILS OF FOREIGN ASSETS	A1 Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period)												
	Sl. No.	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)													
(ii)													

A2 Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl. No.	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period <i>(drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												

A3 Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												

A4 Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period									
Sl. No.	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
(i)									
(ii)									

B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl. No.	Country Name and code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment <i>(at cost) (in rupees)</i>	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												

C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sl No	Country Name and code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)										
(ii)										
<b>D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period</b>										
Sl No	Country Name and code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)										
(ii)										

<b>E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period and which has not been included in A to D above.</b>											
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
								Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)											
(ii)											
<b>F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor</b>											
Sl No	Country Name and code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)											
(ii)											
<b>G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession</b>											
Sl No	Country Name and code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
						Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)											
(ii)											

**NOTE**

Please refer to instructions for filling out this schedule.

SCHEDULE SH		SHAREHOLDING OF UNLISTED COMPANY									
If you are an unlisted company, please furnish the following details:-											
Details of shareholding at the end of the previous year											
Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN	Date of acquisition	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received			
Details of equity share application money pending allotment at the end of the previous year											
Name of the applicant	Residential status in India	Type of share	PAN	Date of application	Number of shares applied for	Application money received	Face value per share	Proposed issue price			
Details of shareholders who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year											
Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received	Date of acquisition	Date on which cease to be shareholder	Mode of cessation	In case of transfer, PAN of the shareholder

## Part-B

Part B – TI		STATEMENT OF INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31 <sup>ST</sup> MARCH, 2019									
If registered under section 12A/12AA or approved under section 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via), fill out items 1 to 7 (as applicable)											
1	Voluntary Contributions other than Corpus fund [(Aii + Bii) of Schedule VC]										1
2	Voluntary contribution forming part of corpus [(Ai + Bi) of schedule VC]										2
3	Aggregate of income referred to in sections 11, 12 and sections 10(23C)(iv), 10(23C)(v), 10(23C)(vi) and 10(23C)(via) derived during the previous year excluding Voluntary contribution included in 1 and 2 above (10 of Schedule AI)										3
4	Application of income for charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution:-										
	i	Amount applied during the previous year- Revenue Account [Excluding application from borrowed fund, deemed application, previous year accumulation upto 15% etc, i.e. not from the income of prev. year] [(A16 + B10- E2-E3-E4-E5) from Schedule ER]								4i	
	ii	Amount applied during the previous year- Capital Account [Excluding application from Borrowed Funds, deemed application, previous year accumulation upto 15% etc., i.e. not from income of the prev. year] [(5 -A2-A3-A4-A5) of Schedule EC]								4ii	
	iii	Amount applied during the previous year- Revenue/ Capital Account (Repayment of Loan)								4iii	
	iv	Amount deemed to have been applied during the previous year as per clause (2) of Explanation to section 11(1)								4iv	
	a	If (iv) above applicable, whether option in Form No. 9A has been furnished to the Assessing Officer					4iva				
	b	If yes, date of furnishing Form No. 9A (DD/MM/YYYY)					4ivb				
	v	Amount accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution to the extent it does not exceed 15 per cent of income derived from property held in trust/ institution under section 11(1)(a)/11(1)(b) or in terms of third proviso to section 10(23C) [restricted to the maximum of 15% of (2 + 3) above]								4v	
	vi	Amount in addition to amount referred to in (iv) above, accumulated or set apart for specified purposes if all the conditions in section 11(2) and 11(5) or third proviso to section 10(23C) are fulfilled (fill out schedule I)								4vi	
	vii	Amount eligible for exemption under section 11(1)(c)								4vii	
	a	Approval number given by the Board					4viiia				
	b	Date of approval by board					4viiib				
	viii	Total [4i +4ii+4iii+4v+4vi+4vii] (excluding the item 4iv - Utilisation of deemed income of an earlier year)								4viii	
5	Additions										
	i	Corpus donation to other trust or institution chargeable as per Explanation 2 to section 11(1) [item No. B1(i) of Schedule ER]								5i	
	ii	Income chargeable under section 11(1B)								5ii	

	iii	Income chargeable under section 11(3)			5iii	
	iv	Income in respect of which exemption under section 11 is not available				
	a	Being anonymous donation ( <i>Diii of schedule VC</i> )		5iva		
	b	Disallowable u/s 13(1)(c) or 13(1)(d) (including Part E of Schedule J)		5ivb		
	v	Income chargeable under section 12(2)			5v	
	vi	Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40(a)(ia) or 10(23C) r.w.s 40(a)(ia)			5vi	
	vii	Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40A(3)/(3A) or 10(23C) r.w.s 40A(3)/(3A)			5vii	
	viii	Total [5i + 5ii+5iii+5iva+5ivb+5v + 5vi + 5vii]			5viii	
6	Income chargeable u/s 11(4) [as per item No. E36 of Schedule BP]				6	
7	Total (2+3-4viii+5viii+6)				7	
8	Amount eligible for exemption under sections 10(21), 10(22B), 10(23A), 10(23AAA), 10(23B), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(29A)				8	
9	Amount eligible for exemption under section 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiac), 10(23C)(iiiad), 10(23C)(iii ae), 10(23D), 10(23DA), 10(23FB), 10(24), 10(46), 10(47)				9	
10	Amount eligible for exemption under any other clause of section 10 ( <i>other than those at 8 and 9</i> )				10	
11	Income chargeable under section 11(3) read with section 10(21)				11	
12a	Income claimed/ exempt under section 13A in case of a Political Party				12a	
12b	Income claimed/ exempt under section 13B in case of an Electoral Trust ( <i>item No. 6vii of Schedule ET</i> )				12b	
13	Income not forming part of item No. 7 to 12 above					
	i	Income from house property [ 4 of Schedule HP] ( <i>enter nil if loss</i> )			13i	
	ii	Profits and gains of business or profession [ <i>as per item No. D 34 of schedule BP</i> ]			13ii	
	iii	Income under the head Capital Gains				
	a	Short term ( <i>A6 of schedule CG</i> )		13iiia		
	b	Long term ( <i>B4 of schedule CG</i> ) ( <i>enter nil if loss</i> )		13iiib		
	c	Total capital gains (13iiia +13iiib) ( <i>enter nil if loss</i> )		13iiic		
	iv	Income from other sources [ <i>as per item No. 9 of Schedule OS</i> ]			13iv	
	v	Total (13i + 13ii + 13iiic + 13iv)			13v	
14	Gross income [7+11+13v-8-9-10-12a-12b]				14	
15	Losses of current year to be set off against 13v ( <i>total of 2ix, 3ix and 4ix of Schedule CYLA</i> )				15	
16	Gross Total Income (14-15)				16	
17	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112 etc. included in 16				17	
18	Deduction u/s 10AA				18	
19	Total Income [16-18]				19	
20	Income which is included in 19 and chargeable to tax at special rates ( <i>total of col. (i) of schedule SI</i> )				20	
21	Net Agricultural income for rate purpose				21	
22	Aggregate Income (19-20+21) [ <i>applicable if (19-20) exceeds maximum amount not chargeable to tax</i> ]				22	
23	Anonymous donations, included in 22, to be taxed under section 115BBC @ 30% ( <i>Diii of Schedule VC</i> )				23	
24	Income chargeable at maximum marginal rates (22-23)				24	

**Part B - TTI** Computation of tax liability on total income

1	Tax payable on total income				
	a	Tax at normal rates on [22-23-24] of Part B-TI		1a	
	b	Tax at special rates ( <i>total of col. (ii) of Schedule-SI</i> )		1b	
	c	Tax on anonymous donation u/s 115BBC @30% on 23 of Part B-TI		1c	
	d	Tax at maximum marginal rate on 24 of Part B-TI		1d	
	e	Rebate on agricultural income [ <i>applicable if (19-20) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax</i> ]		1e	
	f	Tax Payable on Total Income (1a+ 1b+1c+ 1d+ 1e)		1f	
2	Surcharge				
	i	25% of 8(ii) of Schedule SI		2i	
	ii	On [1f - (8(ii) of Schedule SI)]		2ii	
	iii	Total (i + ii)		2iii	
3	Health and Education cess @ 4% on (1f+ 2iii)			3	

4		Gross tax liability (1f+ 2iii + 3)			4		
5		Tax relief					
a	Section 90/90A (2 of Schedule TR)	5a					
b	Section 91 (3 of Schedule TR)	5b					
c	Total (5a + 5b)	5c					
6		Net tax liability (4 – 5c)			6		
7		Interest and fee payable					
a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	7a					
b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	7b					
c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	7c					
d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	7d					
e	Total Interest and Fee Payable (7a+ 7b+ 7c+ 7d)	7e					
8		Aggregate liability) (6 + 7e)			8		
9		Taxes Paid					
a	Advance Tax (from column 5 of 14A)	9a					
b	TDS (total of column 9 of 14B)	9b					
c	TCS (total of column 7 of 14C)	9c					
d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 14A)	9d					
e	Total Taxes Paid (9a+ 9b+ 9c+ 9d)	9e					
10		Amount payable (Enter if 8 is greater than 9e, else enter 0)			10		
11		Refund (If 9e is greater than 8) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)			11		
12		Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts) (In case of non-residents, details of any one foreign Bank Account may be furnished for the purpose of credit of refund)					
BANK ACCOUNT	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India (SWIFT Code in case of foreign Bank Account)	Name of the Bank	Account Number ( (IBAN in case of foreign Bank Accounts)	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account <input checked="" type="checkbox"/> )		
	i						
	ii						
13		Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes ]				<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	

<b>14 TAX PAYMENTS</b>					
<b>A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax</b>					
ADVANCE/SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	i				
	ii				
	iii				
	iv				
<b>NOTE</b>					
▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 9a & 9d of Part B-TTI					



B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C furnished by Deductor(s)]																	
Sl. No.	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)			Corresponding Income offered		TDS credit being carried forward				
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Gross Amount	Head of Income					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)			(10)		(11)	(12)	(13)	
							Income	TDS				Income	TDS	PAN			
i																	
NOTE ► Please enter total of column 9 in 10b of Part B- TTI																	

C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]								
TCS ON INCOME	Sl No	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. year	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward
				Fin. Year in which TCS collected	Amount b/f			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i								
ii								
NOTE ► Please enter total of column (7) in 9c of Part B-TTI								

### VERIFICATION

I, \_\_\_\_\_ son/ daughter of \_\_\_\_\_, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules, statements, etc. accompanying it is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as \_\_\_\_\_ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number \_\_\_\_\_ (if allotted) (Please see instruction).

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Place

Date

Sign here →

ITR- V	ACKNOWLEDGEMENT	AY 2019-20
--------	-----------------	------------

(A1) First name				(A2) Middle name				(A3) Last name				(A4) Permanent Account Number							
(A5) Date of Birth(DD/MM/YYYY)								(A6) Flat/Door/Building								(A7) Name of Premises/ Building/ Village			
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y												

(A8) Road/ Street		(A9) Area/ locality	(A10) Town/ City/ District			
(A11) State	Country		(A12) Pin code			
(A13) Fill only one: Filed- <input type="checkbox"/> On or before due date -139(1), <input type="checkbox"/> After due date -139(4), <input type="checkbox"/> Revised Return-139(5) OR In response to notice under section <input type="checkbox"/> 139(9)-Defective <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153A/153C OR <input type="checkbox"/> Under Sec. 119(2)(b)						

Received with thanks from \_\_\_\_\_ a return of income in ITR No. 1(SAHAJ)→O 2→O 3→O 4(SUGAM)→O 5→O 7→O for assessment year 2019-20, having the following particulars

COMPUTATION OF INCOME AND TAX RETURN Whole – Rupee (₹) only.			
B1	Gross Total Income		B1 ( )
B2	Deductions under Chapter-VI-A		B2
B3	Total Income		B3 ( )
B4	Current loss, if any		B4 ( )
B5	Net Tax Payable		B5
B6	Interest and fee Payable		B6
B7	Total Tax, Interest and fee Payable		B7
B8	Total Advance Tax Paid		B8
B9	Total Self-Assessment Tax Paid		B9
B10	Total TDS deducted		B10
B11	Total TCS collected		B11
B12	Total Prepaid Taxes (B8 + B9 + B10+ B11)		B12
B13	Tax Payable (B7-B12, If B7>B12)		B13
B14	Refund (B12-B7, If B12>B7)		B14
B15	Exempt Income	Agriculture <input type="text"/>	B15
		Others <input type="text"/>	

**STAMP RECEIPT**  
NO. HERE

**SIGN HERE**

**SEAL, DATE AND SIGNATURE OF  
RECEIVING OFFICIAL.**

FOR OFFICIAL USE ONLY

[Notification No. 32/2019/ F.No.370142/1/2019-TPL]  
SAURABH GUPTA, Under Secy.

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and last amended by the Income-tax (First Amendment) Rules, 2019, vide notification number G.S.R. No. 76(E), dated 30<sup>th</sup> January, 2019.